

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY.**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा

ओ. पी. शर्मा



आर बी एस ए पब्लिशर्स

एस. एम. एस. हाईवे

जयपुर - 302 003



प्रकाशक

दीपक परनामी

आर बी एस ए पब्लिशर्स,

एस एम एस हाईवे,

जयपुर - 302 003

दूरभाष - (0141)-563826

प्रथम संस्करण 2001

© लेखक

ISBN

शब्द संयोजक

आइडियल कम्प्यूटर्स

जवाहर नगर

जयपुर - 302 004

दूरभाष - 651967

भूमिका



मुझे "भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा" पुस्तक आपके हाथों में सौंपते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। पिछले पाच वर्षों में अर्थव्यवस्था पर लिखी पाच संदर्भ पुस्तकों का पाठको ने उत्साह से स्वागत किया उसके लिए मैं सभी पाठको का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ।

भारत को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। विकास को गति देने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग और आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात किया गया। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारी पूजी विनियोजन किया गया। इससे भारत में आर्थिक विकास का वातावरण बना है। विकासशील देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है, किन्तु विकास के अनेक सूचकों में विकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। वर्ष 1995 में जापान की प्रति व्यक्ति आय 39,640 डॉलर तथा अमरीका की 26,980 डॉलर थी। इसके विपरीत भारत की प्रति व्यक्ति आय 340 डॉलर ही थी। चीन और भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। वर्ष 1990-95 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर चीन में 12.8 प्रतिशत तथा भारत में केवल 4.6 प्रतिशत थी।

भारत में योजनाएँ तो खूब बनीं। विकास सूचकों के ऊँचे-ऊँचे लक्ष्य निर्धारित किए गए, किन्तु नीतिगत पहल और प्रभावोत्पादक कदमों के अभाव में योजनाओं का क्रियान्वयन और ऊँचे लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी हटाओ के लक्ष्य अनेक बार निर्धारित किए गए। प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की बात सम्मिलित की गई, किन्तु स्थिति जस की तस है। एक अरब की आबादी के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की मजबूती

वास्तव निर्वात वृद्धि हेतु कृषि पर यही जिम्मेदारी है। किन्तु कृषिगत उत्पादन में ठहराव है। आर्थिक उदारीकरण में अनेकाकृत कम पूजी निवेश से कृषि क्षेत्र विकास की गति नहीं पकड़ सका। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1997-98 में नकारात्मक 6 प्रतिशत तथा 1998-99 में केवल 3 प्रतिशत (प्रविजनल) रही। उद्योगों की स्थिति भी कुल मिलाकर अच्छी नहीं है। भारत में शोच एवं अनुसंधान पर कम ध्यान दिया गया। आधुनिक तकनीक आत्मसात करने के मामले में भारत के उद्योग निछुड़े रहे परिणामस्वरूप वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे हैं। भारत की निर्यात वृद्धि दर डॉलर में 1997-98 में 1.5 प्रतिशत तथा अगस्त-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय परिदृश्य में अर्थव्यवस्था में दिशाहीनता दृष्टिगोचर होना चिन्ताप्रद बात है।

पुस्तक में अर्थव्यवस्था की दिशा को दर्शाने वाले घटकों को अटारह अध्यायों में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जिनके नाम इस प्रकार है -

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति, घटते संजगार बढ़ते गरीब, सकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, बढ़ता व्यापार घाटा और बिगड़ता मुग्तान सतुलन, अर्थव्यवस्था की दिशाहीनता, विदेशी सहायता और संभावित खतरे, जनाधिक्य की समस्या, कृषि की भूमिका में बदलाव, हरित क्रांति में बदलाव की आवश्यकता, आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरूप, विश्व व्यापार संगठन का भारतीय कृषि पर प्रभाव, परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य, कारगिल संकट, केंद्रीय बजट, रेल बजट, राजस्थान का बजट, दक्षिण औद्योगिक स्थिति और सार्वजनिक उपक्रमों में निनिवेश, साक्षरता से ही विकास की गति में वृद्धि संभव।

पुस्तक लेखन में पूजनीय डा. जे. के. टण्डन से मित्ती प्रेरणा के लिए हृदयक आभार प्रकट करता हूँ। इनके अलावा आदरणीय मैया रमेश शर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू शर्मा, श्रीमती मंजू दीक्षित (सदाईमाधोनुर), सुश्री नीलम जोशी (अजमेर) श्री प्रेम शंकर शर्मा एडवोकेट, श्रीमती उम्मेद कदर (दाता रामगढ़) का उत्साहवर्द्धन उत्तरेखनीय रहा।

पुस्तक प्रकाशन के समय पूज्य गुरुवर स्व. डॉ. सी. आर. कोठारी, पूजनीय पिताजी स्व. मेरू लाल शर्मा एवं पूजनीया माताजी स्व. श्रीमती शांति शर्मा का स्मरण करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मेरा लेखकीय जीवन पल्लविन हो रहा है।

पुस्तक लेखन में गुरुजन, विद्वान व्याख्याताओं, मित्रों तथा निकट

सम्बन्धियों से मिली प्रेरणा के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं पुस्तक के प्रकाशक आर. बी. एस. एस. ए. पब्लिशर्स के श्री सुरेन्द्र परनामी तथा इनके विनम्र पुत्र दीपक परनामी के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने अत्यल्प समय में पुस्तक को सुन्दर आकार में प्रकाशित कर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी है।

आशा है यह पुस्तक प्रबुद्ध व्याख्याताओं, शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

शांति-दीप

जटवाडा मानटाउन

सवाईमाधोपुर - 322001

ओ. पी. शर्मा

पूजनीय दादाजी
श्री राम गोपाल शर्मा
की स्मृति में सादर समर्पित

विषय-सूची

भूमिका

1.	वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति	1
2.	घटते रोजगार बढ़ते गरीब	7
3.	सकटग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था	15
4.	भारत में बढ़ता विदेशी व्यापार घाटा और बिगड़ता भुगतान सतुलन	21
5.	अर्थव्यवस्था की दिशाहीनता	33
6.	विदेशी सहायता और संभावित खतरे	39
7.	भारत में जनाधिक्य की समस्या	47
8.	कृषि की भूमिका में बदलाव	61
9.	हरित क्रांति में बदलाव की आवश्यकता	75
10.	आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरूप	83
11.	विश्व व्यापार संगठन का भारतीय कृषि पर प्रभाव	97
12.	परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य	103
13.	कारगिल संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था	109
14.	केन्द्रीय बजट 1999-2000 : बिगड़ता वित्तीय अनुशासन	117
15.	रेल बजट 1999-2000 : बढ़ता बजटीय समर्थन	129
16.	राजस्थान का बजट 1999-2000 : राजस्व घाटे से बढ़ता कर्ज भार	137
17.	दयनीय औद्योगिक स्थिति और सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश	143
18.	साक्षरता से ही विकास की गति में वृद्धि संभव	173

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति

भारत के सन्दर्भ में यह कहा जाता रहा है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन भारत में निर्धन लोग निवारण करते हैं। यह बात बड़ी सीमा तक सही भी है। प्रकृति ने भारत को उपहार उदारतापूर्वक दिए हैं। भारत में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की बहुतायत है। किन्तु इनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं हो पाने के कारण भारत आर्थिक दृष्टि से कमजोर राष्ट्र रहा है। प्रकृति संसाधनों के आवटन में भेदभाव नहीं करती है। प्राकृतिक संसाधनों का अच्छा उपयोग करने वाले देश आज आर्थिक प्रगति के शिखर पर हैं। इसके विपरीत भारत सरीखे कई विकाराशील देश ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का पूर्ण विदोहन, उपयोग और संरक्षण नहीं किया है। परिणामस्वरूप इन देशों में आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ सका। भारत में गरीबी राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरी। गरीबी की समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद गरीबों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विकास की सुनियोजित व्यूहरचना के अभाव में विश्व के देशों की तुलना में भारत पिछड़ गया है। वर्ल्ड डवलपमेन्ट रिपोर्ट, 1997 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 1995 के मध्य में 5,673 मिलियन थी जिसमें भारत की जनसंख्या 929 मिलियन थी। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भाग 16.4 प्रतिशत था। जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.5 प्रतिशत है। स्पष्ट है कम भू-भाग में बड़ी जनसंख्या निवास करती है। चीन का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 7.2 प्रतिशत है और विश्व की जनसंख्या में चीन का भाग 21.2 प्रतिशत है। विकसित देशों की जनसंख्या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है। विश्व की कुल जनसंख्या में आस्ट्रेलिया का भाग 0.31 प्रतिशत, कनाडा का भाग 0.52 प्रतिशत, फ्रांस का

भाग 1 प्रतिशत तथा अमरीका का भाग 4.63 प्रतिशत है। आज विश्व का हर छटा आदमी भारतीय है। भारत में जनसंख्या के अधिक होने से ढेरों समस्याएँ उभरीं जिनके कारण भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है।

भारत में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में ही नहीं अपितु विकासशील देशों की तुलना में भी कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय चीन, घना, पाकिस्तान, श्रीलंका, जाम्बिया आदि विकासशील देशों से कम है।

विश्व के देशों की प्रति व्यक्ति आय, 1995 में

(डालर में)

देश	प्रति व्यक्ति आय
भारत	340
चीन	620
श्रीलंका	700
जाम्बिया	400
ब्राजील	3640
आस्ट्रेलिया	18720
फ्रांस	24970
जापान	39640
अमरीका	26980

स्रोत: वर्ल्ड डवलपमेन्ट रिपोर्ट, 1997

विश्व की प्रति व्यक्ति आय 1995 में 4,880 डॉलर थी। अल्पविकसित और विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय विश्व की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 340 डॉलर के मुकाबले जापान की प्रति व्यक्ति आय 39,640 डॉलर आर्थिक विषमता का परिचायक है।

भारत में औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होने के कारण लोग गरीब हैं। वर्ष 1990-95 की अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर के मामले में भारत एशियाई देशों से पीछे रहा। भारत में 1990-95 की अवधि में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत, कृषि वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत, औद्योगिक वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत, निर्यात वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत थी। गौरतलब है 1990-95 की समयावधि में विकसित देशों की वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम रही जबकि एशिया के कुछ देशों की वार्षिक

वृद्धि दर तेजी से बढ़ी और ये देश एशियन टाइगर्स के रूप में उभरे। किन्तु भारत की अर्थव्यवस्था "एशियन टाइगर्स" की भांति विकास की गति नहीं पकड़ सकी। लेकिन एशियन टाइगर्स की आर्थिक दशा शीघ्र ही अर्थात् 1998 में घराशाई हुई जबकि भारत की स्थिति उन देशों की भांति नहीं दिगड़ी। कुछ देशों की वार्षिक वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

कुछ देशों की आर्थिक वृद्धि दर

देश	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)			1990-95	
	सकत घरेलू उत्पाद	कृषि	उद्योग	सेवा	निर्यात
भारत	4.6	3.1	5.1	6.1	12.5
चीन	12.8	4.8	18.1	10.0	15.6
इण्डोनेशिया	7.6	2.9	10.1	7.4	10.8
मलेशिया	8.7	2.6	11.0	8.6	14.4
थाइलैण्ड	8.4	3.1	10.8	7.8	14.2
जापान	1.0	-2.2	0.0	2.3	3.4
अमरीका	2.6	3.6	1.2	2.1	7.3

भारत में श्रम शक्ति चीन के बाद सबसे अधिक है। वर्ष 1995 में भारत की श्रम शक्ति 398 मिलियन तथा चीन की 709 मिलियन थी किन्तु श्रम शक्ति वृद्धि दर भारत की अधिक है। वर्ष 1990-95 के बीच श्रम शक्ति की औसत वार्षिक वृद्धि दर भारत में 2 प्रतिशत तथा चीन में 11 प्रतिशत थी। भारत और चीन दोनों जनाधिक्य वाले देशों में श्रम शक्ति का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में कम श्रम शक्ति नियोजित है। विकसित देशों में श्रम शक्ति और उराकी वृद्धि दर कम है तथा श्रम शक्ति का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र की तुलना में सेवा और उद्योग क्षेत्र में अधिक नियोजित है। भारत में श्रम शक्ति के अधिक होने तथा बड़े भाग का कृषि क्षेत्र में नियोजित होने के कारण निर्धन जनता की बहुतायत है।

भारत में गरीबी की समस्या सदैव मुहवाए खड़ी है। देश की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट रात बिताते हैं। भारत में लोगों

को प्रतिदिन 2,230 कैलोरिज भोजन मिलता है जो विकासशील देशों की तुलना में भी कम है। चीन में लोगों को प्रतिदिन 2,640 कैलोरिज भोजन मिलता है। यह अर्जेंटीना में 3,070 कैलोरिज, ईरान में 3,020 कैलोरिज, मारीशस में 2,900 कैलोरिज, मैक्सिको में 3,060 कैलोरिज, दक्षिण अफ्रीका में 3,130 कैलोरिज है। गरीबी के कारण भारत में भिखारियों की संख्या बहुत अधिक है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 7.5 लाख भिखारी थे।

बढ़ती बेरोजगार निर्धनता को दर्शाती है। रोजगार के अवसरों के घटने से गरीबी बढ़ी है। जनाधिक्य और आर्थिक पिछड़ापन बेरोजगारी का कारण है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में पूंजी प्रधान तकनीक को प्राथमिकता देने से बेरोजगारी मुखर हुई। सार्वजनिक उपक्रमों का विकास थम सा गया है। इस कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। दिसम्बर 1997 में रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 380 लाख थी। बेरोजगारों में प्रतिवर्ष 1.18 करोड़ की वृद्धि हो रही है।

भारत में बचत और पूंजी निर्माण की दर अनेक देशों की तुलना में कम है। बचत और पूंजी निर्माण की दर कम होने से भारत विकास की दौड़ में पिछड़ा। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भारत में निर्धनता बढ़ी। भारत में बचत व पूंजी निर्माण की दर बढ़ी है किन्तु अभी भी यह विकसित देशों की तुलना में कम है। भारत में 1995-96 में सकल घरेलू पूंजी निर्माण दर 25.8 प्रतिशत तथा सकल घरेलू बचत दर 24.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1995 में सकल पूंजी निर्माण दर चीन में 40 प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 38 प्रतिशत तथा जापान में 29 प्रतिशत थी।

भारत बड़ा ऋणी देश है तथा मूलधन तथा ब्याज अदायगी का भारी बोझ है। विकासगत जरूरतों को पूरा करने के लिए आज भी विदेशी ऋण पर निर्भरता बनी हुई है। मई 1998 में परमाणु विस्फोट के कारण बाद में विदेशी ऋण प्राप्त करने में कठिनाई आई। परमाणु परीक्षण के कारण भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारत ने 6 जुलाई 1999 को विश्व बैंक से 38.6 करोड़ डॉलर का बड़ा ऋण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। प्राप्त ऋण का उपयोग महिला एवं बाल विकास परियोजना तथा राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना पर खर्च किया जाएगा। भारत का कुल विदेशी ऋण सितम्बर 1998 में 95,195 मिलियन डॉलर था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋणों का भाग 3.7 प्रतिशत तथा रियायती ऋणों का भाग 37.7 प्रतिशत था। भारत का विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 22.9 प्रतिशत था। भारत वर्ष 1994 में विश्व का चौथा बड़ा ऋणी देश था। भारत

से अधिक ऋणी देश ब्राजील, मैक्सिको तथा चीन थे। वर्ष 1994 में ब्राजील का विदेशी ऋण 151 बिलियन डॉलर, मैक्सिको का विदेशी ऋण 128 बिलियन डॉलर, चीन का विदेशी ऋण 101 बिलियन डॉलर तथा भारत का विदेशी ऋण 99 बिलियन डॉलर था।

भारत में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। गरीबी में जीवन बसर करने के कारण भारतीयों की औसत आयु विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है। औसत आयु आस्ट्रेलिया में 77 वर्ष, फ्रांस में 78 वर्ष, जापान में 80 वर्ष, अमरीका में 77 वर्ष है। जबकि भारत में औसत आयु 62 वर्ष है।

भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, औसत जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है जो भारत में गरीबी की पुष्टि करते हैं। वर्ष 1993 में भारत में प्रति हजार जन्म दर 29, मृत्यु दर 10, शिशु मृत्यु दर 1995 में प्रति हजार 68 थी जबकि अमरीका में जन्म दर 16, मृत्यु दर 9 तथा शिशु मृत्यु दर 8 ही थी।

भारत में लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं है। गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में लोग दम तोड़ देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस तथा मलेरिया से देशवासियों को निजात नहीं मिला है। एड्स रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर 122 लोग ट्यूबरकुलोसिस से, 242 लोग मलेरिया से 0.1 लोग एड्स से पीड़ित हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों तथा नर्सों का अभाव है। 1988-91 की अवधि में 2,439 लोगों पर एक डॉक्टर तथा 3,333 लोगों पर एक नर्स थी। भारत में चिकित्सा सुविधाओं पर कम राशि खर्च की जाती है। वर्ष 1990 में भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.3 प्रतिशत था जबकि यह थाइलैण्ड में 4.1 प्रतिशत था।

कुल मिलाकर भारत प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की दृष्टि से बहुत समृद्ध देश है किन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में संसाधनों का अनुकूलतम विदोहन नहीं कर पाने के कारण विकास की दौड़ में दुनिया के देशों की तुलना में पिछड़ गया। भारत का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आई। प्राप्त विदेशी ऋण का पूरा उपयोग विकास में नहीं हो सका नतीजतन गरीबों की दशा सुधर नहीं सकी। भारत में लोगों के गरीब होने के बात सही चरितार्थ होती है। आज भारत न केवल विकसित देशों यथा अमरीका, जापान, फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन आदि देशों से पिछड़ा हुआ है बल्कि विकासशील देशों जैसे चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया,

थाइलैण्ड, दक्षिणी कोरिया आदि से भी विकास की दौड़ में पीछे है। हाल के (1998-99) वैश्विक आर्थिक संकट में अनेक देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ी किन्तु भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील देशों की बजाय बेहतर स्थिति में है। इसका कारण अर्थव्यवस्था का व्यापक आधार, बेहतर प्रबन्धन तथा अल्पावधि के पूंजी प्रवाह पर कम निर्भरता है।

घटते रोजगार बढ़ते गरीब

भारत में स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, आर्थिक पिछड़ापन आदि समस्याएँ मुखर थीं। विकास को गति देने वास्ते आर्थिक नियोजन का मार्ग चुना गया। सभी पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई। नियोजित विकास के दौरान अरबों रूपयों का विनियोजन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किया जा चुका है। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का तीव्रता से विकास हुआ। सार्वजनिक उपक्रमों में बेरोजगारों की बड़ी राख्या का दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए जो सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे का कारण भी था। नियोजन काल के पिछले पचास वर्षों में भारत ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति अर्जित की है। आर्थिक पिछड़ापन बड़ी सीमा तक दूर हुआ है। आज भारत विकासशील राष्ट्रों में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। किन्तु बेरोजगारी की समस्या विकट बनी हुई है। देशवासियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं हो सके हैं।

भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन काल के चालीस वर्षों (1951-90) में सार्वजनिक उपक्रमों के साथ निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन में सहायक सिद्ध हुआ। वर्ष 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों को आत्मसात किए एक दशक पूरा हो चुका है। उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका घटी है। सार्वजनिक उपक्रमों का विकास थम सा गया है। उल्टा इन उपक्रमों में विनिवेश प्रक्रिया जारी है। सार्वजनिक उपक्रमों का विकास नहीं होने से देश में रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। अब अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका तुलनात्मक रूप से अधिक है। किन्तु भारत का निजी क्षेत्र देश को

तीव्र विकास की सह दर्शाने में अधिक समर्थ नहीं है। निजी उद्यमी नियोजन काल में सरकार की संरक्षणात्मक रीति के कारण फले-फूले। उनमें प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का अभाव है। आज निजी क्षेत्र को उदारीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को सामने खुली प्रतिस्पर्धा में छोड़ दिया गया। भारतीय उद्यमियों में आधुनिक तकनीक के अभाव में विदेशी निवेशकों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता नहीं है। आर्थिक सुधार लागू करने के बाद निजी क्षेत्र के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त अनेक उद्योग रूग्णता के शिकार हैं। भारत में नए उद्योगों की स्थापना नहीं होने से और चालू उद्योगों के बन्द पड़े होने से बेरोजगारी की समस्या मुखर हो गई है।

भारत जनाधिक्य वाला देश है। यहाँ की परिस्थितियाँ श्रम प्रधान तकनीक के अनुकूल हैं। किन्तु आर्थिक उदारीकरण से पूँजी प्रधान तकनीक को गति मिली है। विदेशी पूँजी निवेशकों द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इससे देश में रोजगार के अवसर घटे हैं। आर्थिक उदारीकरण का लाभ दीर्घकाल से दृष्टिगोचर होगा। उदारीकरण के अल्पकालिक परिणामों में अर्थव्यवस्था में उद्योग मंदी की चपेट से ग्रसित हुए तथा बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण किया।

बेरोजगार : भारत में प्रत्येक वर्ष रोजगार चाहने वालों की संख्या की तुलना में रोजगार के अवसर बहुत कम बढ़ पाते हैं। जनसंख्या में हर एक वर्ष डेढ़ से दो करोड़ लोग बढ़ जाते हैं और रोजगार के अवसर भूमिकल से 60 से 70 लाख तक ही बढ़ पाते हैं यानी प्रत्येक वर्ष रोजगार चाहने वाले सवा करोड़ तक बढ़ते हैं। जनसंख्या और श्रम शक्ति की तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आवेदकों की संख्या भयावह गति से बढ़ रही है। रोजगार कार्यालय मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इन कार्यालयों में सभी बेरोजगार अपने नाम पंजीकृत नहीं करवाते हैं। रोजगार कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के दर्ज नामों की संख्या 31 दिसम्बर, 1981 तक 178.36 लाख थी, जो 31 दिसम्बर 1992 तक बढ़कर 368 लाख हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 1996 से दिसम्बर 1997 की अवधि में रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 374 लाख से बढ़कर 380 लाख हो गई। सरकारी अनुमान के मुताबिक नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1997-2002) में जनसंख्या 94 करोड़ 98 लाख से बढ़कर एक अरब 2 करोड़ होने का अनुमान है। इनमें से काम करने वालों की संख्या 39.72 करोड़ से बढ़कर 45.2 करोड़ होगी जबकि बेरोजगारों की संख्या इस अवधि में 5.90 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है अर्थात् बेरोजगारों

में 1.18 करोड़ की वृद्धि प्रतिवर्ष होगी। वर्ष 1990-2000 के लिए योजना आयोग द्वारा किया गया बेरोजगारी के प्रक्षेपण अनुसार 1990 के प्रारम्भ में बेरोजगारी का ढेर 280 लाख लोग, 1990-95 के दौरान श्रम शक्ति में नये प्रवेशार्थी 370 लाख लोग, आठवीं योजना के लिए कुल बेरोजगार 650 लाख लोग, 1995-2000 के दौरान श्रम शक्ति में नये प्रवेशार्थी 650 लाख लोग तथा नौवीं योजना के लिए कुल बेरोजगार 1,060 लाख लोग होंगे। रोजगार के अवसर सृजित नहीं होने से नौवीं योजना में बेरोजगारी विकराल रूप धारण कर लेगी।

घटते रोजगार - भारत में रोजगार वृद्धि दर पिछले वर्षों में घटी। रोजगार की औसत वार्षिक वृद्धि दर (संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र) 1972-78 अवधि में 2.75 प्रतिशत थी जो घटकर 1977-83 में 2.36 प्रतिशत तथा 1983-88 में और घटकर 1.77 प्रतिशत रह गई। रोजगार वृद्धि दर 1987-94 की अवधि में बढ़कर 2.37 प्रतिशत हो गई। संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर 1977 से 1994 की अवधि में निरन्तर घटी। संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर 1977-83 अवधि में 2.48 प्रतिशत थी जो घटकर 1983-88 की अवधि में 1.38 प्रतिशत तथा 1987-94 अवधि में और घटकर 1.05 प्रतिशत रह गई। संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में जहां रोजगार वृद्धि दर घटी वहीं निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर बढ़ी। संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 1977-83 में अवधि में 2.99 प्रतिशत, 1983-88 में 2.17 प्रतिशत तथा 1987-94 अवधि में 1.00 प्रतिशत थी। संगठित क्षेत्र के निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 1977-83 अवधि में 1.41 प्रतिशत, 1983-88 अवधि में 0.43 प्रतिशत थी। 1987-94 अवधि में संगठित क्षेत्र के निजी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर 1.18 प्रतिशत थी जो पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र से अधिक थी।

रोजगार वृद्धि दर (प्रतिशत में)

अवधि	रोजगार वृद्धि दर	संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर		
		सार्वजनिक	निजी	कुल
1972-73 से 1977-78	2.75			2.45
1977-78 से 1983	2.36	2.99	1.41	2.48
1983 से 1987-88	1.77	2.17	0.43	1.38
1987-88 से 1993-94	2.37	1.00	1.18	1.05

स्रोत : इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, पृष्ठ 147

आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक पाच वर्षों (1991-95) में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर निरन्तर घटी। वर्ष 1996 और 1997 में रोजगार में थोड़ी वृद्धि हुई। संगठित क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में 1991 में रोजगार वृद्धि की दर 1.52 प्रतिशत थी तथा निजी क्षेत्र में यह 1.24 प्रतिशत थी। उसके बाद 1993 तक दोनों क्षेत्र में यह दर एक प्रतिशत से नीचे आ गई लेकिन 1993 के बाद सरकारी क्षेत्र में लगातार घटती गई तथा निजी क्षेत्र में 1996 तक लगातार बढ़ती चली गई। वर्ष 1996 में सार्वजनिक क्षेत्र में जहाँ एक तरफ रोजगार वृद्धि नकारात्मक हो गई तथा दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में यह 5.62 प्रतिशत की ऊँचाई पर पहुंच गई। वर्ष 1997 में सरकारी क्षेत्र में यह वृद्धि दर 0.67 प्रतिशत रही जबकि निजी क्षेत्र में यह 5.62 प्रतिशत की वृद्धि दर से नीचे आकर 2.04 प्रतिशत रह गई। स्वातन्त्र्योत्तर पहली बार संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर ने सार्वजनिक क्षेत्र की रोजगार वृद्धि दर को पीछे छोड़ा है। आर्थिक उदारीकरण से निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल संगठित क्षेत्र
1991	1.52	1.24	1.44
1992	0.80	2.21	1.21
1993	0.60	0.06	0.44
1994	0.62	1.01	0.73
1995	0.11	1.63	0.55
1996	-0.19	5.62	1.51
1997	0.67	2.04	1.09
1998	-0.09	1.72	0.46

स्रोत : इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000, पृ स 168.

बढ़ते गरीब : रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में मुहैया नहीं हो पाने के कारण देश में गरीबों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी की समस्या भीषण है। शहरों में तो जैसे-तैसे लोग रोजी-रोटी की व्यवस्था कर लेते हैं किन्तु गांवों में गरीबों का मरना है। गांवों में लोगों को गरीबी से तो जूझना पड़ ही रहा है इसके अलावा गांवों में दुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन कष्टप्रद हो गया है। भारत में जनसंख्या का बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए

अभिराप्त है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की संख्या 1973-74 में 321 मिलियन थी जो 1977-78 में बढ़कर 329 मिलियन हो गई। बाद के वर्षों में गरीबों की संख्या में थोड़ी कमी आई। गरीबों की संख्या 1983 में 323 मिलियन तथा 1987-88 में 307 मिलियन रह गई। किन्तु गरीबों की संख्या 1993-94 में फिर बढ़कर 320 मिलियन हो गई। वर्ष 1973-74 में कुल जनसंख्या में 54.9 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे। वर्ष 1993-94 में गरीबी जनसंख्या के 36 प्रतिशत रह गई। वर्ष 1993-94 में गांवों में गरीबों की संख्या 244 मिलियन थी जो ग्रामीण जनसंख्या का 37.3 प्रतिशत थी। शहरों में गरीबों की संख्या 76 मिलियन थी जो कुल शहरी जनसंख्या का 32.4 प्रतिशत थी। वर्ष 1996-97 में गरीबी 29.18 प्रतिशत, ग्रामीण गरीबी 30.55 प्रतिशत तथा शहरी गरीबी 25.58 प्रतिशत थी। स्पष्ट है आज भी गरीबी की समस्या भयावह है।

भारत में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		सम्पूर्ण भारत	
	संख्या (मिलियन)	गरीबी अनुपात (प्रतिशत)	संख्या (मिलियन)	गरीबी अनुपात (प्रतिशत)	संख्या (मिलियन)	गरीबी अनुपात (प्रतिशत)
1973-74	261	56.4	60	49.0	321	54.9
1977-78	264	53.1	65	45.2	329	51.3
1983-84	252	45.7	71	40.8	323	44.5
1987-88	232	39.1	75	38.2	307	38.9
1993-94	244	37.3	76	32.4	320	36.0
1996-97	---	30.5	---	25.6	---	29.2

स्रोत: इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, पृष्ठ 146.

इकोनॉमिक टाइम्स, 2 मार्च 1998.

दिरघ की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन ने गरीबी से निपटने के मामले में भारत से अच्छी प्रगति की। वर्ष 1975 में चीन में 59.5 प्रतिशत और भारत में 54.9 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। दो दशक बाद चीन में गरीबों की संख्या घटकर 22.2 प्रतिशत रह गई जबकि भारत में 36 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी। चीन में तीव्र आर्थिक विकास से लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। चीन में औसत सकल घरेलू उत्पाद

वृद्धि दर 1980-1985 के बीच 11.1 प्रतिशत थी जबकि यह भारत में केवल 5.6 प्रतिशत रही। तीव्र विकास से चीन 1975-95 के बीच गरीबी में प्रतिवर्ष 1.9 प्रतिशत की कटौती करने में सफल रहा जबकि भारत प्रतिवर्ष 0.9 प्रतिशत की ही कटौती कर सका। भारत में आज गरीबी एशियाई देशों यथा इण्डोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, थाईलैण्ड, चीन आदि से अधिक है।

भारत में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं खूब बनीं, पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबों के वास्ते भारी भरकम पूंजी का प्रावधान किया गया। आज भी ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए हरेक वर्ष नई-नई योजनाओं की घोषणा की जाती है। किन्तु गरीबों के नाम पर बनी योजनाओं की राशि का बड़ा भाग भ्रष्टाचार की बाढ़ में बह जाने के कारण गरीबों की दशा में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अबश्य गरीबों की संख्या घटी है। किन्तु गरीबों का जीवन बंद से बदतर है। वाशिंगटन स्थित एक नीति विचारक संस्थान "द वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट" ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अकेले भारत में करीब 20 करोड़ लोग हर रात भूखे पेट सोते हैं अर्थात् पाद में से एक भारतीय हर दिन भूखे पेट सोता है। भारत सहित दक्षिण एशिया में विश्व के भूख से पीड़ित बच्चों की आधी आबादी रहती है। शरीर की दुनियादी जरूरतों को सतुष्ट करने के लिए नितांत जरूरी कैलोरी और प्रोटीन के अभाव में उत्पन्न होने वाला कुपोषण भारत और दक्षिण एशिया में मानव स्वास्थ्य पर भीषण कहर डालता है।

रोजगार सृजन के राजकीय प्रयास : सरकार ने नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण के वर्षों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि के प्रयास किए हैं। यह अलग बात है कि उद्देश्यों की पूर्ति में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 42 लाख 45 हजार कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 2 करोड़ और निजी क्षेत्र के संगठित क्षेत्रों में करीब 85 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध है।

वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम क्रियान्वयन में हैं। जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.), रोजगार आश्वासन योजना (ई. ए. एस.), समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी.), ट्राइसेम, दवाकरा, इंदिरा आवास योजना (आई. ए. वाई.), दस लाख कुएँ योजना (एन. डब्ल्यू. एस.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन. एस. ए. पी.)

तथा शहरी क्षेत्रों के लिए नेहरू रोजगार योजना (एन. आर. वाई) इनके अलावा अन्य कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार रोजगार (पी एम आर वाई) एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) मुख्य हैं। ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की 1997-98 में प्रगति (प्राविजनल) इस प्रकार रही - जवाहर रोजगार योजना मानव दिवस रोजगार सृजन 3,8837 लाख, रोजगार आश्वासन योजना मानव दिवस रोजगार सृजन 4,7177 लाख, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवार सहायता 17.1 लाख, ट्राइसेम युवक प्रशिक्षित 2.5 लाख, इंदिरा आवास योजना मकान निर्मित 7.2 लाख, दस लाख कुए योजना कुए निर्मित एक लाख।

शहरी क्षेत्र की नेहरू रोजगार योजना को 1997-98 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया। नेहरू रोजगार योजना में 1996-97 में 06 लाख परिवारों को सहायता दी गई। इसके द्वारा 446 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया तथा 04 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना दिसम्बर 1997 में अस्तित्व में आई। इसमें शहरी स्व-रोजगार योजना (यू. एस. ई. पी.) तथा शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू. डब्ल्यू. ई. पी.) सम्मिलित है। प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर 1998 के अन्त में शहरी स्व-रोजगार योजना में लाभार्थियों की संख्या 0.2 लाख तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 0.2 लाख और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में 129 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 1997-98 में 26 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया।

बेरोजगारी के कारण : राजकीय प्रयासों के बावजूद बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं मिला। देश में बेरोजगारी की समस्या "सुरसा के मुंह" की तरह बढ़ती जा रही है। विगत वर्षों में बेरोजगारी ग्रामीण औद्योगीकरण का अभाव, कृषि की उपेक्षा, पूंजी प्रधान तकनीक की प्रधानता, सार्वजनिक उपक्रमों में कम पूंजी निवेश, श्रम शक्ति नियोजन का अभाव आदि कारणों से बढ़ी। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और धीमा विकास बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। बढ़ती जनसंख्या से अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति के आधिक्य की समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 8463 मिलियन थी जो बढ़कर 1 मार्च 1996 को 9342 मिलियन हो गई। जनसंख्या 1981-91 के दशक में प्रतिवर्ष 2.14 प्रतिशत की गति से बढ़ी। भारत की सकल घरेलू वृद्धि दर एशियाई देशों से भी कम है। वर्ष 1980-95 की

अवधि में औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारत में 5.6 प्रतिशत रही जबकि यह चीन में 11.1 प्रतिशत, कोरिया में 8.7 प्रतिशत तथा थाईलैण्ड में 7.9 प्रतिशत थी। धीमे आर्थिक विकास के कारण भारत बेरोजगारी से निपट नहीं सका।

विकास की आवश्यकता - भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। जनसंख्या के नियंत्रण में शिक्षा का विकास कारगर भूमिका निभा सकता है। मगर दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर भारत में है। शैक्षिक विकास तो दूर की बात, सभी को साक्षर करना जटिल बना हुआ है। ऐसी स्थिति में तीव्र आर्थिक विकास ही बेरोजगारी निवारण में सहायक सिद्ध हो सकता है। किन्तु भारत में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि तेजी से नहीं बढ़ पा रही। वर्ष 1993-94 के मूल्यांकन पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1997-98 में 5 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) तथा 1998-99 में 5.8 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) थी। नौवीं योजना के अंतिम वर्ष 2002 में बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ानी आवश्यक है ताकि 7 प्रतिशत जी डी पी वृद्धि प्राप्त की जा सके और बेरोजगारी दर 19 प्रतिशत से कम होकर 14.7 प्रतिशत पर आ जाए। इसके लिए नौवीं योजना (1997 से 2002) में कृषि क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत, निर्माण क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 6 प्रतिशत तथा बीमा, वित्त, भू-संपत्ति में 10.10 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक है। वर्ष 1999-2000 के प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिले। शुरुआती माह से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। सीमेन्ट उत्पादन में 27 प्रतिशत तथा इस्पात क्षेत्र में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। किन्तु इस वर्ष राजनीतिक अस्थिरता, कारगिल में सैनिक कार्यवाही तथा भुगतान सतुलन की स्थिति के ठीक नहीं होने के कारण भारत में निवेश में बंदोबंदी की संभावना कम है। कारगिल समस्या के लम्बा खींचने से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। भारत का बुनियादी ढांचा अपेक्षाकृत कम विकसित है। आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा आवश्यक है। बुनियादी ढांचे के विकास बिना 7-8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना कठिन काम है।

सन्दर्भ

1. भारत, 1994
2. तथ्य भारती, मई 1999
3. राजधानी डाइजेस्ट, नई दिल्ली 14-21 जून 1999
4. इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 पृ 149

संकटग्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत को आजकल हुए पाच दशक पूरे हो चुके हैं। न्दान्त्रयान्तर विकास दास्ते पचवर्षीय योजनाओं का मार्ग चुना जिसमें आठ पचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। वर्तमान में नौवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है जिसके मसौदे को 9 जनवरी 1999 का मंजूरी दी गई। बीते वर्षों में राजनीतिक सत्ता के बार-बार परिवर्तन के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना निर्धारित समय पर प्रारम्भ नहीं की जा सकी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक दो वर्ष बिना योजना क्रियान्वयन बीत गए। नियोजन काल में अरबों-खरबों रुपए का पूंजी दिनियोजन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत किया जा चुका है। निजी क्षेत्र को भी विकास में मृदिका निमाने की छूट दी गई। विकास के मार्ग में वितीय संसाधनों की कमी की स्थिति में भारी मात्रा में विदेशों से कर्ज लिया गया। भारत दुनिया के बड़े ऋणी देशों में बदल गया। इसके बावजूद भी भारत विकास के क्षेत्र दुनिया के अनेक देशों की तुलना में पीछे है जबकि भारत में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता है। मानव संसाधनों की कमी नहीं है। भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए सभी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं। आर्थिक पिछड़ापन भारत के लिए गभीर विन्दा का विषय है। दिव के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदनतात करने दास्ते भारत ने नब्बे के दशक में आर्थिक संरचना में परिवर्तन का मार्ग आत्मसात किया। वर्ष 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। केन्द्र में सत्ताकाल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने न्यूनान्त्रिक आर्थिक उदारीकरण को गति दी। भारत में आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं। किन्तु उदारीकरण के संतुलित प्रभाव अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर नहीं हुए।

प्रतिशत तथा 1998-99 में 1.5 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। भारत कृषि प्रधान देश है। अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। कृषि वृद्धि दर का ऋणात्मक होना अथवा अत्यल्प वृद्धि चिन्ताप्रद बात है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में कृषिगत क्षेत्र में कम पूंजी निवेश कृषि की धीमी प्रगति का कारण है। ग्रामीण परिवेश के सामाजिक पिछड़ेपन का प्रभाव भी कृषि विकास पर पड़ता है। गांवों में आधारभूत संरचना का भी अभाव है। केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में पेश किए गए बजटों में कृषि व ग्रामीण परिवेश पर अधिक वित्तीय आवंटन के बावजूद गांवों की दशा में सुधार न होना वित्तीय सत्साधनों का सदुपयोग नहीं होना की बात दर्शाता है।

उद्योगों क्षेत्र में विश्व व्यापी मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। औद्योगीकरण क्षेत्र में गिरावट के कारण आर्थिक वृद्धि दर भी गति नहीं पकड़ सकी। निवेशकों का पूंजी बाजार पर विश्वास बहुत कम हो गया। प्राथमिक पूंजी बाजार निर्गमों की संख्या और गतिशील राशि (Amount Mobilised) में भारी गिरावट आई है। प्राथमिक पूंजी बाजार में निर्गमों की संख्या 1995-96 में 1,726 थी जो घटकर 1997-98 में 111 और अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में केवल 41 ही रह गई। गतिशील राशि 1995-96 में 20,804 करोड़ रुपए से घटकर 1997-98 में 4,570 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में केवल 3,927 करोड़ रुपए रह गई। नतीजन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में तीव्र वृद्धि नहीं हो सकी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1997-98 में 137.6 था जो अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में बढ़कर 139 ही हो सका। वर्ष 1995-96 में 12.8 प्रतिशत औद्योगिक वृद्धि दर उल्लेखनीय थी। बाद के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट जारी रही। औद्योगिक वृद्धि दर 1996-97 में 5.6 प्रतिशत तथा 1997-98 में 6.6 प्रतिशत थी। गत वित्तीय वर्ष अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में औद्योगिक वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रसातल तक पहुंच गई। कोर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की वृद्धि दर बहुत गिर चुकी है। इस क्षेत्र की वृद्धि दर 1994-95 में 9.1 प्रतिशत थी जो घटकर 1997-98 में 4.8 प्रतिशत (प्राविजनल) तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 2 प्रतिशत रह गई। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में विद्युत उत्पादन वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत, कोयला उत्पादन वृद्धि दर शून्य, बिक्री योग्य इस्पात ऋणात्मक 2.6 प्रतिशत, कच्चा तेल ऋणात्मक 3.6 प्रतिशत, रिफाईनरी 3.2 प्रतिशत, सीमेन्ट वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही।

मुद्रास्फीति के इकाई अंक में बने रहना अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर 1995-96 में 4.4 प्रतिशत, 1996-97 में 6.9 प्रतिशत, 1997-98 में 5.3 प्रतिशत तथा

अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 4.6 प्रतिशत थी। किन्तु औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक वृद्धि दर दिसम्बर 1998 में 15.3 प्रतिशत था। बढ़ता राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था की विकट समस्या बन चुका है। वर्ष 1998-99 के सशोधित अनुमानों में राजकोषीय घाटा 1,03,737 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत बैठता है। एक मार्च 1999 को रिजर्व बैंक द्वारा सी आर. आर. में की गई 1/2 प्रतिशत कमी से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। एक अप्रैल 1998 से 15 जनवरी 1999 के बीच मुद्रा आपूर्ति (एम-3) वृद्धि 15.3 प्रतिशत थी।

भारत की अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने का कारण निर्यात के मोर्चे पर विफलता है। वर्ष 1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) में डॉलर में निर्यात वृद्धि दर का ऋणात्मक होना अर्थव्यवस्था के लिए खतरा लौ घटी है। चालू मूल्यों पर निर्यात 1995-96 में 31,797 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर 1996-97 में 33,470 मिलियन डॉलर, 1997-98 में 33,980 मिलियन डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में निर्यात 24,287 मिलियन डॉलर था। मूल्यों में निर्यातों में बढ़ने की प्रवृत्ति दिखती है किन्तु निर्यात वृद्धि हाल के वर्षों में उत्तरोत्तर कम हुई। निर्यात वृद्धि दर डॉलर में 1995-96 में 20.7 प्रतिशत अर्थव्यवस्था के लिए शुभसंकेत था किन्तु यह खुशी अल्पकालिक रही। डॉलर में निर्यात वृद्धि दर घटकर 1996-97 5.3 प्रतिशत, 1997-98 में और घटकर 1.5 प्रतिशत रह गई। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में निर्यात वृद्धि दर ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत तक जा गिरी। निर्यातों में वृद्धि नहीं होने की स्थिति में केन्द्र सरकार की नींद उड़ सकती है। रुपए में भी निर्यात वृद्धि नहीं बढ़ सकी। भारत का निर्यात 1997-98 में 1,26,286 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 1,01,850 करोड़ रुपए था। रुपए में निर्यात वृद्धि दर 1995-96 में 28.6 प्रतिशत थी जो गिरकर 1997-98 में केवल 6.3 प्रतिशत रह गई। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में निर्यात वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत रही।

अर्थव्यवस्था की आयातों पर निर्भरता बनी हुई है। हाल के वर्षों में रुपए और डॉलर दोनों में आयात वृद्धि दर निर्यात वृद्धि दर से अधिक बनी हुई है। इससे व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है जिसका प्रभाव विदेशी विनिमय कोष पर पड़ा है। आयात 1997-98 में 40,779 मिलियन डॉलर तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 31,583 मिलियन डॉलर था। डॉलर में आयात वृद्धि दर 1995-96 में 28 प्रतिशत, 1996-97 में 6.7 प्रतिशत, 1997-98 में 4.2 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 7.1 प्रतिशत थी। रुपए में भारत का आयात 1997-98 में 1,51,553 करोड़ रुपए तथा

अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 1,32,447 करोड रुपए था। रुपए में आयात वृद्धि दर 1996-97 में 36.4 प्रतिशत, 1996-97 में 13.2 प्रतिशत, 1997-98 में 9 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 23.2 प्रतिशत थी। आयातों में कमी से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है। निर्यातों के तेजी से नहीं बढ़ने के कारण व्यापार घाटा बढ़ा। व्यापार घाटा 1995-96 में 4,881 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर 1997-98 में 6,799 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में व्यापार घाटा 7,296 मिलियन डॉलर था। रुपए में व्यापार घाटा 1997-98 में 25,267 करोड रुपए था।

सकटग्रस्त स्थिति में विदेशी विनिमय कोष अर्थव्यवस्था को सभाले हुए है। मार्च 1991 के बाद विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि की प्रवृत्ति जारी है। मार्च 1996 में थोड़ी कमी अवश्य हुई। भारत का विदेशी विनिमय कोष 1990-91 में 4,388 करोड रुपए था जो बढ़कर 1995-96 में 58,446 करोड रुपए तथा 1997-98 में और बढ़कर 1,02,507 करोड रुपए हो गया। जनवरी 1999 में विदेशी विनिमय कोष 1,16,515 करोड रुपए था। डालर में जनवरी 1999 में विदेशी विनिमय कोष 27,429 मिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की संतोषप्रद स्थिति दर्शाते हैं। विदेशी विनिमय कोषों की पर्याप्तता भारत के लिए सकट की स्थिति से निपटने में सहायक है। रुपए की विनिमय दर में भी स्थयित्व है। डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन 1995-96 में 61 प्रतिशत, 1996-97 में 58 प्रतिशत, 1997-98 में 4.5 प्रतिशत तथा अप्रैल-जनवरी 1998-99 में 11.5 प्रतिशत था। हाल के वर्षों में रुपए का अवमूल्यन पूर्वी एशियाई देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन की तुलना में कम है।

भारत के रुपए का अवमूल्यन अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में विगत वर्षों की तुलना में अधिक हुआ। किन्तु अन्य देशों द्वारा मुद्राओं के प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन के कारण भारत के निर्यातों में वृद्धि नहीं हो सकी। अवमूल्यन से भारत का विदेशी ऋण भी बढ़ा। बढ़ता विदेशी ऋण अर्थव्यवस्था के लिए विकट समस्या बन चुका है। भारत की गिनती दुनिया के बड़े ऋणी देशों में है। भारत का विदेशी ऋण 1996-97 में 93.47 बिलियन डॉलर था जिसमें लघु अवधि ऋण 86.74 बिलियन डॉलर तथा दीर्घावधि ऋण 6.73 बिलियन डॉलर था। सितम्बर 1999 में विदेशी ऋण 95.20 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा जिसमें लघु अवधि ऋण 91.66 बिलियन डॉलर तथा दीर्घावधि ऋण 3.53 बिलियन डॉलर था। देश के आन्तरिक ऋण की स्थिति भी विषम है। ऋणों के मामले में अर्थव्यवस्था की स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि ऋण चुकाने के लिए विदेशों से ऋण लेना पड़ता है। केन्द्रीय बजट में एक रुपए का 27 प्रतिशत भाग ब्याज पर खर्च होता है।

वर्ष 1998-99 में सकटग्रस्त स्थिति में पहुँच चुकी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए नीतिगत कदम उठाने की आवश्यकता है। ताजे केन्द्रीय बजट 1999-2000 में अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के प्रयास दृष्टिगोचर हुए हैं। लघु निवेशकों के हितों को ध्यान में रखा गया है। रिजर्व बैंक ने भी केन्द्रीय बजट पेश किये जाने के कुछ घंटों बाद महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर, सी आर आर, बैंक दर आदि में परिवर्तन किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से मार्च 1999 से पहले सप्ताह में शेयर सूचकांक में तेजी देखने को मिली। बीते कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बेहतर रही है। किन्तु अब एशियाई आर्थिक सकट के बादल छटने लगे हैं। पूर्वी एशियाई देशों में आधारभूत संरचना मजबूत है। सकट से उभरने के बाद इन देशों की आर्थिक स्थिति भारत से मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था में मजबूती वास्ते भारत को आधारभूत ढाँचा खड़ा करने की आवश्यकता है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। आज इस बात पर चिन्ता करने की आवश्यकता है कि लम्बे नियोजन काल में भारी विनियोजन के बावजूद गरीब तबकों की आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर सकी। आज गरीबों के निर्मित बनी योजनाओं का कारगर मूल्यांकन आवश्यक है।

भारत में बढ़ता विदेशी व्यापार घाटा और बिगड़ता भुगतान संतुलन

अतीत में भारत व्यापार शेष के अनुकूल होने के कारण एक समृद्ध देश था। गुलामी के दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई थी। कृषि तथा उद्योगों की दृष्टि से भारत बहुत पिछड़ गया था। इसके अलावा ढेरों समस्याएँ विरासत में मिली थीं। स्वातन्त्र्योत्तर अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान की आवश्यकता थी, इसलिए आयातों पर निर्भरता बढ़ी। भारत ने विकास के लिए नियोजित विकास का मार्ग चुना। सार्वजनिक उपक्रमों को विकास का दायित्व सौंपा गया, किन्तु सार्वजनिक उपक्रम विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित सहयोग नहीं दे सके। कुछेक को छोड़कर अधिकांश उपक्रम घाटे की समस्या से ग्रसित रहे। सार्वजनिक उपक्रम सरकार पर भार सिद्ध हुए। निजी क्षेत्र के लिए पर्याप्त अवसर था और आज भी है। किन्तु निजी क्षेत्र देश में ही बड़े बाजार का लाभ उठाता रहा, निजी उद्यमियों ने निर्यात व्यापार में विशेष रुचि नहीं ली। वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र में सरकार की भूमिका नियोजित विकास के दौर की तुलना में कम हो गई है। आज भारत परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल कर रहा है। नई आर्थिक नीतियों में सरचनात्मक बदलाव किया गया है। उदार आयात नीति का अनुसरण किया जा रहा है। इन सब प्रयासों की परिणति व्यापार शेष की प्रतिकूलता के रूप में ही दृष्टिगोचर हुई। निर्यातों में अवश्य वृद्धि हुई, किन्तु केवल दो वर्षों को छोड़कर आयात सदैव निर्यातों से अधिक रहे परिणामस्वरूप व्यापार घाटा उत्तरोत्तर बढ़ा।

भारत का व्यापार घाटा 1950-51 में 2 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1960-61 में 480 करोड़ रुपए तथा 1965-66 में और बढ़कर 599 करोड़

रुपए हो गया। 1970-71 में व्यापार घाटा 99 करोड़ रुपए रहा। व्यापार शेष 1972-73 में 104 करोड़ रुपए तथा 1976-77 में 68 करोड़ रुपए अनुकूल रहा। यह भारत की अर्थव्यवस्था विशेषकर विदेशी व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय बात थी। आठवें दशक में व्यापार घाटे में भारी वृद्धि हुई जो नौवें दशक में भी जारी है। वर्ष 1980-81 में व्यापार घाटा 5,838 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1989-90 में 7,670 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1990-91 में राजनीतिक अस्थिरता तथा खाड़ी युद्ध का विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। 1990-91 में व्यापार घाटा 10,645 करोड़ रुपये को छू गया जो अब तक सर्वाधिक व्यापार घाटा था। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ में रुपए का अवमूल्यन किया तथा आयातों को नियंत्रित किया गया। इससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिली। 1991-92 में व्यापार घाटे केवल 3,810 करोड़ रुपए रहा जो 1980-81 के बाद सबसे कम था। किन्तु आयातों को नियंत्रित करने से औद्योगिक विकास की दर घटी और अवमूल्यन से ऋणभार में तीव्र वृद्धि हुई। अगले ही वर्ष अर्थात् 1992-93 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों द्वारा मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण रुपए का अवमूल्यन का प्रभाव कम हो गया और व्यापार घाटा 1992-93 में फिर बढ़ कर 9,687 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा।

वर्ष 1996-97 में आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण प्रारम्भ हुआ। केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों को अत्यल्प फेर बदल के साथ लागू किया। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 राजनीतिक अस्थिरता के वर्ष रहे। इसका भारत के विदेशी व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। व्यापार घाटा 1994-95 में 7,297 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 16,325 करोड़ रुपए था। व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 30,597 करोड़ रुपए (प्राविजनल) रहा।

अमेरिकन डॉलर में व्यापार घाटा 1960-61 में 1007 अरब डॉलर था जो बढ़कर 1980-81 में 7383 अरब डॉलर तथा 1990-91 में 5932 अरब डॉलर हो गया। व्यापार घाटा 1997-98 में 6709 अरब डॉलर था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट और आयात के मुकाबले कम होते निर्यात से व्यापार घाटे पर दबाव बढ़ा है। दिसम्बर 1997 में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण रुपए की विनिमय दर में भारी गिरावट आई है। यह दर प्रति डॉलर 39 रुपए से भी अधिक हो गई थी। अवमूल्यन से आयात महंगे होंगे। तेल भूल घाटे में और वृद्धि होगी। अवमूल्यन से मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होगी। विनिमय दर में गिरावट को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने करोड़ों अरबों डॉलर की बाजार में बिकवाली की। अवमूल्यन से रुपए के

लिहाज से निर्यात आय में बढ़त हो सकती है किन्तु डॉलर के लिहाज से निर्यात आय पर दयाव बना है। अप्रैल-अक्टूबर 1997-98 में व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 40 करोड़ 13 लाख डॉलर बढ़ा। अप्रैल-अक्टूबर 1996-97 में व्यापार घाटा 2 अरब 27 करोड़ 52 लाख डॉलर था जो अप्रैल अक्टूबर 1997-98 में बढ़कर 2 अरब 67 करोड़ 65 लाख डॉलर हो गया। अप्रैल-अक्टूबर 1997-98 में निर्यात से आयात की भरपाई 88.13 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 89.25 प्रतिशत की तुलना में कम है। निर्यात से आयात की भरपाई का प्रतिशत जितना कम होगा उतना ही व्यापार घाटा बढ़ेगा और उसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है।

विदेशी व्यापार की मात्रा

(करोड़ रुपए)

वर्ष	निर्यात (पुन निर्यात सहित)	आयात	कुल विदेशी व्यापार	व्यापार शेष	परिवर्तन दर प्रतिशत में	
					निर्यात	आयात
1950-51	606	608	1214	-2	24.9	-1.5
1955-56	609	774	1283	-165	2.7	10.6
1960-61	642	1122	1764	-480	0.3	16.8
1965-66	810	1409	2219	-599	-0.7	4.4
1970-71	1535	1634	3169	-99	8.6	3.3
1972-73	1971	1867	3838	104	22.6	2.3
1976-77	5142	5074	10216	68	27.4	-3.6
1980-81	6711	12549	19260	-5838	4.6	37.3
1985-86	10895	19658	30553	-8763	-7.2	14.7
1990-91	32553	43198	75751	-10645	17.7	22.3
1991-92	44041	47851	91892	-3810	35.3	10.8
1992-93	53686	63375	117063	-9687	21.9	32.4
1993-94	69751	73101	142852	-3350	29.9	15.3
1994-95	82674	89971	172645	-7297	18.5	23.1
1995-96	106353	122678	229031	-16325	28.6	36.4
1996-97	118817	138920	257737	-20103	11.7	13.2
1997-98	130101	154176	284277	-24075	9.5	11.0
1998-99 (प्र.)	141604	176099	317703	-34495	8.8	14.2
1999-2000 (XX)	118638	149087	267725	-30449	16.5	12.6

(अप्रैल-दिसम्बर)

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1999-2000, S-81 प्रा-प्रोविजनल।

कुल विदेशी व्यापार

स्वातन्त्र्यानंतर भारत के कुल विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कुल विदेशी व्यापार 1950-51 में 1,214 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1960-61 में 1,764 करोड़ रुपए, 1970-71 में 3,169 करोड़ रुपए, 1980-81 में 19,260 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 75,751 करोड़ रुपए हो गया। कुल विदेशी व्यापार 1994-95 में 1,72,645 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 1950-51 से 1994-95 तक 44 वर्षों में कुल विदेशी व्यापार में 142 गुना तीव्र वृद्धि हुई। 1997-98 में कुल विदेशी व्यापार 2,84,277 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 2,67,725 करोड़ रुपए (प्राविजनल) रहा।

निर्यात व्यापार - निर्यात सबर्द्धन के बावजूद निर्यात व्यापार में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। ऊँची कीमत तथा निम्न किस्म के कारण भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की गलाफाट प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। भारतीय उत्पाद आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित नहीं हैं। निर्यात 1950-51 में 606 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1960-61 में 642 करोड़ रुपए, 1970-71 में 1,535 करोड़ रुपए, 1980-81 में 6,711 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 32,553 करोड़ रुपए हो गया। निर्यात 1994-95 में और बढ़कर 82,674 करोड़ रुपए हो गया। घबालीस वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में 136 गुना वृद्धि हुई। भारत का निर्यात 1997-98 में 1,30,101 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 1,18,638 करोड़ रुपए (प्राविजनल) था।

भारत की निर्यात सवृद्धि में उच्चावचन की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अनेक वर्षों में निर्यात सबर्द्धन दर ऋणात्मक रही। निर्यातों में गिरावट 1952-53 में 19.3 प्रतिशत, 1953-54 में 8.1 प्रतिशत, 1956-57 में 0.7 प्रतिशत, 1957-58 में 7.3 प्रतिशत, 1965-66 में 0.7 प्रतिशत, 1985-86 में 7.2 प्रतिशत रही। भारत के निर्यातों में 1966-67 में सर्वाधिक 42.9 प्रतिशत की वृद्धि उल्लेखनीय है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ निर्यात सवृद्धि दर में वृद्धि हुई। निर्यात सवृद्धि दर 1991-92 में 35.3 प्रतिशत, 1992-93 में 21.9 प्रतिशत, 1993-94 में 29.5 प्रतिशत, 1995-96 में 28.6 प्रतिशत सतोषप्रद कही जा सकती है। वर्ष 1997-98 में 9.5 प्रतिशत निर्यात वृद्धि अवश्य चिन्ताप्रद रही। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में निर्यात सवृद्धि दर 16.5 प्रतिशत थी। भारत की ग्यारहवीं लोकसभा राजनीतिक अस्थिरता की शिकार रही। महज अठारह महीनों में तीन प्रधानमंत्री बदले। राजनीतिक अस्थिरता का भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। आर्थिक सङ्ग्राम काल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए चिन्तनीय पहलू है। जहाँ पूर्ववर्ती आर्थिक सवृद्धि दर को बनाए रखना कठिन हो गया

है वहीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को धक्का लगा है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी निवेश के घटने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 4 दिसम्बर 1997 को राष्ट्रपति ने ग्यारहवीं लोकसभा भंग की। फरवरी-मार्च 1998 में बारहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। बारहवीं लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। सितम्बर-अक्टूबर 1999-2000 में तेरहवीं लोकसभा के चुनाव सम्पन्न हुए। भारत के गरीब लोगों को केवल सत्रह महीनों में लोकसभा चुनाव का सामना करना पड़ा। आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्व से विकासशील देश की गरीब जनता की पसीने की कमाई को खर्चीले चुनाव में व्यय से रोका जा सकता है। बार-बार सत्ता परिवर्तन से तथा लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत के अभाव में वित्तीय ससाधनों की बर्बादी तथा दुरुपयोग होता है। राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास की सही दिशा निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होता है। गत दो वर्षों (1996-97 तथा 1997-98) में भारतीय अर्थव्यवस्था की बदतर हुई स्थिति को नजरअदाज नहीं किया जा सकता।

आयात व्यापार : भारत विश्व का एक बड़ा देश है। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत दीर्घावधि तक उपनिवेश रहा है। इस लिए स्वतंत्रता उपरान्त विकासगत जरूरतों की पूर्ति के लिए आयात व्यापार पर निर्भरता बनी हुई है। विगत वर्षों में आयात व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। आयात 1950-51 में 608 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1960-61 में 1,122 करोड़ रुपए, 1970-71 में 1,634 करोड़ रुपए, 1980-81 में 12,549 करोड़ रुपए तथा 1990-91 में 43,198 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1994-95 में आयात और बढ़कर 89,971 करोड़ रुपए हो गया। 1950-51 से 1994-95 तक चौदावीस वर्षों में आयात व्यापार में 148 गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1997-98 में आयात 1,54,176 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में 1,49,087 करोड़ रुपए रहा।

आयात संवृद्धि दर 1950-51 में ऋणात्मक 1.5 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1960-61 में 16.8 प्रतिशत, 1970-71 में घटकर 3.3 प्रतिशत, 1980-81 तीव्र गति से बढ़कर 37.3 प्रतिशत तथा 1990-91 में 22.3 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1970-71 के बाद के वर्षों में केवल 1976-77 को छोड़कर आयात संवृद्धि दर में गिरावट की प्रवृत्ति नहीं देखी गई। आर्थिक उदारीकरण के बाद के वर्षों में उदार आयात की नीति का अनुसरण के कारण आयात संवृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई। आयात संवृद्धि दर 1992-93 में 12.4 प्रतिशत थी जो घटकर 1993-94 में 15.3 प्रतिशत तथा 1994-95 में

23। प्रतिशत रह गई। वर्ष 1995-96 में आयात सवृद्धि दर में 36.4 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। आठवे और नये दशक में आयात सवृद्धि दर में इतनी वृद्धि पूर्व में कभी नहीं हुई। ऊँची आयात सवृद्धि दर ने 1995-96 में व्यापार घाटे की स्थिति को भयावह बना दिया। अप्रैल-दिसम्बर 1999-2000 में आयात सवृद्धि दर 12.6 प्रतिशत रही।

प्रतिकूल व्यापार शेष के कारण

(1) निर्यातों में कमी : निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना प्रतिकूल व्यापार शेष का प्रमुख कारण है। भारत के निर्यात सदैव आयातों से कम रहे। अनेक वर्षों में निर्यात सवृद्धि दर ऋणात्मक रही। वर्ष 1985-86 में निर्यात 7.2 प्रतिशत घटा। वर्ष 1994-95 में निर्यात संवृद्धि दर 18.5 प्रतिशत थी जबकि आयातों में 23.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आधुनिकतम तकनीक के अभाव में भारतीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं।

(2) आयातों की बहुलता : नियोजित विकास के अनेक वर्षों बाद भी भारत की आयातों पर निर्भरता बनी हुई है। कृषि के पिछड़ेपन तथा जनसंख्या की बहुलता के कारण खाद्यान्न आयात करना पडा। भारत को आज बड़ी मात्रा में पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट्स का आयात करना पडता है। खनिज तेल की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण तेल आयात बिल काफी बढ़ गया है।

(3) निर्यातों से आयातों की कम भरपाई : भारत के निर्यात आयातों की तुलना में कम है। निर्यातों से आयातों की भरपाई कम है। निर्यातों से आयातों की भरपाई का प्रतिशत जितना कम होता है। व्यापार घाटा उतना ही अधिक बढ़ता है। वर्ष 1994-95 में निर्यातों से आयातों की भरपाई 91.8 प्रतिशत थी। वर्ष 1990-91 में यह प्रतिशत केवल 75.3 प्रतिशत ही था।

(4) रुपए का अवमूल्यन : निर्यात वृद्धि के वास्ते रुपए के अवमूल्यन का सहारा लिया गया। सितम्बर 1949 में रुपए का डॉलर में 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। इसके बाद 6 जून 1966 को रुपए का 36.5 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। भारत ने जुलाई 1991 के प्रथम सप्ताह में रुपए की पिनियम दर में दो बार कमी की। रुपए को विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले यथा पोण्ड स्टर्लिंग 21.014 प्रतिशत, अमरीकी डॉलर 23.07 प्रतिशत, जर्मन मार्क 20.78 प्रतिशत, जापानी येन 22.23 प्रतिशत तथा फ्रांसिसी फ्रांक 21 प्रतिशत सस्ता कर दिया। भारत ने यह गम्भीर कदम-

आर्थिक संकट से उबरने के लिए उठाया था। रुपए के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात व्यापार महंगा हुआ है। अन्य राष्ट्रों द्वारा भी अवमूल्यन करने के कारण भारत से निर्यात में अधिक वृद्धि नहीं हो सकी नतीजतन व्यापार घाटा तीव्रता से बढ़ा।

(5) युद्ध सामग्री का आयात : भारत को चीन तथा पाकिस्तान से बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा। आज सुरक्षात्मक कारणों से बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री का आयात करना पड़ता है। भारत विभाजन का भी विदेशी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

अनुकूल व्यापार शेष का विकासशील अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। अनुकूल व्यापार शेष अर्थव्यवस्था की सुदृढता का परिचायक है। इससे देश के विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि होती है तथा विनिमय दर पक्ष में बनी रहती है। इसके अलावा भुगतान असंतुलन की स्थिति को साम्य में लाने में मदद मिलती है। भारत के व्यापार शेष की सतत प्रतिकूलता चिंताप्रद है। इसे आयात नियंत्रण, निर्यात संवर्द्धन, राशिपातन, अवमूल्यन आदि से पक्ष में किया जा सकता है।

बिगड़ता भुगतान संतुलन

विश्व के देशों की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सीमा तक भुगतान संतुलन पर निर्भर करती है। विकसित देश अनुकूल भुगतान संतुलन के कारण तीव्र विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। इसके विपरीत विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति भुगतान संतुलन के मोर्चे पर विफलता के कारण दयनीय रही है। भुगतान संतुलन में विदेशी व्यापार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। भारत सरीखे अनेक विकासशील देश ऐसे हैं जिनका व्यापार संतुलन अधिकांशतः प्रतिकूल रहा। परिणामस्वरूप इन देशों में भुगतान संकट सदैव मुहबाएं खड़ा है। भुगतान संतुलन सामान्यतया संतुलित होता है क्योंकि विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण मांग और सम्पूर्ण पूर्ति के अन्तर को स्वर्ण के आयात-निर्यात द्वारा अथवा ऋण समझौतों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। भुगतान संतुलन के घालू खाते में व्यापार संतुलन और अदृश्य मदें सम्मिलित की जाती हैं तथा पूंजी खाते में विदेशी निवेश, विदेशी सहायता, वाणिज्यिक उधार, बैंकिंग पूंजी, रुपए ऋण सेवा, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः खरीद, त्रुटियां व गूल-चूक आदि को सम्मिलित किया जाता है। भुगतान संतुलन का पूंजी खाता अर्थव्यवस्था की वास्तविक तरवीर प्रस्तुत करता है। अर्थव्यवस्था की सुदृढता अथवा दुर्बलता भुगतान संतुलन से ज्ञात की जा सकती है।

भारत का भुगतान संतुलन
(मिलियन डॉलर)

मदे	1990-91	1997-98	1997-98
1 आयात	27915	51126	47544
2 निर्यात	18477	34849	34298
3 व्यापार शेष	-9438	-16277	-13246
4 अदृश्य मदे	-242	9804	9208
5 चालू खाता	-9680	-6473	-4038
6 पूँजी खाता			
(i) विदेशी निवेश	103	4993	2312
(ii) ऋण			
(अ) विदेशी सहायता शुद्ध	2204	877	799
(ब) वाणिज्यिक उधार शुद्ध	3329	3914	3619
(iii) बैंकिंग	682	-893	1480
(iv) रुपए ऋण सेवा	-1193	-767	-802
(v) अन्य पूँजी	1931	3800	1157
(vi) भूल और सुधार	132	-940	-305
7 कुल पूँजी (I...VI)	7188	10984	8260
8 कुल भुगतान शेष (5+7)	-2492	4511	4222
9 मौद्रिक आवागमन			
(अ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1214	-618	393
	(ऋण)	(पुनः ऋण)	(पुनः ऋण)
(ब) विदेशी विनिमय कोष में कमी (+) वृद्धि (-)	1278	-3893	-3829
	(कमी)	(वृद्धि)	(वृद्धि)
10 कुल (अ+ब)	2492	-4511	-4222

स्रोत: इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, 1999-2000, एस-73

आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद भुगतान के मोर्चे पर स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। वर्ष 1990-91 में भारत की अर्थव्यवस्था खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक सकट की चपेट में थी। वर्ष 1990-91 में आयात 27,915 मिलियन डॉलर था जबकि निर्यात 18,477 मिलियन डॉलर ही थे परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 9,438 मिलियन डॉलर जा पहुँचा। इस वर्ष अदृश्य मदों में भी 242 मिलियन डॉलर का घाटा था। नतीजतन 1990-91 में चालू खाते का घाटा 9,680 मिलियन डॉलर को छू गया। पूँजी खाते की शुद्ध प्राप्ति 7,188 मिलियन डॉलर थी जिसके चालू खाते के घाटे का प्रभाव थोड़ा कम हुआ। वर्ष 1990-91 में भुगतान शेष 2,492 मिलियन

डॉलर प्रतिकूल था जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1,214 मिलियन डॉलर क्रय तथा विदेशी विनिमय कोष में 1,278 मिलियन डॉलर की कमी से पाटा गया। भुगतान शेष की बिगडी स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। आर्थिक सुधारों की प्राथमिकताओं में भुगतान शेष पर बल दिया गया। सशोधित निर्यात-आयात नीति की घोषणा की गई। चालू खाते के घाटे को भी कम करने का प्रयास किया गया। किन्तु चालू खाते में व्यापार घाटे को बढ़ने से रोका नहीं जा सका। वर्ष 1997-98 में व्यापार घाटा 16,277 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा जो 1990-91 की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1997-98 में अदृश्य मदों से शुद्ध प्राप्ति 9,804 मिलियन डॉलर उल्लेखनीय रही इससे चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद मिली। चालू खाते का घाटा कम होकर 6,473 मिलियन डॉलर रह गया जो 1990-91 की तुलना में 3,207 मिलियन डॉलर अर्थात् 33 प्रतिशत कम था। वर्ष 1997-98 में पूंजी खाते में शुद्ध प्राप्तियां 10,984 मिलियन डॉलर थीं। पूंजी खाते की प्राप्तियों से चालू खाते के घाटे को पाटा जा सका। भारत का भुगतान शेष 1997-98 में 4,511 मिलियन डॉलर अनुकूल स्थिति में आ गया। इससे भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 618 मिलियन डॉलर का पुनः क्रय किया तथा विदेशी विनिमय भण्डार में 3,893 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। गौरतलब है अनुकूल भुगतान शेष की स्थिति दृश्य और अदृश्य मदों के निर्यात के कारण नहीं अपितु वाणिज्यिक उधार के कारण बनी है जो कि चिंताप्रद बात है। चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद मिली है, किन्तु अभी भी यह चिन्तनीय बना हुआ है।

चालू खाते का घाटा

(मिलियन डालर)

वर्ष	चालू खाता घाटा	चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में
1990-91	-9680	-3.2
1991-92	-1178	-0.3
1992-93	-3526	-1.7
1993-94	-1158	-0.4
1994-95	-3369	-1.0
1995-96	-5899	-1.6
1996-97	-4494	-1.1
1997-98	-6473	-1.6
1998-99	-4038	-1.0
1999-2000 (अप्रैल-सितम्बर)	-3458	-1.5

स्रोत : इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, पृष्ठ 76, 1999-2000, पृष्ठ 87.

आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक वर्ष 1991-92 में भुगतान शेष के चालू खाते का घाटा नियंत्रित था। इस वर्ष यह 1,178 मिलियन डॉलर था जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत था। इसके बाद 1993-94 में भी चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.4 प्रतिशत नियंत्रित था। उदारीकरण के शेष सभी वर्षों में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत से अधिक था। भुगतान शेष के चालू खाते का घाटा 1996-97 में 4,404 मिलियन डॉलर था जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत था। बढ़कर 1997-98 में 6,473 मिलियन डॉलर तक जा पहुँचा जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 प्रतिशत था। इससे पूर्व चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1992-93 में 1.7 प्रतिशत तथा 1995-96 में 1.6 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में चालू खाते के घाटे का बढ़ने का मुख्य कारण निम्न निर्यात वृद्धि था। अप्रैल-सितम्बर 1998-99 में चालू खाते का घाटा 3,088 मिलियन डॉलर था।

बीते वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय बाजार में दयनीय स्थिति के बावजूद भारत में भुगतान शेष की स्थिति संभालने योग्य स्थिति है। वर्ष 1996-97 और 1997-98 में भ्रजबूत निजी पूँजी प्रवाह के कारण भुगतान शेष की स्थिति सुविधाजनक है और लगातार दो वर्षों में विदेशी विनिमय भंडार में वृद्धि हुई। भुगतान शेष से विदेशी विनिमय भण्डार में 1996-97 में 5,818 मिलियन डॉलर तथा 1997-98 में 3,893 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई।

विदेशी विनिमय कोष भुगतान शेष से प्रभावित होता है। भारत का विदेशी विनिमय कोष 1990-91 में रसातल स्थिति में था। विदेशी विनिमय कोष 1980-81 में 5,850 मिलियन डॉलर था जो घटकर 1990-91 में केवल 2,236 मिलियन डॉलर रह गया। गौरतलब है वर्ष 1990-91 में भुगतान सकट के कारण 1,278 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भण्डार कम हुआ। इस वर्ष विदेशी सहायता और प्राणियिक उधार से स्थिति बिगड़ने से बची। भारत को विदेशों में स्वर्ण भी गिरवी रखना पड़ा था। इसके बाद भुगतान के मोर्चे पर भारत की स्थिति 1995-96 में भी दयनीय थी। वर्ष 1995-96 में विदेशी मुद्रा भंडार 17,044 मिलियन डॉलर रह गया जो गत वर्ष की तुलना में 18.1 प्रतिशत कम था। वर्ष 1995-96 में भुगतान शेष सकट के कारण विदेशी विनिमय भंडार में 2,936 मिलियन डॉलर की कमी हुई। चालू खाते के अत्यधिक घाटे के कारण भुगतान शेष की स्थिति बिगड़ी। शुद्ध विदेशी सहायता नहीं बढ़ने से स्थिति सुधर नहीं सकी। वर्ष 1998-99 में भुगतान शेष की स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया

तो भुगतान राकट के कारण विदेशी विनिमय भण्डार में कमी आने की संभावना है। विदेशी विनिमय भण्डार जनवरी 1999 में 27,429 मिलियन डॉलर सातोपप्रद स्थिति में है। किन्तु चालू खाते का घाटा अप्रैल-सितम्बर 1998-99 में 3,085 मिलियन डॉलर (प्राविजनल) था जबकि शुद्ध पूजी खाता वृद्ध 3,000 मिलियन डॉलर ही था। ऐसी स्थिति में सितम्बर 1998 तक विदेशी विनिमय भण्डार में 82 मिलियन डॉलर की कमी होगी। अप्रैल-सितम्बर 1998-99 में भुगतान शेष की स्थिति बिगड़ने का कारण चालू खाते का अधिक घाटा तो है ही इसके अलावा शुद्ध विदेशी सहायता प्रवाह ऋणात्मक 135 मिलियन डॉलर भी है। शुद्ध वाणिज्यिक उधार 4,605 मिलियन डॉलर के बावजूद स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इसका कारण पूजी खाते की अन्य मदों की भूमिका घटी। अप्रैल-सितम्बर 1998-99 में शुद्ध अप्रदारी जमा ऋणात्मक 393 मिलियन डॉलर तथा शुद्ध विदेशी निवेश 707 मिलियन डॉलर ही रहा।

भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति को बेहतर बनाने की आवश्यकता है किन्तु चालू खाते का बढ़ता घाटा चिन्ताप्रद है। निर्यातों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई इसके विपरीत आयातों में तेजी से वृद्धि हुई। आयातों में पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेट्स का भाग अधिक है। डॉलर में भारत की निर्यात वृद्धि दर 1997-98 में केवल 1.5 प्रतिशत थी। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में निर्यात वृद्धि दर ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत तक गिर गई। जबकि आयात वृद्धि दर 1997-98 में 4.2 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 7.1 प्रतिशत थी। इस कारण व्यापार घाटा 1997-98 में 6,799 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा जो नब्बे के दशक का अब तक सर्वाधिक घाटा था। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में व्यापार घाटा 7,296 मिलियन डॉलर को छू गया। पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेट्स का आयात 1996-97 में 10,036 मिलियन डॉलर (कुल आयात का 20.5%) तथा 1997-98 में 8,217 मिलियन डॉलर (कुल आयात का 16%) था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी निर्यातों की तुलना में आयात अधिक है। वर्ष 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद में निर्यातों का भाग 8.3 प्रतिशत तथा आयात का भाग 12.2 प्रतिशत था। व्यापार घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत था। व्यापार घाटे के कारण चालू खाते का घाटा बढ़ा। चालू खाते का घाटा 1997-98 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.6 प्रतिशत था जो गत वर्ष के 1.1 प्रतिशत की तुलना में अधिक था। चालू खाते के घाटे के बढ़ने से विदेशी विनिमय भण्डार में अधिक वृद्धि नहीं हो सकी। वर्तमान में जो विदेशी विनिमय भण्डार है वह विदेशी ऋण को देखते हुए अधिक नहीं है। विदेशी ऋण सकल घरेलू

उत्पाद के प्रतिशत में कम हुआ है। फिर भी वह अधिक बना हुआ है। विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 1991-92 में 37.7 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 में 26.3 प्रतिशत तथा 1997-98 में 23.8 रह गया। सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक-चौथाई भाग विदेशी ऋण देश पर बड़ा बोझ है। ऋण सेवा भुगतान सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत है।

भुगतान सतुलन की दशा सुधारने वास्ते निर्यातों में वृद्धि बहुत आवश्यक है। भारत ने इस दिशा में प्रयास भी किया किन्तु विश्व के देशों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गौरतलब है निर्यात वृद्धि के लिए 1949, 1966 और 1991 में रुपए का भारी अवमूल्यन किया गया। उदारीकरण के वर्षों में नयी निर्यात आयात नीति की घोषणा की गई और उसमें अनेक बार संशोधन किया गया। विश्व के देशों से द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते किये इससे अलावा डकल प्रस्तावों को भी स्वीकार किया गया। इन सब प्रयासों के बावजूद भी विश्व के निर्यातों में भारत की भूमिका नहीं बढ़ सकी। भुगतान सतुलन की स्थिति को सुधारने के लिए निर्यातों में वृद्धि करनी होगी। इसके लिए भारतीय उत्पादों को उच्च गुणवत्ता, निम्न लागत, आकर्षक पैकिंग आदि गुणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

अर्थव्यवस्था की दिशाहीनता

अतीत में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का गौरवपूर्ण स्थान था। भारतीय उत्पाद विश्वविख्यात थे। चहुँओर खुशहाली थी। भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। भारत की समृद्धि पर विदेशी आतताईयों की लालचभरी दृष्टि पड़ी। अंग्रेज व्यापारी की हेसियत से भारत आए और हमें राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया। भारत दीर्घावधि तक ब्रिट्रेन का उपनिवेश रहा। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था का मनमाफिक शोषण किया। भारत के कच्चे उत्पादों पर इंग्लैण्ड के औद्योगीकरण की नींव रखी। भारतीय राजारों को इंग्लैण्ड में बने निर्मित उत्पादों से पाट दिया। गुलामी के दिनों में अंग्रेजों ने भारत के विकास के लिए कारगर प्रयास नहीं किए। भारत समृद्धि से गरीब देश में परिवर्तित हो गया। कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ गया। अंग्रेजों की प्राकृतिक और मानव संपदा के शोषण की प्रवृत्ति सीमा लाघ गई। अन्ततः भारतीयों ने अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने की सोची। असख्य बलिदानों की कीमत पर भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली।

पिछड़ी अर्थव्यवस्था भारत को विरासत में मिली। अब राजनीतिक बागडोर भारतीयों के हाथों में थी। गुलामी के दिनों में बिगड़ी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने वारते पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा विकास का मार्ग चुना। भारत की अर्थव्यवस्था पर देश विभाजन का विपरीत प्रभाव पडा। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। भारत की आजादी के पचास साल बीत चुके हैं। भारत विश्व में शांति का पक्षधर रहा है। भारत की प्रगति कुछ देशों को नहीं सुहाती। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान ने भारत पर 1947, 1965 और 1971 में तीन बड़े युद्ध भोपे। अनेक बार भारत को आन्तरिक

रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया।

स्वतंत्रता के पचास वर्षों में भारत को चार बड़े युद्ध और कारगिल में सीमित युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्धों से भारत की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। भारत विकासशील देश है। यद्यपि युद्धों में शत्रु देश को मात खानी पड़ी। किन्तु भारत को विकास के ससाधन युद्धों में झोकने पड़े। भारत को रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ी। भारत वर्तमान (1999) में नियोजन काल के अडतालीस वर्ष पूरे कर चुका है। इस दौरान आठ पंचवर्षीय योजनाएं तथा छह वार्षिक योजनाएं सम्पन्न हो चुकी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के भी चार वित्त वर्ष बीत चुके। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-66) में दो बड़े युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों के अभाव की समस्या थी। नतीजतन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से पूर्व 1966-69 तीन वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गईं।

नव्वे के दशक में विश्व आर्थिक सक्रमण के दौर से गुजरा। भारत ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991-92 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण के प्रारम्भिक पांच वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में संरचना सम्बन्धी मूलभूत परिवर्तन किए गए। वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा। बार-बार केन्द्र में सरकारें बदली। किन्तु केन्द्र में सत्तारूढ़ सभी सरकारों ने न्यूनताधिक आर्थिक सुधारों को गति दी।

वित्त वर्ष 1999-2000 की शुरुआत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं रही। अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी की चपेट में थी। वर्ष 1998-99 की आर्थिक समीक्षा में महत्वपूर्ण विकास शीर्षों में गिरावट थी। चालू वित्त वर्ष (1999-2000) की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में केन्द्र में काम चलाऊ सरकार थी। भारत को कारगिल में पाकिस्तान के साथ घुसपैठियों को खदडने के कारण युद्ध करना पड़ा। इन सब घटनाक्रमों के चलते अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन की संभावना दृष्टिगोचर नहीं हुयी। राजनीतिक अनिश्चितता और कारगिल समस्या के चलते विदेशी पूंजी निवेश की गति धीमी पड गयी थी। निर्यात के मोर्चे पर भी सफलता कम मिली। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था सकट की चपेट में थी। अनेक आर्थिक घटक अर्थव्यवस्था की दिशाहीनता को दर्शाते हैं।

जनसंख्या : पचास वर्षों की प्रगति का बड़ा भाग तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या हड़प कर गई। जनसंख्या 1950-51 में केवल 361.1 मिलियन

थी जो बढ़कर 1995-96 में 934.2 मिलियन हो गई। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1981-91 के बीच 2.14 प्रतिशत रही। यदि जनसंख्या वृद्धि दर यही बनी रही तो भारत अगले कुछ दशकों में जनसंख्या के आकार में चीन को पीछे छोड़ देगा। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जा पहुंचा। देश में हर जगह भीड़-भाड़ नजर आती है। सबसे दुखद पहलू यह है कि देश के 47.8 प्रतिशत लोग पढ़ लिख नहीं सकते। महिलाओं में निरक्षरता चौंकाने वाली है। गौरतलब है महिलाओं में निरक्षरता 60.7 प्रतिशत है। लोगों में गुणात्मकता का अभाव देश के विकास में बाधाक सिद्ध हो रहा है। आर्थिक विकास के क्षेत्र में भारत एशियाई देशों से भी पिछड़ा हुआ है। मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भी भारत की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1997 में प्रति हजार शिशु मृत्यु दर 71, नृत्यु दर 89 तथा जन्म दर 27.2 थी। भारतीयों की औसत आयु 60.3 वर्ष है। जनसंख्या की बहुलता तथा मानव संसाधन की दयनीय स्थिति से देश के सामने अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

बेरोजगारी : जनसंख्या के तीव्रता से बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या उभरी। आज देश में लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया नहीं हैं। बेरोजगारी से अपराध प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। जनजीवन असुरक्षित और कष्टप्रद हो गया है। गांवों में बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल है। कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। नियोजन काल में ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा नहीं मिलने से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो सके। शहरों में उद्योग धंधों के बन्द पड़े होने के कारण श्रमिक बेकार बैठे हैं। बेरोजगारों के लिए रोजी-रोटी जुटाना मुश्किल काम हो गया है। वे परिवार पर भार बने हुए हैं। शिक्षितों में बेरोजगारी के कारण उनकी बौद्धिक क्षमता का उपयोग राष्ट्र के विकास में नहीं हो पाता है। गरीबों को काम नहीं मिलने से उनमें भिक्षा प्रवृत्ति बड़ी है। भिखारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर जगह लोगों को भीख मांगते देखा जा सकता है। गरीब माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के स्थान पर कमाई के लालच में कामकाज पर भेज देते हैं महिलाएँ जो मजदूरी पर जाती हैं अनेक के साथ शोषण की घटनाएँ होती हैं उनको पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। भारत में बेरोजगारी के आकड़े चौंकाने वाले हैं। दिसम्बर 1997 में रोजगार कार्यालयों में रोजगार चाहने वालों की संख्या 380 लाख थी। बेरोजगारों की संख्या नौवीं योजना में 590 लाख तक पहुंचने की संभावना है। बेरोजगारों में प्रतिवर्ष 11.8 लाख की वृद्धि हो रही है।

गरीबी : बहुतेरे लोगों के हाथों में काम नहीं है। लोगों के पास आय

के स्रोत नहीं हो पाने के कारण गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गरीबों की बढ़ती संख्या के बीच सरकार की गरीबी उन्मूलन और रोजगार परियोजनाएँ कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही हैं। गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिल पाती है। अनेक गरीब भूखे सोते हैं। रुपये-पैसे के अभाव में बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। थोड़ी बहुत जमा राशि होती है उसे रुढ़ियादिता में खर्च कर देते हैं। गरीबी में लोग तड़पते दम तोड़ देते हैं। आज गरीबी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। गरीब व्यक्ति का हर तरह से मरना है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी सामान्यतया गरीब ही रहता है। वह पढ़ लिख नहीं पाने के कारण पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। वह या तो भीख मागेगा या फिर झुंझ-झुंझ मजदूरी करके जीवन बसर करेगा। भूखे पेट रहकर मजदूरी से अर्जित आय भी गरीब दुर्वसनो पर खर्च कर देते हैं। गरीबी का ऐसा ताण्डव नृत्य सामान्यतया दृष्टिगोचर होता है। केन्द्र सरकार ने नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों से ही गरीबी उन्मूलन के खूब प्रयास किए और आज भी गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है। किन्तु विडम्बना है कि न तो देश में गरीबों की संख्या कम हुई और न ही गरीबों की बिगड़ी दशा सुधर सकी। गरीबों की दुर्दशा विकास योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह है। वर्ष 1993-94 में 320 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे जो कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्र में 244 मिलियन तथा शहरी क्षेत्र में 76 मिलियन गरीब थे। वर्ष 1996-97 में सम्पूर्ण देश में 292 प्रतिशत लोग गरीबी में जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे। गरीबी ग्रामीण क्षेत्र में 305 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 256 प्रतिशत थी।

देश में गरीबों की बहुतायत है। विगत वर्षों में भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। किन्तु अभी भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में लोगों की आय कम होने के कारण जीवन स्तर अच्छा नहीं है। बहुत कम लोग सतुलित आहार पाते हैं। अनेक लोग आय पर्याप्त होने के बावजूद आहार पर कम खर्च करते हैं। औसत भारतीय को जीवन के लिए आवश्यक कैलोरीज युक्त भोजन नहीं मिल पाता है। वर्ष 1997-98 में उपभोग के कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस प्रकार थी - खाद्य तेल 76 किलोग्राम, वनस्पति 1 किलोग्राम, चीनी 145 किलोग्राम, कपड़ा 309 मीटर, चाय 636 ग्राम, काफी 58 ग्राम। उपभोग की वस्तुओं की प्रति व्यक्ति निम्न उपलब्धता सुखी जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है।

मंहगाई : बढ़ती मंहगाई का आम लोगो पर बुरा प्रभाव पडा है। गरीबों की तो मंहगाई ने कमर तोड दी। कैलोरीजयुक्त भोजन कम होने का

कारण मंहगाई भी है। बढ़ती मंहगाई का कारण काला बाजारी, कृषि की मानसून पर निर्भरता, उत्पादन का अभाव, अधिक मांग आदि है। तथाकथित कारणों से 1998 में प्याज की कीमतें इतनी बढ़ी कि आम लोगों की पहुँच से प्याज दूर चला गया। देश में कालाबाजारी के कारण आम उपनाग की दस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर (पाइंट-टू-पाइंट) 1993-94 में 10.8 प्रतिशत, 1994-95 में 10.4 प्रतिशत तथा 1996-97 में 5.3 प्रतिशत थी। वर्ष 1998-99 में मुद्रास्फीति नियंत्रण में रही। 30 जनवरी 1999 को मुद्रास्फीति की दर 4.6 प्रतिशत थी। जून 1999 में मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत के आस-पास थी जो केन्द्र सरकार के लिए सन्तोष की बात थी। किन्तु उपनाग मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति अधिक बढ़ी हुई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपनाग मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 1997-98 में 8.3 प्रतिशत तथा दिसम्बर 1998 में 15.3 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटा बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण रहा है। केन्द्र सरकार को राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। राजस्व घाटे के बढ़ने से राजकोषीय घाटा बढ़ा है। सार्वजनिक उपकरणों में विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग कर लेने के बाद भी राजकोषीय घाटे में कमी नहीं आ सकी। वित्त वर्ष 1999-2000 में कारगिल में पाक घुसपैठियों को खदेड़ने में भारी राशि खर्च करनी पड़ी परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ा। राजकोषीय घाटा 1990-91 में 44,632 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1996-97 में 66,733 करोड़ रुपए तथा 1999-2000 में और बढ़कर 79,955 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) था। गौरतलब है कि 1998-99 में राजकोषीय घाटा 1,03,737 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) तक जा पहुँचा, जो आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद सर्वाधिक था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कम हुआ है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1990-91 में 7.7 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 में 4.7 प्रतिशत रह गया। यह फिर बढ़कर 1997-98 में 5.5 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) तथा 1998-99 में 5.1 प्रतिशत (बजट अनुमान) तक पहुँच गया।

व्यापार घाटा : स्वतन्त्रपक्षी एक-दो वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में व्यापार शेष प्रतिकूल रहा। व्यापार घाटे के बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं आ सकी। इसके अलावा मुग्तान के मोर्चे पर भी स्थिति बिगड़ी। रुपए के भारी अवनमन के बावजूद भी निर्यात वृद्धि में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। निर्यात संवर्धन का अभाव और उत्पादों का प्रतिस्पर्धी नहीं होना व्यापार घाटे का प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। व्यापार घाटा

1950-51 में केवल 4 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर 1997-98 में 6,799 मिलियन डॉलर (प्राविजनल) हो गया जो नब्बे के दशक का सर्वाधिक व्यापार घाटा था। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर 7,296 मिलियन डॉलर जा पहुँचा। निर्यातों के नहीं बढ़ने से व्यापार घाटे की स्थिति विषम हुई। निर्यात वृद्धि डॉलर में 1997-98 में केवल 1.5 प्रतिशत (प्राविजनल) तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी।

विदेशी ऋण : सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के गति नहीं पकड़ने के कारण अर्थव्यवस्था की विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ती गई। बीते वर्षों में विदेशी ऋण में भारी वृद्धि हुई। नतीजतन विदेशी ऋण के मूल और ब्याज अदायगी की समस्या मुखर हो गई है। स्थिति इतनी विगड़ गई कि अनेक बार ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ा। भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च 1991 में 83,801 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर मार्च 1998 में 93,908 मिलियन डॉलर तथा सितम्बर 1998 में और बढ़कर 95,195 मिलियन डॉलर का (प्राविजनल) हो गया। भारत दुनिया का बड़ा ऋणी देश है। ऋण और ब्याज का भारी बोझ है। बढ़ते विदेशी ऋण की समस्या से निपटने के लिए भारत को आन्तरिक ससाधनों से विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसके अलावा निर्यात वृद्धि वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लम्बे नियोजन और आर्थिक उदारीकरण के काल के बावजूद भारत विकास के मामले में अनेक एशियाई देशों से भी पीछे है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता का ढिंढोरा पीटा गया। किन्तु कृषि अर्थव्यवस्था को अपेक्षित मजबूती नहीं दे सकी। जनसंख्या का बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे है तथा बहुत से लोग भूखे पेट रात बितारते हैं। गाव और गरीबों की विगड़ी दशा अर्थव्यवस्था की दिशाविहीनता को दर्शाते हैं। अर्थव्यवस्था को सही दिशा देने के लिए कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार की महती आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण में ग्रामीण परिवेश उपेक्षित रहा है। भारत की खुशहाली आज कृषि विकास में निहित है। आर्थिक विकास के लिए कृषिगत क्षेत्र में पूजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है; गावों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया होंगे जिससे गरीबी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

विदेशी सहायता और संभावित स्वतरे

विश्व के प्रायः सभी देश विदेशी पूंजी निवेश से विकास की ओर अग्रसर हुए हैं। आज के सर्वाधिक विकसित कहे जाने वाले देशों को किसी न किसी सीमा तक विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भर रहना पड़ा है। अमरीका ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप से पूंजी प्राप्त की। दो शताब्दी पूर्व इंग्लैण्ड ने हालैण्ड से विदेशी सहायता प्राप्त की। अमरीका ने सांविद्यत संघ के आर्थिक विकास में मदद की। विघटन के बाद रूस आर्थिक सहायता के लिए अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की ओर मुखातिब हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध में आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके जापान व जर्मनी को अमरीका, ब्रिटेन व रूस ने सम्बल प्रदान किया। विदेशी सहायता का महत्त्व इसके विवेकपूर्ण उपयोग में निहित है। इन सभी देशों ने प्राप्त विदेशी सहायता का उपयोग सर्वांगीण विकास के लिए किया और आज ये सर्वाधिक विकसित देशों की श्रेणी में है। भारत सरीखे विकासशून्य देश आर्थिक विकास के लिए बड़ी सीमा तक विदेशी पूंजी निवेश पर निर्भर है। किन्तु विदेशी पूंजी के काग्यर उपयोग के अभाव में विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

भारत अतीत में सम्पन्न देश था। गुलानी के दिनों में अंग्रेजों की विध्वंसपूर्ण नीति के कारण भारत निचड़े देश के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वान्त्र्योत्तर देश में वित्तीय संसाधनों का अभाव था। ठेकों आर्थिक समस्याएं विरासत में मिली थीं। अतः नियोजित विकास के प्रारम्भिक वर्षों में भारत को अधिक विदेशी सहायता की आवश्यकता थी। भारत को विदेशी सहायता से आर्थिक निष्ठडपन से उभरने में मदद मिली। बाद के वर्षों में भारत विदेशी सहायता का विवेकपूर्ण उपयोग करने में सफल नहीं हो सका। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होने से भारत बढ़ते विदेशी ऋण की समस्या

से ग्रसित हो गया। आज भारत आर्थिक विकास के लिए, विदेशी ऋणों और उस पर व्याज के भुगतान के लिए तथा बढ़ते आयातों से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश और विदेशी सहायता पर निर्भर है।

विदेशी सहायता : विदेशी सहायता विदेशी पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत की अर्थव्यवस्था के विकासशील होने के कारण विदेशी सहायता की महती आवश्यकता रही है। नियोजनकाल तथा आर्थिक उदारीकरण के दौर में केन्द्र सरकार की उदार नीति के कारण विदेशी सहायता में वृद्धि हुई।

नियोजनकाल में प्राप्त कुल विदेशी सहायता

(वर्ष 1951-52 से 1997-98 तक)

(करोड़ रुपए)

पंचवर्षीय योजनाएँ	योजना परिव्यय	प्राप्त कुल विदेशी सहायता	प्राप्त कुल विदेशी सहायता का योजना परिव्यय में भाग
चतुर्थ योजना के अन्त तक (1951-52 से 1973-74)	37612 7	11922 1	31.7
पाचवी योजना (1974-79)	39426 20	7259.3	18.4
वार्षिक योजना (1979-80)	12176 50	1353.1	11.1
छठी योजना (1980-85)	109291 70	10903.9	9.9
सातवी योजना (1985-90)	218729 62	22699 8	10.4
वार्षिक योजना (1990-91)	58369 30	6704 3	11.5
(1991-92)	64751 20	11615 0	17.9
आठवी योजना (1992-97)	434100.00	56644 0	13 0
	(अनुमानित)		
वित्त वर्ष 1997-98	139625.90	11744 7	8 4
	(स.अ.)		
कुल योग (1951-52 से 1997-98 तक)	1114083.1	140846 2	12.6

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1992-93 तथा 1998-99 से संकलित।

भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी सहायता का खूब उपयोग किया। भारत ने 1951-52 से लेकर 1997-98 तक 1,40,846 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त की। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में

योजना परिव्यय का बड़ा भाग विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त किया गया। बाद के वर्षों में विदेशी सहायता पर निर्भरता में कमी हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 11,922 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त की गई जो योजना परिव्ययों का 31.7 प्रतिशत था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 22,699.8 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त की गई जो सातवीं योजना परिव्यय 2,18,729.6 करोड़ रुपए का 10.4 प्रतिशत था। वर्ष 1991-92 में विदेशी सहायता में तीव्र वृद्धि हुई। गौरतलब है इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट से ग्रसित थी। वर्ष 1991-92 में योजना परिव्यय के 17.9 प्रतिशत कुल विदेशी सहायता प्राप्त की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त कुल विदेशी सहायता 56,644 करोड़ रुपए थी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानित योजना परिव्यय 4,34,100 करोड़ रुपए के 13 प्रतिशत बैठती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक योजना परिव्यय आने पर विदेशी सहायता के प्रतिशत में थोड़ी कमी होगी। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल में विदेशी सहायता में कमी की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। वर्ष 1997-98 में 11,744.7 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्राप्त की गई जो इस वर्ष के सशोधित योजना परिव्यय 1,39,625.9 करोड़ रुपए का 8.4 प्रतिशत है। कुल मिलाकर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में योजना परिव्यय का बड़ा भाग विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त किया गया।

आर्थिक उदारीकरण और विदेशी सहायता : भारत में आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक उदारीकरण में भारत की अर्थव्यवस्था की विदेशी सहायता पर निर्भरता बनी हुई है। प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता में अनुदान का प्रतिशत बहुत कम है। विदेशी सहायता में ऋणों का भाग अधिक होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ब्याज के बोझ तले दबी हुई है। इसके अलावा कुल अधिकृत विदेशी सहायता और कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता में भारी अंतराल है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था विकास की तेज गति नहीं पकड़ सकी।

आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक सात वर्षों में विदेशी सहायता की प्रवृत्ति में विशेष बदलाव नहीं आया। कुल अधिकृत विदेशी सहायता 1991-92 में 12,707.6 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1997-98 में 16,966 करोड़ रुपए हो गयी। इस प्रकार कुल अधिकृत विदेशी सहायता में 1997-98 में 1991-92 की तुलना में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल अधिकृत विदेशी सहायता में तो वृद्धि हुई किन्तु कुल प्रयुक्त विदेशी सहायता में वृद्धि लगभग नगण्य रही। कुल

भारत सहायता क्लब (Consortium Members) - विश्व बैंक ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की। विश्व के विकसित देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत सहायता क्लब के सदस्य हैं। भारत सहायता क्लब के सदस्यों में आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैण्ड्स, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, आई. एम. एफ., ट्रस्ट फण्ड आदि हैं। भारत सहायता क्लब से भारत को प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 1980-81 में 1,999 करोड़ रुपए, 1990-91 में 5,796.5 करोड़ रुपए, 1995-96 में 8,904 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 9,208 करोड़ रुपए थी।

रूस और पूर्वी यूरोपीय देशों से भारत को प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 1980-81 में 32.9 करोड़ रुपए, 1990-91 में 312.8 करोड़ रुपए तथा 1992-93 में 34.8 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1993-94 के बाद से भारत को रूस संघ और पूर्वी यूरोपीयन देशों से विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई। अन्य स्रोत से प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता 1980-81 में 129.9 करोड़ रुपए, 1990-91 में 595 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में 2,536.6 करोड़ रुपए थी। अन्य स्रोतों में भारत को प्रयुक्त कुल विदेशी सहायता सर्वाधिक एशियाई विकास बैंक और यूरोपीयन आर्थिक समुदाय से प्राप्त होती है। वर्ष 1997-98 में इस दोनों संस्थाओं से क्रमशः 2,230 करोड़ रुपए तथा 227.5 करोड़ रुपए की कुल विदेशी सहायता प्रयुक्त हुई।

विदेशी सहायता के खतरे

विदेशी सहायता से विश्व के देशों को आर्थिक विकास में मदद मिली है। किन्तु विदेशी सहायता के अनेक खतरे भी हैं। विदेशी पूंजी का उपयोग एक सीमा तक ही राष्ट्र के हित में होता है। अधिक विदेशी सहायता से अर्थव्यवस्था के संकटग्रस्त होने की संभावना रहती है। नब्बे के दशक में दक्षिण पूर्व एशियाई देश "एशियन टाइगर" के रूप में उभरे किन्तु इन देशों में अधिक विदेशी पूंजी निवेश से अर्थव्यवस्था धरासाई हो गई। विदेशी पूंजी निवेश के बारे में बेनर के विचार सारगर्भित हैं। उनके अनुरार निरन्तर बढ़े पैमाने पर विदेशी सहायता मिलने से प्राप्तकर्ता राष्ट्र का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है और उसमें आत्मनिर्भरता की सच्ची भावना का उदय नहीं हो पाता। विदेशी पूंजी निवेश के कुछ खतरे इस प्रकार हैं -

स्वातंत्र्य आर्थिक नीति को खतरा : स्वातन्त्र्योत्तर आर्थिक विकास को गति देने वाले भारत ने नियोजित विकास का मार्ग चुना। भारत की

मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को सर्वोपरि रखा गया। आज भारत स्वतंत्रता के पांच दशक पूरे कर चुका है। पंचवर्षीय योजनाओं में विकासगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी निवेश पर अधिक निर्भरता बढ़ी। भारत में दीर्घावधि तक आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं किया जा सका। विश्व के अनेक देशों से भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त की। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। किन्तु अनेक कठिनाईयों का भी भारत को सामना करना पड़ा। विदेशी सहायता से भारत की अर्थव्यवस्था पर परोक्ष प्रभाव पड़ा। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य प्राथमिकताओं के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। भारत ने विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए मौद्रिक और राजकोपीय नीतियों में परिवर्तन किया है। बजट घाटे को कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दबाव रहा है। अनेक बार केन्द्रीय दजट विदेशी पूंजी निवेशकों के दबाव में आकर बनाने की बात भी कही जाती रही है। सकट की घड़ी में विदेशी पूंजी निवेश के कटु अनुभव रहे हैं। वर्ष 1965 व 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका ने अचानक आर्थिक सहायता बंद की जिसका भारत के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते भारत ने 1991-92 से आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात किया। विकास के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका घटी है। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किए इसके परिणामस्वरूप अमरीका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की। आर्थिक प्रतिबन्धों का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। जून 1999 में भारत कश्मीर में कारगिल समस्या से जुड़ा। भारत-पाक सीमा पर तनाव की स्थिति है। भारत ने पाक घुसपैठियों को खदडने के लिए सैनिक कार्यवाही की। भारत ने सैनिक कार्यवाही सीमा रेखा के भीतर तक सीमित रखी। हर्ष की बात है कि भारत की सीमा के भीतर सैनिक कार्यवाही का विश्व की पांच "वीटो" शक्तियों में से चार ने समर्थन किया। भारत को पाकिस्तान के नापाक इरादों को नैस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। चाहे विदेशी पूंजी निवेश के कमी की संभावना का खतरा ही क्यों न झेलना पड़े।

बढ़ता विदेशी ऋण : विदेशी सहायता ऋण और अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। भारत को अधिकांश विदेशी सहायता ऋणों के रूप में प्राप्त हुई। पंचवर्षीय योजनाओं में विकासगत जरूरतों के लिए भारी भरकम पूंजी विनियोजन की आवश्यकता थी, भारत में अच्छे दर कम होने के कारण विदेशी सहायता का अभाव था। परिणामस्वरूप विदेशों से भारी कर्ज लिया

की उम्मीद है तथा यह राशि 2003 तक 1236 अरब डॉलर हो सकती है।¹

भारत को विदेशी ऋण चुकाने के लिए कई बार विदेशों से ऋण लेना पड़ा है जो चिन्तनीय बात है। विदेशी सहायता का पूरा उपयोग नहीं होने से भारत पर विदेशी ऋण बढ़ा है।

कड़ी प्रतिस्पर्धा भारतीय उद्यमी विदेशी पूजी निवेश जनित प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय उत्पाद आधुनिकतम तकनीकी से सुसज्जित नहीं है। विदेशी पूजी निवेश सामान्यतया विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है। उनके पास आधुनिक तकनीक होती है। विदेशी उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था पर छा जाते हैं। स्वदेशी उद्योगों का प्रतिस्पर्धा में नहीं टिकने के कारण पतन होता है। विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य में विदेशी पूजी निवेश को आकर्षित करने में भी भारी प्रतिस्पर्धा है। आज विश्व के अधिकांश देश विदेशी पूजी को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत हैं। आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रयासों के बावजूद भारत अधिक विदेशी पूजी आकर्षित नहीं कर सका है। राजनीतिक अस्थिरता और समसामयिक घटनाओं के कारण विदेशी पूजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। विदेशी पूजी निवेश को एक सीमा तक जनविरोध का सामना करना पड़ता है। आज विदेशी पूजी निवेश राष्ट्रों के विकास की आवश्यकता है ऐसी स्थिति में विदेशी पूजी निवेश का राजनीतिक विरोध समाधीन नहीं है।

विदेशी पूजी निवेश के खतरों को दृष्टिगत रखते हुए भारत को आत्मनिर्भरता की महती आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पांच दशक बीत जाने के बाद भी विदेशी पूजी पर आभितता चिन्ताप्रद है। भारत को विदेशी पूजी के स्थान पर आन्तरिक वित्तीय संसाधनों से विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। चाहे विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाए। विदेशी सहायता के मामले में चीन से सीख ले सकते हैं। चीन ने स्वदेशी मध्यवर्ती तकनीक विकसित करके साठ के दशक में ही विदेशी सहायता से मुक्ति पा ली। आज चीन विदेशी पूजी का निर्यातक देश है। भारत विदेशी पूजी का अनुकूलतम उपयोग भी नहीं कर सका है। विदेशी पूजी बहुत महंगी होती है इससे देश के आर्थिक साधनों का शोषण भी होता है। अतः विदेशी पूजी का उपयोग उत्पादन में वृद्धि में होना चाहिए। विदेशी पूजी की प्रासंगिकता इसके उपयोग से राष्ट्र की आर्थिक सुदृढता में निहित है। भारत की आर्थिक मजबूती से बाहरी सहायता की अदायगी आसान होगी।

सन्दर्भ

- 1 मथली इकोनॉमिक रिपोर्ट, मई 1999, एन एन एस
- 2 राजस्थान पत्रिका, 10 जून, 1999

भारत में जनाधिक्य की समस्या

वर्तमान में भारत घनाधिक्य की स्थिति में है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ठेरों समस्याएँ नुहकार खड़ी हैं। देश की आर्थिक प्रगति जनसंख्या तनी बाढ़ में बह जाती है। डा. राधाकृष्णन के अनुसार "अनियंत्रित जनसंख्या सभी प्रकार के लाभों को सोख लेगी।" परिवार की दुरी दारिद्रता के दातापरण से नहीं निकल सकता है। आर्थिक विकास के लिए छोटे परिवार का होना अति आवश्यक है। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 1985 में नई दिल्ली में आयोजित जनसंख्या और विकास के बारे में सातद दिनों के एरियाई फोरम के पहले सम्मेलन में कहा कि विकासशील देशों के लिए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण पना बहुत जरूरी है ताकि विकास से मिलने वाले लाभों पर प्रतिफल अंतर नहीं पड़े। पिगत दशकों में भारत में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी। भारत की जनसंख्या 1951 में 361 करोड थी जो बढ़कर 1971 में 548 करोड तथा 1981 में और बढ़कर 683 करोड हो गई। वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 846 करोड तक जा पहुंची। वर्तमान में भारत की जनसंख्या एक अरब को पार कर चुकी है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.14 थी। यदि भारत की जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि आगामी कुछेक दशकों में जनसंख्या के मामले में भारत, चीन को पीछे छोड़ देगा अर्थात् भारत जनसंख्या की विकासशीलता की दृष्टि से विश्व का सिरमौर होगा।

भारत में जनसंख्या के तीव्रता से बढ़ने का एक प्रमुख कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपेक्षित सफलता नहीं मिलना है। निरक्षरता जनसंख्या का बड़ा कारण है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिक्षा

का विकास आवश्यक है। शैक्षिक विकास के साथ लोगों की मनोवृत्ति में भी बदलाव जरूरी है। भारत में शैक्षित विकास विशेषकर साक्षरता वृद्धि के लिए पहले गरीबी की समस्या पर निजात पाना होगा क्योंकि गरीब को "आखर ज्ञान" से पहले रोटी चाहिए। केन्द्र सरकार को सर्वाधिक ध्यान गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित करना चाहिए। देश में नियोजित काल में डेरो गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ बालू की गईं, किन्तु योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के अभाव में गरीबी कम नहीं हो सकी। सबसे पहले सरकार को गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को प्रासंगिक बनाना होगा। गरीबों के लिए आज नई योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। योजनाएँ तो बहुत घोषित की जा चुकी हैं। जरूरत उनके कारगर क्रियान्वयन की है। गरीबी उन्मूलन की योजनाओं के उचित क्रियान्वयन से गरीबी की संख्या कम हो सकेगी। जब गरीबों को रोजी-रोटी मिलेगी तो वह पढ़ना लिखना भी चाहेगा, उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा और अन्ततः जनसंख्या वृद्धि भी कम होगी। किन्तु खेद की बात है नियोजन के पाच दशक बाद भी 48.80 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। देश की लगभग 30 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन के लिए अभिशप्त है। नतीजतन भारत में निरक्षर, अस्वस्थ, दरिद्र लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो भारत के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा ऋणात्मक पहलू है। जनाधिक्य की समस्या केवल सरकार के लिए ही चिन्ता का विषय नहीं है कि वह इसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए धत्कि जनता में छोटे परिवार के लिए भी चेतना का उत्पन्न होना आवश्यक है। परिवार कल्याण से गरीबी में जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत में कमी आएगी तथा देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

हाल के वर्षों में भारत ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ अर्थव्यवस्था को समयोजित करने के वास्ते आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव किया है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। सामाजिक विकास क्षेत्र उपेक्षित रहा। उदारीकरण जनित आर्थिक विकास का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा जिससे पहले से ही अपेक्षित सामाजिक विकास क्षेत्र की स्थिति और बिगड़ गई। गरीब और गरीब हुआ। गरीबों का स्वास्थ्य आज भी दयनीय है। देश में निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम जारी है। साक्षरता पर भारी राशि खर्च की जा रही है। किन्तु साक्षरता की प्रगति आकड़ों तक सीमित है। विश्व विख्यात अर्थशास्त्री तथा हाल ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डॉ. अमर्त्य सेन के अर्थव्यवस्था के संवोध में विचार महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार विकासशील देशों विशेषकर भारत, पाकिस्तान आदि ने अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक खोल दिया, जिससे इन देशों के लोग विश्व प्रतिस्पर्धा में पिछड़

गए। संरक्षण के वातावरण में पनपे उद्यमियों को अत्यधिक प्रतिरक्षा की स्थिति में पहुंचा दिया गया। यदि कोई देश सम्भावित तेज गति से वैश्वीकरण शुरू कर देता है और सामाजिक अवसरों की कमी, निरक्षरता, स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता है तो वह स्वयं समस्याएं पैदा कर लेता है। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल एवं भूमि सुधारों की उपेक्षा की। सरकार उद्योग के क्षेत्र में दखल के लिए सक्रिय थी, जो कि परिणामहीन सिद्ध हुआ। वैश्वीकरण से जिन देशों में समस्याएं पैदा हुईं, वे ऐसे देश हैं, जहां कि मानव विकास काफी कम है। भारत में लोगों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम की भांति सामाजिक ढांचा खड़ा किया जाए। इण्डोनेशिया ने मानव विकास और वृद्धि दर की दृष्टि से अच्छा काम किया, किन्तु सामाजिक सुरक्षा ढांचे के अभाव के कारण वित्तीय संकट पैदा हुआ। चीन की आर्थिक स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है। चीन खाद्य वितरण, जनस्वास्थ्य की देखभाल और शिक्षा का प्रसार भारत के मुकाबले अधिक गति से कर रहा है। यही कारण है कि चीन में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कम हुई है जबकि भारत अति जनाधिक्य की ओर बढ़ रहा है।

भारत में जनाधिक्य के संबंध में मतभेदों का अभाव है। भारत की अर्थव्यवस्था में मुंहबाएँ खड़ी हैं। समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए धनाधिक्य के होने की सहज पुष्टि होती है। इसके विपरीत भारत प्राकृतिक ससाधनों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है। विगत वर्षों में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में प्रगति दृष्टिगोचर हुई है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में अभी जनाधिक्य नहीं है। अतः भारत में जनाधिक्य संबंधी विचारों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहले भाग में भारत के जनाधिक्य होने तथा दूसरे भाग में जनाधिक्य नहीं होने संबंधी विचारों को सम्मिलित कर सकते हैं। भारत में धनाधिक्य संबंधी विचार इस प्रकार हैं -

बेरोजगारी : भारत में बेरोजगारी सुरसा के भुह के तरह बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों और पंचवर्षीय योजनाओं में भारी विनियोजन के बावजूद बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं मिला है। बढ़ती बेरोजगारी का कारण जनाधिक्य की स्थिति है। देश में जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। वर्तमान में बेरोजगारों के आंकड़े चौका देने वाले हैं। रोजगार कार्यालयों के घालू रजिस्ट्रों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कुछ सीमा तक बेरोजगारों की प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। रोजगार कार्यालय मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। इन कार्यालयों में सभी बेरोजगार अपने नाम पंजीकृत नहीं करवाते हैं। इसके अलावा, पहले से रोजगार में लगे कुछ व्यक्ति भी बेहतर रोजगार पाने के उद्देश्य से अपने नाम इन कार्यालयों में पंजीकृत करवाते हैं। रोजगार

कार्यालयों में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के दर्ज नामों की संख्या 31 दिसम्बर, 1981 तक 178.36 लाख थी जो 31 दिसम्बर 1992 तक बढ़कर 368 लाख हो गई। वर्तमान (1998) में रोजगार कार्यालयों में बेरोजगारों की संख्या 450 लाख से भी अधिक है।

गरीबी भारत में गरीबी की समस्या भयावह है। पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर भारी भरकम राशि खर्च कर दी गई, किन्तु लाभ 'अपेक्षी' तक नहीं पहुंच पाने के कारण गरीबी की समस्या कम नहीं हो सकी। देश में बहुआयु गरीबी का ताण्डव आज भी मौजूद है। बढ़ती झुग्गी झोपड़िया बढ़ती गरीबी की दर्दनाक स्थिति को दर्शाती हैं। देश में कानून बने होने के बावजूद बाल श्रमिकों की समस्या कम नहीं हो सकी। देश में बहुआयु भिखारी देखे जा सकते हैं। गरीबी की समस्या गावों में विषम है। शहरों में तो जैसे-तैसे छोटे-मोटे रोजगार के अवसर लोगों को मुहैया हो जाते हैं। गावों में रोजगार के अवसरों का अभाव है। गावों की बहुसंख्यक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में पहले से ही अविछिन्न बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। कृषि का बड़ा क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून का जुआ बना हुआ है। जहां पर्याप्त वर्षा होती है। वहां अतिवृष्टि तथा बेमौसम बरसात के कारण बहुत नुकसान होता है। देश के समूचे परिवेश में गरीबी दृष्टिगोचर होती है। वर्ष 1996-97 में देश की कुल जनसंख्या का 29.18 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त था। गावों में शहरों की तुलना में गरीबी अधिक है। ग्रामीण परिवेश में गरीबी 30.55 प्रतिशत तथा शहरों में गरीबी 25.58 प्रतिशत थी। बीसवीं शताब्दी के अंत तक देश में गरीबी की समस्या मुखर बनी रहेगी।

खाद्यान्न अभाव भारत गावों का देश है। अधिकांश जनसंख्या गावों में जीवन बसर करती है। 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का भाग 74 प्रतिशत था। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत लम्बे समय तक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सका। वर्तमान में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई है। इसका श्रेय बड़ी सीमा तक अनुकूल मानसून को जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। देश के करीब 30 प्रतिशत लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर उठने पर अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। परिणामस्वरूप विगत वर्षों में खाद्यान्न का आयात करना पड़ा है। वर्ष 1974-75 में खाद्यान्न संकट था। वर्ष 1979-80 में अकाल के कारण खाद्यान्न कीमतों में भारी वृद्धि हुई। भारत ने 1993-94 में 290 करोड़ रुपए, 1994-95 में 92 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 80 करोड़ रुपए का खाद्यान्न

और खाद्यान्न उत्पादन का आयात किया।

जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि : भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर के कारण जनसंख्या घनत्व में भारी वृद्धि हुई है। भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के देशों से तुलनात्मक रूप से अधिक है। भारत का जनसंख्या घनत्व 1951 में केवल 113 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढ़कर 1981 में 230 तथा 1991 में 273 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। बढ़ता हुआ घनत्व जनाधिक्य का परिचायक है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत है। यहां हर डेढ़ सैंकेण्ड में एक बच्चा जन्म लेता है। एक मिनट में 40 बच्चे तथा एक घण्टे में 2,400 बच्चे जन्म लेते हैं। एक दिन और एक रात में 57,600 बच्चे जन्म लेते हैं। देश की जनसंख्या में हर महीने 173 लाख बच्चे बढ़ जाते हैं। वर्ष 1981-91 के दौरान भारत की जनसंख्या में 163 करोड़ की वृद्धि हुई। यह आस्ट्रेलिया की जनसंख्या का दस गुना और जापान की जनसंख्या से अधिक है।

भारत में जन्म व मृत्यु दर विश्व में तुलनात्मक रूप से अधिक है। भारत में 1994 में जन्म दर 28.7 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 9.3 प्रति हजार तथा शिशु मृत्यु दर 74 प्रति हजार थी। उन्नत विवरण से भारत में जनाधिक्य होने की पुष्टि होती है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए भारत ने परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाया। गौरतलब है कि भारत सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है।

भारत में जनाधिक्य नहीं है

अतीत में भारत "सोने की बिड़िया" था। देश में चहुंओर समृद्धि थी। विश्व के देशों की भारत की समृद्धि पर लालचभरी दृष्टि पड़ी। भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया गया। गुलामी के दिनों में विदेशियों ने भारत का मनमाफिक दोहन किया और भारत को गरीब देश बनाकर छोड़ा। वर्ष 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारतीयों ने विरासत में मिली दिगड़ी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की व्यूहरचना तैयार की। भारत स्वतंत्रता के पांच दशक पूरे कर चुका है। हमने हाल ही स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ उल्लास से मनाई।

दोते पचास वर्षों में आठ पंचवर्षीय योजनाएं तथा छह एक वर्षीय योजनाएं सम्पन्न हुईं। वर्तमान में नौवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल (अप्रैल 1997 से मार्च 2002) है। यद्यपि राजनीतिक बदलाव के कारण नौवीं पंचवर्षीय योजना नियत समय पर मूर्त रूप नहीं ले सकी। नियोजित विकास के पांच दशकों में भारत ने अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति

की। विश्व में हाल के वर्षों में घटित ताजातरीन घटनाक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए भारत की उपलब्धि आर्थिक सकट उत्पन्न नहीं होना माना जा सकता है। विदित है पिछले कुछ वर्षों में एशिया में उपजे 'एशियन टाइगर' देशों की आर्थिक दशा हाल के वर्षों (1997-98) में विगड़ी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में अर्थव्यवस्था का तीव्र गति से वैश्वीकरण किया। इन देशों ने भारी विदेशी पूंजी निवेश को आमंत्रित किया तथा मुद्रा को पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया नतीजतन दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को घोर आर्थिक सकट का सामना करना पड़ा। इण्डोनेशिया में मुद्रास्फीति तीव्रता से बढ़ी, वहाँ की सरकार विगड़ी अर्थव्यवस्था के कारण बदल गई। विश्व की आर्थिक ताकत जापान की मुद्रा येन का भारी अवमूल्यन हुआ। रूस को रुबल सकट का सामना करना पड़ा। भारत में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के जैसा आर्थिक सकट उत्पन्न नहीं हुआ, यद्यपि रूपए का अवमूल्यन अवश्य हुआ है किन्तु भारतीय रूपए में स्थायित्व की प्रवृत्ति बनी हुई है। मुद्रास्फीति भी इफाई अक तक सीमित है, किन्तु 1998 में प्याज की बढ़ती कीमतों के कारण समूचे देश में बावैला मचा हुआ था। प्याज की बढ़ी हुई कीमतों का कारण इसकी पैदावार कम होना तथा प्याज के निर्यात को खुली छूट देना था।

खाद्यान्न उत्पादन लगभग एक अरब जनसंख्या के लिए खाद्यान्न मुहैया कराना कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। आज ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता कि खाद्यान्न के अभाव में किसी की मृत्यु हो। देश में 30 प्रतिशत जनसंख्या अवश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। गरीब आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अनिवार्यताओं की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं होते हैं। गरीबों की दशा सुधारने के लिए सरकार को कारगर पहल करनी ही होगी। गरीबी उन्मूलन की नीतियों बनाते समय सरकार को गरीबों को जॉब-पोत के दायरे में नहीं लपेटना चाहिए। भारत में गरीबी सभी समुदाय के लोगों में विद्यमान है। देश के सभी गरीबों को सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार की कल्याण की नीतियों का लाभ अपेक्षी तक नहीं पहुँचा। राजकीय सहायता का लाभ चंद जातियों ही बटोर ले गई। देश में जो लोग सरकारी सहायता से आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समृद्ध हो चुके हैं उन्हें सुविधाएँ समाप्त कर आर्थिक सहायता ऐसे लोगों को मुहैया कराई जाए जो समृद्धि से वंचित हैं। ऐसा होने पर ही कम समय में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। गरीबों के उत्थान स्वार्थी निर्णयों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित की है। इसका श्रेय बड़ी सीमा तक किसानों को जाता है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में

आत्मनिर्भरता के लिए कारगर पहल की। उदारीकरण के वर्षों में डकल प्रस्तावों को स्वीकार किया। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की जिसके अभाव में भारत के विश्व के देशों से अलग पड़ जाने का भय था। भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता का श्रेय हरित क्रांति को जाता है। हरित क्रांति और कृषि क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीक से देश में खाद्यान्न उपलब्धता तो बढ़ी, किन्तु सभी ग्रामीण जनो की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकी। गावों में घोर आर्थिक विषमता व्याप्त है। गरीबी की समस्या भी गावों में अधिक है। गाव सामाजिक विकास की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। आज बजट के बड़े भाग का प्रावधान ग्रामीण विकास के लिए किया जाता है। ग्रामीण बजट के खर्च के समय सरकार को इसके सदुपयोग पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि ग्रामीणों की जागरूकता के अभाव में बजट के भाग को भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हड़प कर जाए। सरकार को वित्तीय ससाधन जुटाने के लिए बड़े किसानों को आयकर के दायरे में लेने के लिए विचार करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश से एकत्रित की गई राशि को कृषि के उत्थान और ग्रामीण औद्योगीकरण पर खर्च की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास होने से गरीबी की समस्या कम हो सकेगी। ग्रामीण विकास से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन 1993-94 में 1843 मिलियन टन था जो बढ़कर 1996-97 में 1912 मिलियन टन (प्राविजनल) हो गया। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1993-94 में 2.7 प्रतिशत तथा 1996-97 में 3.3 प्रतिशत (प्राविजनल) थी जो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत से अधिक है। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर के जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक होने के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में जनसंख्या का माल्थस सिद्धांत खरा नहीं उतरता है, किन्तु भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। वर्ष 1995-96 में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर ऋणात्मक 3.4 प्रतिशत थी। भारत में तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के प्रभावोत्पादक प्रयास हों। देश के खाद्यान्न उत्पादन को आन्तरिक मांग की पूर्ति तक नहीं सीमित नहीं रखा जाए अपितु खाद्यान्न निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जानी चाहिए।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि : आर्थिक विकास के लिए सरकार की नीतिगत पहल, पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन, वर्तमान में आर्थिक उदारीकरण की नीतियों को आत्मसात किया जाना तथा देशवासियों की कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। भारत जैसे जनसंख्या बहुल देश में प्रति व्यक्ति

आय का बढ़ना महत्त्वपूर्ण बात है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दिया जाता है। विश्व परिप्रेक्ष्य में प्रगति के मापदंड को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत की तुलना विकसित राष्ट्रों से करना समीचीन नहीं है। चीन से इस मामले में तुलना की जा सकती है। जनसंख्या की विकरालता के बावजूद भी भारत की प्रति व्यक्ति आय निरन्तर बढ़ रही है। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर विश्व के देशों की तुलना में अवश्य कम है। वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1994-95 में 2523 हजार करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 307 हजार करोड़ रुपए (प्राविजनल) हो गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1994-95 में 7.8 प्रतिशत तथा 1997-98 में 5.2 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी। वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,841 रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 2,216 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1985-86 में 2,730 रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 6,248 रुपए हो गई। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 1985-86 में 2,06,133 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 5,44,935 करोड़ रुपए हो गई। बढ़ती राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में जनाधिक्य की समस्या नहीं है।

प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता : भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से विश्व का एक धनी देश है। भारत में बिहार और राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। भारत में धात्विक, अधात्विक तथा शक्ति उत्पादक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत में खनिज—लोहा, मैंगनीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, तांबा, जस्ता, बाक्साइट, सोना व चादी, सीसा, लाइमस्टोन, अभ्रक, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, बेरीलियम, जिरकोनियम आदि खनिज पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन किया जाए तो लम्बे समय तक अधिक जनसंख्या का स्तरीय भरण-पोषण किया जा सकता है। किन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का विदोहन नहीं किया जा सका। वर्तमान में स्थिति में बदलाव आया है। भारत ने प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर औद्योगीकरण का ढांचा खड़ा किया है।

मानव संसाधन : भारत में तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। विश्व का सस्ता श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत का मानव संसाधन न केवल देश में अपितु विश्व के अनेक देशों के आर्थिक विकास में कारगर भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत में प्रवेश के लिए उत्सुक हैं।

भारत ने तकनीकी कौशल के बूते पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। भारत ने मई 1998 में परमाणु परीक्षण कर विश्व को चौंका दिया है। रक्षा और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत महत्वपूर्ण देश बन गया है। अक्टूबर 1998 में डा अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया, जो भारत के लिए गर्व की बात है। जन्म लेने वाला बच्चा खाने के लिए मुह ही नहीं लेकर आता बल्कि काम करने के लिए दो हाथ और सोचने के लिए मस्तिष्क भी साथ लेकर आता है। भारत में प्रतिभाएँ बिखरी पड़ी हैं, आवश्यकता उनकी दशा सुधारने और सही दिशा देने की है।

भारत जनसंख्या की 2.14 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश, निरक्षरता का अधिकार, गरीबी का ताण्डव, बेरोजगारी, महंगाई, नीची आर्थिक वृद्धि दर, घटते आवास, घुओर भीड़ आदि बातें भारत में जनाधिक्य की पुष्टि करते हैं। देश में प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता अवश्य है। किन्तु जनसंख्या में गरीबी के बढ़ने के कारण बचत व पूँजी निर्माण की दर नीची रहने से वित्तीय ससाधनों का अभाव रहा, नतीजतन प्राकृतिक ससाधनों का उपयोग विकास की गति बढ़ाने में नहीं हो सका। जनाधिक्य ही एक ऐसा प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत विश्व के देशों की तुलना में आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ गया। तीव्र आर्थिक विकास के लिए जनाधिक्य पर नियंत्रण आवश्यक है। जनाधिक्य की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को निरक्षरता और गरीबी को दूर करने के लिए नीतिगत पहल करनी होगी। गरीबी उन्मूलन की योजनाएँ प्रासंगिक हों तथा उनका उचित क्रियान्वयन हो। इसके अभाव में देश की आर्थिक प्रगति बढ़ते निरक्षर लोगों की बाढ़ में बह जाएगी।

भारत में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना

राष्ट्र विशेष के अर्थतंत्र में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या के अधिकांश भाग का कृषि व्यवसाय में लगे होना आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन तथा जनसंख्या के अधिक भाग का उद्योग व अन्य व्यवसाय में लगे होना आर्थिक दृष्टि से विकसित होने का परिचायक है। भारतीय जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना विकसित देशों की तुलना में अलग है। भारत में 72 प्रतिशत व्यक्ति कृषि में लगे हैं जबकि जापान में केवल 19.4 प्रतिशत ही कृषि में लगे हैं, ब्रिटेन में 5 प्रतिशत तथा अमरीका में 12.5 प्रतिशत ही कृषि में लगे हैं। उद्योगों में लगे व्यक्ति अमरीका में 30 प्रतिशत तथा ब्रिटेन में 43 प्रतिशत हैं।

विभिन्न देशों में जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

(प्रतिशत)

व्यवसाय	अमरीका	दिट्टेन	जापान	भारत
कृषि	12.5	5.0	19.4	72.0
उद्योग	30.6	43.0	29.3	9.7
निर्माण उद्योग	6.4	6.2	6.6	1.1
यातायात और संचार	19.0	14.1	16.5	5.1
अन्य सेवाएँ	23.8	23.8	20.8	10.8

कार्यशील जनसंख्या : देश की समूची जनसंख्या कार्यशील नहीं होती है, उसका कुछ भाग ही कार्यशील जनसंख्या होता है। आर्थिक दृष्टि से कार्य में सक्रिय व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। एक व्यक्ति जो वर्ष में 183 दिन अथवा अधिक आर्थिक उत्पादन गतिविधि में सहभागिता करता है वह मुख्य श्रमिक माना जाता है तथा जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिनों से कम आर्थिक गतिविधि में सलग्न रहता है वह सीमांत श्रमिक माना जाता है। इसके अलावा वह व्यक्ति जो वर्ष में किसी समय कोई कार्य नहीं करता वह गैर श्रमिक माना जाता है। इस श्रेणी में छात्र, सेवानिवृत्त व्यक्ति, निखारी, किसी पर निर्भर व्यक्ति और गृह कार्यों में सलग्न व्यक्ति आदि को सम्मिलित करते हैं।

भारत में कार्यशील जनसंख्या

(प्रतिशत)

वर्ष	कार्यशील जनसंख्या	गैर कार्यशील जनसंख्या
1901	46.6	53.4
1911	48.1	51.9
1921	46.9	53.1
1931	43.3	56.7
1951	39.1	60.9
1961	43.0	57.0
1971	32.9	67.1
1981	35.3	64.7
1991	37.5	62.5

भारत में पिछले दो दशकों में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हुई है। कार्यशील जनसंख्या 1971 में 32.9 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1981 में 35.3 प्रतिशत तथा 1991 में और बढ़कर 37.5 प्रतिशत हो गई। वर्ष 1991 की

जनगणना के अनुसार भारत में 62.5 प्रतिशत जनसंख्या गैर कार्यशील थी जिनका आर्थिक उत्पादन गतिविधियों में कोई सहभागिता नहीं थी। देश के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जिनमें गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत भारत की गैर कार्यशील जनसंख्या से अधिक है। पंजाब में गैर कार्यशील जनसंख्या का भाग 69.12 प्रतिशत है। इसके अलावा केरल में 68.57 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 67.80 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 67.81 प्रतिशत तथा हरियाणा में 69 प्रतिशत गैर कार्यशील जनसंख्या है। राजस्थान में गैर कार्यशील जनसंख्या भारत के औसत से कम है। राजस्थान में कुल जनसंख्या का 31.62 प्रतिशत मुख्य श्रमिक 7.25 प्रतिशत सीमान्त श्रमिक तथा 61.13 प्रतिशत गैर श्रमिक है।

वर्ष 1991 में भारत की जनसंख्या 846 करोड़ थी इसमें पुरुष 439 करोड़ तथा महिलाएँ 407 करोड़ थीं। पुरुषों की कुल संख्या का 51.55 प्रतिशत तथा महिलाओं की कुल संख्या का 22.25 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या था। राजस्थान की जनसंख्या 4.40 करोड़ थी। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 38.87 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या था। कुल पुरुषों का 49.30 प्रतिशत तथा कुल महिलाओं का 27.40 प्रतिशत भाग कार्यशील जनसंख्या था।

कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण (प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1951	72.1	10.6	17.3
1961	72.8	11.2	16.0
1971	72.1	11.2	16.7
1981	70.0	12.8	17.2
1991	67.0	13.0	20.0

ताजी जनगणना (1991) में मुख्य श्रमिकों की औद्योगिक श्रेणी को नौ भागों में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है :

- (1) कृषि,
- (2) कृषि श्रमिक,
- (3) पशु पालन, वन व्यवसाय, मछली पालन, शिकार, पौधा रोपण आदि,
- (4) खनन,
- (5) (अ) घरेलू उद्योगों में निर्माण, प्रोसेसिंग, मरम्मत,

(व) घरेलू उद्योगों के अलावा अन्य उद्योगों में निर्माण, प्रोसेसिंग, सेवा में मरम्मत,

- (6) निर्माण,
- (7) व्यापार और वाणिज्य,
- (8) ट्रान्सपोर्ट, सग्रहण और संचार,
- (9) अन्य सेवाएँ।

सुविधा की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन व्यवसाय, मछली पालन तथा खनन सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में बड़े व मझोले पैमाने के उद्योग सम्मिलित होते हैं तथा तृतीयक क्षेत्र में वाणिज्य, संचार, परिवहन, बीमा, वित्त, प्रबन्ध आदि सम्मिलित होते हैं।

विकासशील अर्थव्यवस्था - जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की दृष्टि से भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। भारत विकासशील देश है। वर्तमान में भारत अर्थव्यवस्था के सार्वभौमिकरण द्वारा व्यावसायिक ढांचे में बदलाव के लिए प्रयासरत है। नियोजित विकास के गत चार दशकों (1951-91) में भारत को व्यावसायिक ढांचे के बदलाव के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वर्ष 1991 में भारत की 74.3 प्रतिशत जनसंख्या गावों में जीवन बसर के लिए अभिशप्त थी। इसके अलावा कुल कार्यशील जनसंख्या का 67 प्रतिशत भाग व्यावसायिक ढांचे के प्राथमिक क्षेत्र में सलग्न था। जबकि कुल कार्यशील जनसंख्या का केवल 13 प्रतिशत भाग द्वितीयक क्षेत्र में तथा 20 प्रतिशत भाग तृतीयक क्षेत्र में सलग्न था।

प्रख्यात अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के कम होने का प्रमुख कारण अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होना है। भारत की डॉलर में प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में ही नहीं अपितु विकासशील देशों की तुलना में भी बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति आय के कम होने का कारण कार्यशील जनसंख्या का 67 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत होना है। भारत में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। विख्यात अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स के अनुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में 66 प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से भी भारत विकसित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं होता है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 72 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है।

भारत के लिए चिन्ताप्रद बात यह है कि कार्यशील जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। कार्यशील जनसंख्या 1961 में 43 प्रतिशत थी जो घटकर 1991 में 37.5 प्रतिशत रह गई। यद्यपि कार्यशील जनसंख्या में 1981 की तुलना में थोड़ी वृद्धि अवश्य हुई है तथापि विकसित देशों में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक होता है। दूसरी चिन्ता की बात यह है कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों में कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे में विशेष बदलाव नहीं आया है। लगभग पांच दशकों में व्यावसायिक ढांचे के प्राथमिक क्षेत्र में कमी नहीं आ सकी। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि नगण्य रही। वर्ष 1951 में द्वितीयक क्षेत्र का भाग 10.6 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का भाग 17.3 प्रतिशत था जो 1991 में मामूली बढ़कर क्रमशः 13 प्रतिशत और 20 प्रतिशत ही हो पाया। कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे से भारत का आर्थिक पिछड़ापन परिलक्षित होता है।

ढांचे में बदलाव की आवश्यकता

भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र विशेषकर कृषि में नियोजित होना आर्थिक पिछड़ेपन का प्रतीक है। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिन्होंने कृषि के आधार पर तीव्र आर्थिक विकास किया किन्तु भारत में बीते पचास वर्षों में कृषि क्षेत्र की प्रगति उत्साहवर्द्धक नहीं रही। कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कम निजी और सार्वजनिक पूंजी निवेश रहा है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और आज भी राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है किन्तु कृषि की दशा सुधारने में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। किसान और गरीब लोग सेठ साहूकारों के चंगुल में फंसे रहे।

आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे में बदलाव आवश्यक है। इसके लिए व्यावसायिक संरचना के द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण और कृषि आधारित उद्योगों का विकास करके कृषि पर जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है तथा ग्रामीण परिवेश में बेरोजगारी भी कम हो सकेगी। कृषिगत विकास के लिए ग्रामीण परिवेश में आधारभूत संरचना का विकास किया जाना चाहिए। हाल के उदाहरणों में आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका में नियोजन काल की तुलना में कमी आई है किन्तु व्यावसायिक संरचना को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता आज भी है। विकास की तीव्र गति वास्ते पूंजी निवेश को विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आधारित संरचना की ओर मोड़ना चाहिए। केन्द्र सरकार को सामाजिक विकास क्षेत्र में अधिक सार्वजनिक परिव्यय पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

कृषि की भूमिका में बदलाव

भारत गांवों का देश होने के कारण बहुसंख्यक जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। आर्थिक विकास में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। निर्यातित आय में भी कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की अच्छी भागीदारी है। हाल ही (1998) केन्द्र में वाजपेयी सरकार सत्तारूढ़ हुई है। नई केन्द्र सरकार ने कृषि विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। अप्रैल 1998 में जारी आर्थिक एजेन्डा में कृषि निवेश बढ़ाने पर बल दिया गया है। सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा संबंधित ग्राम्य ढांचागत विकास में सार्वजनिक निवेश के लिए पर्याप्त योजनागत कोष की व्यवस्था करेगी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पांच सूत्री विकास मार्ग में कृषि को दूसरा सूत्र मानते हुए अगले दशक में कृषि उत्पादन को दोगुना किए जाने का प्रावधान किया गया है। नई सरकार ने 1998-99 के बजट में कृषि विकास की नई पहल की है। वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना में कृषि परियोजना 2,854 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जो 1997-98 के संशोधित अनुमान 1,807 करोड़ रुपए की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार विकास शीर्ष पर भी परियोजना में वृद्धि की गई है। वर्ष 1997-98 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार परियोजना 8,356 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) था जिसे बढ़ाकर 1998-99 में 9,912 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) किया गया। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार परियोजना में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई। वर्ष 1998-99 में नाबार्ड द्वारा प्रवर्धित ग्रामीण अवरोधना विकास निधि में आवंटन बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नाबार्ड की अंशपूजी में 500 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। बजट में किसानों को कृषि आदानों और उत्पादन संबंधी जरूरतों के लिए नकदी प्राप्त करने में मदद के लिए नाबार्ड द्वारा "किसान क्रेडिट

कार्ड" योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है।

(1) राष्ट्रीय आय में योगदान : भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का 30 से 40 प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है। विगत वर्षों में राष्ट्रीय आय में कृषि की उपादेयता घटी है फिर भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में इसका योगदान अधिक है।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत (1980-81) की कीमतों पर)	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का उत्पाद	सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का प्रतिशत
1950-51	42871	24204	56.46
1960-61	62904	32793	52.13
1970-71	90426	41385	45.77
1980-81	122427	48536	39.64
1990-91	212253	69860	32.91
1991-92	213983	68480	32.00
1992-93	225268	72421	32.15
1993-94	238864	74965	31.38
1994-95	256095	78590	30.69
1995-96 (नई श्रृंखला)	926412	279204	30.14
1996-97	998978	303572	30.39
1997-98	1049191	301436	28.73
1998-99 (त्वरित अनुमान)	1081834	315415	29.16

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1996-97, 1998-99 तथा 1999-2000

वर्ष 1980-81 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन साधन लागत पर 42,871 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का उत्पादन 24,204 करोड़ रुपए था जो सकल घरेलू उत्पादन का 56.46 प्रतिशत था। सकल घरेलू उत्पाद 1994-95 में 2,56,095 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का उत्पाद 78,590 करोड़ रुपए था जो सकल घरेलू उत्पाद का 30.69 प्रतिशत था। नब्बे के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भूमिका बहुत घट गई है। इसका कारण कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र परिव्यय में

कमी है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का केवल 52 प्रतिशत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र पर व्यय किया गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र परिव्यय में वृद्धि नहीं की गई। इसके बावजूद भी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 1994-95 में सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का भाग 27.98 प्रतिशत, यातायात संचार और व्यापार का भाग 18.95 प्रतिशत, बैंकिंग बीमा व्यावसायिक सेवा आदि का भाग 11.59 प्रतिशत तथा सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा व अन्य सेवाओं का भाग 10.79 प्रतिशत था जबकि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का भाग 30.69 प्रतिशत है।

(2) रोजगार : भारत में जनसंख्या का बड़ा भाग जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। डा. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार खेती से इस देश के सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है जो बड़े तथा छोटे अन्य सब उद्योगों से प्राप्त सम्मिलित रोजगार से अधिक है। भारत की 74 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में जीवन बसर करती है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्मिक 31.41 करोड़ थे, जिनमें 2.82 करोड़ सीमान्त कार्मिक तथा 28.59 करोड़ मुख्य कार्मिक थे। मुख्य कार्मिकों में कारखानेकार 11.07 करोड़, कृषि श्रमिक 7.46 करोड़ तथा पशुधन, दान आदि में 60 लाख कार्यरत थे। इस प्रकार मुख्य कार्मिकों का 66.9 प्रतिशत कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत था। ग्रामीण मुख्य कार्मिक 22.23 करोड़ थे जिनमें से 18.28 करोड़ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत थे जो मुख्य कार्मिकों का 82.2 प्रतिशत है। शहरी मुख्य कार्मिक 6.36 करोड़ थे जिनमें 85 लाख कृषि व संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत थे जो कि शहरी मुख्य कार्मिकों का 13.4 प्रतिशत था।

(3) खाद्यान्न उत्पादन : भारत जनाधिक्य वाला देश है तथा अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। कृषि क्षेत्र द्वारा खाद्यान्न की मांग पूरी की जाती है। भारत में चावल, गेहूँ, मीठा अनाज तथा दालों का उत्पादन होता है। वर्ष 1996-97 में चावल का उत्पादन 81.3 मिलियन टन, गेहूँ का उत्पादन 69.3 मिलियन टन, मीठा अनाज का उत्पादन 34.3 मिलियन टन तथा दालों का उत्पादन 14.5 मिलियन टन था। खाद्यान्न उत्पादन 1996-97 में 199.3 मिलियन टन था। प्रमुख वाणिज्यिक फसलों में तिलहन, गन्ना, कपास, जूट और मेस्ता का उत्पादन होता है। वर्ष 1996-97 में प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन इस प्रकार था, तिलहन 25 मिलियन टन, गन्ना 277.3 मिलियन टन, कपास 14.3 मिलियन गॉटें तथा जूट व मेस्ता 8.8 मिलियन गॉटें।

भारत में खाद्यान्न उत्पादन

वर्ष	खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	कृषि उत्पादन सूचकांक आधार 1982-83
1950-51	50.8	46.2
1960-61	82.0	68.8
1970-71	108.4	85.9
1980-81	129.6	102.1
1990-91	176.4	148.4
1991-92	168.4	145.5
1992-93	179.5	151.5
1993-94	184.3	157.3
1994-95	191.5	165.0
1995-96	180.4	160.7
1996-97	199.3	175.4
1997-98	192.4	164.9
1998-99	203.0	177.2
1999-2000 (प्र.)	199.1	173.3

स्रोत: इकोनॉमिक सर्वे, 1996-97, 1997-98, 1999-2000.

कृषि क्षेत्र में नवीन ब्यूहरचना लागू किए जाने तथा सार्वजनिक क्षेत्र परियोजना में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 50.8 मिलियन टन था जो बढ़कर 1990-91 में 176.4 मिलियन टन तथा 1998-99 में और बढ़कर 203 मिलियन टन हो गया। वर्ष 1981-82 को आधार मानते हुए कृषि उत्पादन सूचकांक 1950-51 में 46.2 था जो बढ़कर 1990-91 में 148.4 तथा 1998-99 में और बढ़कर 177.2 हो गया। विगत दशकों में प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हुई। कुल अनाज का क्षेत्रफल 1950-51 में 782.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1,033.58 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 1950-51 में 424.14 लाख टन से बढ़कर 1989-90 में 1,560.79 लाख टन तथा पैदावार 1950-51 में 542 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1,530 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1989-90 में कुल दलहन का क्षेत्रफल 234.15 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 128.65 लाख टन तथा पैदावार 549 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था।

खाद्यान्न का क्षेत्रफल 1950-51 में 973.2 लाख हेक्टेयर था जो 1989-90 में बढ़कर 1,267.73 लाख हेक्टेयर हो गया। खाद्यान्न पैदावार 1950-51 में 522 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1,349 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। वर्ष 1989-90 में कुल तिलहन क्षेत्रफल 228 लाख हेक्टेयर, उत्पादन 169.09 लाख टन तथा पैदावार 742 किलोग्राम

प्रति हैक्टयर थी। इसके अलावा वाणिज्यिक फसलो यथा गन्ना, कपास, पटसन, मेस्ता के क्षेत्रफल, उत्पादन व पैदावार में वृद्धि हुई।

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ने से प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढ़ी। वर्ष 1991 में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता 510 ग्राम के स्तर तक पहुंच गई थी जबकि 1950 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में प्रति व्यक्ति 395 ग्राम अनाज उपलब्ध था तथापि वर्ष 1993 में एक अन्तिम अनुमान के अनुसार अनाज की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धि कुछ कम होकर 464 ग्राम हो गई। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 1993 में 1694 किलोग्राम वार्षिक थी जो बढ़कर 1994 में 172 किलोग्राम, 1995 में 1853 किलोग्राम तथा 1997 में 1813 किलोग्राम वार्षिक हो गई।

(4) निर्यातित आय में योगदान : भारत के विदेशी व्यापार में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत से बड़ी मात्रा में कृषि एवं सब्जि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। कृषिगत निर्यातों में काफी, चाय, खली, काजू, मसाले, तम्बाकू, घीनी, कच्चा जूट, चावल, फल, सब्जी, दाले आदि मुख्य हैं। स्वतंत्रता के समय से लेकर 1980 तक भारत के निर्यातों में कृषि व सब्जि क्षेत्र की उल्लेखनीय भूमिका थी। वर्ष 1960-61 में भारत का कुल निर्यात 642 करोड़ रुपए था। जिसमें कृषि एवं सब्जि क्षेत्र का निर्यात 284 करोड़ रुपए था जो कुल निर्यात का 44.24 प्रतिशत था। बाद के दशकों में निर्यात में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र की भूमिका घटी। वर्ष 1980-81 में कुल निर्यात 6,711 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं सब्जि क्षेत्र का निर्यात 2,057 करोड़ रुपए था जो कुल निर्यात का 30.65 प्रतिशत था। नब्बे के दशक में निर्यातों में कृषि एवं सब्जि क्षेत्र की भूमिका उत्तरोत्तर कम हुई। कुल निर्यात में कृषि एवम् सब्जि क्षेत्र का भाग 1990-91 में 19.40 प्रतिशत, 1992-93 में 17.61 प्रतिशत, 1993-94 में 18.67 प्रतिशत तथा 1994-95 में 16.58 प्रतिशत था। वर्ष 1995-96 में कुल निर्यात 1,06,353 करोड़ रुपए था जिसमें कृषि एवं सब्जि क्षेत्र का निर्यात 21,138 करोड़ रुपए था जो कुल निर्यात का 19.87 प्रतिशत था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषिगत उत्पादन को बढ़ाकर निर्यात व्यापार में कृषि की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है। नोबल पुरस्कार विजेता डा नार्मन ई बोर्लॉग के अनुसार "भारत में खाद्यान्न उत्पादन को आगामी चालीस वर्षों में चार गुना करने की क्षमता विद्यमान है।" खाद्यान्न उत्पादन का बड़ा भाग देश में ही खप जाता है निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न बहुत कम बच पाता है। अतः खाद्यान्न निर्यात वृद्धि के लिए भारत में जनसाधक वृद्धि को रोकना आवश्यक है।

(5) कृषि परिव्यय में वृद्धि : भारत में आर्थिक नियोजन की सफलता कृषि विकास पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत

रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजना में कृषि परिव्यय में वृद्धि की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र परिव्यय 1,0889 करोड़ रुपए था जो बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10,5236 करोड़ रुपए हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र परिव्यय 22,467 करोड़ रुपए था जो कुल योजना परिव्यय का 52 प्रतिशत था। नौवीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र परिव्यय 36,658 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विश्व आर्थिक फोरम द्वारा 29 नवम्बर 1998 को आयोजित भारत आर्थिक शिखर केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ब्रह्म सूत्रीय माध्यकालीन आर्थिक एजेण्डा में कृषि को प्रमुखता दी गई है। इसमें कृषि विकास सुनिश्चित करना और कृषि व कृषि प्रसंस्करण उद्योग में व्यापक निजी निवेश को बढ़ावा देकर ग्रामीण समृद्धि का विस्तार करना सम्मिलित है। कृषि परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा आर्थिक एजेण्डा में कृषि को प्रमुख स्थान दिया जाना अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता को दर्शाता है।

(6) विश्व परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि : भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजादी के प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी; हाल ही के वर्षों में भारत ने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत न केवल विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है अपितु विश्व के देशों को खाद्यान्न का निर्यात भी कर रहा है। वर्ष 1979-81 को आधार मानते हुए भारत का कृषिगत उत्पादन सूचकांक वर्ष 1989 में 141.86 था जो विश्व औसत 121.26 से अधिक था। वर्ष 1989 में विश्व के अनेक देशों का कृषि उत्पादन सूचकांक इस प्रकार था - अर्जेंटीना 96.20, आस्ट्रेलिया 113.48, कनाडा 111.99, मैक्सिको 121.39, ब्रिटेन 105.76, अमरीका 102.36 आदि। भारत में 1989 में चावल, गेहूँ, मक्का व कपास बीज का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में अधिक था।

विश्व के देशों में कृषिगत फसलों का उत्पादन 1989

(हजार टन)

देश	कृषिगत उत्पादन सूचकांक (1979-81=100)	चावल	गेहूँ	मक्का	कपास बीज
भारत	141.86	107500	53995	7800	4430
आस्ट्रेलिया	113.48	748	14200	217	813
बाजील	131.87	11107	5407	26805	1855
चीन	146.50	179403	41002	75840	11757
मैक्सिको	121.39	441	3900	9900	600
अमेरिका	102.36	7007	55407	191197	6986

स्रोत इण्डिया, इकोनॉमिक इनफोरमेशन ईयर बुक, 1991-92, पृ 323

विश्व में अनेक देश विशेषकर विकासशील देश ऐसे हैं जहाँ श्रम शक्ति (लेबर फोर्स) का बड़ा भाग कृषि में सलग्न है। वर्ष 1981 में श्रम शक्ति का भारत में 71 प्रतिशत, बांग्लादेश में 74 प्रतिशत, चीन में 74 प्रतिशत, केन्या में 78 प्रतिशत, नेपाल में 93 प्रतिशत, पाकिस्तान में 57 प्रतिशत, श्रीलंका में 54 प्रतिशत कृषि कार्य में सलग्न था जबकि श्रम शक्ति का आस्ट्रेलिया में केवल 6 प्रतिशत, कनाडा में 5 प्रतिशत, फ्रांस में 8 प्रतिशत, जर्मनी में 4 प्रतिशत, कुवैत में 2 प्रतिशत, अमरीका में 2 प्रतिशत, विट्रेन में 2 प्रतिशत कृषि कार्य में सलग्न था। स्पष्ट है कि विकसित देशों में श्रम शक्ति का अल्पव्यय भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। विकसित देशों में कृषि कार्य में यंत्रीकरण का अधिक प्रयोग होता है। वर्ष 1986 में अमेरिका में 4676 हजार ट्रेक्टर, जापान में 1,834 हजार ट्रेक्टर, फ्रांस में 1,527 हजार ट्रेक्टर, अर्जेन्टीना में 1,174 हजार ट्रेक्टर उपयोग में थे, जबकि भारत में केवल 649 हजार ट्रेक्टर, बांग्लादेश में 1 हजार ट्रेक्टर, केन्या में 9 हजार ट्रेक्टर उपयोग में थे। भारत में हरित कृषि लागू किये जाने के बाद कृषिगत क्षेत्र में यंत्रीकरण का उपयोग बढ़ता जा रहा है। भारत में आज कृषि आधुनिकतम उपकरणों से की जाने लगी है। हाल के वर्षों में कृषि और ग्रामीण विकास पर बल दिए जाने के कारण भविष्य में कृषिगत क्षेत्र में यंत्रीकरण वृद्धि की संभावना है।

(7) औद्योगिक कच्चा माल - भारत में कृषि औद्योगिक विकास का आधार है। कृषि से अनेक उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। मानसून के प्रतिकूल होने की दशा में कृषिगत उत्पादन कम होने का सीधा प्रभाव औद्योगिकीकरण पर पड़ता है। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि तीव्र औद्योगिक विकास में सहायक होती है। भारत में कृषि आधारित उद्योगों की बहुलता है। ऐसी स्थिति में कृषि का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति उद्योग, जूट, चाय, रबर, कागज उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। भारत में वर्ष 1997-98 में तिलहन का उत्पादन 237 मिलियन टन, गन्ने का उत्पादन 2602 मिलियन टन, कपास उत्पादन 11.4 मिलियन गांठे, जूट और मेरता उत्पादन 98 मिलियन गांठे था।

(8) राजनीतिक महत्त्व : भारत में कृषि का राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। जनसंख्या का बड़ा भाग गांवों में जीवन बसर करता है। गांवों में अत्यधिक राजनीतिक जागरूकता है। लोकसभा और विधान सभा सदस्यों के चुनाव में ग्रामीणजनो की बड़ी भूमिका होती है। अच्छे कृषि उत्पादन का राजनीति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषिगत उत्पादन के अनुकूल होने के दशा में मूल्य स्तर भी सामान्य रहता है। ग्रामीण परिवेश की

उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज बजट का बड़ा भाग ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाता है। 25 नवम्बर 1998 को राजस्थान, मध्यप्रदेश दिल्ली में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों में कृषिगत उत्पादन यथा आलू व प्याज की बेतहाशा कीमतों ने प्रमुख चुनावी मुद्दे का रूप लिया। महंगाई के कारण दिल्ली व राजस्थान की सरकारें बदली। भारत में महंगाई का सीधा असर राजनीति पर पड़ता है और महंगाई कृषिगत उत्पादन से प्रभावित होती है। भारत में गरीब किसानों के दस हजार रुपये तक ऋण माफ करना राजनीतिक निर्णय था। ग्रामीणों को लुभाने के लिए वोट आधारित राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। किसानों को निशुल्क बिजली, उर्वरक, सब्सिडी, कम दरों पर सिंचाई सुविधा आदि निर्णय राजनीति प्रेरित होते हैं। कृषि की भूमिका में बदलाव के बावजूद भारत में प्रति व्यक्ति कम होती भूमि की उपलब्धता कृषि की मुख्य समस्या है। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ प्रति व्यक्ति भूमि की मात्रा घटती जा रही है। नियोजन काल में कृषिगत क्षेत्र में अवश्य प्रगति हुई। भारत के खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़े। किन्तु भारतीय कृषि समस्याओं से अछूती नहीं है। आज भी अनेक समस्याएँ मुहवाएँ खड़ी हैं। ग्रामीण परिवेश में गरीबी की समस्या व्याप्त है। किसान सेठ साहूकारों के चंगुल से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। गांवों में निरक्षरता के कारण परम्परावादी दृष्टिकोण की समस्या विकट है। किसान आय का बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों में खर्च करते हैं। छोटे किसानों की बहुलता है। कृषि जोत का आकार निरन्तर कम होता जा रहा है। कृषि सब्सिडी का अधिकांश भाग बड़े किसान हड़प जाते हैं। हरित क्रांति का लाभ सीमित क्षेत्र विशेष कर सिंचित भागों को ही मिला। सिंचाई सुविधाओं का नितान्त अभाव है।

भारतीय कृषि के विकास में बाधाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी कृषि विकास पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसान की माली हालत में भी विशेष बदलाव नहीं आया। भारत प्रति हैबटेयर कृषिगत उत्पादन और ग्रामीण अर्थ संरचना की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों की तुलना में पीछे है। गांवों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पेयजल सुविधाओं के अभाव के कारण ग्रामीणजन प्रदूषित पानी पीने के लिए अभिशप्त हैं। बहुतेरे गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। चिकित्सा सुविधाओं का नितान्त अभाव है। ग्रामीण परिवेश में निरक्षरता आज भी अभिशाप है। गांवों की दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाएँ बनीं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए भारी भरकम पूंजी का प्रावधान किया गया। योजनाएँ

कागजों तक ही सिमट कर रह गई। योजनाओं के लिए आवंटित राशि खर्च में दिखा दी गई। पचास सालों में गांव और किसानों की दशा सुधर नहीं सकी। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं जिनमें प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, संस्थागत आदि मुख्य हैं। कृषि के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित हैं -

(1) कम पूंजी निवेश : पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र में कम पूंजी निवेश किया गया। आर्थिक उदारकरण में विकास क्षेत्र में सरकार की भूमिका घटने के कारण कृषि निवेश और कम हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में योजना परिव्यय का 12.7 प्रतिशत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर व्यय किया गया जो घटकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 5.2 प्रतिशत रह गया। नौवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि व संबद्ध क्षेत्र परिव्यय पर 36,658 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है जो नौवीं योजना परिव्यय 8,75,000 करोड़ रुपए का केवल 4.2 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश उत्तरोत्तर घटने के कारण कृषि विकास गति नहीं पकड़ सका। कृषि निवेश घटने के कारण कृषि वृद्धि दर भी घटी। कृषि वृद्धि दर 1955-56 में ऋणात्मक 3 प्रतिशत तथा 1997-98 में भी ऋणात्मक 2 प्रतिशत रही जो भारत सरीखे कृषि प्रधान देश के लिए चिन्ताप्रद बात है।

(2) साख सुविधाओं का अभाव : देश के ग्रामीण परिवेश में लम्बे समय तक साख सुविधाओं का अभाव रहा। किसानों की साख सुविधाओं की पूर्ति वारंते आज भी बड़ी सीमा तक सेठ साहूकारों पर निर्भरता बनी हुई है। सेठ साहूकार गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाते हैं। वे किसानों से अधिक ब्याज दरूली के अलावा उनका मनमाफिक शोषण करते हैं। तत्कालीन सरकार ने गरीब किसानों के दरस हजार रुपए तक के ऋण माफ करके बाह-बाही लूटी, किन्तु इस निर्णय से बैंकों की स्थिति विगड़ी। भारत के निरक्षर किसानों को बैंकों की पैचीदगी ऋण-प्रणाली से असुविधा होती है। वह ऋण लेने में विचौलिए के चक्कर में फंस जाता है। हाल के वर्षों में बैंकों में भी भ्रष्टाचार बढ़ा है। ऋणों की स्वीकृति में रिश्वत ली जाने लगी है। दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का नितांत अभाव है। गरीबी के कारण किसान इस स्थिति में नहीं होते कि वे बुआई के समय स्वयं के संसाधनों से बीज व खाद खरीद सकें। सिंचाई के लिए भी किसानों को अधिक पित्त की आवश्यकता होती है। मजदूरन किसान प्रभावी लोगों के चंगुल में फस जाता है।

(3) अनुत्पादक व्यय : बहुसंख्यक किसानों की माली हालत दयनीय है। गरीबी मनुष्य का बड़ा दुःख है। भारत के किसान गरीबी की समस्या से

ग्रसित तो है ही इसके अलावा यह रूढ़िवादिता से भी घिरा हुआ है। कम आय के दाबजूद किसानों और गरीबों को कर्ज लेकर सामाजिक रीति-रिवाजों पर व्यय करना पड़ता है। इनके अभाव में समाज उन्हें जीने नहीं देता है। कर्ज की बड़ी राशि अनुत्पादक व्ययों में खर्च हो जाती है। कर्ज राशि का कृषि में निवेश नहीं हो पाता इसके भयंकर परिणाम किसान को भुगताने पड़ते हैं। अनुत्पादक व्ययों की दोहरी मार किसानों पर पड़ती है। एक तो इस व्यय से आय प्राप्ति नहीं होती दूसरी और उसकी कृषि पिछड़ जाती है। नतीजतन किसान कर्ज में डूब जाता है।

(4) मूल्य वृद्धि का कम लाभ : हाल के वर्षों में कृषिगत उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। किन्तु बढ़ी हुई कीमतों का लाभ किसानों को नहीं मिला। बढ़ी हुई कीमतों का लाभ दलाल, विचौलिए आदि हडप जाते हैं। किसान गरीबी के कारण बढ़ी हुई कीमतों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होते हैं। किसानों के कर्ज में डूबे होने के कारण उसकी उपज का अधिकांश भाग खलिहान से ही सेट साहूकार उठा ले जाते हैं। फिर किसान का परिवार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। वर्ष भर खाने के लिए अधिक अनाज की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो कुछ फसल बचती है उसे धन की महती और शीघ्र आवश्यकता होने के कारण बाजार में बेचनी पड़ती है। उसके पास संग्रहण क्षमता का अभाव होता है। किसान के पास बेचने योग्य उपज कम होने तथा कृषि उपज मंडियों के दूर होने के कारण वह सस्ते दामों पर उपज को बेच देता है। कृषि उत्पादों की बड़ी हुई कीमतों से उल्टा किसानों का शोषण होता है। वर्ष 1998 (अक्टूबर-नवम्बर) में आलू प्याज की कीमतें बेनहास बड़ी। क्या बढ़ी हुई कीमतों का लाभ किसानों को मिला। बढ़ी हुई कीमतों के कारण किसान आलू प्याज खाने तक के लिए तरस गया। प्याज के बीज की कीमतें भी तीव्रता से बढ़ीं। नतीजतन किसान बुआई के लिए बीज नहीं खरीद सके। बढ़ी हुई कीमतों का लाभ तो विचौलिए ले उड़े किसान तो ताकता रह गया। सरकार कालाबाजारी को रोकने में सफल नहीं हो सकी।

(5) यंत्रीकरण का अभाव : भारत गावों का देश है। गावों के लोग अधिकतर निरक्षर हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। गावों में साख सुविधाओं का अभाव है। सरकार ने कृषि विकास की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। कृषि प्रधान देश में कृषि नीति की घोषणा वर्ष 1999 तक नहीं की गई। कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। भारत में बड़े पैमाने पर खेती पशुओं से की जाती है। भारतीय कृषि में यंत्रीकरण का अभाव है। समय पर और उचित तरीके से जमीन तैयार करने, फसल की कटाई के बाद

के कार्यों तथा एक साथ कई फसलें प्राप्त करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में कृषि संबंधी यंत्र और मशीनें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि हाल ही के वर्षों में खेती बाड़ी में कृषि संबंधी यंत्रों तथा उपकरणों का बड़े पैमाने पर उपयोग होने लगा है। लेकिन यह स्थिति आम तौर पर उत्तर प्रदेश में और सिंचाई की सुविधा वाले कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। जहां तक ट्रैक्टरों का सवाल है। 1992-93 में 1,44,330 ट्रैक्टरों की बिक्री हुई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुल संख्या के 70 प्रतिशत ट्रैक्टर बिके। इसी प्रकार 1992-93 में 8,642 पावर टिलर बेचे गए जिनमें से 81 प्रतिशत असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में बिके। वर्तमान में भारत में 12 लाख से अधिक कुल ट्रैक्टर हैं और पावर टिलर भी 53,000 से अधिक हैं। फिर भी कृषि यंत्रों की दृष्टि से भारत कई एशियाई देशों से भी पीछे है।

(6) सिंचाई के साधनों का अभाव : सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। आजादी के पांच दशक बाद भी किसान सिंचाई के लिए बाढ़ों की ओर देखने को मजबूर हैं। देश में समग्र सिंचित क्षेत्र का अभाव है। समग्र सिंचित क्षेत्र 1991-92 में 7.6 करोड़ हैक्टेयर तथा 1996-97 में 8.9 करोड़ हैक्टेयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना में समग्र सिंचित क्षेत्र भी कम है। समग्र बुआई क्षेत्र 1996-97 में 19.1 करोड़ हैक्टेयर था। समग्र बुआई क्षेत्र की तुलना में समग्र सिंचित क्षेत्र 1991-92 में 41.5 प्रतिशत तथा 1996-97 में 46.9 प्रतिशत था। देश के जल ससाधनों का विकारा और समुचित उपयोग महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1985 में सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल ससाधन मंत्रालय रखा गया तथा सितम्बर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर 32,525.3 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद सिंचाई क्षमता का अपेक्षित विकास नहीं हुआ और जो कुछ सिंचाई क्षमता का विकास हुआ, उसका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। नतीजतन कृषि की दशा में उल्लेखनीय सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं हुई। योजना पूर्व (1951 तक) सिंचाई क्षमता 226 लाख हैक्टेयर वार्षिक थी जो बढ़कर 1992-93 तक 835 लाख हैक्टेयर वार्षिक ही हो सकी। 1992-93 तक सिंचाई क्षमता का उपयोग 751 लाख हैक्टेयर था। स्पष्ट है 10 प्रतिशत सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया गया। देश में वैसे ही सिंचाई सुविधाओं का अभाव है ऐसी स्थिति उपलब्ध सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं किया जाना चिन्ताप्रद बात है।

(7) रासायनिक खाद की कमी : भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर

आधारित है। कृषि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए खाद आवश्यक है। भारत में खाद का नितांत अभाव है। परम्परागत खाद जैसे गोबर को जलाकर राख कर दिया जाता है। रासायनिक खाद का उत्पादन मांग की तुलना में कम है। देश में युआई के समय रासायनिक खाद की किल्लत रहती है। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी होती है। किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदना पड़ता है। राजस्थान में अक्टूबर-नवम्बर 1998 में रबी फसल युआई के समय रासायनिक उर्वरकों का अभाव और उसकी कालाबाजारी के कारण किसानों में आक्रोश था इसका प्रभाव 25 नवम्बर 1998 के राज्य के विधान सभा चुनाव पर पड़ा। वर्ष 1990-91 में उर्वरक उत्पादन 9,045 हजार टन, उर्वरक आयात 2,758 करोड़ रुपए तथा उर्वरक सप्लिडी 4,389 करोड़ रुपए थी। वर्ष 1995-96 में उर्वरक उत्पादन 11,335 हजार टन, उर्वरक आयात 1,935 करोड़ रुपए तथा उर्वरक सप्लिडी 6,235 करोड़ रुपए थी। रासायनिक खाद का उपयोग 1990-91 में 12.5 मिलियन टन तथा 1995-96 में 13.9 मिलियन टन था। भारत की तुलना में प्रति एकड़ रासायनिक खादों का उपयोग इंग्लैण्ड, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैण्ड आदि देशों में कई गुना अधिक होता है।

भारत में रासायनिक उर्वरकों की कमी के साथ उत्तम बीजों व फीटागुणात्मक औषधियों का भी अभाव है। यद्यपि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत काफी पहले की जा चुकी है। किन्तु इसका लाभ सीमित क्षेत्र को ही प्राप्त हो सका है। उत्तम बीजों की उपलब्धि और पौध संरक्षण औषधिया सामान्य किसान की पहुँच से बाहर है।

(8) संगठनात्मक बाधाएँ : स्वतंत्रता से पूर्व भारत की भूमि व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अंग्रेजों के शासन काल में जागीरदारी और जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण भारत की कृषि पिछड़ गई। जागीरदारों तथा जमींदारों ने भारत के किसानों का मनमाफिक शोषण कर के उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि दशकों तक किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो सका। स्वतंत्र भारत में अब जमींदारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है किन्तु इसका परोक्ष प्रभाव आज भी दृष्टिगोचर होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति नहीं मिल सकी। आज भी देश में भूमिहीन किसानों की बहुलता है। कुछ कृषक परिवारों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भूमि की असमानता कृषि विकास में बाधा है। कानूनों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण भूमि सुधार कार्यक्रमों को गति नहीं मिली। भूमि का उपखंडन और उपविभाजन कृषि विकास में बाधक है। भारत के खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो

गए हैं और विभाजन का क्रम जारी है। खेतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में श्रम व पूँजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। भारत में वर्ष 1980-81 में कुल जोतो में 565 प्रतिशत सीमान्त जोतो (एक हैक्टेयर से कम) का, 18 प्रतिशत लघु जोतो (एक से 2 हैक्टेयर तक) का, 14 प्रतिशत अर्द्ध मध्यम जोतो (2 से 4 हैक्टेयर तक) का, 9.1 प्रतिशत मध्यम जोतो (4 से 10 हैक्टेयर तक) का तथा 24 प्रतिशत बड़ी जोतो (10 हैक्टेयर व अधिक) का था। भूमि के उपविभाजन और उपखंडन की बुराई को चकवदी के माध्यम से रोका जाना चाहिए।

(9) सामाजिक कुरीतियों : भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या निरक्षर होने के कारण रूढ़िवादिता में डूबी हुई है। देश का किसान भाग्यवादिता और परम्परागत दृष्टिकोण के कारण खेती के आधुनिकतम तरीकों को नहीं अपनाता है। अधिकतर किसान रीति रिवाजों को निभाने में वित्तीय कठिनाईयों का शिकार हो जाता है। किसान कृषि विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। भारत जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुँच चुका है। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है। बहुत सी जनसंख्या जीवन बसर के लिए कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पाँच दशक पश्चात् भी जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र की अधिक भागीदारी है। प्रोफेसर रमेल के अनुसार भारत में प्रति सौ एकड़ भूमि पर 148 व्यक्ति आश्रित हैं। जबकि पौलेण्ड में 31 व्यक्ति तथा विट्रेन में 6 व्यक्ति ही आश्रित हैं। कृषि विकास के पिछड़ेपन में निम्न उत्पादकता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, अपर्याप्त परिवहन साधन, भण्डारण क्षमता का अभाव, निरक्षरता, ग्रामीण परिवेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव, मूल्यों में उच्चावचन आदि कारण भी बाधक हैं। भारत में कृषि की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण अवसंरचना का विकास आवश्यक है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में अधिक पूँजी निवेश की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में कृषि की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि व संबद्ध क्षेत्र परिव्यय वर्तमान स्तर (4.2%) से दो गुना किया जाना चाहिए।

सन्दर्भ

1. भारत, 1994.

हरित क्रांति में बदलाव की आवश्यकता

भारत में असंख्य गरीब किसानों को हरित क्रांति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला है। हरित क्रांति से पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला है। बड़े किसानों के दबाव में तथा कृषि उत्पादों की बढ़ी लागतों के कारण प्रत्येक वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए जाते हैं। इससे बड़े किसान तो लाभान्वित होते हैं, किन्तु गरीब किसानों की रीढ़ टूट जाती है। उसका खेत तो इतना छोटा है कि कड़ी मेहनत के बावजूद परिवार के वर्ष पर्यन्त उदरपूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन नहीं हो पाता है। उसकी पूर्ति बाजार से खरीद कर पूरी करनी पड़ती है। कृषि उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों की मार गरीबों को सहनी पड़ती है। गरीब किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्नों और उर्वरकों पर सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है तथा समय-समय पर सब्सिडी में बढ़ोतरी भी की गई है। किन्तु सब्सिडी का लाभ गरीब तबकों को नहीं मिला। हरित क्रांति से देश में क्षेत्रीय और आर्थिक विषमता को बढ़ावा मिला है। हरित क्रांति से कुछ ही फसलों का उत्पादन बढ़ा है और बढ़ा हुआ उत्पादन भी विश्व स्तर से पीछे है। हरित क्रांति से समृद्ध क्षेत्रों में और समृद्धि बढ़ी जबकि कृषि विकास की विपुल संभावनाएँ वाले क्षेत्र आज भी प्यासे हैं। स्पष्ट है हरित क्रांति के क्रियान्वयन में खामी रही है। हरित क्रांति को लागू किए जाते समय समूचे देश के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। नतीजतन अनेक क्षेत्रों के किसानों में आक्रोश है तथा वे आन्दोलन की ओर उन्मुख हैं। भारत कृषि प्रधान देश है यहाँ की भौगोलिक स्थिति विविध फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है और उत्पादन होता भी है, किन्तु हरित क्रांति में सर्वोच्च प्राथमिकता गेहूँ के उत्पाद वृद्धि पर ही दी गई। प्राथमिक फसलों पर हरित क्रांति से कम लाभान्वित हुई, इसका विपरीत प्रभाव

अर्थव्यवस्था पर पडा। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी बनी रही इसके अलावा खाद्य तेल का बड़े पैमाने पर आयात जारी है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिस गेहूँ फसल को हरित क्रांति में प्रमुखता से सम्मिलित किया गया है इसके निर्यात की स्थिति में भारत नहीं पहुँच पाया है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय कृषि

विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत की कृषि आज भी बहुत पीछे है। हरित क्रांति की ढेरों विफलताएँ अर्थव्यवस्था में दृष्टिगोचर होती हैं। भारत में हरित क्रांति को लागू किए तीन दशक से अधिक का समय बीत चुका है। किन्तु विश्व के देशों से तुलना करें तो भारत अनेक फसलों के प्रति हैक्टियर उत्पादन के मामले में पिछडा हुआ है। भारत में फसलों का उत्पादन विश्व और एशिया औसत से कम है। भारत फसलों के उत्पादन में जनाधिक्य वाले देश चीन से भी पीछे है। वर्ष 1995 में भारत में चावल का प्रति हैक्टियर औसत उत्पादन 29 क्विंटल था, जबकि विश्व औसत 37 क्विंटल, एशिया औसत 38 क्विंटल, चीन में 60 क्विंटल तथा जापान में 68 क्विंटल था। गेहूँ का प्रति हैक्टियर औसत उत्पादन 25 क्विंटल था जबकि विश्व औसत 25 क्विंटल, एशिया औसत 26 क्विंटल, चीन में 35 क्विंटल तथा जापान में 36 क्विंटल था। भारत ने हरित क्रांति के कारण गेहूँ के प्रति हैक्टियर उत्पादन में विश्व और एशिया के औसत उत्पादन की बराबरी कर ली है। किन्तु चावल का उत्पादन विश्व और एशिया के औसत उत्पादन से कम है। गेहूँ का उत्पादन बढ़ने के कारण भारत में हरित क्रांति को गेहूँ क्रांति के नाम से जाना जाने लगा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी अधिक है जो पिछड़ेपन की स्थिति को दर्शाती है। विश्व के विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निर्माण क्षेत्र की भूमिका अधिक है। विकासशील देशों में कृषि की भूमिका अधिक है और कृषि क्षेत्र में रिचार्ज सुविधाओं का अभाव है। परिणामस्वरूप मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था लडखडा जाती है। वर्ष 1991 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि उत्पादन का योगदान भारत में 31 प्रतिशत, बांग्लादेश में 30 प्रतिशत, केन्या में 29 प्रतिशत, पाकिस्तान में 25 प्रतिशत, जाम्बिया में 34 प्रतिशत था। जबकि मैक्सिको में 8 प्रतिशत ही था। भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन सूचकांक विश्व के अनेक देशों की तुलना में कम है। वर्ष 1978-81 को आधार वर्ष मानते हुए 1991 में भारत में खाद्य उत्पादन सूचकांक 119 था जबकि यह ब्राजील में 132, चीन में 138, इण्डोनेशिया में 135 तथा नेपाल में 127 था। हरित क्रांति लागू होने के बाद भी खाद्य आयात निर्भरता दर अधिक है। वर्ष

1988-90 के दौरान भारत में खाद्य आयात निर्भरता दर 184 प्रतिशत थी जबकि यह अर्जेंटीना में 04 प्रतिशत, ब्राजील में 31 प्रतिशत, चीन में 47 प्रतिशत तथा इण्डोनेशिया में 57 प्रतिशत थी।

सीमित दायरा

हरित क्रांति समूचे देश में लागू नहीं की गई। हरित क्रांति का लाभ केवल ऐसे क्षेत्रों को मिला जहाँ सिंचाई सुविधा पर्याप्त मात्रा में है। हरित क्रांति का लाभ पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों को ही मिला। पिछड़े हुए क्षेत्र आज भी हरित क्रांति के लाभ से वंचित हैं। इसके अलावा हरित क्रांति में कुछ ही फसलों को सम्मिलित किया गया है। हरित क्रांति में गेहूँ उत्पादन वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। नतीजन खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ का भाग बढ़ता गया। प्रति हेक्टेयर गेहूँ उत्पादन में वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन में गेहूँ का भाग 1960-61 में 13.41 प्रतिशत था जो बढ़कर 1991-92 में 33.07 प्रतिशत तक जा पहुँचा। हरित क्रांति "गेहूँ क्रांति" के नाम से चर्चित हुई। हरित क्रांति का थोड़ा लाभ चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का को भी मिला। जबकि हरित क्रांति में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर कम ध्यान दिया गया। भारत में तिलहन, दलहन व वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का अभाव है।

खाद्यान्न आयात

हरित क्रांति के बाद भी भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। मानसून के अनुकूल नहीं होने की दशा में खाद्यान्न अभाव का सामना करना पड़ता है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न का आयात हरित क्रांति की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारत में अनाज और अनाज उत्पाद का आयात 1993-94 में 290 करोड़ रुपये, 1994-95 में 92 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 80 करोड़ रुपये था। हरित क्रांति लागू किए जाने के बाद देश में उन्नत बीज, कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग तीव्रता से बढ़ी है। किन्तु इन पदार्थों का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं बढ़ा। भारत रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर आयात करता है। उर्वरक आयात 1990-91 में 2,758 हजार टन था जो बढ़कर 1995-96 में 4,008 हजार टन तक जा पहुँचा। इसी प्रकार उन्नत बीज व कीटनाशकों का भी देश में अभाव है।

बदलाव की आवश्यकता

हरित क्रांति की अनेक खामियों के बावजूद भारत कृषि की नवीन

व्यूहरचना को आत्मसात करके खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो सका है। भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हरित क्रांति लागू किए जाने से पूर्व 1960-61 में केवल 82 मिलियन टन था जो बढ़कर 1997-98 में 194 मिलियन टन तक जा पहुँचा। आज भारत हरित क्रांति के कारण देश के एक अरब से अधिक लोगों के लिए खाद्यान्न मुहैया कराने की स्थिति में पहुँच सका है। यह कम महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है। किन्तु कृषि प्रधान देश होने के नाते खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता अधिक महत्त्व नहीं रखती। नियोजन काल के पाँच दशक पूरे होने के बाद भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती नहीं दे सकी। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता तो दूर की बात खेत जोतने वाले किसान की माली हालत तक में अपेक्षित सुधार नहीं आया है। ऐसी स्थिति में हरित क्रांति के क्रियान्वयन में कारगर बदलाव की महती आवश्यकता है। गरीब किसान के लाभान्वित हुए बिना हरित क्रांति की प्रासंगिकता नहीं है।

गरीब किसानों को प्रोत्साहन

देश में गरीबी की समस्या विषम है। शहरों की तुलना में गावों में गरीबी अधिक है। भूमिहीन और सीमान्त कृषकों की स्थिति दयनीय है। इन्हें हरित क्रांति का अपेक्षित लाभ नहीं मिला। हरित क्रांति में प्रयास ऐसे होने चाहिए कि गरीब किसान की आर्थिक स्थिति सुधरे। हरित क्रांति में गरीब किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद मुहैया कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीब के खेत में सिंचाई वास्ते पानी पहुँचाने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीबी के कारण बहुसंख्यक किसानों को कृषि सब्धी नवीन तकनीक की जानकारी नहीं होती है। ग्राम पंचायतों में नियुक्त कृषि अधिकारी किसानों की मदद कर सकते हैं। कृषि अधिकारियों को समय-समय पर हरित क्रांति से सम्बन्धित जानकारी किसानों को देनी चाहिए।

सिंचाई सुविधा बिना हरित क्रांति की सफलता सादिग्ध है। भारत में सिंचाई विकास की पिपुल सभाधानाएँ हैं किन्तु सिंचाई विकास को अपेक्षित गति नहीं मिली। विगत वर्षों में मानसून अनुकूल रहा है इससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा है। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायतों में सिंचाई विकास में कारगर भूमिका निभा सकती हैं। गावों में तालाबों के निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। इससे गावों के लोगों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। तालाबों के निर्माण से गावों के लोगों को रोजगार मिलेगा। नतीजन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ गावों के पेयजल सम्बन्धी समस्या भी बड़ी सीमा तक हल हो सकेगी।

देश में छोटी-बड़ी नदियों की कमी नहीं है। अनेक नदियों का पानी बिना उपयोग के बह जाता है। छोटी नदियों के पानी को बाध बनाकर रोका जा सकता है। ग्रामीण विकास पर वर्तमान सरकारों का ध्यान बढ़ा है। बजट में भी ग्रामीण विकास पर परिव्यय में वृद्धि का प्रावधान किया जाने लगा है। गांवों के लिए आवंटित बजट का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास के लिए किया जाना चाहिए। किसानों की खुशी लहलहाती फसलों पर निर्भर करती है। मानसून और नदियों के पानी से कृषिगत उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव किया जा सकता है। किन्तु उपलब्ध सिंचाई सुविधा खामियों से परे नहीं है। नहरों द्वारा सिंचाई में बड़े किसान लाभ उठा ले जाते हैं। नहरों की छोटी शाखाओं द्वारा सिंचाई में आखिरी छोर वाले किसान अनेक बार सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। अतः व्यवस्था ऐसी हो जिससे सभी किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया हो।

कृषि वित्त व्यवस्था

भारत के ग्रामीण परिवेश की गरीबी जगजाहिर है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व ग्रामीण परिवेश में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव था। पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों में बैंक शाखाओं का विस्तार हुआ है। किन्तु बैंकों से ऋण प्राप्ति में भारत का किसान आज भी कठिनाई महसूस करता है। इसका बड़ा कारण किसानों का निरक्षर होना तथा उनकी गरीबी है। इसके अलावा बैंकों की ऋण प्रक्रिया जटिल है। नतीजतन किसान ऋण प्राप्ति में मध्यस्थों के चंगुल में फस जाता है। बैंकों की जटिल प्रक्रिया और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गांवों में आज भी सेठ-साहूकारों का प्रभाव है। देश में सहकारी आन्दोलन को भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किए बिना हरित क्रांति का गति पकड़ना कठिन है। आज किसानों को पग-पग पर वित्त सुविधा की आवश्यकता है। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ होने के बाद गांवों में बैंक शाखाओं का विस्तार थम गया है। इस प्रवृत्ति के चलते निकट भविष्य में ग्रामीण परिवेश में साख सुविधाओं का अभाव उत्पन्न हो सकता है। जिसका प्रभाव ग्रामीण परिवेश पर पड़े बिना नहीं रहेगा। बदले आर्थिक परिवेश में गांवों में कृषि वित्त की अधिक आवश्यकता होगी। कृषि परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि सरकार ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में अपनी भूमिका को कम नहीं करे तथा निजी वित्त को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सहकारी कृषि पर बल

भारत में कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है। जिससे कृषि में

यन्त्रीकरण तथा नवीन तकनीक का कारगर उपयोग नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे 1992 के अनुसार ग्रामीण परिवेश में 11 प्रतिशत परिवार पूर्ण रूप से भूमिहीन हैं और 31 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनके पास 0.2 हैक्टेयर से कम भूमि है अर्थात् 42 प्रतिशत परिवार या तो भूमिहीन हैं या उनके पास 0.2 हैक्टेयर से कम भूमि है। छोटी कृषि जोत वाले किसान सहकारी कृषि को आत्मसात कर हरित क्रांति का लाभ अर्जित कर सकते हैं। सहकारी कृषि में कृषि पडतों का क्रय एवं उपयोग आसान होता है।

रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति

हरित क्रांति की सफलता के लिए उर्वरकों का उपयोग आवश्यक है। देश में उर्वरकों की माग व पूर्ति में अंतराल है। फसलों की बुआई के समय उर्वरकों का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इससे उर्वरकों की कालावाजारी को बल मिलता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है कि देश में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। आज देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर जारी है। निजी क्षेत्र में उर्वरक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित कर उर्वरक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के साथ सरकार द्वारा उर्वरकों के वितरण की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि निर्धन किसान उचित मूल्यों पर रासायनिक उर्वरकों की खरीद कर सकें।

भारत में मिट्टी की विविधता है। हरित क्रांति लागू किए जाने से पूर्व किसान परम्परागत खाद का उपयोग बेहिचक करता था किन्तु कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी लागू किए जाने के बाद किसान की अज्ञानता और निरक्षरता कृषि विकास में बाधा है। आज किसानों को इस बात की जानकारी बहुत कम है कि किस मिट्टी में कौनसी उर्वरक अधिक उपयोगी है। उपयुक्त रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होने पर कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिट्टी की जांच की जानी चाहिए। मिट्टी के जांच की जानकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को दी जानी चाहिए। साथ ही किसानों को यह भी बताया जाना चाहिए कि मिट्टी की किस किसमें कौनसी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग लाभप्रद है। क्षेत्र विशेष की मिट्टी की किस और उर्वरकों के प्रयोग संबंधी जानकारी मीडिया द्वारा प्रचारित की जानी चाहिए। रेडियो और दूरदर्शन द्वारा भी किसानों को अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिए।

ग्रामीण औद्योगीकरण पर बत

ग्रामीण परिवेश में बेरोजगारी की समस्या पहले ही गंभीर थी। हरित

क्रांति लागू किए जाने के बाद यह समस्या और मुखर हो गई। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने से भी बेरोजगारी बढ़ी। यंत्रीकरण के बढ़ने से पहले गावों में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अल्पकालिक अवसर थे। फसलों की कटाई, बुआई, लदान आदि में श्रमिकों को बहुतायत से रोजगार मिलता था। हरित क्रांति से समृद्ध किसानों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है किन्तु गरीबों की दयनीयता बढ़ गई है। ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया किया जा सकता है। गावों में कृषि उत्पादों पर आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा गावों में बड़े उद्योगों की भी स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण औद्योगीकरण के अनेक लाभ दृष्टिगोचर होंगे। सबसे बड़ा लाभ गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन थमेगा। गावों में समृद्धि की लहर दौड़ेगी। गांवों में चहलकदमी बढ़ेगी। गावों में गैर प्रदूषणकारी इकाइयों की स्थापना अधिक हो। प्रदूषणकारी इकाइयों से गावों की हरियाली पीली पड़ सकती है।

गांवों की समृद्धि और गरीबों की खुशहाली में भारत का विकास निहित है। देश के सभी गावों को हरित क्रांति का लाभ मिले तो भारत का कायाकल्प होने में वक्त नहीं मिलेगा।

आर्थिक उदारीकरण का बदलता स्वरूप

भारत स्वतंत्रता के पचास वर्ष पूरे कर चुका है। इन पचास वर्षों में आर्थिक नियोजन की आठ पंचवर्षीय योजनाएँ तथा छह वार्षिक योजनाएँ सम्पन्न हो चुकी हैं। इसमें आर्थिक उदारीकरण के भी दस वर्ष पूरे हो चुके हैं। पंचवर्षीय योजनाएँ और आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ देशवासियों को गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निजात नहीं दे सकी हैं। दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर भारत में हैं। देश भारी विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। आर्थिक उदारीकरण के दौर में सामाजिक विकास का क्षेत्र उपेक्षित है।

भारत में 1996-97 में 29.18 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 30.55 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25.58 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। तत्कालीन योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री राम नाईक के लोक सभा के लिखित उत्तर अनुसार 1993-94 में देश में 32 करोड़ 3 लाख 70 हजार लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। यह संख्या तत्कालीन कुल जनसंख्या का 35.97 प्रतिशत बैठती है। वे लोग गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं, जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम है। भारत में गरीबी का बड़ा कारण बढ़ती बेरोजगारी है। वर्ष 1980 में भारत 1.15 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार थे। बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 1985 में 1.27 करोड़ व्यक्ति, 1992 में 1.70 करोड़ व्यक्ति तथा 1995 में और बढ़कर 1.87 करोड़ व्यक्ति हो गई। बेरोजगारी की दर 1992 में 5.33 प्रतिशत तथा 1995 में 5.51 प्रतिशत थी। भारत में 1995 में रोजगार कार्यालयों की संख्या 895, रोजगार हेतु पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 45841 हजार, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 1733 हजार तथा चालू रजिस्टर में आवेदकों की संख्या 37,7383

हजार थी।

देश में बेरोजगारी की वास्तविक संख्या कहीं अधिक है क्योंकि सभी बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण नहीं कराते हैं। भारत में निरक्षरों की भरमार है। वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या 846 करोड़ थी जिसमें साक्षर 442 करोड़ तथा निरक्षर 404 करोड़ थे। भारत में साक्षरता का प्रतिशत 52.21 है। पुरुष साक्षरता 63.8 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39.4 प्रतिशत है। देश की जनसंख्या में 47.79 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा पर कम व्यय किया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.5 प्रतिशत तथा आठवीं पंचवर्षीय में 3.7 प्रतिशत व्यय किया गया। देश में निरक्षरों की संख्या को देखते हुए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाना चाहिए।

सायुक्त मोर्चा सरकार का कार्यकाल (1996-97 और 1997-98) राजनीतिक अस्थिरता से ओत-प्रोत रहा। फरवरी 1999 में बारहवीं लोक सभा चुनाव सम्पन्न हुए। मार्च 1998 में माजपा गठबंधन सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से अच्छी अर्थव्यवस्था विरासत में नहीं मिली। बारहवीं लोकसभा चुनाव तथा केन्द्र में नई सरकार के सत्तारूढ़ होने के कारण 1998-99 का केन्द्रीय बजट नियत समय पर पेश नहीं किया जा सका। इसके स्थान पर चार माह के खर्च के लिए 25 मार्च 1998 को लोक सभा में अन्तरिम बजट पेश किया गया। 28 मार्च 1998 को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल किया।

नई केन्द्र सरकार ने बिगड़ी अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए निर्यात वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया। इसे दृष्टिगत रखते हुए। सत्कालीन वाणिज्य मन्त्री रामकृष्ण हेगड़े ने 13 अप्रैल, 1998 को सशोधित निर्यात-आयात नीति की घोषणा की, जिसमें 20 प्रतिशत वार्षिक निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। रिजर्व बैंक ने 1998-99 को पहली छमाही की ऋण व मोद्रिक नीति की घोषणा की। नई नीति में बैंक दर में 1 प्रतिशत की कटौती कर उसे 9 प्रतिशत कर दिया गया है। नकद सुरक्षित अनुपात (सी आर आर) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंको को जमा तथा ऋण गतिविधियों के संचालन में ज्यादा आजादी दी गई है। पिछले छह माह से भी कम समय में बैंक दर 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत तक आ गई है। बैंक दर में कमी से व्यावसायिक बैंको की प्रमुख ऋण दरे भी स्वतः कम हो

जाएगी जिससे उद्योगों के लिए कर्ज लेना रास्ता हो जाएगा। अब हर बैंक को मियादी जमाओं के आकार के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश की आजादी रहेगी।

रिजर्व बैंक ने निर्यात के लिए ऋण पुनर्वित्त पूरा सो फीसदी बहाल कर दिया है। इसके साथ ही मियादी जमाओं की न्यूनतम परिपक्वता अवधि भी 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। सशोधित निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा 9 मई 1998 से लागू है। इसके अलावा जहाज दर लदान से पूर्व माल पर दिए जाने वाले 180 दिन तक के निर्यात ऋण की ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर 1998 को वित्त वर्ष (1998-99) की दूसरी छमाही की मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा की। नई नीति में अल्पकालिक उपायों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर कई दूरगामी सिफारिशें की हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संबंध में बैंक ने जोखिम भरी परिसंपत्तियों के मुकाबले न्यूनतम पूंजी का अनुपात वर्तमान 8 प्रतिशत से बढ़ाकर मार्च 2000 तक 9 प्रतिशत करने की घोषणा की। मुद्रा बाजार को और गहरा बनाने तथा बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को ब्याज के उतार-चढ़ाव के जोखिम से निपटने में समर्थ बनाने के लिए 31 अक्टूबर, 1998 से रैंपो के वायदा में हाजिर सौदों यानी रेडी फॉरवर्ड डील पर न्यूनतम अवधि की पाबन्दी खत्म करने की घोषणा की है। नई नीति में बैंक ब्याज दरों, नकद सुरक्षित अनुपात (सी आर. आर.) और रैंपो दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। नई मौद्रिक और ऋण नीति का भारत की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। वर्ष 1998 में विश्व आर्थिक मंदी से ग्रसित था। इससे पूर्व विश्व 1995, 1980 तथा 1990 में भी आर्थिक मंदी की चपेट में था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. विमल जालान के अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर ऊँची थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तुलना में बेहतर थी।

केन्द्र सरकार ने 24 अक्टूबर 1998 को अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नए आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आर्थिक पैकेज की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं - भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के दिशा निर्देशों के तहत कम्पनियों को शेयरों की पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करना, कम्पनियों के आपस में निवेश संबंधी प्रतिबन्धों को हटाना, कम्पनियों के अधिग्रहण के बारे में न्यायाधीश भगवती की सिफारिशों के अनुरूप कम्पनियों को अधिग्रहीत किये जाने वाले शेयरों की सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान

करना, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री के बाद एक महीने में पारदर्शी विनिवेश योजना की घोषणा, बीमा क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को अल्पमत की हिस्सेदारी देना, शेयर बाजारों में कागज रहित डीमैट कारोबार और निपटान की वर्तमान प्रणाली में सुधार, नई कम्पनी अधिनियम और विदेशी मुद्रा प्रवन्ध अधिनियम को शीघ्र पारित करना तथा प्रस्तावित मनी लाँड्रिंग कानून के बारे में उद्योगों के साथ विचार विमर्श, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के वर्तमान (1998) सकट के बावजूद सरकार का पूर्ण समर्थन, देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कन्या कुमारी से कश्मीर और सिल्वर से सौराष्ट्र तक सात हजार किलोमीटर के सड़क नटवर्क पर 28 हजार करोड़ रुपए का निवेश, तीन महीने के भीतर नई दूर संचार नीति, देश के ऐसे पांच शहरों की पहचान जहां शत-प्रतिशत विदेशी निवेश से हवाई अड्डों का निर्माण किया जाए, तेल खोज के लिए नई निविदाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था में परिवर्तन के लिए छह सूत्रीय अवधारणा पत्र को तैयार करना, अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों की कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार कराने का प्रयास करना, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के पुनर्गठन का प्रयास करना, दोषी प्रवर्तकों के खिलाफ तीन माह में दंडात्मक कार्यवाही आदि। सरकार ने 30 अक्टूबर 1998 को बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से करीब 20 हजार मेगावाट क्षमता तक की बिजली घरों की स्थापना के लिए ऊर्जा नीति को मजूरी दी। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की आठ बीमार इकाइयों के करीब ग्यारह हजार कर्मचारियों के लिए रक्षक सेवा निवृत्त योजना के तहत 517 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। केन्द्रीय मन्त्रीमंडल ने बी आई एफ आर की सार्वजनिक क्षेत्र की आठ कम्पनियों को बंद करने और कर्मचारी देयताएँ करने के बाद उन्हें निजी उद्यमियों को बेच देने का फैसला किया गया।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के सशोधित मसौदे में (10 नवम्बर 1998 को पेश) देश की आर्थिक दशा उत्साहजनक नहीं होने के कारण विकास की औसत दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है। गौरवलेख है नौवीं योजना के पहले दो वर्ष (1997-98 और 1998-99) बिना योजना के ही बीत गए। नौवीं योजना दिसम्बर 1998 तक मूल रूप नहीं ले सकी थी। योजना के पहले वर्ष 1997-98 में विकास दर 5.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1998-99 की स्थिति लक्ष्य के अनुरूप नहीं मानी जा रही। योजना के शेष तीन वर्षों में यदि सात प्रतिशत या इससे अधिक की विकास दर पाई जा सकती तभी औसततन 6.5 प्रतिशत विकास दर हासिल की जा सकेगी। विकास दर का लक्ष्य घटाने के बावजूद सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद

द्वारा तय बजटीय समर्थन को जरा का तरा 3,74,000 करोड रुपए रखा है। योजना के संशोधित प्रारूप में अनाज, कृषि, गृह निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ढांचागत सुविधाएँ व सूचना तकनीक आदि क्षेत्रों की ओर विशेष बल दिया गया है। सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। विकास के लिए ऊर्जा आवश्यक है। नई ऊर्जा नीति के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक हजार मेगावाट की तापीय परियोजनाओं तथा 500 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। नई ऊर्जा नीति में 15 अरब डॉलर का पूंजी निवेश होगा इसका उद्देश्य मांग और आपूर्ति के अन्तर को कम करना है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 9 जनवरी 1999 को नौवीं योजना के मसौदे को मंजूरी दी। नौवीं योजना में योजनागत व्यय 8,59,000 करोड रुपए तय किया गया है। वर्तमान केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार (सयुक्त मोर्चा सरकार) द्वारा पेश किए गए नौवीं योजना के मसौदे में बदलाव किया है। योजना राशि में 16,000 करोड रुपए की कटौती की गई है। योजना के अंतिम वर्ष में (2002-03) में राजकोषीय घाटा 41 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मसौदे में वचत दर 261 प्रतिशत, निवेश दर 282 प्रतिशत, चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत, निर्यात वृद्धि लक्ष्य वार्षिक आधार पर 115 प्रतिशत, आयात वृद्धि 122 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद के सदर्थ में कृषि वृद्धि लक्ष्य 39 प्रतिशत, आर्थिक वृद्धि लक्ष्य 65 प्रतिशत निर्धारित किया है। भुगतान संतुलन के मोर्चे पर चालू खाते का घाटा योजना अवधि में 1,59,800 करोड रुपए होगा। नौवीं योजना के मसौदे में प्रधानमंत्री की विशेष कार्ययोजना पर विशेष बल दिया गया है। विशेष कार्ययोजनाओं के पांच क्षेत्रों यथा खाद्य एवं कृषि, ढांचागत विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, जल संसाधन नीति, स्वास्थ्य आवासन एवं शिक्षा के लिए 22,300 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना में अमर्त्य सेन के विचारों के आधार पर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है।

नौवीं योजना में प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना राही दिशा में उठाया गया एक कदम है। किन्तु देश में गरीबी की समस्या जटिल है। विगत वर्षों में राजकीय प्रयासों से आकड़ों के हिसाब से गरीबों की संख्या अवश्य कम हुई है। देश में चहुंओर नजर डालने पर गरीबी का ताण्डव आज भी दृष्टिगोचर होता है। बड़ी संख्या में गरीब दो जून की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है। गरीब लोग बचा-कुचा, सडा-गला भोजन खाने को अभिशप्त है। लोग भीख मांगने को मजबूर हैं। गरीब बच्चे रेल गाड़ियों में झाड़ू लगाकर

पेट भर रह है। लूले-लगड लोग भीख मागतं सब जगह नजर आत है। कडाके की ठड मे लागीं को टिडुरते हुए देखा जा सकता है। गरीबों के पास आवास ता दूर की बात तन टकने के लिए वस्त्र तक नहीं है। खुले आकाश तले लाग रात बिताते हैं। देश के गरीबों के लिए शिक्षा से पहले रांटी की व्यवस्था करनी होगी। जब गरीब को रांटी मिलेगी, उसका पेट भरेगा तं वह सकूल जाने की बात सोचेगा। सरकार लाख कोशिश कर ले, गरीबी दूर किए बिना शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता है। गरीबी ही प्रमुख कारण है आजादी के पचास वर्ष बीत जाने के बाद भी आधी जनसख्या निरक्षर है। भारत को समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले गरीबी पर प्रहार करना होगा। गरीबी कम होने पर शिक्षा का प्रसार होगा, जिससे जनसख्या भी कम हो सकेगी। जनाविक्य कम होने पर देश विकास की राह पकड़ेगा।

केन्द्र सरकार ने 28 दिसम्बर, 1998 को उर्वरक सन्धि में भारी वृद्धि की। देशी फास्फेट पर सन्धि 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,400 रुपए प्रति टन, आयातित फास्फेट पर सन्धि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,400 रुपए प्रति टन, पोटाश पर सन्धि 2,000 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति टन कर दी गई। सरकार के इस निर्णय से सन्धि पर होने वाले खर्च में भारी वृद्धि होगी। उर्वरक सन्धि आर्थिक सुधारों से अछूती है। आर्थिक उदारीकरण के दस वर्षों में केन्द्र सरकार सन्धि जैसे संवेदनशील मसले पर कटौती सवर्धी निर्णय नहीं ले सकी। केन्द्र सरकार के उर्वरक सन्धि में वृद्धि के निर्णय से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। बढ़ता राजकोषीय घाटा सरकार के लिए पहले से ही सरदर्द बना हुआ है। बड़ी उर्वरक सन्धि का लाभ बड़े किसान हड़प ले जाते हैं। देश के गरीबों में बड़ी सख्या भूमिहीन किसानों व सीमान्त कृषकों की है जिनकी भाली हालत खस्ताखल है। बड़ी सख्या में किसानों के पास जोतने के लिए जमीन ही नहीं है, देश में अनेक गरीब किसान तो द्युआ मजदूरों के रूप में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबों को सन्धि का लाभ कहां मिल पाता है उल्टा राजकोषीय घाटे के बढ़ने से बढ़ती हुई महगाई की छपेट में आ जाते हैं। यदि अनावश्यक राजकीय सहायताओं में कमी कर दी जाए तं राजकोषीय घाटा कम होगा इससे मुदास्फीति भी नियंत्रित होगी। महगाई के कम होने का लाभ सब गरीबों को मिलता है।

केन्द्र सरकार का सर्वानरि निर्णय देश की सामरिक सुरक्षा के संदधित रहा। भारत ने मई 1998 में राजस्थान के पोकरण में पांच परमाणु परीक्षण किए। भारत के परमाणु परीक्षणों को लेकर विश्व में दावेला मचा। अमरीका ने आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की तथा विश्व बैंक ने भारत को दी जाने

वाली आर्थिक सहायता स्थगित की। पाकिस्तान ने भी भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद 28 मई, 1998 को परमाणु परीक्षण किए। भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों से रूपए की विनिमय दर में ऐतिहासिक गिरावट आई। परमाणु परीक्षण आच्छादित वातावरण में वित्त मंत्री श्री यशवत सिन्हा ने एक जून 1998 को लोकसभा में 1998-99 का केन्द्रीय बजट पेश किया। केन्द्रीय बजट में कृषि तथा उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। बजट में स्वदेशी उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। किन्तु नई सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो सकी। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 91,025 करोड़ रूपए छोड़ा गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है। यूरिया की बढ़ी हुई कीमते वापस लेने तथा आयात शुल्कों में वृद्धि को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने से राजकोषीय घाटे के और बढ़ने की सम्भावना है। वर्ष 1998-99 के लिये कुल केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,05,187 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है। जो 1997-98 के सशोधित योजना परिव्यय से 29.8 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय आवंटन में आधारभूत संरचना पर विशेष बल दिया गया है। केन्द्र सरकार ने बीमा क्षेत्र को स्वदेशी निजी कम्पनियों के लिए खोल दिया गया है। यह सरकार का उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

26 जून 1998 को नई गठबधन सरकार ने सौ दिन पूरे किए। सौ दिनों में नई सरकार ने कई सांख्यिक कदम उठाए हैं। इनमें कृषि के लिए योजना राशि में 58 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा के लिए 1998-99 के बजट में 50 प्रतिशत वृद्धि, कमजोर वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ष 20 लाख नई आवश्यक इकाइयों का निर्माण, फिल्म व्यवसाय को उद्योग का दर्जा, भारतीय कम्पनियों को भारत से टी वी प्रसारण अपिलिकिंग सुविधा, राजस्व बढ़ाने की सरल, समाधान और सम्मान जैसी योजनाएँ, लघु उद्योगों को अधिक सुविधाएँ, इस्पेक्टर राज की समाप्ति के लिए कदम, सरकारी नौकरी की पात्रता आयु में 2 वर्ष की वृद्धि आदि मुख्य हैं।

परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 1998-99 में अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों में गिरावट थी। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर निराशाजनक भविष्यवाणी की है। वर्ष 1998-99 में छह प्रतिशत से अधिक की निर्धारित वृद्धि दर के लक्ष्य को प्राप्त करने की विफलता; भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक

होगी। विश्व बैंक की नवीन साताना रिपोर्ट के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक नीतियों को लागू नहीं करने और कमजोर औद्योगिक प्रदर्शन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति धीमी हो गई है। पूर्वी एशिया और जापान की निराशाजनक आर्थिक स्थिति का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारत के वर्ष 1998-99 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे को और अधिक कम करने से संबंधित ठोस प्रस्तावों का अभाव था। भारत सरकार ने वैकल्पिक रणनीति के तहत अधिक आवकारी शुल्क, उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की नीति अपनाई गई है जो गलत दिशा में उठाया गया कदम है। भारत यदि 6 प्रतिशत से अधिक की निर्धारित वृद्धि दर प्राप्त नहीं कर सका तो सार्वजनिक क्षेत्र का कुल घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) का 9 प्रतिशत से अधिक बरकरार रह सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष पैदा होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। वित्तीय वर्ष 1997-98 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर धीमी होकर 5 प्रतिशत हो गई जबकि इससे पहले के तीन वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 7.5 प्रतिशत रही थी। इसके लिए कृषि उत्पादन में गिरावट जिम्मेदार थी। वर्ष 1996-97 में गैर कृषि जी. डी. पी. वृद्धि में भी गिरावट शुरू हो गई थी।

वित्त वर्ष 1998-99 में औद्योगीकरण के क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वर्ष 1998-99 में औद्योगिक विकास दर 4 प्रतिशत रही। हालांकि प्रारम्भ में इसके करीब 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के चलते ऐसा नहीं हो सका। मौजूदा वित्त वर्ष 1999-2000 के अप्रैल से दिसम्बर में औद्योगिक विकास की दर 6.2 प्रतिशत रही। महत्वपूर्ण कदम उठाने के बावजूद औद्योगिक विकास दर बढ़ नहीं सकी।

निर्यात के क्षेत्र में भारत की स्थिति दयनीय हो गई है। व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि चिन्ताप्रद है। अप्रैल-अक्टूबर 1998-99 में निर्यात 18.87 बिलियन डॉलर था जो गत वर्ष इसी समयावधि की तुलना में 5.08 प्रतिशत कम है। आयातों में तीव्र वृद्धि हुई। अप्रैल-अक्टूबर 1998-99 में आयात 24.67 बिलियन डॉलर था जो गत वर्ष इसी समयावधि की तुलना में 9.35 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-अक्टूबर 1998-99 में व्यापार घाटा 5.76 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा जबकि पिछले वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 1997-98) यह 2.67 बिलियन डॉलर ही था।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू ई. एफ.) के प्रबन्ध निदेशक क्लॉड रानादजा ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) और आर्थिक मंच

द्वारा सयुक्त रूप से आयोजित आर्थिक बैठक में भारतीय अर्थव्यवस्था की निराशाजनक तस्वीर पेश की। चालू वित्त वर्ष (1998-99) में भारत का वित्तीय घाटा अनुमानित 5-6 प्रतिशत के मुकाबले 7 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है। सरकार के लिए सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री का लक्ष्य पाना भी संभव नहीं लगता है। भारत में उत्पादित विजली का 40 प्रतिशत हिस्सा ऐसे लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है जो इसके बदले कोई शुल्क नहीं देते हैं। कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में चहुँओर गिरावट की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। सामाजिक विकास के क्षेत्र की स्थिति तो और भी दयनीय है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी देश की दयनीय सामाजिक विकास यथा निरक्षरता, अस्वस्थता, निर्धनता आदि की स्थिति पर चिन्ता प्रकट की है। भारत की आर्थिक और सामाजिक विकास की दशक सुधारने के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने की आवश्यकता है। योजनाओं का कुशल क्रियान्वयन बेहद जरूरी है।

भारत में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों की बहुलता है। यहाँ विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। किन्तु कोई देश महज प्राकृतिक संसाधनों के बूते पर तीव्र विकास नहीं कर सकता है। तीव्र विकास के लिए मानव संसाधन के बेहतर प्रबन्धन की आवश्यकता है। भारत में मानव संसाधन के प्रबन्ध का अभाव है जिससे भारत में विकास की गति धीमी है। भारत में आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं किन्तु भारत के गरीब और ग्रामीण अंचल आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव से दूर हैं। शहरी जनसंख्या का थोड़ा भाग ही उदारीकरण से जुड़ पाया है। आर्थिक उदारीकरण के कारण 1998-99 में अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों में अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। अप्रैल-अक्टूबर 1998-99 में राजस्व व्यय में 28.5 प्रतिशत वृद्धि, राजस्व आय में केवल 11.7 प्रतिशत वृद्धि, सकल व्यय में 29 प्रतिशत वृद्धि, विनिवेश से आय केवल 225 करोड़ रूपए, औद्योगिक उत्पादन मात्र 3.6 प्रतिशत वृद्धि, वित्तीय घाटा 7 प्रतिशत से कम, जी. डी. पी वृद्धि 6 प्रतिशत से कम, करो से आय में केवल 8.6 प्रतिशत वृद्धि हुई। भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आर्थिक उदारीकरण को गति दी जानी चाहिए। आर्थिक उदारीकरण के मामले में विश्व के देशों का अनुभव नहीं करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था में आन्तरिक मजबूती है। हमें किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक सुधारों को सहजता से लागू किया जाना चाहिए। आर्थिक उदारीकरण का लाभ गरीब, अनपढ़ और बेरोजगारों को भी मिलना चाहिए। इसके अभाव में नवीन आर्थिक संरचना की भारतीय परिप्रेक्ष्य

में प्रासंगिकता नहीं है।

संशोधित निर्यात-आयात नीति और विदेशी व्यापार

बीसवीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में विश्व के अनेक देश आर्थिक संक्रमण के दौर से गुजरे। अधिकतर देशों ने आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। आर्थिक सुधारों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। विगत वर्षों में मैक्सिको, संकट, रूस का विघटन आदि घटनाएँ चर्चित रही। नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों के कारण दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश "एशियन टाईगर" के रूप में उभरे किन्तु शीघ्र ही इन देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक हो गई। इण्डोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड आदि देशों की मुद्राओं का अभूतपूर्व अवमूल्यन हुआ। आर्थिक रूप से मजबूत जापान की मुद्रा "येन" का भी अवमूल्यन हुआ। वर्ष 1998-99 में विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में रहा।

विश्व के प्रायः सभी देशों ने आर्थिक सुधारों को न्यूनाधिक रूप से लागू किया। भारत ने भी विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करने वास्ते 1991-92 से आर्थिक सुधारों को लागू किया। भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किए एक दशक पूरा हो चुका है। इस दौरान अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के प्रारम्भिक पाच वर्षों में राजनीतिक स्थायित्व के कारण आर्थिक सुधारों को तीव्र गति मिली, किन्तु बाद के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति रही, बार-बार केन्द्र में सरकारें बदलीं नतीजतन आर्थिक सुधारों की गति प्रभावित हुई। किन्तु महत्वपूर्ण बात यह रही कि केन्द्र में सत्तारूढ़ सभी राजनीतिक पार्टियों ने आर्थिक सुधारों को गति दी। भारत में आर्थिक सुधारों को गूँझ-बूझ के साथ लागू किया गया। आर्थिक सुधारों के लागू करने के मामले में राष्ट्र विशेष के दबाव में भी भारत नहीं रहा। इसकी सुखद परिणति यह रही कि भारत की अर्थव्यवस्था मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों की भांति नहीं बिगड़ी।

आर्थिक सुधारों जनित विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर अवश्य पड़ा है। कारणगर् प्रयासों के बावजूद भारत के निर्यातों में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। निर्यात में विफलता के कारण सरकार ने 1999-2000 के लिए निर्यात वृद्धि लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। गौरतलब है, वर्ष 1998-99 के लिए 20 प्रतिशत निर्यात वृद्धि का लक्ष्य रखा गया जबकि निर्यात वृद्धि दर अप्रैल-जनवरी 1998-99 में केवल 0.41 प्रतिशत रही। निर्यातों के नहीं बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था को संकट की स्थिति का

सामना करना पड़ सकता है। भारत का निर्यात 1995-96 में 1,06,353 करोड़ रुपए, 1996-97 में 1,18,817 करोड़ रुपए, 1997-98 में 1,26,286 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 1,01,550 करोड़ रुपए था। निर्यातों की तुलना में आयात अधिक बढ़े। आयात 1995-96 में 1,22,678 करोड़ रुपए, 1996-97 में 1,38,920 करोड़ रुपए, 1997-98 में 1,51,553 करोड़ रुपए तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 1,32,447 करोड़ रुपए (प्राविजनल) था। हाल के वर्षों में व्यापार घाटे ने विगत सभी वर्षों के व्यापार घाटे के रिकार्ड तोड़ दिए। व्यापार घाटा 1996-97 में 20,103 करोड़ रुपए, 1997-98 में 25,268 करोड़ रुपए (प्राविजनल) तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 30,597 करोड़ रुपए (प्राविजनल) रहा। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में निर्यात वृद्धि दर केवल 11.7 प्रतिशत थी जबकि आयात वृद्धि दर 23.2 प्रतिशत थी। डॉलर में भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति और भी दयनीय है। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में निर्यात 24,287 मिलियन डॉलर, आयात 31,583 मिलियन डॉलर तथा व्यापार घाटा 7,296 मिलियन डॉलर था। इसी अवधि में निर्यात वृद्धि दर ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत तथा आयात वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत थी।

निर्यात आयात और व्यापार घाटा

(मिलियन डॉलर)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार घाटा	निर्यात वृद्धि दर	आयात वृद्धि दर
1995-96	31797	36670	-4881	20.7	28.0
1996-97	33470	39133	-5663	5.3	6.7
1997-98	35006	41484	-6478	4.6	6.0
1998-99 (प्र.)	33659	41858	-8199	-3.9	0.9
1999-2000 (अप्रैल-दिस.)	27419	34458	-7039	12.9	9.0

स्रोत. इन्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, 1999-2000, एस-82.

निर्यातों के तेजी से नहीं बढ़ने के कारण विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी घटी है। वर्ष 1996 में विश्व निर्यात 50,82,220 मिलियन डॉलर था जिसमें भारत का निर्यात 33,470 मिलियन डॉलर था। विश्व निर्यात में भारत का भाग केवल 0.7 प्रतिशत था। निर्यातों के आयातों की तुलना में तेजी से नहीं बढ़ने के कारण व्यापार घाटा बेतहाशा बढ़ा। इससे विदेशी मुद्रा

भण्डार पर दबाव बढ़ा है। यद्यपि वर्तमान में विदेशी मुद्रा भण्डार सततोपग्रद स्थिति में है। जनवरी 2000 में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 31,941 मिलियन डॉलर था। निकट भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमते बढ़ने की संभावना है। भारत तेल का बड़ा आयातक देश है। तेल की कीमते बढ़ने से तेल पूल घटा और बढ़ेगा।

भारत से निर्यातों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर निर्यात-आयात नीति की घोषणा की गई। नियोजन काल के प्रारम्भिक वर्षों में निर्यात-आयात नीति की घोषणा वार्षिक आधार पर की जाती थी। "एक्विजम नीति" की वार्षिक आधार पर घोषणा से निर्यातको व आयातको में अनिश्चितता बनी रहती थी। नब्बे के दशक में पंचवर्षीय एक्विजम नीति की घोषणा की जाने लगी। केन्द्र सरकार ने 1997 में निर्यात-आयात नीति (एक्विजम नीति) 1997-2002 की घोषणा की। इस पंचवर्षीय एक्विजम नीति में 13 अप्रैल 1998 को महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की। नीति में परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य निर्यात वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में आई गिरावट को रोकना था। हाल ही 31 मार्च 1999 को तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रामकृष्ण हेगडे ने 1999-2000 के लिए संशोधित निर्यात-आयात नीति की घोषणा की। इसमें विदेशी व्यापार संबंधी अनेक नीतिगत कदम उठाए गए हैं। विदेशी व्यापार में उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 894 मदे को आयात की मुक्त सूची में रखने और 414 अन्य मदों को विशेष आयात लाइसेंस सूची में रखने का फैसला किया गया है। अब केवल 667 मदे ही प्रतिबंधित सूची में बची हैं। गौरतलब है कि 1997 में 2,714 वस्तुएं प्रतिबंधित सूची में थी। प्रतिबंधित सूची के घटने का प्रभाव स्वदेशी उद्योगों पर पड़ेगा। भारतीय उद्योगों की स्थिति पहले ही दयनीय है। उनमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम है। भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

निर्यातों के मोर्चे पर स्थिति को सुधारने के लिए सभी निर्यात प्रसस्करण क्षेत्रों को मौजूदा विश्व व्यवस्था के अनुसार मुक्त व्यापार क्षेत्रों में बदल दिया जाएगा। इसके अलावा नीति में ग्रीन कार्ड, स्वर्णिम स्तर प्रमाण पत्र, अग्रिम लाइसेंस आदि का प्रावधान किया गया है। उत्पादन का 50 प्रतिशत या कम से कम एक करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्यात करने वाले निर्यातकों को सुविधाएं देने लिए "ग्रीन कार्ड" जारी किया जाएगा। जिन निर्यातकों ने निर्यात घरानों, व्यापार घरानों, स्टार व्यापार घरानों, सुपर व्यापार घरानों का दर्जा लगातार तीन वर्षों तक प्राप्त कर लिया है उन्हें स्वर्णिम स्तर प्रमाण पत्र दिया जायेगा जिससे वे ऐसा स्तर प्राप्त करने पर

मिलने वाले लाभ निरन्तर प्राप्त करने के हकदार होंगे। चाहे बाद के वर्षों में उनका निर्यात निष्पादन कम ही क्यों न हो। एक करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले निर्यात घरानों और विनिर्माताओं को वार्षिक अग्रिम लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया गया है।

संशोधित एक्विजिशन नीति में ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक योजना (डी. ई. पी. बी.) तथा एक्सपोर्ट प्रमोशन क्रेडिट गुड्स (ई पी. सी जी.) में भी परिवर्तन किया गया है। पिछले वर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर निर्यात पूर्व डी. ई. पी. बी. क्रेडिट व हकदारी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। रसायन प्लास्टिक और कपड़ा क्षेत्रों में निर्यात संवर्द्धन के लिए ई पी सी जी योजना के लिए प्रारम्भिक सीमा 20 करोड़ से घटाकर एक करोड़ रुपए कर दी गई। नई संशोधित निर्यात आयात नीति 1 अप्रैल 1999 से लागू हो गई है।

संशोधित एक्विजिशन नीति आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ा हुआ कदम है। इसमें किए गए परिवर्तनों से निर्यातों में वृद्धि की आशा की जाती है। विगत वर्षों में रुपए के निरन्तर अवमूल्यन के बावजूद निर्यातों में वृद्धि नहीं होना चिन्ताप्रद बात है। इसका कारण अनेक देशों का आर्थिक संकट से नहीं उभर पाना रहा। दूसरे देशों की मुद्राओं के अवमूल्यन के कारण रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव फीका पड़ा। हाल के दिनों में (1998-99) निर्यातों में धीमी वृद्धि भारत की जटिल समस्या है। निर्यातों में वृद्धि के लिए निर्यात संवर्द्धन पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय उत्पादों को आधुनिकतम तकनीक से सुसज्जित किया जाना चाहिए। उत्पाद की कम कीमत और उच्च किस्म से निर्यातों को गति दी जा सकती है।

सन्दर्भ

1. कुरुक्षेत्र, मई 1998.
2. वार्षिक रिपोर्ट, 1996-97, श्रम मंत्रालय भारत सरकार।
3. दी इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1998

विश्व व्यापार संगठन का भारतीय कृषि पर प्रभाव

हाल ही के वर्षों में विश्व व्यापार संगठन का आविर्भाव विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक घटना है। विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव पड़ने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन गैट की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त और व्यापक संगठन है। वर्ष 1948 में स्थापित गैट का कार्यक्षेत्र वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उसके विस्तार में आने वाली बाधाओं को कम करने तक सीमित था। नव स्थापित (1995) विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के व्यापार का भी नियमन करेगा। इससे बैंकिंग व बीमा संबंधी सेवाओं का विश्वव्यापी विस्तार होगा। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा करेगा। इसके द्वारा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड ब्राण्ड धारकों के हितों की रक्षा की जाएगी। कृषि और कपड़े का व्यापार भी विश्व व्यापार संगठन के दायरे में सम्मिलित हो गया है। कपड़े का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी बहुतलु समझौता वर्ष 2005 में चरणों में समाप्त हो जायेगा।

कृषिगत वस्तुओं के व्यापार को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विश्व व्यापार संगठन का भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विश्व व्यापार संगठन से कृषि के प्रभावित होने की संभावना है।

कृषि सब्सिडी

विश्व व्यापार सगठन से भारत द्वारा कृषि सबधी नीतियों के पालन और कार्यक्रमों के अमल में कोई बाधा नहीं पहुचती है। कृषि सबधी समझौते में जिन अनुशासनों की व्यवस्था है उनमें से कोई भी देश की विकास विषयक योजनाओं पर लागू नहीं होता। कृषि से सबधित आर्थिक सहायता (कृषि सब्सिडी) (उत्पाद-उन्मुख आर्थिक सहायता और उत्पादेत्तर दोनों) की सीमा इतनी ऊची रखी गई है कि उस सीमा को पार करना तो दूर उस सीमा तक भारत के पहुचने की भी कोई सभावना नहीं है।

कृषि सब्सिडी की सीमा कृषि उत्पादन मूल्य के विकासशील देशों के लिए 10 प्रतिशत तथा विकसित देशों के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। विकासशील देशों को कृषि सब्सिडी में तभी कमी करनी होगी, अगर उनकी कृषि सब्सिडी कृषि उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हो। इस दृष्टि से भारत को कृषि सब्सिडी में कमी करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भारत में दोनों तरह की कृषि सब्सिडी का जोड़ 10 प्रतिशत से कम है। यह 7 प्रतिशत (अनुमानित) के आसपास है। यदि भारत चाहे तो कृषि सब्सिडी में वृद्धि कर सकता है। अतः यह आशंका निराधार है कि विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व में आने से और डकल प्रस्तावों की स्वीकृति से कृषि सब्सिडी में कमी होगी। इसके विपरीत विकसित देशों को कृषि सब्सिडी में कमी करनी होगी क्योंकि विकसित देशों द्वारा दी जा रही कृषि सब्सिडी कृषि उत्पाद मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है। विकसित राष्ट्रों द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी करने से विकासशील राष्ट्रों को लाभ होगा।

किसानों द्वारा बीजों की बिक्री।

किसान को सुविधित किस्म के किसी भी किस्म के फलतू बीजों का दूसरे किसानों के साथ विनिमय करने की पूरी छूट होगी। किसान को अपने उत्पादन का मनमाफिक उपयोग की पूरी स्वतंत्रता होगी। सरकारी सस्थाए बीजों का विकास करती रहेगी। किसान को इन बीजों का मनचाहा उपयोग करने की पूरी छूट होगी।

बीजों के सद्घ में महत्वपूर्ण बात यह है कि खानगी तौर पर अनुसंधान करके विकसित बीज भी उपलब्ध रहेंगे लेकिन किसानों को इस कोटि के बीज खरीदने की कोई मजबूरी नहीं होगी। इसके अलावा उन्हें एक फसल के बीजों को अगली फसल के लिए बचाकर रखने की आजादी होगी। एकमात्र प्रतिबन्ध अनुसंधान करके विकसित बीजों के बारे में होगा कि किसान को इस तरह के बीज स्वयं पैदा करके बेचने का खुला अधिकार नहीं

होगा। इराके लिए उरो उस बीज के आविष्कार करने वाले की अनुमति लेनी होगी।

भारतीय किराने पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीज खरीदने का कोई बन्धन नहीं है। विश्व व्यापार सगठन के अस्तित्व में आने से पूर्व भी बीजों के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं था। बीजों का आयात आज भी बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। गौरतलब है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पारा उन्नत किस्म के बीज हैं जिनके उपयोग से कृषिगत उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि की जा सकती है। उत्कृष्ट किस्म के बीज की सहज उपलब्धता स्वयं भारतीय किराने के हक में है। भारत में भी कृषि अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। भारत में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि अनुसंधान केन्द्र बीजों की नई किस्म विकसित करने के लिए प्रयत्नरत हैं। किरानों को उन्नत बीज बेरोकटोक उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कृषि निर्यात में वृद्धि

विश्व व्यापार सगठन की सदस्यता से भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा होगी। अब तक औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा अधिक सब्सिडी के कारण कृषि उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकृत अवस्था में था। गैट समझौते के कारण औद्योगिक राष्ट्रों को कृषि सब्सिडी कम करनी पड़ेगी और दूसरे देशों के कृषि उत्पादों के लिए अपने द्वार खोलने पड़ेगे। इससे भारत सरीखे कृषि प्रधान देश अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आ जाएंगे। विश्व बाजार में कृषि प्रधान देशों के कृषि उत्पाद तथा कृषि उत्पादों से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं की अधिक खपत होगी। औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा सब्सिडी कम करने के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होगी इससे भारत के किराने निर्यात द्वारा उत्पादों के ऊँचे दाम प्राप्त कर सकेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खतरा नहीं

भारत में गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा उचित दर की दुकानों द्वारा बेचे जा रहे खाद्यान्नों को मिलने वाली सहायता में कोई कमी नहीं की जाएगी। सरकार गरीबों की सहायता के लिए पूर्व की भाँति खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, भंडारण और विक्री करती रहेगी।

खाद्यान्न आयात

गैट समझौते में खाद्यान्न व्यापार के लिए मंडी खोलने की व्यवस्था है। इराके अन्तर्गत घरेलू आवश्यकता नहीं होने पर भी खाद्यान्नों का न्यूनतम

आयात करना होगा। गैट समझौता लागू होने के पहले वर्ष में सदस्य देश को खाद्यान्न के घरेलू उपयोग का न्यूनतम 2 प्रतिशत आयात करना होगा। जो दस वर्ष के अन्त तक 3.33 प्रतिशत तक होगा। लेकिन यह व्यवस्था उन देशों पर लागू नहीं होगी जो भुगतान सन्तुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिन्होंने वस्तुओं के आयात पर मात्रा सबंधी प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। भुगतान सन्तुलन के मोर्चे पर सकट का सामना कर रहे विकासशील देशों ने विदेशी मुद्रा का खर्च रोकने के लिए आयात पर मात्रा सबंधी प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। गैट समझौते के बाद भारत को विदेशों से आयातित खाद्यान्न पर आयात शुल्क लगाने का अधिकार है। ये आयात शुल्क खाद्यान्नों पर 100 प्रतिशत, खाद्य ससाधित वस्तुओं पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत के आस-पात होंगे। ऊँचे आयात शुल्कों की अदायगी के बाद देशी मंडियों में आयातित खाद्यान्न के भाव बहुत अधिक हो जाएंगे। अतः यह आशका निराधार है कि गैट समझौते के बाद देश में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का आयात होगा। गैट समझौते के बाद कुछ देशों यथा जापान, कोरिया को खाद्यान्नों के आयात के लिए अपने बाजार खोलने पड़ेंगे।

निर्यात सन्धि

गैट समझौते के प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में दी जाने वाली निर्यात सन्धि में कटौती का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत निर्यात सन्धि में कटौती बजट परियोजना तथा मात्रा को ध्यान में रखकर निर्धारित करनी होगी। निर्यात सन्धि में बजट परियोजना और मात्रा में 6 वर्ष की अवधि (1993-1999) में क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कटौती करनी होगी। वर्ष 1994 में अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच यह सहमति हुई कि मात्राओं के रूप में कटौती की प्रतिबद्धता 24 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत कर दी जाएगी। विकासशील देशों को आन्तरिक परिवहन और निर्यातों पर माल भाड़े की वचनबद्धताओं से मुक्त रखा गया है। भारत में निर्यात सन्धि संबंधी ऐसी कोई अनुदान नीति नहीं है जिसमें ऐसी कोई सूची हो जिसमें कटौती की वचनबद्धता को लागू किया जाए। भारत विदेशी विनिमय संकट के कारण निर्यात सन्धि का लाभ उठाता रहेगा। व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकार की रक्षा

डंकल प्रस्तावों की बुनियादी जरूरत यह है कि तकनीक के हर विभाग में किए जा रहे आविष्कारों का पेटेंट कराना होगा जिसका उपयोग अनुमति व अनुबन्ध अन्तर्गत रॉयल्टी चुकाने पर ही करने तथा दुरुपयोग पर रोक की शर्त है। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष तक मानी गई है। अनिवार्य

लाईसेंस प्रणाली की जो कड़ी शर्त है उनकी वजह से सीधे स्वतः लाईसेंस देने का नियम निरस्त हो जाता है।

पौधों की प्रजातियों के मामले में अन्य सिद्धांतों को अपनाया जायेगा। इस संबंध में सदस्य देशों को दो विकल्प दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैं -

1. समझौता करने वाले देश पौध किरम की रक्षा पेटेंट से कर सकते हैं अथवा
2. "स्वे जेनेरिस" व्यवस्था से अथवा दोनों को मिलाकर कर सकते हैं।

अगर पौधों की किस्में पेटेंट से सरक्षित की जाती हैं तो सरक्षित बीज की खरीद करने वाला किसान अपनी उपज से अगली फसल के लिए बीज नहीं रख सकता है। "स्वे जेनेरिस" व्यवस्था में किसान अपनी उपज के एक भाग को अगली फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्वे जेनेरिस व्यवस्था पेटेंट से पृथक् है। स्वे जेनेरिस सरक्षण का अर्थ पेटेंट जैसी प्रणाली से अलग किसी अन्य व्यवस्था से बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करना है।

सारतः विश्व व्यापार संगठन के कारण भारत की कृषि पर फिलहाल विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। गैट समझौता लागू होने के बाद कृषि सब्सिडी में कमी नहीं होगी। औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी करने से भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ने की संभावना है। भारत को खाद्यान्नों के आयात के लिए मंडियों के द्वार नहीं खोलने पड़ेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गैट व्यवस्था का कोई असर नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए पूर्ण की भांति खाद्यान्न भंडार बनाए जाएंगे। भारत द्वारा स्वे जेनेरिस प्रणाली आत्मसात करने के कारण किसान अपनी फसल से अगली फसल के लिए बीज रख सकेंगे, उसकी अदला-बदली कर सकेंगे और फाततू बीज बेच सकेंगे।

सजग रहने की जरूरत

विश्व व्यापार संगठन के कारण भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। गैट समझौते के कारण घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। भारत की तकनीक अनेक क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। हाल ही के वर्षों में भी भारत विश्व व्यापार संगठन के कारण उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने में सफल नहीं हो सका है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुए पांच वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। भारत की विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण करते समय खाद्यान्न

निर्यात और भारत से निर्यात वृद्धि की राभावना व्यक्त की जा रही थी किन्तु गत पाच वर्षों (1995-2000) में निर्यात के मोर्चे पर अपेक्षित सफलता नहीं मिली। गैट समझौते के तहत विकसित राष्ट्र को कृषि सब्सिडी में कमी करनी पड़ेगी इससे उनका कृषिगत उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होगा। भारत सरीखे विकासशील राष्ट्र कृषिगत निर्यातों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होंगे। किन्तु भारत जनाधिक्य वाला देश है और अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है और कृषि क्षेत्र में काम ली जाने वाली तकनीक विकसित देशों की तुलना में कमजोर है। देश में प्रति वर्ष जितना खाद्य उत्पादन होता है, तीव्रता से बढी हुई जनसंख्या हड़प कर जाती है। बढती जनसंख्या और कृषि के पिछडेपन के रहते हुए भारत विश्व व्यापार संगठन के कारण हाल ही उत्पन्न हुई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है। इस बात की पुष्टि गत दो वर्षों (1997-98 तथा 1998-99) के निर्यात आकड़ों से सहज हो जाती है। भारत की निर्यात वृद्धि दर (डॉलर में) 1997-98 में 1.5 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 2.9 प्रतिशत थी। कृषि और संबद्ध वस्तुओं की डॉलर में निर्यात वृद्धि दर 1997-98 में ऋणात्मक 5.6 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में ऋणात्मक 6.4 प्रतिशत थी। अतः विश्व व्यापार संगठन के कारण भारत को बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कड़ी प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ बनाये जाने की आवश्यकता है। देश में शोध और अनुसंधान को बढावा देकर उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बखूबी मुकाबला किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1 योजना, 15 जुलाई 1994

परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य

भारत सांस्कृतिक विरासत और विविधताओं के कारण दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत ने स्वातन्त्र्योत्तर पचास वर्षों में बहुआयामी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। वर्तमान में भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व के औद्योगिक देशों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जनहित में प्रकृति पर विजय पाने हेतु अंतरिक्ष में जाने वाले देशों में भारत का छठा स्थान है। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है। भौगोलिक रूप से भारत का क्षेत्रफल 31 मार्च 1982 को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर है। इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट की कुल लम्बाई 7,517 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है। जनसंख्या और क्षेत्रफल भारत की विशालता के परिचायक हैं।

राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

राष्ट्रीय आय सामान्य रूप से देश में निवास करने वाले नागरिकों द्वारा उत्पादन के साधनों से अर्जित वह आय है जिसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं घटाए गए हैं। यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की उत्पादन-लागत के बराबर होती है। भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 में मूल्यों पर 1,29,392 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 1,93,222 करोड़ रुपए हो गई। भारत की राष्ट्रीय आय में 1983-84 से 1992-93 के बीच 9 वर्षों में 49.3

प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय 1983-84 में 1,66,550 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1992-93 में 5,44,935 करोड़ रुपए हो गयी। वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में 1983-84 से 1992-93 तक के 9 वर्षों में 227 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नई श्रृंखला (आधार वर्ष 1993-94) के अनुसार साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय (राष्ट्रीय उत्पाद) चालू मूल्यों पर 1997-98 में 12,65,167 करोड़ रुपए तथा स्थिर मूल्यों पर 9,26,420 करोड़ रुपए था। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर विकासशील राष्ट्रों से भी कम है। प्रति व्यक्ति आय कम ही नहीं अपितु इसकी वृद्धि धीमी एवं अनियमित है। प्रति व्यक्ति आय कम होने का प्रमुख कारण तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या है। भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष 1980-81 के मूल्यों पर 1950-51 में 1,127 रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 2,222 रुपए, 1991-92 में घटकर 2,175 रुपए तथा 1992-93 में थोड़ा बढ़कर 2,243 रुपए हो गया। नयी श्रृंखला 1993-94 आधार वर्ष के मूल्यों के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 1993-94 में 7,902 रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 13,193 रुपए (त्वरित अनुमान) हो गया।

चालू मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में 17.1 प्रतिशत तथा 1997-98 में 10.9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में 14.7 प्रतिशत तथा 1997-98 में 9 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) थी। स्थिर कीमतों पर 1997-98 में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर 3 प्रतिशत थी।

सकल घरेलू उत्पाद

सकल घरेलू उत्पाद 1993-94 के मूल्यों पर 1995-96 में 926.4 हजार करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1997-98 में 1,049.2 हजार करोड़ रुपए (त्वरित अनुमान) तथा 1998-99 में 1,110 हजार करोड़ रुपए (अग्रिम अनुमान) हो गया। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1995-96 में 7.6 प्रतिशत थी जो 1997-98 में घटकर 5.0 प्रतिशत (त्वरित अनुमान) रह गई। वर्ष 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी। नियोजन काल में कई बार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1 प्रतिशत अथवा ऋणात्मक रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1957-58 में ऋणात्मक 1.2 प्रतिशत, 1965-66 में ऋणात्मक 3.7 प्रतिशत 1966-67 में 1 प्रतिशत, 1971-72 में 1 प्रतिशत, 1972-73 में ऋणात्मक 0.3 प्रतिशत, 1979-80 में ऋणात्मक 5.2 प्रतिशत थी। वर्ष 1965 तथा 1971 में भारत एक शुद्ध वर

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पडा। आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ में खाडी युद्ध जनित आर्थिक सकट के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991-92 में 0.8 प्रतिशत रही। स्वातंत्र्योत्तर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 1988-89 में 10.6 प्रतिशत उल्लेखनीय रही। इससे पूर्व सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1983-84 में 8.2 प्रतिशत तथा 1967-68 में 8.1 प्रतिशत रही थी। वर्ष 1975-76 में भी घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9 प्रतिशत उत्साहवर्द्धक थी।

वार्षिक विकास दर

औसत घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1970-1980 के बीच 3.2 प्रतिशत तथा 1980-1995 के बीच 5.5 प्रतिशत थी। भारत आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से कई एशियाई देशों से पिछडा हुआ है। औसत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1980-1995 के बीच चीन में 11.1 प्रतिशत, इण्डोनेशिया में 6.6 प्रतिशत, कोरिया में 8.7 प्रतिशत, मलेशिया में 6.4 प्रतिशत तथा थाईलैण्ड में 7.9 प्रतिशत थी जो भारत की 5.6 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक थी। भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक वृद्धि दर उत्साहवर्द्धक नहीं रही। पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक वृद्धि दर के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं में वार्षिक मिश्रित वृद्धि दर इस प्रकार रही - रिथर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर प्रथम योजना में 3.7 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 4.1 प्रतिशत, तृतीय योजना में 2.7 प्रतिशत, तीन वार्षिक योजनाओं (1966-69) में 3.9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना में 3.4 प्रतिशत, पाचवी योजना में 5 प्रतिशत, वार्षिक योजना 1979-80 में ऋणात्मक 4.9 प्रतिशत, छठी योजना में 5.5 प्रतिशत, सातवीं योजना में 5.8 प्रतिशत, दो वार्षिक योजनाओं (1990-92) में 2.9 प्रतिशत तथा आठवीं योजना में 6.8 प्रतिशत थी।

कृषि की प्रधानता

आर्थिक नियोजन के लगभग पचास वर्षों बाद भी अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता बनी हुई है। जनसंख्या का बडा भाग गावों में निवास करता है तथा कृषि आय का मुख्य स्रोत है। राष्ट्रीय आय का अधिक भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसके अलावा निर्यातित आय में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की कारगर भूमिका है किन्तु कृषि अन्य देशों की तुलना में पिछडी है। भारत में कृषि विकास की गति को तेज करने में सफल नहीं हो सकी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के योगदान में भारी कमी आई।

सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 1950-51

में 56.4 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 में 38.1 प्रतिशत तथा 1997-98 में त्वरित अनुमानों में 28.7 प्रतिशत रह गया। निर्यात व्यापार में भी कृषि की भूमिका में बदलाव आया है। निर्यात में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान 1960-61 में 44.2 प्रतिशत था जो घटकर 1995-96 में 19.9 प्रतिशत तथा 1997-98 में घटकर 18.8 प्रतिशत रह गया। खाद्यान्न उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 50.8 मिलियन टन था। आज कृषि देश की विशाल जनसंख्या के लिए खाद्यान्न आपूर्ति में सक्षम है। हाल के वर्षों में खाद्यान्नो का निर्यात भी होने लगा है। वर्ष 1996-97 में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन 199.4 मिलियन टन हुआ। किन्तु खाद्यान्न उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं आ सकी। वर्ष 1997-98 में खाद्यान्न का उत्पादन 192.4 मिलियन टन था जो गत वर्ष की तुलना में 3.5 प्रतिशत कम थी। कृषि उत्पादन वृद्धि दर में भारी उच्चावचन है। कृषि उत्पादन वृद्धि दर 1996-97 में 9.1 प्रतिशत, 1997-98 में ऋणात्मक 6 प्रतिशत तथा 1998-99 में 3.9 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। उर्वरकों का उपयोग बढ़ने से प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ी है। उर्वरकों का उपयोग 1970-71 में 2.2 मिलियन टन था जो बढ़कर 1997-98 में 16.5 मिलियन टन (प्राविजनल) हो गया। खाद्यान्नो का प्रति हैक्टेयर उत्पादन 1960-61 में 710 किलोग्राम से बढ़कर 1997-98 में 1,551 किलोग्राम हो गया। भारत कृषि सभाव्यता का पूरा लाभ नहीं उठा सका है। सिंचाई सुविधाओं का विकास करके कृषि की दशा को बेहतर बनाया जा सकता है।

औद्योगीकरण को प्राथमिकता

अर्थव्यवस्था के कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद 1948 में औद्योगिक नीति की घोषणा की गई किन्तु पचास वर्षों के बाद भी कृषि नीति का आज तक (दिसम्बर 1999) मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। नियोजन काल में उद्योगों को प्राथमिकता देने से भारत की गिनती औद्योगिक विकास की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देशों में की जाती है। नियोजित विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। किन्तु सार्वजनिक उपक्रम विनियोजित पूँजी पर अपेक्षित लाभ अर्जित नहीं कर पाने के कारण ये जनता पर बोझ सिद्ध हुए। वर्ष 1996-97 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 236, विनियोजित पूँजी 2,020.2 बिलियन रुपए, सकल लाभ 305.7 बिलियन रुपए, कर पश्चात् लाभ 154.7 बिलियन रुपए था। सार्वजनिक उपक्रमों में 1996-97 में विनियोजित पूँजी पर सकल लाभ 15.1 प्रतिशत तथा शुद्ध पूँजी (Net Worth) पर कर पश्चात् लाभ 9.4 प्रतिशत था। आज आर्थिक उदारीकरण में सार्वजनिक

उपक्रमो मे विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 1991 की औद्योगिक गति से अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेशको के लिए खोल दिए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों मे उदारीकरण की नीतियों के कारण विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मे वृद्धि हुई है। भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 1991 मे 351 करोड रुपए था जो बढ़कर 1995 मे 6,820 करोड रुपए तथा 1997 मे और बढ़कर 16,425 करोड रुपए हो गया। जनवरी-अक्टूबर 1998 मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 11,821 करोड रुपए था। वर्ष 1991 से अक्टूबर 1998 तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक प्रवाह 51,558 करोड रुपए था। भारत मे सर्वाधिक एफ डी आई निवेशक अमरीका, मारीशस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया तथा जापान है। दक्षिण कोरिया ने जनवरी 1999 मे सर्वाधिक 30,850.11 मिलियन रुपए का भारत मे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश किया। जनवरी-दिसम्बर 1998 मे अमेरिका ने 35,619.6 मिलियन रुपए, मारीशस ने 31,659.87 मिलियन रुपए, ब्रिटेन ने 32,008.44 मिलियन रुपए, दक्षिण कोरिया ने 3,683.54 मिलियन रुपए तथा जापान ने 12,828.24 मिलियन रुपए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया।¹ पूजी निवेश के बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन को बल मिला है। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 मे 12.8 प्रतिशत तक पहुची। औद्योगिक वृद्धि दर 1996-97 मे 5.6 प्रतिशत, 1997-98 मे 6.6 प्रतिशत तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 मे 3.5 प्रतिशत थी।

हाल के वर्षों मे भारत के आर्थिक परिदृश्य मे बदलाव की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई है। नियोजन काल की तुलना मे आर्थिक उदारीकरण के दौर मे अधिक बदलाव आया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना तक आर्थिक वृद्धि दर बहुत धीमी थी। वर्तमान मे आर्थिक विकास में विदेशी पूजी निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। किन्तु भारत ने विदेशी पूजी निवेश के मामले मे सावधानी बरती है जिसके परिणामस्वरूप भारत की स्थिति दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की भांति नहीं बिगड़ी। भारत के तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग मे आधारभूत संरचना का अभाव बड़ी बाधा है। भारत आधारभूत ढांचे के विकास मे निजी क्षेत्र और विदेशी निवेशको को अधिक आकर्षित करने में सफल नहीं हो सका है। देश के आधारभूत ढांचे मे सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति तेज की जा सकती है।

सन्दर्भ

1. दी इकोनोमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 28 जून 1999

कारगिल संकट और भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत को स्वतंत्रता के पचास वर्षों में पाच युद्धों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद 1947-48 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा। वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। चीनी आक्रमण से प्रभावित अर्थव्यवस्था का भारत पुनर्निर्माण भी नहीं कर पाया था कि पाकिस्तान ने 1965 में फिर भारत पर आक्रमण किया। वर्ष 1971 में भारत का पाकिस्तान से तीसरी बार युद्ध हुआ, इसमें बांग्लादेश आजाद हुआ। भारत पर बार-बार युद्ध थोपे गए। जून-जुलाई 1999 में कारगिल में भारत-पाकिस्तान सीमित युद्ध हुआ। पाकिस्तान सैनिकों ने भारत के कश्मीर में घुसापैठ की। पाक सैनिक भारत की सीमा में चोरी-छिपे कारगिल, बटालिक, द्रास तक आ घुसे। पाकिस्तान सैनिकों को सीमा पार खदेड़ने के लिए भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई वाली बर्फोली चोटियों पर भारतीय सेना को युद्ध लड़ना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान को हर बार युद्ध में मात खानी पड़ी, किन्तु उसके इरादे भारत के प्रति अच्छे नहीं हैं।

युद्ध के परिणाम भयावह होते हैं। अर्थव्यवस्था का हरेक पहलू युद्ध की घपेट में आता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अभाव होता है। युद्ध में संलग्न देश को विकास के लिए निर्धारित किये गये संसाधनों को युद्ध की ओर मोड़ने पड़ते हैं। युद्ध सम्बन्धी खर्च के बढ़ने से सामाजिक विकास का पहलू सर्वाधिक प्रभावित होता है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में भी राजनीतिक घटकों को प्राथमिकता दी जाती है। आर्थिक विकास के सूक्ष्म प्रभावित होते हैं। युद्ध के कारण मुद्रास्फीति सुरक्षा के मुद्दे की तरह बढ़ती है। आवश्यक वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाता है। कालाबाजारी को

बल मिलता है। युद्ध के भय के कारण लोग आवश्यक वस्तुओं का अधिक स्टॉक करने लगते हैं। अर्थव्यवस्था में अफरा-तफरी मच जाती है। देश के निर्यात घटने लगते हैं। विदेशी विनिमय कोष खाली होने लगते हैं। कृषि तथा औद्योगिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आधारभूत उद्योगों को तो युद्ध में निशाना बनाया जाता है। कुल मिलाकर युद्ध से आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाती है। अर्थव्यवस्था की बिगड़ी दशा को सुधारने के लिए सरकार को यौद्धिक पुनर्निर्माण पर बल देना पड़ता है। वित्तीय ससाधनों के अभाव में देश को विदेशी सहायता की ओर मुखतिव होना पड़ता है।

आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। किन्तु अर्थव्यवस्था छोटी हो या बड़ी, युद्ध का प्रभाव तो पड़ता ही है। किन्तु ऐसे देश जिनके पास युद्ध भार को धरने करने की क्षमता नहीं है उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इस संदर्भ में पाकिस्तान का उदाहरण ज्वलत है। कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सकटग्रस्त हो गई है। पाकिस्तान का विदेशी विनिमय कोष रसातल की स्थिति में पहुँच गया।

पाकिस्तान ने भारत को राजनीतिक अस्थिरता के कारण कमजोर समझ लिया परिणामस्वरूप कारगिल में घुसपैठ की। पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से तुलनात्मक रूप से मजबूत देश है। सकट की घड़ी में तो भारत की एकजुटता का कोई मुकाबला नहीं। आज भारत किसी भी विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने में समर्थ है। कारगिल से पाक घुसपैठियों को खदेड़ने में दो माह से थोड़ा अधिक का समय लगा। भारत ने पाक घुसपैठियों को 26 जुलाई 1999 तक पूरी तरह खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध में देश की रक्षार्थ अनेक सैनिक देश के काम आए। कारगिल युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। कारगिल युद्ध की कीमत 9,050 करोड़ रुपए (अनुमानित) है। इसमें कारगिल संघर्ष के 3,200 करोड़ रुपए, सियाचीन में निगरानी 2,200 करोड़ रुपए (वार्षिक), कारगिल में निरन्तर निगरानी पर होने वाला खर्च 3,650 करोड़ रुपए सम्मिलित है। भारत सरीखी विकासाशील अर्थव्यवस्था के लिए 9,050 करोड़ रुपए की रकम मामूली नहीं है। गैर योजनागत खर्च के बढ़ने से पटरी पर लोट रही अर्थव्यवस्था को झटके लग सकते हैं। राजकोषीय घाटा तेज गति से बढ़ सकता है।

विदेशी युद्ध से अर्थव्यवस्थाएँ सामान्यतया लड़खड़ा जाती हैं, किन्तु

कारगिल युद्ध के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के अनेक सूचको विशेषकर मुद्रास्फीति, निर्यात वृद्धि, विदेशी विनिमय कोष, खाद्यान्न उत्पादन आदि में सुधार की प्रवृत्ति आश्चर्यचकित है। कारगिल युद्ध से अर्थव्यवस्था विकास की पटरी से नहीं हटी। कारगिल युद्ध के बावजूद थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति निरन्तर घटी। दिसम्बर 1998 में मुद्रास्फीति 63 प्रतिशत थी जो 12 जून 1999 को घटकर 3 प्रतिशत पर आ गई। जुलाई 1999 के प्रथम सप्ताह में यह 2.53 प्रतिशत थी। 10 जुलाई 1999 को 17 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर मुद्रास्फीति दर 2.03 प्रतिशत दर्ज की गई। 17 जुलाई 1999 को मुद्रास्फीति की दर 1.62 प्रतिशत थी जो विगत 20 वर्षों में सबसे कम थी। नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने से प्रतिस्पर्धा के बढ़ने के कारण कम्पनियाँ कीमते नहीं बढ़ा सकीं। इसके अलावा विगत महीनों में आयात दरों में कमी की गई। कारगिल युद्ध के दौरान थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर में कमी खुशी की बात थी। आम लोगों का वास्ता फुटकर मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति से होता है जिसमें तेजी का रुख बना हुआ है। शेयर बाजार में तेजी से अर्थव्यवस्था में उत्साह का वातावरण था। मुम्बई शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में उछाल की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। मुम्बई शेयर बाजार 16 जुलाई 1999 को 4,810.33 पर बढ़ हुआ। मई 1999 के अंतिम सप्ताह में कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद शेयर बाजार में उच्चावचन की प्रवृत्ति थी। कारगिल में आपरेशन विजय की कामयाबी के साथ-साथ शेयर बाजार उछलता रहा। 13 जुलाई 1999 को मुम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 4,678.28 तक पहुँच गया था। इसके तीन दिन बाद उसने सारे रिकार्ड तोड़ डाले। 28 जुलाई 1999 को मुम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 4,598.18 तथा राष्ट्रीय शेयर सूचकांक 2,017.81 था।

तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रामकृष्ण हेगडे के अनुसार कारगिल क्षेत्र में संघर्ष के कारण निर्यात पर कुछ प्रभाव पड़ा। भारत को 1999-2000 के लिए निर्धारित 11 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारगर प्रयास करने होंगे। वित्त वर्ष 1998-99 के अंतिम चार माह में ही निर्यात मोर्चे पर प्रदर्शन कुछ सुधरा था। इससे पूर्व के महीनों में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 1998-99 के कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में केवल 3.7 प्रतिशत ही बढ़े। मई, जून, जुलाई 1999 में भारत कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ने में युद्धरत था। युद्ध के बावजूद भी इन महीनों में भारत का निर्यात बढ़ा। वित्त वर्ष 1999-2000 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में देश का निर्यात डॉलर में 6.5 तथा रुपए में 12 प्रतिशत बढ़ा। वहीं

घटता हुआ तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) तक 3630 करोड़ डॉलर पर आ गया।'

कारगिल संघर्ष जनित सकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था की मजबूत यात विदेशी विनिमय कोष का 30 अरब डॉलर से अधिक होना है। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन भी भरपूर हुआ। वित्त वर्ष 1998-99 में खाद्यान्न का उत्पादन 20 करोड़ टन से अधिक आका गया है।

प्रगति के सूचक (Gaining Momentum)

आर्थिक गतिविधियों पर आधारित साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन (अनुमानित)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
	1997-98	1998-99
कृषि, वन और मछली	-1.0	7.6
खनन	2.7	-2.0
विनिर्माण	6.8	5.2
विद्युत, गैस और जलापूर्ति	6.6	6.3
निर्माण	4.1	2.1
व्यापार, होटल, यातायात, संचार	5.7	6.7
वित्त, बीमा, व्यापार सेवाएं	8.4	6.2
समुदाय, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं	13.3	5.4
सकल घरेलू उत्पादन (साधन लागत पर)	5.0	6.0

स्रोत इकोनॉमिक टाइम्स, 1 जुलाई 1999.

कृषि विकास से अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। 30 जून 1999 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस. ओ.) ने सशोधित आकड़े जारी किए हैं। वर्ष 1993-94 के मूल्यों पर 1998-99 में साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6 प्रतिशत थी जो पूर्व अनुमानों में 5.8 प्रतिशत आकी गई थी। वर्ष 1998-99 में कृषि, वन और मछली क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की अद्भुत वृद्धि हुई। गौरतलब है 1997-98 में वृद्धि दर नकारात्मक 1.0 प्रतिशत थी। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के अनुसार 1999 में भारत मजबूती के साथ मदी के दौर से निकला। कारगिल सकट का केन्द्रीय बजट पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा लेकिन अर्थव्यवस्था की गतिशीलता रुकेगी नहीं। ब्याज दरों और कीमतों पर कारगिल सकट का प्रभाव नहीं पड़ा। चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत तक सीमित है। हाल के वर्षों में भारत ने आर्थिक

मदी, अमरीकी आर्थिक प्रतिबन्ध, दक्षिण एशियाई सकट जैसी चुनौतिया का मुकाबला किया। वर्ष 1999-2000 के प्रारम्भिक महीनों में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धिया अर्जित की हैं। भारत ने निर्यात वृद्धि में "एशिया टाइगर्स" को पीछे छोड़ा। अप्रैल-मई 1999-2000 में भारत की निर्यात वृद्धि दर 6 प्रतिशत थी जो एशियाई देशों की तुलना में अधिक थी। चीन में निर्यात वृद्धि दर ऋणात्मक थी। मलेशिया और ताइवान में निर्यात वृद्धि दर 4 प्रतिशत थी जबकि अन्य एशियाई देशों में यह 1 से 2 प्रतिशत के बीच थी। फिलीपाइन्स में इलैक्ट्रॉनिक उद्योग के कारण निर्यात वृद्धि दर अवश्य अधिक थी।¹ कारगिल सकट के अभाव में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करती। कारगिल सकट का भारत के वित्तीय ससाधनों पर प्रभाव पड़ा। सीमा पर मडराते खतरे को दृष्टिगत रखते हुए भारत के लिए रक्षा खर्च में वृद्धि करना जरूरी हो गया है। बढ़ते रक्षा खर्च का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। विगत वर्षों में भारत के रक्षा खर्च में वृद्धि हुई है। किन्तु अनेक एशियाई देशों की तुलना में भारत का रक्षा खर्च कम है।

भारत पर विदेशी आक्रमण का खतरा मडराता रहा है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पड़ोसी देशों ने यौद्धिक साजो-सामान का जखीरा खड़ा कर रखा है। पाकिस्तान ने अन्य देशों से परमाणु विस्फोट की तकनीक प्राप्त की। विदेशी आक्रमण के खतरे को मडराते देखकर भारत ने पोकरण में मई 1998 को परमाणु विस्फोट कर विश्व को चौंका दिया। पाकिस्तान ने भी तुरन्त बाद परमाणु विस्फोट कर दिखाया ऐसी स्थिति में रक्षा खर्च में बढोत्तरी अपरिहार्य हो जाती है।

भारत सरकार का रक्षा खर्च

(करोड़ रूपए)

वर्ष	रक्षा खर्च	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत
1990-91	10874	1.9
1994-95	16426	1.6
1995-96	18841	1.5
1996-97	20997	1.5
1997-98 (स अ)	26802	1.7
1998-99 (ब अ)	30840	1.7
1999-2000 (ब अ)	45694	---

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99

केन्द्र सरकार का रक्षा खर्च 1990-91 में 10,874 करोड़ रुपए था जो 1996-97 में बढ़कर 20,997 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1999-2000 में रक्षा खर्च 45,694 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) था। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रक्षा खर्च घटा है। वर्ष 1990-91 में रक्षा खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत था जो घटकर 1996-97 में 1.5 प्रतिशत तथा 1998-99 में 1.7 प्रतिशत (बजट अनुमान) रह गया। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में रक्षा खर्च में गत वर्ष की तुलना में 48 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

भारत में केन्द्र सरकार के खर्च का 14.5 प्रतिशत रक्षा (Defence) पर खर्च किया जाता है। जबकि यह पाकिस्तान में 26.9 प्रतिशत तथा अमरीका में 19.3 प्रतिशत है। गौरतलब है भारत में केन्द्र सरकार के कुल खर्च का केवल 2.2 प्रतिशत शिक्षा पर और 1.9 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। भारत में 1995 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया गया जबकि यह पाकिस्तान में 6.5 प्रतिशत, चीन में 5.7 प्रतिशत था। प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च भारत में 9 डॉलर, पाकिस्तान में 28 डॉलर तथा चीन में 26 डॉलर था। स्पष्ट है भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान में रक्षा व्यय ज्यादा है। भारत में रक्षा खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है।

कुछ देशों के रक्षा खर्च, 1995

देश	रक्षा खर्च (मिलियन डॉलर में)	सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च, डॉलर में
चीन	31738	5.7	26
पाकिस्तान	3642	6.5	28
भारत	8289	2.5	9
श्रीलंका	624	4.9	35
इराक	2700	14.8	128

Source : Human Development Report, 1997.

भारत में प्रति व्यक्ति रक्षा खर्च दुनिया के देशों विशेषकर चीन व पाकिस्तान से बहुत कम है। भारत को सीमा पर बढ़ते संकट को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी चाहिए। बढ़ते रक्षा खर्च का देश के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत के सामाजिक विकास के

क्षेत्र यथा शिक्षा, चिकित्सा उपेक्षित है। किन्तु देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है।

कारगिल संकट से भारत उभर चुका है किन्तु राजनीतिक अस्थिरता का संकट मुहंवाए खड़ा है। राजनीतिक अस्थिरता से विकास की गति धीमी पड़ती है। विदेशी निवेशकों के कदम डगमगाने लगते हैं। बार-बार आम चुनावों से गरीब लोगों पर बोझ पड़ता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1997-98 में 30 लाख डॉलर था जो घटकर 1998-99 में 20 लाख डॉलर रह गया। भारत में दिसम्बर 1989 से लेकर जून 1991 तक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण रहा। इसके बाद वर्ष 1996 के बाद प्रारम्भ हुई राजनीतिक अस्थिरता अगस्त 1999 तक जारी थी। भारत राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास की दौड़ में विश्व के देशों की तुलना में पिछड़ गया।

भारत के तीव्र विकास के लिए राजनीतिक स्थायित्व जरूरी है। राजनीतिक स्थायित्व से देश आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से अधिक मजबूत होगा। आर्थिक उदारीकरण में गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने वास्ते कारगर पहल की आवश्यकता है। दयनीय आर्थिक दशा सुधारने के लिए सामाजिक विकास परिव्यय में वृद्धि की जानी चाहिए। कुछ देशों के नापाक इरादों को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा खर्च बढ़ोत्तरी में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हर्ष की बात है भारत आज अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।

सन्दर्भ

- 1 राजस्थान पत्रिका, 25 जुलाई 1999, रविवारीय।
- 2 राजस्थान पत्रिका, 3 अगस्त 1999
- 3 राजस्थान पत्रिका, 5 अगस्त 1999
- 4 इकोनॉमिक टाइम्स, 23 जुलाई 1999

केन्द्रीय बजट 1999-2000 : बिगड़ता वित्तीय अनुशासन

केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 27 फरवरी 1999 को भाजपा गठबन्धन सरकार का लगातार दूसरा केन्द्रीय बजट 1999-2000 लोकसभा में पेश किया। केन्द्रीय बजट सामान्यतया प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को साय पाच बजे पेश किया जाता रहा है किन्तु इस बार 28 फरवरी को रविवार होने के कारण बजट शनिवार को पेश किया गया। ताजे बजट का प्रात ग्यारह बजे पेश किया जाना गौरतलब बात है। समय के बदलाव के पक्ष में यह बात कही जाना कि बजट पेश करने का साय पाच बजे का समय अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित किया गया नतीजन इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। इस आधार पर समय बदलाव अधिक प्रासंगिक नहीं है।

यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि केन्द्रीय बजट अर्थव्यवस्था का दर्पण होता है। बजट में अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा निर्धारित होती है। किन्तु भारत में कितने प्रतिशत लोगों की बजट भाषण सुनने और प्रकाशित बजट को पढ़ने में रुचि होती है। भारत के लगभग 50 फीसदी लोग निरक्षर हैं। जनसंख्या का बड़ा भाग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है। इन लोगों की बजट में रुचि बहुत कम होती है। भारत में बजट सामान्यतया अंग्रेजी में पेश किया जाता है। जब देश की बहुसंख्यक जनसंख्या को अक्षर ज्ञान ही नहीं है तो कितने लोग अंग्रेजी में प्रस्तुत बजट भाषण को समझ पाते हैं। बजट के पाच बजे पेश किए जाने का समय अनेक दृष्टि से अनुकूल था। बजट में रुचि रखने वाले लोग दिन भर के कामकाज से मुक्त होने के बाद साय पांच बजे से सुविधापूर्वक बजट भाषण सुन सकते हैं।

बजट पूर्व घोषणाएँ

आज केन्द्रीय बजट के प्रति लोगों का आकर्षण इसलिए भी कम हो गया है कि अर्थव्यवस्था सबधी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय बजट पेश किए जाने से पूर्व ही ले लिये जाते हैं। सरकार प्रायः बजट को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से ऐसा करती है किन्तु ऐसे निर्णयों से बजट की प्रसंगिकता कम होती है। बजट की उपादेयता में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है कि नीतिगत आर्थिक निर्णय बजट में ही लिए जाएं। वर्तमान केन्द्र सरकार ने अनेक महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय बजट पूर्व लिए हैं। केन्द्र सरकार ने 28 जनवरी 1999 को यूरिया का सरकारी मूल्य प्रति टन 400 रुपए बढ़ा दिया। अब यूरिया की कीमत 3,600 रुपए प्रति टन से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति टन हो गई है। कारखाने के बाहर यूरिया के एक बैग की कीमत 183 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जायेगी। केन्द्र सरकार ने राशन का अनाज और चीनी की कीमतें बजट पूर्व बढ़ा दीं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए भी कीमतों में वृद्धि कर दी गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए गेहूँ का नया मूल्य 75 पैसे प्रति किलो बढ़ाकर 3.25 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। गरीबी की रेखा से ऊपर वाले लोगों के लिए गेहूँ के मूल्य में भारी वृद्धि कर दी गई है। इन लोगों के लिए गेहूँ का मूल्य 4.50 रुपए से बढ़ाकर 6.50 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। इसी प्रकार चावल का मूल्य गरीबों के लिए 3.50 रुपए के स्थान पर 4.25 रुपए तथा अन्य लोगों के लिए 5.50 रुपए के स्थान पर 9.05 रुपए कर दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी की कीमत 60 पैसे बढ़ाकर 12 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। वर्ष 1998-99 के बजट में अनाज पर 7,500 करोड़ रुपए, चीनी पर 400 करोड़ रुपए तथा खाद पर 11,400 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था। इसमें देशी यूरिया पर 7,600 करोड़ रुपए की राज सहायता रखी गई थी। गत वर्ष के बजट (1998-99) में यूरिया के दामों में एक रुपया प्रति किलो बढ़ाने की घोषणा की गई थी किन्तु बड़े किसानों के द्वारा मचाये बादेला के कारण कीमत वृद्धि का फैसला वापस लेना पड़ा। इस बार भी (1999) राशन का अनाज और यूरिया के दामों में वृद्धि से कम बचाल नहीं मचा है। भाजपा गठबन्धन दल के एक घटक दल ने कीमतों में की गई वृद्धि के मामले में सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। किसानों के लाभ वास्ते केन्द्र सरकार ने 14 फरवरी 1999 को "किसान क्रेडिट कार्ड योजना" शुरू की। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समय पर पर्याप्त ऋण मुहैया कराना है। योजना के अन्तर्गत किसान भू-स्वामित्व के आधार पर जब चाहे तब ऋण ले

राकते हैं। केन्द्र सरकार ने 28 दिसम्बर 1998 को उर्वरक सब्सिडी में भारी वृद्धि की। देसी फास्फेट पर उर्वरक सब्सिडी को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 4,400 रुपए प्रति टन, आयातित फास्फेट पर सब्सिडी को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,400 रुपए प्रति टन तथा पोटाश पर सब्सिडी को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति टन कर दिया गया। सरकार ने ररोई गैस बजट से पहले महंगी की। सरकार ने 31 जनवरी 1999 को ररोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 16 रुपए से 1840 रुपए के बीच बढ़ा दिये। केन्द्र सरकार वर्ष 2002 तक प्रशासित मूल्य समाप्त करना चाहती है इसलिए चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत ररोई गैस पर सब्सिडी में कमी की गई है। सामाजिक के बाद उपभोक्ता को प्रति सिलेंडर 60 रुपए सब्सिडी मिलेगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 1999 को लघु उद्योगों में निवेश की सीमा 3 करोड़ रुपए से घटाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। केन्द्र सरकार इन नीतिगत आर्थिक निर्णयों की घोषणा केन्द्रीय बजट में भी कर सकती थी।

लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था

राजा बजट (1999-2000) कठिन आर्थिक स्थिति में पेश किया गया है। महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। भारत की अर्थव्यवस्था 1998-99 में विश्वव्यापी मंदी, पूर्वी एशियाई संकट और कृषि मौसम पर कमजोर ग्रामीण मांग से प्रभावित हुई। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1998-99 के अग्रिम अनुमानों में 5.8 प्रतिशत रही जो 1997-98 के त्वरित अनुमानों में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में अधिक है किन्तु सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 1995-96 तथा 1996-97 की तुलना में कम है। वर्ष 1998-99 में कृषि उत्पादन वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत (प्राविजनल), खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत (प्राविजनल) थी। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत तथा विद्युत उत्पादन वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रही। 30 जनवरी 1999 को थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत तथा औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वृद्धि दिसम्बर 1998 में 15.3 रही।

विदेशी व्यापार के मौसम पर भारत की स्थिति सुधर नहीं सकी। निर्यातों की तुलना में आयातों की अधिकता बनी हुई है। अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में आयात वृद्धि दर रुबल में 23.2 प्रतिशत तथा डॉलर में 7.1 प्रतिशत थी जबकि इसी समयावधि में निर्यात वृद्धि दर रुबल में 11.7 प्रतिशत और डॉलर में क्रमशः 2.9 प्रतिशत थी। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा अप्रैल-दिसम्बर 1998-99 में 7,296 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। व्यापार घाटे के बढ़ने के कारण विदेशी विनिमय व्यय में अमेरित वृद्धि नहीं हो

सकी। जनवरी 1999 में डॉलर में विदेशी विनिमय कोष में केवल 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष (1997-98) में यह वृद्धि 161 प्रतिशत थी। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की विनिमय दर अप्रैल-जनवरी 1998-99 में 11.5 प्रतिशत गिरी। रुपए के अवमूल्यन का लाभ भी भारत नहीं उठा सका। अवमूल्यन से निर्यात वृद्धि में मदद मिलती है। विश्व में प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन के कारण रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव कम हुआ। सर्वाधिक चिंता की बात अर्थव्यवस्था के ऋण भार में द्रुव होने की है। सितम्बर 1999 में भारत पर 95.20 बिलियन डॉलर का विदेशी ऋण घटा था। भारत पर विदेशी ऋण अदायगी का भारी बोझ है। अर्थव्यवस्था के गति नहीं पकड़ने की स्थिति में भारत के लिए सकट गहरा सकता है। स्थिति से निपटने के लिए निर्यात वृद्धि के प्रयास करने होंगे।

बजट 1999-2000 : एक दृष्टि

(करोड़ रुपए)

क्र.स.	मर्दे	1998-98 वास्तविक	1998-99 बजट अनुमान	1998-99 सशोधित अनुमान	1999-2000 बजट अनुमान
1	राजस्व प्राप्तिया	133901	161994	157665	182840
2	धूजीगत प्राप्तिया	98167	105933	124247	101042
3	कुल प्राप्तिया	232068	267927	281912	283882
4	मैर योजनागत खर्च	172991	195925	213541	206882
5	योजनागत खर्च	59077	72002	68371	77000
6	कुल खर्च	232068	267927	281912	283882
7	राजस्व घाटा	46449	48068	60474	54147
8	राजकोपीय घाटा	88937	91025	103737	79955
9.	प्राथमिक घाटा	23300	16025	26489	8045

स्रोत दी इकोनॉमिक टाइम्स, 28 फरवरी 1999.

बिगडा वित्तीय अनुशासन

वित्तीय अनुशासन के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। राजस्व घाटा बजट अनुमानों की तुलना में अधिक बढ़ा है। वर्ष 1997-98 में राजस्व घाटा 46,449 करोड़ रुपए था। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 48,068 करोड़ रुपए था जो सशोधित अनुमानों में 60,474 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि नहीं होने के कारण राजस्व

घाटे में वृद्धि हुई। बढ़ते राजस्व खर्च पर सरकार अकुश नहीं लगा सकी। वर्ष 1999-2000 में राजस्व प्राप्ति 1,82,840 करोड़ रुपए तथा राजस्व खर्च 2,36,987 करोड़ रुपए अनुमानित है। वर्ष 1999-2000 में राजस्व घाटा 54,147 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राजस्व घाटा बढ़ा है। राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1997-98 में 3 प्रतिशत तथा 1998-99 में 3.4 प्रतिशत (सशोधित अनुमान) था। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत छोड़ा गया है।

बढ़ता राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिए चिन्ताजनक बात है। राजस्व घाटे में वृद्धि राजकोषीय घाटे के बढ़ने का प्रमुख कारण रहा है। राजकोषीय घाटा 1997-98 में 88,937 करोड़ रुपए था। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 91,025 करोड़ रुपए था जो सशोधित अनुमानों में 1,03,737 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। वर्ष 1998-99 में राजकोषीय घाटा तुलनीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों के आधार पर 5.6 प्रतिशत के बजट लक्ष्य की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद के 6.5 प्रतिशत तक बढ़ना संभावित है। अगर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लघु बचत के लिए ऋणों के कारण बजट में वृद्धि को छोड़ दिया जाए तो समायोजित राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत होगा। वर्ष 1999-2000 में राजकोषीय घाटा 79,995 करोड़ रुपए दिखाया गया है जो कि 1998-99 के सशोधित अनुमानों के घाटे से 23,782 करोड़ रुपए कम है। बजट पत्रों के अनुसार राजकोषीय घाटे में निवल लघु बचत संग्रहणों के हिस्से का अंतरण, जिसे लोक खाते में अदा किया जाएगा शामिल नहीं है। पिछले वर्षों के आधार पर राजकोषीय घाटा 1,04,956 करोड़ रुपए है। ताजे बजट में देश की अर्थव्यवस्था की राजकोषीय स्थिति को बनाए रखने के लिए मध्यावधि कार्य नीति की परिकल्पना की गई है। बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के क्रमवार 0.7 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत तक नीचे लाने का प्रस्ताव है। इसमें कमी की मौजूदा दर से राजस्व घाटे को चार वर्षों में समाप्त कर लिया जाएगा तथा राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत से नीचे जाएगा।

नव्वे के दशक में केवल 1991-92 में ही राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में कम रहा। शेष सभी वर्षों में वास्तविक राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों से अधिक रहा। वर्ष 1993-94 में वास्तविक राजकोषीय घाटा 60,257 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। बजट अनुमानों में यह केवल 36,959 करोड़ रुपए ही था। केन्द्र सरकार के खर्च बजट अनुमानों की

तुलना में अधिक रहे इस कारण भी राजकोपीय घाटा सीमा में नहीं रह सका। नब्बे के दशक में 1991-92 में सरकार का खर्च बजट अनुमानों की तुलना में कम था। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा सरकार 1996-97 तथा 1997-98 में खर्चों को बजट अनुमानों की तुलना में कम रखने में सफल हो सकी। शेष सभी वर्षों में सरकार के खर्च बजट अनुमानों की तुलना में अधिक रहे।

बिगड़ता वित्तीय अनुशासन

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राजकोपीय घाटा बजट अनुमान	राजकोपीय घाटा वास्तविक
1991-92	37727	36325
1992-93	34408	40173
1993-94	36959	60257
1994-95	54915	57703
1995-96	57634	60243
1996-97	62266	66733
1997-98	65454	88973
1998-99	91025	103737(स अ)
1999-2000 (ब अ)	104955	----

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99.

गैर योजनागत खर्च

गैर योजनागत खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। गैर योजनागत खर्च 1997-98 में 1,72,991 करोड़ रुपए था। वर्ष 1998-99 में गैर योजनागत खर्च में कमी नहीं की जा सकी। गैर योजनागत खर्च 1998-99 के बजट अनुमानों में 1,95,925 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमानों में 2,13,541 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। इस प्रकार संशोधित अनुमानों में गैर योजनागत खर्च बजट अनुमानों की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में गैर योजनागत खर्च और बढ़कर 2,06,882 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा। केन्द्र सरकार ने बजट में व्यय वित्तीय आयोग के गठन की घोषणा की तथा गैर विकासीय व्यय को कम करने के लिए सचिव स्तर के चार पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

गैर योजनागत खर्च को नियंत्रित करने वास्ते सब्सिडी और रक्षा खर्च में कमी की जानी चाहिए। इसके अलावा ससाधन जुटाने में उधार पर

निर्भरता कम की जानी चाहिए। गौरतलब है 1999-2000 में रुपए का 7 प्रतिशत सॉक्सिडी पर, 14 प्रतिशत रक्षा पर तथा 27 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर खर्च होगा। हाल ही के दिनों (1998-99) में भारत के पड़ोसी राष्ट्रों से संबध सुधरे हैं। प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा से इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। पड़ोसियों से संबध सुधार कर रक्षा खर्च को विकास के काम में लिया जा सकता है। भारत का रक्षा खर्च 1998-99 के बजट अनुमानों में 41,200 करोड़ रुपए था जिसे बढ़ाकर 1999-2000 के बजट अनुमानों में 45,694 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रक्षा खर्च में गत वर्ष की तुलना में 10.9 प्रतिशत वृद्धि की गई है। वर्तमान (1998-99) में भारत में सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत भाग रक्षा पर खर्च होता है। इसके अलावा सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत ब्याज पर तथा 1.4 प्रतिशत सॉक्सिडी पर खर्च होता है।

वार्षिक योजना में कटौती

विकास को गति देने वास्ते योजना परिव्यय में वृद्धि की आवश्यकता होती है। वर्ष 1999-2000 नौवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है। वार्षिक योजना के आकार में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से आर्थिक विकास की गति के प्रभावित होने की संभावना है। वर्ष 1999-2000 का केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,03,521 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो 1998-99 के संशोधित योजना परिव्यय से 15,039 करोड़ रुपए अधिक है किन्तु 1998-99 के बजट अनुमानों से 1,666 करोड़ रुपए कम है। वर्ष 1998-99 का वार्षिक योजना परिव्यय 1,05,187 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) था जो संशोधित अनुमानों में 88,482 करोड़ रुपए ही रहा। वर्ष 1999-2000 की योजना परिव्यय में कुल बजटीय सहायता (केन्द्र और राज्यों को) के लिए 77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया जो 1998-99 के संशोधित अनुमानों से 8,629 करोड़ रुपए अधिक तथा बजटीय अनुमानों से 5,000 करोड़ रुपए कम है। कुल बजटीय सहायता 77,000 करोड़ रुपए में केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए 44,000 करोड़ रुपए तथा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 1999-2000 की केन्द्रीय योजना परिव्यय 1,03,521 करोड़ रुपए के वित्त पोषण में बजटीय समर्थन 44,000 करोड़ रुपए तथा सार्वजनिक क्षेत्र अंशदान 59,521 करोड़ रुपए है सार्वजनिक क्षेत्र अंशदान 1998-99 के संशोधित अनुमानों से 9,000 करोड़ रुपए अधिक किन्तु बजट अनुमान से 2,800 करोड़ रुपए कम है।

ग्रामीणोन्मुखी

भारत की अर्थव्यवस्था में आज भी कृषि महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 1998-99 में कृषि ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को सभाले रखा। कृषि वृद्धि दर 1998-99 में 3.9 प्रतिशत (प्रायोजनल) तथा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत रही। खाद्यान्न उत्पादन 1998-99 में 1953 मिलियन टन (प्रायोजनल) था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूजबूती वास्ते ताजे बजट में नये कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर. आई. डी. एफ.) की संचित निधि बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए कर दी गई। वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की गई थी। ये कार्ड किसानों को किरायायती रूप से रामय पर ऋण प्रदान करते हैं। वर्ष 1998-99 में 6 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 1999-2000 में इस स्कीम का दायरा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है जिससे 20 लाख किसान इस स्कीम का लाभ उठा सकें। वर्ष 1998-99 में कृषि क्षेत्र के लिए सार्वजनिक ऋण प्रवाह में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। कृषि विकास के लिए सिंचाई आवश्यक है। ताजे बजट में तीन वर्षों के भीतर 100 प्राथमिकता वाले जिलों में नाबार्ड के साथ "जल संभरण विकास निधि" की स्थापना का प्रस्ताव है इसके लिए केन्द्रीय सरकार नाबार्ड को समतुल्य सहायता उपलब्ध कराएगी। फसलोत्तर भंडारण और विपणन आधार सुविधा वास्ते शीत भण्डारों और गोदामों के निर्माण हेतु नई "ऋण संबद्ध पूंजी सस्त्रिडी स्कीम" प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। यह स्कीम नाबार्ड की सहायता से कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जावेगी।

ग्रामीण परिवेश की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण की आवश्यकता है। विगत दशकों में गावों में औद्योगीकरण को अपेक्षित गति नहीं मिली। ताजे बजट में गावों में औद्योगीकरण के प्रयास दृष्टिगोचर हुए हैं ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण समूह स्थापित करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है। यह ग्रामीण दस्तकारों और बेरोजगारों के लाभ के लिए होगा। इस ग्रामीण समूह का विस्तार सारे देश में किया जाएगा। इससे शहरी और ग्रामीण असमानता कम करने में मदद मिलेगी।

उदारीकरण के कदम

नये के दशक में सभी बजटों में आर्थिक सुधारों को न्यूनाधिक गति दी गई। अर्थव्यवस्था की दशा के बेहतर नहीं होने के कारण रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को छुआ नहीं गया है। सीमा शुल्क की दर 1990-91 में 47

प्रतिशत थी जो घटकर 1998-99 में लगभग 29 प्रतिशत रह गई। सीमा शुल्क में कमी से आयात सस्ते होते हैं तथा निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। सीमा शुल्क में कमी से भारत का निर्यात बढ़ा है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की भूमिका बढ़ी है। वर्ष 1999-2000 के बजट में सीमा शुल्क की वर्तमान सात यथामूल्य दरों को कम करने पांच मूल दरें रखने का प्रस्ताव किया है। अपरिवर्तित रहने वाली 5 प्रतिशत और 40 प्रतिशत तथा पुरानी दरों के स्थान पर 15, 25 और 35 प्रतिशत रहेगी। इसके अलावा 5 प्रतिशत के विशेष सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। उत्पाद शुल्कों में भी लगातार कमी की गई है। उत्पाद शुल्क की औसत दर 1990-91 में 28 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 18 प्रतिशत रह गई है। उत्पाद शुल्क में कमी से 1994-97 के बीच औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। वर्ष 1999-2000 में उत्पाद शुल्क की वर्तमान 11 बड़ी यथामूल्य दरों को कम करके तीन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें 16 प्रतिशत की केन्द्रीय दर, 8 प्रतिशत की मैरिट दर और 24 प्रतिशत की डिमेरिट दर शामिल है। उत्पाद शुल्कों में कमी से लागत और कीमत में कमी होती है।

ताजे बजट में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 1999-2000 में विनिवेश कार्यक्रम के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे सरकार को सामाजिक तथा आधारमूल क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए निधि प्रदान करने में मदद मिलेगी। विगत वर्षों में निर्धारित किए गए विनिवेश के लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके हैं। विनिवेश का लक्ष्य 1991-92, 1994-95 तथा 1998-99 में ही प्राप्त किया जा सका है। वर्ष 1997-98 में 4,800 करोड़ रुपए विनिवेश लक्ष्य के मुकाबले केवल 912 करोड़ रुपए ही प्राप्त किए जा सके। विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए किया जाता रहा है जो उचित नहीं है। इसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रमों की दशा सुधारने तथा आधारमूल संरचना के विकास में किया जाना चाहिए।

कठोर निर्णय

वर्ष 1999-2000 के बजट में लोगों पर 9,334 करोड़ रुपए के नये कर लगाए गए हैं। पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन भत्तों में वृद्धि हुई इस कारण आयकर छूट सीमा में वृद्धि की अपेक्षा थी किन्तु वित्त मंत्री ने आयकर में राहत की घोषणा नहीं की इसके विपरीत आयकर मतदाताओं पर 10 प्रतिशत अधिभार का बोझ और ढाल दिया। आयकर की 10 प्रतिशत की स्लेप में अधिभार नहीं लगाया गया

है। अभी कुछ महीने पहले डाक दरों में वृद्धि की गई है। बजट में डाक दरों में और वृद्धि करके जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया गया है। अन्तर्देशीय पत्र की कीमत 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए कर दी गई है। बजट में डीजल पर एक रुपए का उपकर आरोपित किया गया है। डीजल की कीमत में वृद्धि दर से मुद्रास्फीति बढ़ेगी। 20 फरवरी 1999 को राम्रत सप्ताह में मुद्रास्फीति पहले की पाच प्रतिशत को पार कर चुकी है।

लोक सुभावन घोषणाएं

बजट में कुछेक लोक सुभावन घोषणाएं की गई हैं। सरकार के द्वारा कई बार निर्णय बजट को लोकप्रिय बनाने अथवा राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किए जाते हैं। ताजे बजट में बेसहारा वृद्धों के लिए अन्नापूर्णा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बिना आय वाले वृद्धों को हर महीने दस किलो अनाज दिया जाएगा। यदि यह योजना वास्तव में क्रियान्वित होती है तो निश्चित रूप से बेसहारा वृद्ध बड़ी राहत महसूस करेंगे। भारत में बेसहारा वृद्धों की कमी नहीं है। गरीब बेसहारा वृद्धों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार की घोषणाओं का गरीबों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। शिक्षा के क्षेत्र में "राष्ट्रीय शिक्षा गारण्टी योजना" की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत सभी बस्तियों के लिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे। समस्या नये स्कूल खोले जाने की नहीं है। मुसीबत इस बात की है कैसे गरीबों के बच्चों को स्कूलों में भेजा जाये। गावों में स्कूल खुले हुए हैं किन्तु छात्र सख्या का अभाव है। बीच में ही स्कूल छोड़कर चले जाने वाले छात्रों की अधिः सख्या जटिल समस्या है। दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर भारत में है। साक्षरता वृद्धि के लिए भारत को कारगर प्रयास करने होंगे।

केन्द्र सरकार ने "राष्ट्रीय मानव विकास पहल" की घोषणा की है जिसमें एक दशक में सम्पूर्ण देश को भोजन, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, आश्रय, आवास मुहैया कराने की बात कही गई है। यह सरकार के द्वारा गरीबों के लिए छह तरफा रणनीति है। बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराना बेहद जरूरी है किन्तु इस दिशा में भारत की स्थिति बदतर है। पिछली सरकारों ने भी इस तरह के वायदे जनता के साथ किए हैं किन्तु योजनाओं को वोट भुनाने तक ही काम में लिया गया। गरीब तबका बुनियादी सुविधाओं से आज भी दचित है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोग दो जून की रोटी मुश्किल से जुटा पाते हैं। जिस दिन गरीबों को दो वक्त भरपेट भोजन मुहैया होगा उस दिन खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की बात खोखली

सिद्ध होगी। आज भी कचरे के ढेरों में भिखारी, गरीब, बेसहारा लोग अनेक बार फँसे हुए और सड़े गले भोजन को तलाशते देखे जा सकते हैं। गरीबी की समस्या केन्द्र सरकार की बड़ी चुनौती है। केन्द्र सरकार द्वारा बजट में गरीबों के लिए घोषित की गई छह तरफा रणनीति में देशवासियों को केवल रोजगार ही मुहैया करा दे तां बाकी पांच सुविधाएँ गरीब स्वयं जुटा लेंगा। देशवासियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार को आर्थिक विकास की गति तीव्र करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आधारभूत संरचना को विकसित करने की आवश्यकता है इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण औद्योगीकरण पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। ग्रामीण परिवेश में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की विपुल समावनाएँ हैं।

सन्दर्भ

1. इकोनॉमिक टाइम्स, 28 फरवरी 1999, पृ 16

रेल बजट 1999-2000 : बढ़ता बजटीय समर्थन

रेलवे महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना है। रेलवे के विकास बिना आर्थिक विकास को गति देना बहुत मुश्किल है। भारत में रेल सुविधा वाले क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ है। भारत विशाल भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश है। पंचवर्षीय योजनाओं में रेलवे विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। आर्थिक विकास में रेलवे की महत्ता के कारण भारतीय रेलवे को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सम्मिलित किया गया है। आर्थिक उदारिकरण के दौर में भी रेलवे विकास में राजकीय भूमिका कम नहीं हुई है। यह बात रेलवे की उत्तरोत्तर बढ़ती उपादेयता को दर्शाती है। देश के सभी क्षेत्रों में रेलवे विकास की पुरजोर मांग रहती है। रेलवे विकास के कारण राजनीतिज्ञों को राजनीति के क्षेत्र में स्थायित्व को बल मिलता है। भारत में रेलवे विकास के निर्णय राजनीति से ओत प्रोत रहे हैं। प्रायः सभी रेल मंत्रियों ने राजनीतिक लाभ उठाने वास्ते अपने ससदीय क्षेत्र एवं राज्य में रेल विकास को प्राथमिकता दी। हाल ही केन्द्र की भाजपा गठबंधन सरकार में रेल मंत्रालय को लेकर खींचतान रही। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस में रेल मंत्रालय के प्रति रुचि दृष्टिगोचर हुई थी। तृणमूल कांग्रेस को संतुष्ट करने वास्ते रेल बजट से पूर्व बंगाल पैकेज की घोषणा की गई जिसमें पश्चिम बंगाल में रेलवे विकास पर बल दिया गया है। रेलवे के अनेक महत्त्व हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से भी रेलवे का महत्त्वपूर्ण स्थान है। रेलवे विकास संबंधी निर्णय राजनीति प्रेरित नहीं होकर क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर लिए जाने चाहिए। रेलवे विकास की दृष्टि क्षेत्रीय विषमता आज भी

विद्यमान है। स्वतंत्रता के पचास वर्षों बाद भी कोई क्षेत्र रेलवे विकास से उपेक्षित रहता है तो जन विरोध स्वाभाविक है। देश में रेलवे के सतुलित विकास के लिए केन्द्र सरकार को भूमिका बढ़ानी चाहिए। रेलवे की वार्षिक योजनाओं में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है। केन्द्र के पास वित्तीय सहायनों के अभाव की दृष्टि में रेलवे विकास में निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

तत्कालीन रेल मंत्री नीतिशं कुमार ने 25 फरवरी 1999 को वर्ष 1999-2000 का भाजपा गठबंधन सरकार का लगातार दूसरा रेल बजट लोकसभा में पेश किया। ताजे बजट में ऊचे दर्जे की रेल यात्रा महगी कर दी गई है तथा माल गाड़ों में वृद्धि की गई है। माल गाड़ों में वृद्धि से मुद्रारक्षीति को बढ़ाने की सभावना है। दूसरी श्रेणी के किराये में वृद्धि नहीं किया जाना अवश्य प्रशंसनीय बात है। इससे गरीब तथा मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत महसूस हुई है। रेलवे में भर्ती के लिए साक्षात्कार सम्पात करना अच्छा निर्णय है। इससे नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। बजट में बेटिकिट यात्रियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। बिना टिकिट यात्रियों से न्यूनतम जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। अब यात्री बिना टिकिट रेल में बैठने से पहले दस बार सोचेगा। रेल मंत्री के इस निर्णय से रेलवे में बेटिकिट यात्रा नियंत्रित होगी। किन्तु रेल मंत्री ने उन रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने की बात नहीं की जो यात्रियों को बिना टिकिट यात्रा कराते हैं। ऐसे रेल कर्मचारियों के खिलाफ सरकार को सख्ती बरतने की आवश्यकता है।

रेल वित्त

रेल वित्त में रेलवे की आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा दृष्टिगोचर होती है। इसमें रेलवे की सकल यातायात प्राप्ति तथा कुल संचालन व्यय का उल्लेख होता है। इसके अलावा रेल वित्त में शुद्ध विविध प्राप्ति, शुद्ध रेल राजस्व, लाभांश व अतिरिक्त भी दर्शाए जाते हैं। ताजे रेल वित्त की स्थिति को निम्न सारणी में दर्शाया गया है -

रेल वित्त

(करोड रुपए)

क्र. सं.	मदे	1997-98	1998-99	1999-2000
		वास्तविक अनुमान	राशोधित अनुमान	बजट अनुमान
1	राकल यातायात प्राप्ति	28589 03	30416 16	33311 00
2	साधारण संचालन व्यय	20605 03	23375 00	25740.00
3	मूल्य न्हास आरक्षित निधि में अशदान	1904 00	1600 00	1589 00
4.	पेशन निधि में अंशदान	3367 00	3425 00	2954 00
5.	कुल संचालन व्यय (2+3+4)	25876 03	28400 00	30283 00
6.	शुद्ध यातायात प्राप्ति (1-5)	2713 00	2016 16	3028 00
7.	शुद्ध विविध प्राप्ति	311 43	354 93	429 73
8.	शुद्ध रेल राजस्व (6+7)	3024 43	2371 09	3457 73
9.	सामान्य राजस्व ताभास	1489 21	1751 70	1914 08
10	अतिरेक (8 - 9)	1535 22	619.39	1543 65

स्रोत दी इकोनोमिक टाइम्स, 26 फरवरी 1999.

रेलवे की राकल यातायात प्राप्ति 1997-98 में 28,589.03 करोड रुपए थी जो 1998-99 के राशोधित अनुमानों में बढ़कर 30,416.16 करोड रुपए हो गई। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में राकल यातायात प्राप्ति 33,311 करोड रुपए निर्धारित की गई है जो 1998-99 के राशोधित अनुमानों की तुलना में 9.52 प्रतिशत अधिक है। रेलवे का कुल संचालन व्यय बढ़ा है। कुल संचालन व्यय 1997-98 में 25,876 करोड रुपए था जो बढ़कर 1998-99 में राशोधित अनुमानों में 28,400 करोड रुपए हो गया। कुल संचालन व्यय 1999-2000 के बजट अनुमानों में 30,283 करोड रुपए निर्धारित किया गया है। रेलवे के कुल संचालन व्यय में 1999-2000 में 1997-98 की तुलना में 17 प्रतिशत तथा 1998-99 की तुलना में 6.63 प्रतिशत वृद्धि हुई।

कुल संचालन व्यय में साधारण संचालन व्यय, मूल्य न्हास आरक्षित निधि में अशदान तथा पेशन निधि में अशदान को सम्मिलित किया जाता है।

हाल ही के वर्षों में कुल संचालन व्यय में साधारण संचालन व्यय का भाग बढ़ा है। वर्ष 1997-98 में कुल संचालन व्यय में साधारण संचालन व्यय का भाग 79.63 प्रतिशत था जो बढ़कर 1999-2000 के बजट अनुमानों में 85 प्रतिशत हो गया है जबकि कुल संचालन व्यय में मूल्य न्हास आरक्षित निधि का भाग 5.25 प्रतिशत तथा पेंशन निधि का भाग 9.75 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में शुद्ध यातायात प्राप्ति 3,028 करोड़ रुपए, शुद्ध विविध प्राप्ति 430 करोड़ रुपए, शुद्ध रेल राजस्व 3,458 करोड़ रुपए तथा सामान्य राजस्व को लानांश 1,914 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

रेलवे के कुल वित्तीय परिणामों में उच्चावचन की प्रवृत्ति व्याप्त है। रेलवे का लाभ 1994-95 में 2,446.40 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1995-96 में 2,870.63 करोड़ रुपए हो गया। बाद के वर्षों में रेलवे के लाभ में निरन्तर कमी हुई। रेलवे का लाभ घटकर 1996-97 में 2,117 करोड़ रुपए, 1997-98 में 1,535 करोड़ रुपए तथा 1998-99 के संशोधित अनुमानों में और घटकर 619 करोड़ रुपए रह गया। वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में रेलवे का अनुमानित लाभ 1,543.65 करोड़ रुपए दिखाया गया है। विगत वर्षों में माल दुलाई एवं यात्रियों से रेलवे की आय में वृद्धि हुई है। माल दुलाई से रेलवे की आय 1994-95 में 13,669.67 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1999-2000 के बजट अनुमानों में 22,341 करोड़ रुपए हो गयी। वर्ष 1994-95 से 1999-2000 के बीच माल दुलाई द्वारा रेलवे आय में 63.4 प्रतिशत की वृद्धि की हुई। यात्रियों द्वारा रेलवे आय में भी वृद्धि हुई। वर्ष 1994-95 में यात्रियों द्वारा रेलवे की आय 5,464 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1999-2000 में 9,449 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) हो गई। वर्ष 1994-95 से 1999-2000 के बीच यात्रियों द्वारा रेलवे आय में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

रेलवे की माल दुलाई में अंगंशित नहीं हुई है। रेलवे माल दुलाई 1995-96 में 391 मिलियन टन, 1996-97 में 409 मिलियन टन तथा 1997-98 में 429 मिलियन टन थी। वर्ष 1998-99 में माल दुलाई 424 मिलियन टन थी जो गत वर्ष की तुलना में 5 मिलियन टन कम थी। वर्ष 1999-2000 में रेलवे माल दुलाई का लक्ष्य 450 मिलियन टन (बजट अनुमान) निर्धारित किया गया है इसके अलावा यात्री यातायात में 8.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान रखा गया है।

वार्षिक योजना

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष बीत चुके हैं। वर्ष 1999-2000

नौवीं योजना का तीसरा वर्ष है। नौवीं योजना की पहली रेलवे वार्षिक योजना 1997-98 में वृद्धि नगण्य थी। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में रेलवे वार्षिक योजना 9,500 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 1997-98 की संशोधित रेलवे वार्षिक योजना 8,310 करोड़ रुपये से 14.3 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 1998-99 की रेलवे की वार्षिक योजना में कटौती की गई। वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमानों में रेलवे वार्षिक योजना 8,755 करोड़ रुपये की रही जो बजट अनुमानों की तुलना में 745 करोड़ रुपये कम है। रेलवे की वार्षिक योजना में कटौती से रेलवे विकास की गति प्रभावित हुई। वर्ष 1999-2000 की रेलवे वार्षिक योजना 9,700 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) निर्धारित की गई है। रेलवे की 1999-2000 की वार्षिक योजना 1997-98 के संशोधित अनुमान से 16.7 प्रतिशत तथा 1998-99 के संशोधित अनुमान से 10.8 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना में कटौती नहीं होने की स्थिति में रेलवे विकास को बल मिलने की संभावना है। रेलवे वार्षिक योजना में रेल लाईनों के नवीनीकरण, लाईनों के दोहरीकरण तथा रेल मंत्रियों की सुविधाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

बजटीय समर्थन

वार्षिक योजना का वित्त पोषण आन्तरिक संसाधनों, बजटीय समर्थन तथा बाजार ऋण से किया जाता है। रेलवे के आन्तरिक संसाधनों में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण वित्त पोषण वास्ते बाजार ऋणों पर निर्भरता बढ़ी है। वार्षिक योजना के वित्त पोषण में रेलवे की बजटीय समर्थन पर निर्भरता फिर बढ़ने लगी है। वर्ष 1998-99 की रेलवे की 9,500 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना में बजटीय समर्थन 2,200 करोड़ रुपये (बजट अनुमान) था जो वार्षिक योजना का 23.2 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 की रेलवे की वार्षिक योजना में बजटीय समर्थन 2,540 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जो 9,700 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का 26.2 प्रतिशत है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में रेलवे योजना परिव्यय का बजटीय समर्थन 75 प्रतिशत था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर केवल 18 प्रतिशत रह गया। आर्थिक उदारीकरण लागू किए जाने के बाद के वर्षों में विशेषकर 1995-96 तथा 1996-97 में भी बजटीय समर्थन 18 प्रतिशत ही था। किन्तु बाद के वर्षों में रेलवे की बजटीय समर्थन पर निर्भरता फिर बढ़ने लगी। रेलवे का बजटीय समर्थन 1997-98 में 24 प्रतिशत, 1998-99 में 23.2 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) था।

रेलवे बजटीय समर्थन

(प्रतिशत में)

वर्ष	बजटीय समर्थन
1995-96	18 0
1996-97	18 0
1997-98	24 0
1998-99	23 2
1999-2000	26 2

स्रोत इकोनॉमिक टाइम्स, 26 फरवरी 1999

आधारित संरचना

भारत की स्वतंत्रता के पाच दशक पूरे हो चुके हैं किन्तु अनेक क्षेत्र रेल विकास से अछूते हैं। भारत जनाधिक्य की स्थिति में पहुँच चुका है। बढ़ती जनसंख्या के सामने रेलवे विकास के प्रयास अत्यल्प दृष्टिगोचर होते हैं। हरेक वर्ष नई रेलगाड़ियाँ चलाने के बावजूद रेल डिब्बों में बढ़ती भीड़ कम होने का नाम नहीं लेती है। रेल बजट में 1999-2000 को "यात्री वर्ष" के रूप में मनाने की बात कही गई है किन्तु देश की आवश्यकता के अनुसार रेलवे विकास नहीं होने के कारण हरेक वर्ष यात्रियों के लिए यातना वर्ष के रूप में बीतता है। ताज़े बजट में रेलवे विकास की दिशा में कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं। वर्ष 1999-2000 में 14 नई रेलगाड़ियाँ चलाने तथा 16 नई रेल लाइनें विद्यमान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा चार रेल गाड़ियों के फेरे बढ़ाने तथा नौ गाड़ियों का चालन क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। रेल बजट में 500 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रेलवे विकास की दृष्टि से देश में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या व्याप्त है। बजट पेश किए जाने से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों से रेलवे विकास की मांग उठती है। रेल विकास संबंधी निर्णय अनेक बार राजनीति प्रेरित होते हैं। राजस्थान सामरिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण राज्य है। इसके बावजूद राजस्थान रेलवे विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। वर्ष 1999-2000 के रेल बजट में राजस्थान में रेलवे विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। राजस्थान से केवल एक रेलगाड़ी जयपुर-दिल्ली वाया सिकंदराबाद (राप्ताह में दो बार) चलाने की घोषणा की गई है। एक रेलगाड़ी मीटर गेज की बीकानेर - जयपुर एक्सप्रेस का चालन क्षेत्र अजमेर तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। एक अन्य रेलगाड़ी दिल्ली-गांधी धाम राजस्थान होकर गुजरेगी। इसके अलावा राजस्थान से संबंधित अनुपगढ़-

बीकानेर, जैसलमेर-काडला, रामगंजमंडी-झालावाडा-भोपाल मार्गों पर नई रेल लाईन के सर्वेक्षण की घोषणा की गई है। इनके अलावा राजस्थान को और कुछ नहीं मिला है। राजस्थान की महत्ता को दृष्टि में रखते हुए अधिक नई रेल गाड़ियां चलाने, पुरानी गाड़ियों के फेरे बढ़ाने, गेज परिवर्तन व अधिक विद्युतीकरण की आवश्यकता है। जयपुर-सवाईमाधोपुर रेल लाईन का विद्युतीकरण नहीं किया जाना राजस्थान की उपेक्षा दर्शाता है। जयपुर-चेन्नई एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जयपुर-सवाईमाधोपुर रेलगाड़ी का चालन क्षेत्र कोटा तक बढ़ाया जाना चाहिये। एक रेलगाड़ी जयपुर-भोपाल बाया बारा चलाने की आवश्यकता है।

अच्छे निर्णय

रेल बजट में कुछ अच्छे निर्णय लिए गए हैं। प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ियों में 5 जून 1999 से सिगरेट, बीडी की बिक्री बन्द करने का निर्णय प्रशंसनीय है किन्तु साथ गुटक, जर्दे, तम्याकू आदि की बिक्री बंद करने की आवश्यकता है। रेलगाड़ियों में आजकल शराब पीकर यात्रा करने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने की आवश्यकता है। रेलमंत्री ने वर्ष 1999-2000 को यात्री वर्ष घोषित किया है। आशा की जाती है कि इस वर्ष यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए बजट में राष्ट्रीय पूछताछ प्रणाली की स्थापना टेली बुकिंग के लिए पायलट परियोजना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में कस्टमर केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना, यात्री आरक्षण प्रणाली में चेन्नई को 31 मार्च 1999 तक नेटवर्क से जोड़ना, 150 स्टेशनों पर यात्रियों की शिकायत मोनीटरिंग कम्प्यूटर द्वारा की जाना, इंटर एक्टिव वापस रिस्पास प्रणाली की सुविधा का 44 स्टेशनों तक विस्तार किया जाना आदि महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। इसके अलावा विकलांगों, पत्रकरो व कुलियों के लिए रियायतों में वृद्धि करना अच्छी बात है। किन्तु माल भाडे में बढ़ोतरी तथा ऊंचे दर्जे की यात्रा महंगी करना बजट के कठोर कदम हैं। माल भाडे में की गई बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति बढ़ेगी जो पहले ही फरवरी 1999 के आखिरी सप्ताह में 5 प्रतिशत को छू गई है। इसकी मार निश्चित रूप से गरीबों पर पड़ेगी। ऊंचे दर्जे की रेल यात्रा बहुत महंगी होने से धनिकों की जेब भी खाली होगी।

दृष्टिकोण

हरेक वर्ष पेश किए जाने वाले रेल बजट में आम आदमी उपेक्षित रह जाता है। यह बात अवश्य सही है कि विगत वर्षों में रेलगाड़ियों के सामान्य

श्रेणी के किराये में ज्यादा वृद्धि नहीं की गई है, इससे आम आदमी को राहत मिली। किन्तु सवारी गाड़ियों की दशा सुधारने के कारण प्रयास नहीं किए गए हैं। भारत की सवारी रेलगाड़ियों और तीव्र गति की रेलगाड़ियों के सामान्य कोच में यात्रा की दशा शोचनीय है। रेलगाड़ियों में गन्दगी का बड़ा कारण स्वयं रेल यात्री भी हैं। रेल यात्री चाहकर भी रेल सुधार में योगदान नहीं कर पाते हैं। रेलों का विकास देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं हुआ है। कई रेलगाड़ियों में इतनी भीड़ होती है कि यात्रियों के लिए हिलना डुलना भी कठिन हो जाता है। रेलों में अपराध प्रवृत्ति तीव्रता से घट रही है। कुली, कर्मचारी यात्रियों को लूटने पर तुले रहते हैं। रेलवे कर्मचारियों के द्वारा अनेक बार रेल डिब्बों के ताले रेल प्रस्थान समय के कुछ मिनट पूर्व ही खोले जाते हैं ऐसे में यात्रियों का रेल डिब्बों में प्रवेश बेहत कष्टप्रद होता है जब कतरे न जाने कितने यात्रियों की जेबें शॉफ कर लेते हैं। फिर रेल डिब्बों के भीतर सीटों के लिए झगड़े रेलवे की दैनन्दिनी समस्या है। यात्री परस्पर मारपीट पर उतारू रहते हैं। रेल डिब्बों में यात्रियों की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती है। समूह में चढ़ने वाले यात्रियों की दादागिरी को आसानी से देखा जा सकता है। आज रेल यात्रा जोखिमपूर्ण हो गई है। व्यक्ति मजबूरी में ही रेलयात्रा करना पसन्द करता है।

सरकार को सबसे पहले रेल यात्रियों की सुरक्षा के वास्ते कड़े कदम उठाने चाहिए। रेलवे सुरक्षा कर्मियों को सामान्यतया अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों की जानकारी होती है। रेलवे पुलिस को चाहिए कि अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों को कारागृह में बन्द करें। सुरक्षा कर्मियों को मूकदर्शक बने नहीं रहना चाहिए। रेल गाड़ियों का विलम्ब से पहुंचना एक बड़ी समस्या है इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। लम्बी दूरी की तेज गति की सभी गाड़ियों में कम से कम चार सामान्य श्रेणी के कोच होने चाहिए, चाहे बदले में स्लीपर कोच कम कर दिए जाए। सामान्य श्रेणी के कोच बढ़ने पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत महसूस होगी। रेलवे में टिकिट जाच करने वाले कर्मचारी रेलवे को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हैं। इन कर्मचारियों ने स्वयं की ही आर्थिक स्थिति मजबूत की है। अनेक बार बिना टिकिट यात्रियों से रुपए वसूल कर रेलवे रसीद नहीं दी जाती है। कितने ही यात्री रेल कर्मचारियों की मदद से मुफ्त में यात्रा करते हैं। रेलवे में नियुक्त सुरक्षा प्रहरी भी टिकिट से थोड़ी कम राशि लेकर लोगों को यात्रा करने लगे हैं। क्या रेल मंत्रालय बिना टिकिट रेल यात्रियों और ब्रूट रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठायेगा? रेलवे में बढ़ते भ्रष्टाचार को नियंत्रित करके रेल राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।

16

राजस्थान का बजट 1999-2000 : राजस्व घाटे से बढ़ता कर्ज भार

राजस्थान के तत्कालीन वित्तमंत्री चन्दनमल वैद ने 26 मार्च 1999 को राज्य विधान सभा में वर्ष 1999-2000 का बजट पेश किया। बजट पेश किए जाते समय भारतीय अर्थव्यवस्था समेत अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। राजस्थान की नई सरकार ने हाल ही (19 मार्च 1999) राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें अर्थव्यवस्था की माली हालत पर चिन्ता प्रकट की गई है। पिगत वर्षों में विभिन्न आर्थिक सूचको में राजस्थान के आर्थिक विकास की बात कही जाती रही है किन्तु वास्तविकता यह है कि राजस्थान आज भी विकास के क्षेत्र में देश के कई राज्यों से पीछे है तथा अर्थव्यवस्था संकट की घपेट में है। वर्ष 1998-99 में राज्य में प्रतिव्यक्ति आय में गिरावट आई है तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन में नाम मात्र की वृद्धि हुई है। प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान के औसत का अनुपात राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय तथा राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में 268 रुपए का अन्तर था जो 1996-97 के अन्त में बढ़कर 514 रुपए हो गया। स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1994-95 में 2,060 रुपए थी जो बढ़कर 1997-98 में 2,306 रुपए हो गई किन्तु 1998-99 में 1.3 प्रतिशत कम होकर 2,275 रुपए रह गई। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में अवश्य वृद्धि हुई। प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1997-98 में 9,356 रुपए थी जो 1998-99 में 4.94 प्रतिशत बढ़कर 9,819 रुपए (अनुमानित) हो गई। शुद्ध घरेलू उत्पादन 1980-81 के स्थिर मूल्यों पर 1997-98 में 11,599 करोड़ रुपए थे जो मामूली 0.42 प्रतिशत बढ़कर 1998-99 में 11,648 करोड़ रुपए

(अनुमानित) हो गया। प्रचलित मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद 1997-98 में 47,055 करोड़ रुपए था जो 684 प्रतिशत घटकर 1998-99 में 50,271 करोड़ रुपए हो गया।

कृषि के क्षेत्र में राज्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आई है। खाद्यान्न उत्पादन 1997-98 में 140.33 लाख टन था जो 20 प्रतिशत घटकर 1998-99 में 112.25 लाख टन (संभावित) रह गया। अनाज के उत्पादन 1997-98 में 114 लाख टन से घटकर 1998-99 में केवल 92 लाख टन (संभावित) रह गया। अनाज के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 19.3 प्रतिशत की कमी हुई। मन्ने का उत्पादन 1997-98 में 11.59 लाख टन था जो घटकर 1998-99 में 9.54 लाख टन रह गया। फेदल तिलहन के उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई। तिलहन का उत्पादन 1997-98 में 32.96 लाख टन था जो बढ़कर 1998-99 में 35.58 लाख टन हो गया। तिलहन के उत्पादन में 1998-99 में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नब्बे के दशक में अर्थव्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट आई। सिंचित क्षेत्र के नहीं बढ़ने से कृषि विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकी। कृषि के पिछडने के कारण औद्योगिक उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हुई। कृषि तथा उद्योगों को पिछडने से बेरोजगारी की समस्या जटिल हो गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें चक्र के अनुसार राजस्थान में 1992-93 में 204 लाख लोग बेरोजगार थे। बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर 1996-97 में 586 लाख हो गई। बेरोजगारी की बढ़ती संख्या को देखते हुए सन् 2000 तक "सबके लिए रोजगार" का लक्ष्य प्राप्त करना जटिल है।

राज्य की अर्थव्यवस्था ऋण भार में डूबी हुई है। हाल के वर्षों में ऋण वृद्धि दर अत्यधिक रही है। ऋण पर ब्याज का भारी बोझ है। प्रदेश ऋण के जाल में फंसने के कारण घर पहुँच चुका है। राजस्थान पर कुल ऋण भार 1995-96 में 14,103 करोड़ रुपए, 1996-97 में 16,775 करोड़ रुपए, 1997-98 में 19,834 करोड़ रुपए तथा 1998-99 में 23,840 करोड़ रुपए (अनुमानित) था। वर्ष 1998-99 में ऋण भार में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1995-96 में राजस्थान पर प्रति व्यक्ति ऋण 2,830 रुपए था। प्रायः ऋण का विकास कार्यों में अक्षेपित उपयोग नहीं किए जाने के कारण राजस्थान विकास की दौड़ में दूसरे राज्यों से पिछडा हुआ है। वर्ष 1991-92 से 1996-97 के 6 वर्षों में सकल घरेलू उत्पादन की औसत वृद्धि दर राजस्थान में 5.58 प्रतिशत थी जबकि यह गुजरात में 8.23 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 7.96 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 7.90 प्रतिशत, त्रिपुरा में 7.8 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 6.82 प्रतिशत, कर्नाटक में 6.11 प्रतिशत तथा तमिलनाडु

में 5.71 प्रतिशत थी।

ताजे बजट (1999-2000) में राजस्थान की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के प्रयास दृष्टिगोचर होते हैं। बजट में एक ओर आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। राज्य की वित्तीय दशा को सुधारने के लिए बजट में कुछ कठोर कदम उठाये गये हैं। बिजली व सिंचाई दरों में वृद्धि की गई है। वेतन भोगियों पर व्यवसाय कर लगा दिया है जिन पर पहले ही आयकर का भार अधिक है।

बजट एक दृष्टि

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	मर्दे	1998-99 बजट अनुमान	1998-99 संशोधित अनुमान	1999-2000 बजट अनुमान
1.	राजस्व प्राप्तियां	10189.47	8838.10	10165.26
2.	राजस्व व्यय	11521.56	11771.55	13556.76
3.	राजस्व घाटा	-1332.09	-2933.45	-3391.90
4.	पूँजीगत प्राप्तियां	5758.41	8260.79	7195.86
5.	पूँजीगत व्यय	4198.12	6301.83	4405.95
6.	पूँजीगत खाते में आधिक्य	1560.29	1958.96	2789.91
7.	बजटीय अधिशेष/घाटा	228.20	-974.49	-601.59
8.	प्रारम्भिक घाटा	-227.34	-227.34	----
9.	अन्तिम अधिशेष/घाटा	86 00	-1201.83	----

स्रोत. राजस्थान राज्य बजटों से संकलित।

राजस्थान के राजस्व घाटे में तीव्र बढ़ोतरी हुई है। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कम हैं। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 1,332.09 करोड़ रुपए था जो संशोधित अनुमानों में 2,933.45 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वर्ष 1999-2000 में राजस्व प्राप्तियां 10,165.26 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय 13,556.76 करोड़ रुपए अनुमानित है जिससे राजस्व घाटे के 3,391.50 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। राजस्व घाटे के बढ़ने से प्रदेश के ऋण भार में भारी वृद्धि हुई है तथा बजट घाटा भी बढ़ा है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में बजटीय अधिशेष 228.20 करोड़ रुपए आका गया था जो संशोधित अनुमानों में

974.49 करोड़ रूपए के बजट घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1999-2000 में पूजीगत प्राप्ति 7,195.86 करोड़ रूपए, पूजीगत व्यय 4,405.95 करोड़ रूपए तथा पूजीगत खाते में अधिव्यय 2,789.91 करोड़ रूपए अनुमानित है तथा 601.59 करोड़ रूपए का बजटीय घाटा छोड़ा गया है। वर्ष 1999-2000 के बजट में वर्ष 1998-99 के अंतिम घाटा के 1,201.83 करोड़ रूपए का कोई इतजाम नहीं किया गया है। इसकी पूर्ति के लिए राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार की सहायता का इतजार है। राज्य सरकार के 762 करोड़ रूपए के अतिरिक्त ससाधन जुटाने का प्रस्ताव किया है जिससे 601.59 करोड़ रूपए के घाटे का बजट 160.41 करोड़ रूपए के अधिशेष बजट में बदल गया।

विकास की गति वार्षिक योजनाओं के आकार पर निर्भर करती है। राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 27,650 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है। नौवीं योजना के दो वर्ष बीत चुके हैं। वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना 3,240.35 करोड़ रूपए (वास्तविक) थी। वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना 4,300 करोड़ रूपए स्वीकृत की गई थी जो 1997-98 की वार्षिक योजना परिव्यय से 32.70 प्रतिशत अधिक थी। किन्तु 1998-99 की वार्षिक योजना सशोधित अनुमानों में 4,078 करोड़ रूपए रही। वार्षिक योजना बजट अनुमानों की तुलना में 222 करोड़ रूपए अर्थात् 5.2 प्रतिशत कम है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया है जो 1998-99 की सशोधित वार्षिक योजना की तुलना में 23.15 प्रतिशत अधिक है। वार्षिक योजना में उत्पादन व रोजगार में वृद्धि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली व सिंचाई परियोजनाओं का विकास व पेयजल आदि पर विशेष बल दिया गया है। वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना परिव्यय का 31 प्रतिशत सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर, 19 प्रतिशत विद्युत पर, 15 प्रतिशत परिवहन पर, 13 प्रतिशत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर, 8 प्रतिशत ग्रामीण व विशेष क्षेत्रीय विकास पर, 7 प्रतिशत कृषि व सब्सिडी सेवाओं पर, 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर तथा 3 प्रतिशत विविध पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। केन्द्र तथा राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद वार्षिक योजना के आकार में वृद्धि से राज्य में विकास की गति तेज होगी।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति धीमी रही जबकि राजस्थान खनिजों का अजायबखर होने के कारण यहाँ औद्योगिक विकास की दिपुल समावनाएँ हैं। औद्योगीकरण में पिछड़ने का प्रमुख कारण आधारभूत

सरचना का अभाव रहा है। इसके अलावा आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजस्थान विदेशी निवेशको को अधिक आकर्षित नहीं कर सका। सार्वजनिक पूंजी निवेश भी प्रान्त में तुलनात्मक रूप से कम है। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगीकरण को गति देना आवश्यक है। ताजे बजट में औद्योगीकरण और आधारभूत सरचना के प्रयास दृष्टिगोचर हुए हैं। औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए नवीन ब्याज अनुदान योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है। इसमें औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन ऋण लेने पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु 5 करोड़ रुपए का "रिवाल्डिंग फण्ड" स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें छोटी से छोटी ग्रामीण उद्योग इकाइयों को ऋण और सहायता सुलभ होगी।

सड़कें और विद्युत प्रमुख आधारभूत सरचना और विकास का प्रमुख माध्यम है। सड़क विकास के लिए 1999-2000 में 51584 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में 1,350 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 265 पंचायत मुख्यालयों सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा विश्व बैंक की सहायता से राज्य में हाइवे परियोजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1999-2000 में विद्युत क्षेत्र के लिए 94880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 700 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 30 हजार कुओं का उर्जीकरण किए जाने का लक्ष्य है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दशा को सुधारने में मदद मिलेगी।

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य की 16 हजार बस्तियों में प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इन केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को राज्य सरकार पुस्तकें निशुल्क देगी। इसके अलावा कुर्सी-टेबल, टाट पट्टी तथा भवन के रख-रखाव आदि व्यवस्था के लिए 8 हजार रुपए तक का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 1999-2000 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 2,67575 करोड़ रुपए व्यय किए जाने का प्रावधान है। बजट में एक हजार प्राथमिक 400 उच्च प्राथमिक तथा 200 माध्यमिक विद्यालयों की क्रमोन्नति की घोषणा की गई है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। यहां निरक्षरता का अंधकार अभिशाप बना हुआ है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में 61.45 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। पुरुषों में निरक्षरता 45 प्रतिशत है। महिला निरक्षरता की समस्या तो बहुत ही विषम है। राज्य में 80 प्रतिशत महिलाएँ निरक्षर हैं। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से शिक्षा की दशा में सुधार की आशा की जा सकती है। किन्तु

राजस्थान में नए विद्यालयों की स्थापना तथा पुराने विद्यालयों की क्रमोन्नति के साथ शैक्षिक अवसरचना में भी सुधार की महती आवश्यकता है। आज अधिकांश विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री नहीं है, अध्यापकों का अभाव है, भवनो का अभाव है तथा भवन जर्जर अवस्था में हैं, विद्यालयों के चारों ओर दीवारें नहीं हैं, आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा को स्तरीय बनाए रखने की आवश्यकता है। हाल ही (मार्च 1999) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न-पत्र "आउट" होने के कारण परीक्षाएँ स्थगित करनी पड़ी हैं। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए राज्य सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे।

विगत वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियाँ कम तथा राजनीति अधिक होने लगी। उच्च शिक्षा संस्थाएँ राजनीति के अखाड़े के रूप में उभरीं। उच्च शिक्षा की बिगड़ी दशा सुधारना राज्य सरकार के लिए चुनौती है। उच्च शिक्षा के लिए 1999-2000 में 213.63 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है जो 1998-99 के बजट अनुमानों से 17.25 करोड़ रुपये अधिक है। प्रदेश में ग्यारह नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। जोधपुर में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बढ़ती छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अनेक नए सहाय खोलने की भी घोषणा की गई है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा की दशा बेहतर बनाने वास्ते सचेष्ट है।

ताजा बजट राजस्थान की विषम आर्थिक स्थिति में पेश किया गया सतुलित बजट है। बजट में आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास पर भी बल दिया गया है। समाज के कमजोर और उपेक्षित लोगों की दशा सुधारने के भी कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की भी सुध ली गई है। आर्थिक मोर्चे पर राजस्थान की स्थिति दयनीय है। रुपये का 48 प्रतिशत आयोजना भिन्न व्यय तथा 15 प्रतिशत व्याज सदाय पर खर्च हो रहा है जबकि आयोजना व्यय पर केवल 20 प्रतिशत ही खर्च हो रहा है। बढ़ता ऋण भार चिन्ताप्रद बात है। सत्ताधनों की प्राप्ति में रुपये का 41 प्रतिशत केन्द्रीय ऋण और आन्तरिक उधार से प्राप्त होता है। गजस्व घाटे के बढ़ने से ऋण भार में और वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य में बेरोजगारी, निरक्षरता, गरीबी, क्षेत्रीय विषमता आदि समस्याएँ मुहंभाएँ खड़ी हैं। वर्तमान राज्य सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे।

दयनीय औद्योगिक स्थिति और सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश

औद्योगिक विकास आधुनिक युग की अनिवार्यता है। आज आर्थिक विकास औद्योगीकरण पर निर्भर है। आर्थिक और सामरिक दृष्टि से सम्पन्न और विकसित कहे जाने वाले देश औद्योगीकरण द्वारा ही विकास के शिखर तक पहुंचे हैं। आज विश्व के सभी विकासशील देश तीव्र औद्योगिक विकास के लिए प्रयत्नरत हैं। भारत में स्वातन्त्र्योत्तर औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने के तारते 6 अप्रैल, 1948 को राष्ट्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक नीति की घोषणा कर आधारभूत उद्योगों पर जोर दिया गया। फलस्वरूप सातवीं-मूठवीं योजना के प्रारम्भ होने तक औद्योगिक विकास सबंधी व्यापार आधारभूत ढांचा तैयार हो चुका था।

भारत ने विश्व के परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य के साथ कदमताल करते 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। आर्थिक सुधारों के दौरान अर्थव्यवस्था में अनेक सारचनात्मक बदलाव किए गए। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तन उल्लेखनीय हैं। नयी नीति में औद्योगिक लाइसेंसिंग, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र, एकाधिकार तथा प्रतिवधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम तथा लघु उद्योगों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। औद्योगिक नीति में किए गए परिवर्तनों से देश में औद्योगिक विकास का वातावरण बना।

नियोजित विकास की एक उपलब्धि सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास है। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों में भारी पूजी निवेश किया गया, जिससे अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका बढ़ी।

प्रतिशत, खान एवं खदान में 5.6 प्रतिशत तथा विजली में 9.3 प्रतिशत थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में औसत औद्योगिक वृद्धि दर 8.02 प्रतिशत रही।

नौवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का उपरिव्यय 8,75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। इसमें उद्योग तथा खनन क्षेत्रक का परिव्यय 71,684 करोड़ रुपए प्रस्तावित है जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का 8.2 प्रतिशत है। नौवीं योजना में उद्योगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को व्यावसायिक आधार पर चलाने, बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने और दोनों में परस्पर प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने तथा दरों के निर्धारण के लिए नियामक एजेंसियों के गठन की रणनीति पर अमल किया जाएगा।

आर्थिक उदारीकरण में औद्योगिक विकास

भारत में आर्थिक उदारीकरण के दस वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन वर्षों में आर्थिक सुधारों के दस परिचायक बजट पेश किए जा चुके हैं। एक जून 1998 को वित्त मंत्री यशवत सिन्हा ने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने वाला बजट लोकसभा में पेश किया। आर्थिक उदारीकरण के दौर में औद्योगीकरण को गति देने का प्रयास किया गया है; वर्ष 1991-92 में कृषि आधारित उद्योगों को उत्पादन शुल्क से मुक्त किया गया, इस निर्णय से कृषि आधारित उद्योगों के उत्पाद सरते हुए। वर्ष 1993-94 में औद्योगिक पुनरुत्थान पर बल दिया गया। देश में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने व उनके लिए उत्साहवर्द्धक वातावरण बनाने के लिए आयात शुल्क में अप्रत्याशित कमी की। आयात शुल्कों में भारी कटांती से भारतीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पाद शुल्क में छूट दी गई। वर्ष 1994-95 में आयात शुल्क की उच्च दरों को 85 प्रतिशत से घटाकर 65 प्रतिशत किया गया लेकिन यात्री सामान और शराब पर शुल्क की ऊंची दर अपरिवर्तित रखी। उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के आयात पर उल्लेखनीय छूट दी गई। सीमा शुल्क की अधिकतम दरें 85 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत की गईं। मशीनों, औजारों पर लगने वाले 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत की दरों के स्थान पर सीमा शुल्क की केवल दो दरें 35 प्रतिशत और 45 प्रतिशत लागू की गईं। नियमित कर ढांचे में भी सुधार किया गया। बहुजनाधारित कम्पनियों पर 45 प्रतिशत तथा अन्य कम्पनियों पर 50 प्रतिशत कर के भेद को समाप्त कर दोनों दरों को कम कर के 40 प्रतिशत की एकल दर लागू की गई।

सरकार ने उद्योगों को करो के जबरदस्त बोझ से मुक्त करने की पहल की। भारतीय उद्योग विदेशी उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आए। वर्ष 1995-96 में आयात शुल्क की अधिकतम सीमा घटाकर 50 प्रतिशत की गई। मशीनी औजारों पर आयात शुल्क की 35 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत की दर से घटाकर 25 प्रतिशत किया गया। आयात शुल्कों में की गई कमी से स्वदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में टिकने में कठिनाई हुई। देशी उद्योगों की दशा सुधारने के लिए उत्पाद शुल्कों में कटौती की गई। औद्योगीकरण की व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए उच्च कोटि के आधारभूत ढांचे के विस्तार के लिए राजमार्गों, तीव्रगामी मार्गों, नये दिमान् पत्तनों, नौ पत्तनों और तीव्र गामी जल परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे सबंधी सुविधाएं निर्मित और प्रचलित करने वाले उद्यम को करावकाश का प्रावधान किया गया।

भारत में डा मन मोहन सिंह आर्थिक सुधारों के शिल्पी कहे जाते हैं। डा सिंह ने 1991-92 से 1995-96 तक लगातार पांच केन्द्रीय बजट लोक सभा में पेश किए। इन सभी बजटों में आर्थिक सुधारों की छाप परिलक्षित हुई। वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। औद्योगिक विकास का वातावरण बना किन्तु कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिए जाने के कारण ग्रामीण परिवेश की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ।

कांग्रेस के बाह्य समर्थन से 1996-97 में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्तारूढ़ हुई। संयुक्त मोर्चा सरकार ने न्यूनतम फेरबदल के साथ कांग्रेस की ही आर्थिक नीतियों को जारी रखा। औद्योगीकरण के लिए नीतिगत बदलाव नहीं किया गया। वर्ष 1996-97 में आधारभूत ढांचे का विकास तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया गया। ढांचागत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शयर पूंजी से आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई. डी. एफ. सी.) की स्थापना की गई। इसी वर्ष विनिवेश आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया तथा 1996-97 में विनिवेश से 5,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योगों को तकनीक आयात करने की सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर सात करोड़ रुपए कर दी। सरकार ने 51 प्रतिशत विदेशी निवेश जुटाने में सक्षम 35 उद्योगों की सूची को बढ़ाने का निर्णय किया।

उद्योग तथा खनन विकास शीर्ष पर 1997-98 की वार्षिक योजना में 11,199 80 करोड़ रुपए परियोजना का प्रावधान किया गया जो वार्षिक योजना

परिव्यय का 12.19 प्रतिशत था। वर्ष 1997-98 में विदेशी निवेश के प्रवाह में वृद्धि के लिए अनिवासी भारतीयों और विदेशी कम्पनियों द्वारा किसी भी कम्पनी में निवेश की 24 प्रतिशत की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा उपक्रम पूंजी निधियों द्वारा किसी भी कम्पनी में अपनी संचित राशि के 5 प्रतिशत तक निवेश की सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। कर ढांचे में भी व्यापक सुधार किया गया।

केन्द्रीय बजट 1998-99 और उद्योग

बारहवीं लोकसभा चुनाव बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हुई। वित्त मंत्री यशवत सिन्हा द्वारा एक जून 1998 को लोक सभा में पेश किए गए 1998-99 के बजट में औद्योगिक विकास के लिए नयी पहल की। सभी आयातों पर 8 प्रतिशत आयात कर आरोपित किया गया जिसे बाद में घटाकर 4 कर दिया गया। इससे घरेलू उद्योगों की दशा में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होगी। आयात कर में वृद्धि होने से विदेशी उत्पाद महंगे होंगे जिससे घरेलू कम्पनियों प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगी। केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने वाले आधारभूत संरचना क्षेत्र के योजना परिव्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि की है तथा कोयला लिग्नाइट तथा पेट्रोलियम उत्पादों को लाइसेंस से मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी की सीमा को दोगुना 4 करोड़ रूपए कर दिया गया है।

वर्तमान औद्योगिक स्थिति

आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भ में औद्योगिक वृद्धि में भारी गिरावट थी। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट था। बाद के वर्षों में आर्थिक संरचना में किए गए मूलभूत बदलावों के कारण औद्योगिक विकास में सुधार की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई। 1995-96 की औद्योगिक वृद्धि उल्लेखनीय थी, किन्तु अगले ही वर्ष 1996-97 में औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है। औद्योगिक वृद्धि दर 1991-92 में केवल 0.6 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1992-93 में 4.2 प्रतिशत, 1993-94 में 6.6 प्रतिशत तथा 1994-95 में 10.4 प्रतिशत हो गई। औद्योगिक वृद्धि दर 1995-96 में 12.5 प्रतिशत तक जा पहुंची थी, किन्तु बाद के वर्षों में यह घटी। औद्योगिक वृद्धि दर 1996-97 में घटकर 5.6 प्रतिशत तथा 1998-99 में और घटकर केवल 4 प्रतिशत रह गई।

उपयोगिता आधारित वर्गीकरण अनुसार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर
(प्रतिशत वृद्धि)

उद्योग समूह	1991-92	1993-94	1994-95	1995-96	1997-98	1998-99
1 मूल उद्योग	6.2	9.4	5.5	8.7	7.0	1.4
2 पूंजीगत वस्तु उद्योग	-12.8	-4.1	24.8	17.8	4.0	12.7
3 मध्यवर्ती वस्तु उद्योग	-0.7	11.7	3.7	10.2	6.9	5.9
4 उपभोग वस्तु उद्योग	-1.8	4.0	8.7	12.5	4.6	2.4
(1) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	-12.5	16.1	10.2	37.1	7.8	4.7
(2) उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं	1.2	1.3	8.4	6.4	5.2	1.8

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1996-97, तथा 1999-2000, पृ 116, दी इकोनॉमिक टाइम्स 29 मई 1998

उपयोगिता आधारित औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हुई। वर्ष 1994-95 में पूंजीगत वस्तु उद्योग में 24.8 प्रतिशत की महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। मूल उद्योग की वृद्धि दर 1995-96 में 8.7 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 7 प्रतिशत, पूंजीगत वस्तु उद्योग वृद्धि दर 1995-96 में 17.8 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 4 प्रतिशत, मध्यवर्ती वस्तु उद्योग में वृद्धि दर 1995-96 में 10.2 प्रतिशत से घटकर 1997-98 में 6.9 प्रतिशत तथा उपभोग वस्तु उद्योग की वृद्धि दर 1995-96 में 12.5 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई।

प्रमुख आधारभूत औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत, कोयला, इस्पात, कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद तथा सीमेन्ट को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण के वर्षों में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर में उच्चावचन की प्रवृत्ति रही। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 1991-92 में 4.6 प्रतिशत थी जो 1992-93 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 1993-94 में 5.3 प्रतिशत, 1994-95 में 7.8 प्रतिशत तथा 1995-96 में 7.9 प्रतिशत थी। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र वृद्धि दर 1996-97 में घटकर 3.4 प्रतिशत (प्राविजनल) तथा अप्रैल-फरवरी 1997-98 में 4.6 प्रतिशत रह

गई। वर्ष 1995-96 में विद्युत वृद्धि दर 83 प्रतिशत, कोयला वृद्धि दर 64 प्रतिशत, इस्पात वृद्धि दर 89 प्रतिशत, कच्चा तेल वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पाद वृद्धि दर 39 प्रतिशत तथा सीमेंट वृद्धि दर 112 प्रतिशत थी। अप्रैल-फरवरी 1997-98 में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर इस प्रकार रही - विद्युत 67 प्रतिशत, कोयला 39 प्रतिशत, इस्पात 05 प्रतिशत, कच्चा तेल 33 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पाद 36 प्रतिशत तथा सीमेंट 94 प्रतिशत। अप्रैल-फरवरी 1997-98 में गत वर्ष इसी समयावधि की तुलना में विद्युत, कच्चा तेल और सीमेंट उत्पादन में वृद्धि हुई जबकि कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद में कमी दर्ज की गई।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बदलाव

मई 1998 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का आधार वर्ष 1980-81 से बदलकर 1993-94 किया गया था। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना के लिए 191 और वस्तुओं को सम्मिलित किया गया, जिससे वस्तुओं की संख्या 352 से बढ़कर 543 हो गई है। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना के लिए 543 वस्तुओं में 478 वस्तुएं निर्माण क्षेत्र, 49 वस्तुएं खनन तथा एक वस्तु विद्युत क्षेत्र से ली गई है। आधार वर्ष बदलने के कारण औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक से वर्ष 1997-98 की सकल औद्योगिक विकास की संशोधित वृद्धि दर 66 प्रतिशत हो गई। सूचकांक में बदलाव के कारण उत्पादन और खनन क्षेत्र की वृद्धि दर के समक भी बदल गए हैं। खनन क्षेत्र वृद्धि दर पहले 4.9 प्रतिशत अब 5.6 प्रतिशत तथा उत्पादन क्षेत्र वृद्धि दर पहले 3.6 प्रतिशत अब 6.6 प्रतिशत हो गए। विद्युत क्षेत्र दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश

योजनाबद्ध विकास में सार्वजनिक उपक्रमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का मुख्य ध्येय सरकारी आय का महत्वपूर्ण स्रोत तथा दुर्तगति से औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना था। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक उपक्रमों का तीव्र विकास हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में (एक अप्रैल 1951) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या 5 थी तथा उनमें कुल पूंजी निवेश 29 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 1997 को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़कर 236 तथा पूंजी निवेश 2,02,000 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1970-71 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 660 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इन उपक्रमों को 1.45 करोड़ रुपए का सकल लाभ हुआ। पूंजी पर सकल लाभ

का प्रतिशत 4 था। वर्ष 1995-96 में रोजगार बढ़कर 20.51 लाख हो गया। सकल लाभ 27,990 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। पूंजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 16। था।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में 1993-94 में लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों की संख्या 120 तथा घाटा देने वाले उपक्रमों की संख्या 117 थी। विनियोजित पूंजी 1,59,307 करोड़ रुपए थी। सकल उपात (Gross Margin) 27,600 करोड़ रुपए, सकल लाभ 18,438 करोड़ रुपए तथा शुद्ध लाभ 4,435 करोड़ रुपए था। लाभ देने वाले उपक्रमों का लाभ 9,722 करोड़ रुपए तथा घाटा देने वाले उपक्रमों का घाटा 5,287 करोड़ रुपए था। विनियोजित पूंजी पर सकल उपात की दर 17.33 प्रतिशत तथा विनियोजित पूंजी पर सकल लाभ का प्रतिशत 11.59 था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विगत दशक में प्रत्याय दर में विशेष वृद्धि नहीं हुई है। विनियोजित पूंजी पर शुद्ध लाभ 1981-82 में 2.03 प्रतिशत था जो थोड़ा बढ़कर 1990-91 में 2.23 प्रतिशत हो गया। विनियोजित पूंजी पर शुद्ध लाभ 1991-92 में 2 प्रतिशत, 1992-93 में 2.33 प्रतिशत तथा 1993-94 में 2.78 प्रतिशत रहा। वर्ष 1996-97 में 245 सार्वजनिक उपक्रम ऐसे थे जिन्हें पर्याप्त लाभकारी बनाने के लिए 17 खरब 30 अरब रुपए के निवेश की आवश्यकता थी। इनमें से 130 उपक्रमों का मुनाफा करीब 1 खरब 20 अरब का था। ये सरकारी खजाने में 260 अरब रुपए का योगदान देते थे और निर्पात में 1 खरब 40 अरब रुपए की आय करते थे। करीब 109 उपक्रम 50 अरब रुपए के भारी घाटे में घल रहे थे। यह घाटा कुल मिलाकर 70 अरब रुपए वार्षिक बैटता है, जिसके कारण सरकार को सभी सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में सोचना पड़ रहा है।

केन्द्र सरकार आशान्वित थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विनियोजित विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के वास्ते गुरुत्तर दायित्व निभा सकेंगे किन्तु समय के बीतने के साथ ससाधन जुटाना तो दूर, ये उपक्रम अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए सरकारी सहायता की ओर मुखातिब होने लगे। सार्वजनिक उपक्रमों को दी जाने वाली बजटीय सहायता में भारी वृद्धि हुई। आज घाटे में घल रहे सार्वजनिक उपक्रम केन्द्र सरकार पर भार बने हुए हैं। घाटा देने वाले उपक्रमों की संख्या और घाटा दोनों में वृद्धि हुई। घाटा देने वाले उपक्रमों की संख्या 1981-82 में 83 थी जो बढ़कर 1990-91 में 111 तथा 1993-94 में और बढ़कर 117 हो गई। इन उपक्रमों का घाटा 1981-82 में 8.48 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 3,122 करोड़ रुपए तथा 1993-94 में 5,287 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा।

आर्थिक उदारीकरण में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका में बदलाव आया है। गौरतलब है नियोजित विकास के प्रारम्भिक चार दशकों में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या और उनमें विनियोजित पूँजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सार्वजनिक उपक्रमों के विकास पर आर्थिक उदारीकरण लागू होने के बाद विराम लग गया है। जुलाई 1991 में घोषित की गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में नीतिगत फैसले किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं :

1. नई औद्योगिक नीति, 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को मात्र 8 क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया है। उनमें भी निजी क्षेत्र प्रवेश पा सकेगा। अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को अब निजी क्षेत्र से टक्कर लेनी होगी।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रों में रक्षा से सम्बन्धित उत्पाद और संयंत्र, परमाणु ऊर्जा, धातु, कोयला, तेल व अन्य खनिजों का खनन, अत्यधिक उन्नत तकनीक से बनी वस्तुएं और रेल परिवहन ही रह गया है। अन्य सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए खोले जा रहे हैं।
3. घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों की जांच औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.) करेगा।
4. सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश को बढ़ावा।

सार्वजनिक उपक्रमों के सबंध में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इस क्षेत्र की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का है। अब तक सरकार केवल 20 प्रतिशत ही अपने सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेच सकती थी।

सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश - सार्वजनिक उपक्रमों में गरीब लोगों की लगी अरबों रुपयों की पूँजी पर लाभ की न्यूनतम दर होनी चाहिए। अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे और आर्थिक दुर्दशा को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण और विनिवेश का सुझाव 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने दिया था। उस समय इस सुझाव का भारी विरोध हुआ क्योंकि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रमों की प्रासंगिक भूमिका रही। वर्ष 1995-96 में कुल औद्योगिक उत्पादन में सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान इस प्रकार रहा - कोयला उत्पादन में 97.7 प्रतिशत, लिग्नाईट उत्पादन में 100 प्रतिशत, पेट्रोलियम उत्पादन में 98.2 प्रतिशत, तैयार इस्पात में 41 प्रतिशत, एल्युमिनियम में 53.6 प्रतिशत, कॉपर में 100 प्रतिशत, जिक में 81.7 प्रतिशत। ऐसी

स्थिति में सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण का विरोध स्वाभाविक था। आर्थिक उदारीकरण में जुलाई 1991 में घोषित की गई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का प्रावधान किया गया। केन्द्र सरकार ने उदारीकरण के वर्षों में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का निर्णय लिया।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विनिवेश

(करोड़ रुपए)

वर्ष	लक्ष्य	विनिवेश
1994-95	4000	5607
1995-96	7000	1397
1996-97	5000	455
1997-98	7000	907
1998-99 (ब अ)	5000	5000
1999-2000 (ब अ)	10000	--

स्रोत इकोनॉमिक टाइम्स, नई दिल्ली, 28 अगस्त 1998 तथा इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99.

सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य अर्जित नहीं किए जा सके। वर्ष 1994-95 को छोड़कर बाद के वर्षों में विनिवेश लक्ष्य और विनिवेश में भारी अंतराल बना रहा। वर्ष 1994-95 में बाजार चरम पर था इस कारण विनिवेश लक्ष्य से अधिक 5,607 करोड़ रुपए था। बाद के वर्षों में केन्द्र सरकार को विनिवेश में विफलता हाथ लगी। वर्ष 1996-97 में तो विनिवेश से केवल 455 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके जबकि लक्ष्य 5,000 करोड़ रुपए का था। वर्ष 1997-98 में भी स्थिति सुधर नहीं सकी। इस वर्ष विनिवेश के 7,000 करोड़ रुपए लक्ष्य के मुकाबले केवल 907 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके। वर्ष 1998-99 में चार मुनाफा कमाने वाले उपक्रमों इण्डियन ऑयल, गैस ऑथोरिटी, विदेश संचार निगम एव कटेनर कारपोरेशन के शेयरों को बेचकर 5,000 करोड़ रुपए उगाहने का लक्ष्य रखा गया। इण्डियन एयर लाइन्स के पूंजी ढांचे में परिवर्तन करके अगले तीन वर्षों में इसकी आधी से अधिक पूंजी (51%) को निजी हाथों में सौंपना शामिल है। इसके अलावा साधारण मुनाफा वाले सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग तीन-चौथाई तक की पूंजी निजी हाथों में सौंपना, घाटे में चलने वाले उपक्रमों में कर्मचारियों वास्ते आकर्षक "स्वैच्छिक अदकाश योजना" एव इसके लिए एक पुनर्गठन कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया। वर्ष 1998-99 में विनिवेश का लक्ष्य प्राप्त कर लिया किन्तु 1999-2000 के लिए विनिवेश का बड़ा लक्ष्य

10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जो पूजी बाजार की खस्ता हालत को देखते हुए प्राप्त करना कठिन है। अर्थव्यवस्था पर जून-जुलाई 1999 के कारगिल संकट का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। सितम्बर 1999 में देश को तेरहवीं लोक सभा चुनाव का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में लक्ष्य पूरा होने की संभावना न्यून है।

विनिवेश से प्राप्त राशि का कारगर उपयोग नहीं किया गया। प्रायः बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने में इसका उपयोग किया गया। डॉ. रंगराजन के सुझाव विनिवेश के सम्वन्ध में महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार विनिवेश प्रक्रिया का इस्तेमाल उद्यम प्रभारी पर जिम्मेदारी बढ़ाने के अलावा सरकार के लिए अतिरिक्त ससाधन जुटाने के लिए होना चाहिए जिससे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे सामाजिक क्षेत्र में अधिक सुधार लाया जा सके। विनिवेश से जुटायी राशि का उपयोग सरकार के पुराने ऋणों के भुगतान करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। विनिवेश का उद्देश्य सरकार के बढ़ते घाटे के बोझ को कम करना और वित्त ससाधनों में वृद्धि होना चाहिए।

यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि सार्वजनिक उपक्रम देश पर बोझ सिद्ध हुए हैं। केन्द्र सरकार ने ऋण लेकर सार्वजनिक उपक्रमों को खड़ा किया है। सरकार सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ की तुलना में अधिक ऋण पर ब्याज चुकाने में खर्च करती है। कई अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि केन्द्र सरकार की आर्थिक बढहाली का एक मुख्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर विमल जालान के अनुसार यदि सरकार ने ऋण लेकर उपक्रमों को खड़ा नहीं किया होता तो आज सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती। अनेक राज्यों की आर्थिक बढहाली का प्रमुख कारण राज्य सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा रहा है।

सार्वजनिक उपक्रमों के सम्वन्ध में भारत मलेशिया और अर्जेन्टीना से सीख ले सकता है। मलेशिया में 1983 में 1,100 सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रम थे। मलेशिया में सरकारी खर्च बढ़ने तथा लोक उपक्रमों में घाटे के कारण सरकार ने 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार तथा बड़े उपक्रमों में आंशिक निजीकरण की योजना बनाई। निजीकरण के कारण कम्पनियों के प्रबन्धन में सुधार हुआ तथा कम्पनियाँ लाभ कमाने लगीं। इसी प्रकार अर्जेन्टीना आर्थिक समस्याओं से घिरा था। इसने 1986 से 1997 के बीच सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का दौर चलाया और मोटे तौर पर अब आर्थिक खुशहाली में है।'

भारत में अगर सुनियोजित तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश और निजीकरण किया जाए तो अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रवृत्ति आ सकती है। फरवरी 1997 में विश्व प्रसिद्ध पत्रिका "इकोनोमिस्ट" ने भारत पर सर्वे प्रकाशित किया है। उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि भारत को कुछ खास क्षेत्रों को छोड़कर शेष निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए। भारत ने आर्थिक उदारीकरण के बाद तीव्र विकास की ओर कदम बढ़ाया है। निजीकरण को प्राथमिकता देकर भारत अन्य एशियाई देशों से विकास की दौड़ में आगे निकल सकता है। लोक उपक्रमों में विनिवेश से भारत की गरीब जनता को भी लाभ होगा क्योंकि भारत में लोक उपक्रमों पर सब्सिडी शिक्षा परिव्यय से पाच गुना अधिक है।

अर्थव्यवस्था की दशा को सुधारने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को मिलने वाली धजतीय सहायता में कमी की जानी चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। विनिवेश की सफलता निवेश पर आय, उद्यम में प्रौद्योगिकी सुधार और उपक्रम के बेहतर प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अतः सार्वजनिक उपक्रमों को लाभकारी बनाने के लिए कारगर प्रयास करने चाहिए। अच्छे मुनाफा वाले उपक्रमों में विनिवेश से ससाधन जुटाना आसान है। सार्वजनिक उपक्रमों में 11 नवरत्न हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं - इंडियन ऑयल, आई पी सी एल., तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, एन टी पी सी., भेल, सेल, विदेश संचार निगम। इन उपक्रमों को सरकार ने अधिक स्वायत्तता दी। विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग घाटे वाले उपक्रमों की दशा सुधारने में किया जाना चाहिए। अभी बी आई एफ आर द्वारा घोषित मृतप्राय उपक्रमों को श्रमिकों की समस्या के कारण बन्द नहीं किया है। निर्णय राजनीतिक से परे होने चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश और निजीकरण के मामले में आम सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए ताकि सरकार के बदलने का प्रभाव सार्वजनिक उपक्रमों की नीति पर नहीं पड़े। अत्यधिक घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को धीरे-धीरे बन्द करने का निर्णय लिया जाना चाहिए। घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द करने से बेरोजगार होने वाले श्रमिकों के लिए रोजी-रोटी की मुकम्मल व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।

भारत में लौहा एवं इस्पात उद्योग की प्रगति के आयाम

लोहा एवं इस्पात उद्योग महत्त्वपूर्ण आधारभूत उद्योग है। राष्ट्र का आद्योगिक विकास लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर होता है।

अर्थव्यवस्था के कृषि, यातायात, आधारभूत संरचना, आवास निर्माण आदि क्षेत्रों के विकास में लोहा एवं इस्पात उद्योग की महती भूमिका होती है। विश्व इतिहास में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में हुआ। लोहे की गलाई एवं दुलाई में भारत विश्वविख्यात था। अतीत में लोहे की टिकाऊ वस्तुएं विश्व के अनेक देशों को निर्यात की जाती थीं। समय के बदलाव के साथ भारत का लोहा एवं इस्पात उद्योग पिछड़ गया।

भारत में लोहा-इस्पात उद्योग के विकास के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। विश्व के कुल लौह अयस्क के भण्डारों का एक चौथाई भाग भारत में उपलब्ध है। इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल यथा मैंगनीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट भारत में उपलब्ध है। लोहा इस्पात का सर्वाधिक उत्पादन अमरीका में होता है। भारत का भी इस दृष्टि से विश्व में प्रमुख स्थान है। किन्तु लोहा इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत के मामले में भारत पीछे है।

पंचवर्षीय योजनाओं में विकास : स्वातन्त्र्योत्तर लोहा इस्पात उद्योग के विकास को गति मिली। पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई इस नीति में सरकार ने लोहा इस्पात उद्योग के विकास का दायित्व अपने ऊपर लिया। स्वतन्त्रता के समय भारत में लोहा-इस्पात के केवल तीन कारखाने थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं - टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को), इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को), मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (मिस्को)। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग प्रधान थी। इसमें लोहा इस्पात उद्योग के विकास को प्राथमिकता दी गई। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में (सातवीं पंचवर्षीय योजना तक) सार्वजनिक उपक्रमों का बोलबाला रहा। सार्वजनिक क्षेत्र में लोहा-इस्पात उद्योग का तेजतर विकास हुआ। वर्तमान में लोहा इस्पात के कारखाने की संख्या 9 है तथा कुछेक कारखाने निर्माणाधीन हैं। टाटा आयरन एण्ड स्टील, जमशेदपुर निजी क्षेत्र में टाटा समूह का है। स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारत सरकार के स्वामित्व में है। भारत सरकार ने सेल का प्रबन्ध 14 जुलाई 1972 को अपने हाथ में लिया। सेल भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुरा, बोकारो, बर्नपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र सेलम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है। सेल ने एक अगस्त 1989 को विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को अपने अधिकार में लिया।

स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्नो में एक है जिस पर देश गर्व कर सकता है। सेल द्वारा 1995-96 में 1,318.61 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, जबकि 1994-

95 में 1,163.33 करोड़ रुपए का और 1993-94 में 545.33 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया था। 1995-96 के दौरान रेल द्वारा 3,91,523 टन इस्पात का निर्यात किया गया।

लोहा एवं इस्पात का उत्पादन

नियोजित विकास के चार दशकों तथा आर्थिक उदारीकरण के प्रारम्भिक दस वर्षों में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 1950-51 में 14.7 लाख टन था जो बढ़कर 1994-95 में 159 लाख टन तथा 1997-98 में 248 लाख टन (प्राविजनल) हो गया। तैयार इस्पात का उत्पादन 1950-51 में 10.4 लाख टन से बढ़कर 1994-95 में 178 लाख टन तथा 1997-98 में 234 लाख टन (प्राविजनल) हो गया। इन प्रकार पैंतालीस वर्षों में इस्पात पिण्ड के उत्पादन में सत्रह गुना तैयार इस्पात के उत्पादन में साढ़े बाइस गुना की महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई।

भारत में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	इस्पात पिण्ड	तैयार इस्पात
1950-51	14.7	10.4
1960-61	34.8	23.9
1970-71	61.4	46.4
1980-81	103.3	68.2
1990-91	--	135.3
1991-92	126.6	143.3
1992-93	132.5	152.0
1993-94	139.0	151.0
1994-95	159.0	178.0
1995-96	224.0	217.0
1996-97	238.0	227.0
1997-98 (प्रा)	248.0	234.0
1998-99 (प्रा)	231.0	238.0

प्रा = प्रोविजनल, स्रोत - इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, सारणी S-34

विगत वर्षों में लोहा एवं इस्पात के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। किन्तु आन्तरिक मांग की तुलना में लोहा एवं इस्पात का उत्पादन कम है, नतीजतन प्रतिवर्ष लोहा एवं इस्पात का आयात करना पड़ता है। देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग का तीव्र विकास नहीं होने के कारण प्रमुख कच्चा माल "लोहे अयस्क" का निर्यात किया जाता है। वर्ष 1985-86 में कच्चे लोहे के कुल

उत्पादन का 55.2 प्रतिशत निर्यात किया गया। लोहे अयस्क पर आधारित उद्योग की स्थापना से लोहा एवं इस्पात के आयात को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत से हाल ही के वर्षों में लोहा एवं इस्पात का निर्यात किया जाने लगा है।

लोहा एवं इस्पात का आयात-निर्यात

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आयात	निर्यात
1960-61	123	--
1970-71	147	9
1980-81	852	70
1990-91	2113	1049
1992-93	2254	1104
1993-94	2494	1374
1994-95	3653	1297
1995-96	4838	1490
1996-97	6866	2396
1997-98	5281	2936
1998-99	4956	2509

स्रोत इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99 तथा 1999-2000

भारत लोहा एवं इस्पात का आयातक राष्ट्र है। वर्ष 1960-61 में लोहा एवं इस्पात का आयात 123 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 2,113 करोड़ रुपए तथा 1997-98 में और बढ़कर 5,281 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1995-96 में लोहा एवं इस्पात का आयात 4,838 करोड़ रुपए था। इस वर्ष लोहा एवं इस्पात के आयात में 32.43 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। लोहा एवं इस्पात के आयात पर 1995-96 में 1,446 मिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा खर्च हुई। भारत में थोड़ी मात्रा में लोहा एवं इस्पात का निर्यात भी होता है। हाल ही के वर्षों में इसके निर्यात में थोड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 1970-71 में लोहा एवं इस्पात का निर्यात केवल 9 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1990-91 में 1,049 करोड़ रुपए तथा 1994-95 में और बढ़कर 1,297 करोड़ रुपए हो गया।

लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास की अनुकूल दशाओं को दृष्टिगत रखते हुए लोहा एवं इस्पात का निर्यात बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण लोहा अयस्क पर आधारित इस्पात संयंत्रों का अपेक्षित विकास नहीं होना है। गतीजतन लोहा एवं इस्पात के आयात में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और इसका प्रभाव विदेशी विनिमय कोष पर भी पड़ा है। गौरतलब है भारत लम्बे अरसे

से बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात करता रहा है। वर्ष 1995-96 में ही 31.7 मिलियन टन लोहे अयस्क का निर्यात किया गया। लोहे अयस्क के निर्यात से अर्जित आय, लोहा इस्पात के आयात पर खर्च होने वाली राशि की तुलना में लगभग नगण्य है। लौह अयस्क के निर्यात का कारण देश में इराकी कम खपत माना जा सकता है। भारत में इस उद्योग के विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। भारत के औद्योगीकरण में "सेल" की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विनियोजित पूँजी पर अर्जित आय भी पर्याप्त रही है। इसके बावजूद आर्थिक उदारीकरण के दौर में लौह एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया है। भारत को परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य का लाभ उठाते हुए लोहा एवं इस्पात के क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की उपेक्षा नहीं करते हुए इस क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के लोहा इस्पात उपक्रमों में लगभग 15,000 करोड़ रुपये विनियोजित हैं जो कि केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश का 9 प्रतिशत है। सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र के उपक्रमों में 5,000 करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है। देश में तैयार इस्पात का उत्पादन माँग की तुलना में कम है। वर्ष 1994-95 में तैयार इस्पात की माँग 220 लाख टन थी जबकि उत्पादन केवल 178 लाख टन ही था। तैयार इस्पात की माँग 1999-2000 में 310 लाख टन होगी। तैयार इस्पात की बढ़ती माँग को देखते हुए लोहा एवं इस्पात उद्योग में पूँजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। देश में लघु इस्पात संयंत्रों की संख्या लगभग 210 है। ये निजी क्षेत्र में संचालित हैं किन्तु इनकी उत्पादन क्षमता 80 लाख टन वार्षिक ही है। जो कि अधिक नहीं है।

लोहा इस्पात उद्योग और आर्थिक सुधार : भारत में जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई। आर्थिक सुधारों के दस वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान देश की आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलाव किए गए। लोहा एवं इस्पात उद्योग को भी आर्थिक उदारीकरण के दायरे में सम्मिलित किया गया। जुलाई 1991 में घोषित की गई नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में से लोहा एवं इस्पात उद्योग को हटा लिया गया है तथा लोहा एवं इस्पात उद्योग को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की 25 किलोमीटर की सीमा से बाहर निजी क्षेत्र में किसी भी क्षमता के लोहा एवं इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र

रूस, इंग्लैण्ड आदि देशों की तुलना में भी कम है। लोहा एवं इस्पात उद्योग की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्योग के विकास से आर्थिक विकास की गति तीव्र की जा सकती है। भारत बड़ी सीमा तक आर्थिक पिछड़ापन की समस्या से निजात भी पा सकता है।

भारत में सूती वस्त्र उद्योग - वर्तमान स्थिति और समस्याएं

सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है। इस उद्योग का अतीत गौरवपूर्ण था। ढाका की मलमल विश्वविख्यात थी और इसे विदेशी बड़े चाव से पहनते थे। अंग्रेजों की इस उद्योग पर लालचभरी दृष्टि पड़ी। उनकी विद्वेषपूर्ण नीति के कारण समृद्ध सूती वस्त्र उद्योग पतन के गर्त में डूब गया।

आज भारत की अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र उद्योग का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत सूती वस्त्र उद्योग द्वारा उत्पादित किया जाता है तथा देश के कुल निर्यात मूल्य का 46 प्रतिशत वस्त्र उद्योग द्वारा अर्जित किया जाता है। इस उद्योग में दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सूती वस्त्र देश के सगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है। बड़ी संख्या में सहायक उद्योगों का विकास सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर निर्भर है। आठवें दशक के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में 24 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

पंचवर्षीय योजनाओं में सूती वस्त्र उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे सूती वस्त्र मिलों की संख्या तथा वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि हुई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सूती वस्त्र उत्पादन का कुल लक्ष्य 1,450 करोड़ मीटर निर्धारित किया गया। इसमें मिल क्षेत्र के लिए 450 करोड़ मीटर तथा विकेंद्रित क्षेत्र के लिए 1,000 मीटर का लक्ष्य था। विकेंद्रित क्षेत्र में पावरलूम के लिए 540 करोड़ मीटर तथा हाथकरघा क्षेत्र के लिए 460 करोड़ मीटर निर्धारित था। योजनाबधि में सूती वस्त्र उद्योग के उन्नयन के वास्ते आधुनिकीकरण, निर्यात-संवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि पर बल दिया गया। योजना के अंत में अर्थात् 1989-90 में सूती वस्त्र का कुल उत्पादन 1,872 करोड़ मीटर हुआ, इसमें मिल क्षेत्र का 278 करोड़ मीटर तथा विकेंद्रित क्षेत्र का 1,594 करोड़ मीटर उत्पादन था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में सूती वस्त्र उत्पादन का कुल लक्ष्य 2,250 करोड़ मीटर निर्धारित किया गया है। इसमें मिल क्षेत्र के लिए 1,575 करोड़ मीटर तथा विकेंद्रित क्षेत्र के लिए 2,092.5 करोड़ मीटर निर्धारित है। सूती वस्त्र उत्पादन लक्ष्य में मिल क्षेत्र 7 प्रतिशत, हाथकरघा

क्षेत्र 21 प्रतिशत तथा पावरलूम क्षेत्र का 72 प्रतिशत भाग निर्धारित है।

भारत में वस्त्र उत्पादन

(करोड़ वर्ग मीटर)

वर्ष	मिल क्षेत्र	विकेन्द्रित क्षेत्र पावरलूम एवं हथकरघा	कुल उत्पादन	कुल उत्पादन में हिस्सा प्रतिशत में	
				मिल क्षेत्र	विकेन्द्रित क्षेत्र
1950-51	340	81	421	81	19
1960-61	465	209	674	60	31
1970-71	405	355	760	53	47
1980-81	343	493	839	41	59
1990-91	186	1357	1543	12	88
1991-92	165	1300	1465	11	89
1992-93	145	1160	1305	11	89
1993-94	199	1580	1779	11	89
1994-95	227	1475	1702	13	87
1995-96	202	1688	1890	11	89
1996-97	196	1788	1984	10	90
1997-98	195	1804	1992	10	90
1998-99	179	1666	1795	10	90

स्रोत इण्डियन इकोनॉमिक सर्वे, 1998-99, 1999-2000

नियोजित विकास के पचास वर्षों में सूती वस्त्र के उत्पादन में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई। सूती वस्त्र का उत्पादन 1950-51 में 421 करोड़ वर्ग मीटर था जो 1997-98 में बढ़कर 1,992 करोड़ वर्ग मीटर हो गया। सूती वस्त्र उद्योग में मिल क्षेत्र का उत्पादन घटा तथा विकेन्द्रित क्षेत्र के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। वर्ष 1950-51 में सूती वस्त्र के कुल उत्पादन में मिल क्षेत्र का भाग 81 प्रतिशत तथा विकेन्द्रित क्षेत्र का भाग 19 प्रतिशत था। जबकि 1995-96 में सूती वस्त्र के उत्पादन में मिल क्षेत्र का भाग घटकर 11 प्रतिशत रह गया और विकेन्द्रित क्षेत्र का भाग तीव्रता से बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया। मिल क्षेत्र की तुलना में विकेन्द्रित क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। सूती वस्त्र का उत्पादन अप्रैल-सितम्बर 1996-97 में 1,5298 करोड़ वर्ग मीटर था जो अप्रैल-सितम्बर 1995-96 के सूती वस्त्र उत्पादन 1,5216 करोड़ वर्ग मीटर

की तुलना में 0.5 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 1997-98 में सूती वस्त्र उत्पादन में वृद्धि दर 0.4 प्रतिशत थी।

काते हुए धागे (स्पिन यान) का उत्पादन

(मिलियन कि ग्रा)

वर्ष	सूती धागा	मिश्रित धागा	प्रतिशत गैर सूती धागा	कुल धागा
1990-91	1510	207	107	1824
1991-92	1450	234	122	1806
1992-93	1523	247	125	1895
1993-94	1622	305	140	2067
1994-95	1696	346	158	2200
1995-96	1894	395	196	2485
1996-97	2148	484	162	2794
1997-98	2213	583	177	2973
1998-99 (प्रा)	2022	593	191	2808

प्रा प्राविजल स्रोत - इवगेनॉमिक सर्वे 1999-2000, एस-35

देश में काते हुए धागे का उत्पादन 1990-91 में 1,824 मिलियन किलोग्राम था, इसमें सूती धागे का उत्पादन 1,510 मिलियन किलोग्राम मिश्रित धागे का उत्पादन 207 मिलियन किलोग्राम तथा सौ प्रतिशत गैर सूती धागे का उत्पादन 107 मिलियन किलोग्राम था। काते हुए धागे का उत्पादन बढ़कर 1995-96 में 2,485 मिलियन किलोग्राम हो गया। इसमें सूती धागे का उत्पादन 1,894 मिलियन किलोग्राम तथा मिश्रित एव सौ प्रतिशत गैर सूती धागे का उत्पादन 591 मिलियन किलोग्राम था। सूती धागे के उत्पादन में वर्ष 1995-96 में 11.67 प्रतिशत रिकार्ड वृद्धि हुई। मिश्रित धागे तथा सौ प्रतिशत गैर सूती धागे के उत्पादन में इसी वर्ष 17.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1998-99 में काते हुए धागे का उत्पादन 2,808 मिलियन किलोग्राम था इसमें सूती धागे का उत्पादन 2,022 मिलियन किलोग्राम तथा मिश्रित धागे (सौ प्रतिशत गैर सूती धागे सहित) का उत्पादन 786 मिलियन किलोग्राम था।

सूती वस्त्र उद्योग में स्थानीयकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में केन्द्रित हैं। राज्य विशेष में भी सूती वस्त्रों का

असमान वितरण है। पावरलूम महाराष्ट्र के भिवाडी और मालगाव में तथा गुजरात राज्य के सूरत में केन्द्रित है।

देश में मार्च 1995 तक सगठित क्षेत्र में 1,395 सूती मिलें थी जिनमें से 267 मिले कम्पोजिट थीं। वर्ष 1980-81 के दौरान देश में 415 कताई मिले थी और 278 कम्पोजिट मिले थीं। वर्ष 1981 में 2123 करोड़ तकुए थे जिनकी संख्या बढ़कर मार्च 1995 में बढ़कर 2901 करोड़ हो गई। एक तिहाई से अधिक तकुए कम्पोजिट मिलों में थे। तकुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत के बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस का स्थान आता है।

निर्यातित आय में वस्त्रों का योगदान

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल निर्यात	वस्त्रों का निर्यात			कुल निर्यात में वस्त्रों का योगदान प्रतिशत में
		वस्त्र	सूती धागा	रेडीमेड वस्त्र	
1960-61	642	73	65	01	21.6
1970-71	1535	145	142	29	20.6
1980-81	6711	933	408	550	28.2
1990-91	32553	6832	2100	4012	39.8
1993-94	69751	14863	4821	8112	39.8
1994-95	82674	19945	7014	10305	45.0
1995-96	106353	24149	8619	12295	42.4
1997-98	126286	30001	12094	14032	44.4
1998-99	141604	35897	11039	18698	46.4

स्रोत: इकोनॉमिक सर्वे, 1996-97, 1999-2000 प्रतिशत निकाले गए हैं।

भारत की निर्यातित आय में वस्त्र निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुल निर्यातित आय में वस्त्रों का योगदान 1960-61 में 21.6 प्रतिशत था जो बढ़कर 1990-91 में 39.8 प्रतिशत तथा 1997-98 में और बढ़कर 44.4 प्रतिशत हो गया। पिछले कुछ वर्षों में वस्त्रों के निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 1995-96 में वस्त्र निर्यात में 21.07 प्रतिशत, सूती धागे के निर्यात में 23.59 प्रतिशत तथा रेडीमेड वस्त्रों के निर्यात में 19.31 प्रतिशत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। भारत से वस्त्रों का निर्यात अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, जापान, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, आस्ट्रेलिया आदि देशों को किया जाता है। लेटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में भी धीरे-

धीरे भारतीय वस्त्रों का निर्यात बढ़ रहा है।

जुलाई 1991 से प्रारम्भ आर्थिक उदारीकरण के दायरे में सूती वस्त्र उद्योग को भी सम्मिलित किया गया। उद्योग की दशा सुधारने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जा चुके हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय नई औद्योगिक नीति (अगस्त 1991) में सूती वस्त्र उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करना है। अब वस्त्र मिल और पावरलूम लगाने के लिए सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। किन्तु गैर-औद्योगिक इकाई स्थान के विषय में अनुमति लेना आवश्यक है। दिसम्बर 1992 में वस्त्र नियंत्रण आदेश 1986 समाप्त कर दिया गया और इस्का स्थान वस्त्र (विकास एवं नियमन) आदेश 1993 में ले लिया।

वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में लगभग 65 प्रतिशत कपास का उपयोग किया जाता है। कपास का उत्पादन सत्र 1995-96 (सितम्बर 1995 से अगस्त 1996) में 170 लाख गांठे (अनुमानित) था जो सत्र 1994-95 के कपास उत्पादन 138.5 लाख गांठे की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक था। कपास की कीमत नवम्बर 1994 में तेजी से बढ़ी थी जिसे सरकार ने शून्य तथा रियायती आयात शुल्को पर डिस्कोस स्टैपल क्रिडे (बी एस एफ) (कपास का निकटतम स्थानापन्न) के आयात द्वारा तथा घरेलू कपास की मांग पूर्ति में घटित साख नियंत्रण विधियों को कठोर करके नियंत्रण किया। सरकार ने सत्र 1995-96 के लिए 1590 लाख गांठे का निर्यात अंश जारी किया। इसके अलावा अक्टूबर 1996 में सरकार ने 5 लाख गांठे के निर्यात का आरम्भिक अभ्यंश जारी किया।

द्विगत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में सूती वस्त्र का योगदान तीव्रता से बढ़ा। सूती वस्त्र का औद्योगिक उत्पादन में हिस्सा, निर्यात में भागीदारी, रोजगार में भूमिका आदि क्षेत्रों में प्रगति उल्लेखनीय रही। इन सबके बावजूद भी सूती वस्त्र उद्योग समस्याओं से अछूता नहीं है। वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग के सामने अनेक समस्याएँ मुहंवाएँ खड़ी हैं जिनमें कच्चे माल की कमी, मिल क्षेत्र और विकेंद्रित क्षेत्र में समन्वय का अभाव, रुग्णता, कुप्रवन्ध, विद्युत अभाव, श्रम असंतोष, उत्पादन क्षमता का कम उपयोग, श्रमिकों की नीची उत्पादकता, केंद्रीकरण, आधुनिकीकरण का अभाव आदि समस्याएँ प्रमुख हैं।

भारत में सूती वस्त्र उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। वस्त्र मानव की आधारभूत आवश्यकता है। अभी भारत में प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग कम है। आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ-साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा

है। लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ रहे हैं। अतः भविष्य में वस्त्रों की मांग के बढ़ने की सम्भावना है। देश में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए शोध व अनुसंधान पर बल दिया जा रहा है। स्वाचालित करघों का प्रयोग बढ़ा है। देश में लम्बी रेशों की कपास का उत्पादन बढ़ने से उद्योग के सामने कच्चे माल का अभाव नहीं है।

विश्व में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। बीते वर्षों में भारत वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में अन्य देशों जैसे चीन, दक्षिण कोरिया, जापान आदि की तुलना में पिछड़ा है। निर्यात में वस्त्र की भागीदारी बढ़ाने के वास्ते भारत को कारगर कदम उठाने होंगे। वस्त्र की प्रतिस्पर्धी कीमते निर्धारित करके तथा उत्पाद की उच्च गुणवत्ता पर जोर देकर भारत विश्व के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में भूमिका बढ़ा सकता है। नये बाजार की खोज पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।

राजस्थान की औद्योगिक स्थिति

राजस्थान विकासोन्मुखी भारतीय अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। राजस्थान की भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ देश के अन्य राज्यों की तुलना में विकट हैं। राज्य का 61% प्रतिशत भू-भाग रेत के धोरो से ढका है। जहाँ अकाल व सूखे की स्थिति सदैव मुहैया खड़ी है। मानसून की प्रकृति सामान्यतः अनियमित और अनिश्चित होने के कारण वर्षा की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। राज्य गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से भी ग्रसित है। विकास के विभिन्न सूचकों यथा शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आधारभूत संरचना, योजना परिव्यय आदि में राजस्थान की स्थिति दयनीय है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है। खनिज संपदा की दृष्टि से बिहार के बाद राजस्थान का ही नाम आता है। राजस्थान खनिजों का अजायबघर है। हाल के वर्षों में राज्य कृषि संपदा की दृष्टि से भी समृद्ध हुआ है। राज्य वर्तमान में तिलहन क्रांति की ओर अग्रसर है। लेकिन राजस्थान वित्तीय संसाधनों के अभाव में समृद्ध प्राकृतिक संपदा का भरपूर लाभ नहीं उठा सका है।

देश में आर्थिक उदारीकरण को लागू हुए दस वर्ष बीत चुके हैं। आर्थिक सुधारों के कारण देश में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ा है। किन्तु राजस्थान नब्बे के दशक में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में अधिक सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप राजस्थान औद्योगीकरण की दौड़ में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों की तुलना में पिछड़ गया।

राज्य के पिछड़ेपन का अन्य प्रमुख कारण केंद्रीय पूंजी निवेश का अभाव है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नितांत अभाव है। राज्य के अनेक उद्योग घाटे की समस्या से ग्रसित हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने दिगत वर्षों (1991-98) में विकास को गति देने वाले नीतिगत पहल नहीं की। दिगत वर्षों में नीतियां तो खूब बनीं किन्तु प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में विकास गति नहीं पकड़ सका। राजस्थान राजनीतिक स्थायित्व के बावजूद विकास की दौड़ में पिछड़ गया।

वर्तमान में राज्य सरकार औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रयासरत है। राज्य की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना का आकार 5,022 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है जो 1998-99 की संशोधित वार्षिक योजना की तुलना में 23.15 प्रतिशत अधिक है। योजना परिव्यय का 4 प्रतिशत उद्योग व खनिज पर, 19 प्रतिशत विद्युत पर तथा 15 प्रतिशत परिवहन पर व्यय करने का प्रावधान है। आधारभूत संरचना के विकसित होने से विदेशी निवेशक आकर्षित होंगे जिससे औद्योगीकरण की गति को बल मिलेगा। वर्तमान में यह प्रत्याशित हो चुका है कि तीव्र औद्योगिक विकास के बिना गरीबी निवारण समभव नहीं है। औद्योगिक विकास से गरीबी का दुष्प्रभाव श्रमता है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी से चहुंओर खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है।

राज्य में औद्योगीकरण के लिए उद्योग विभाग उत्तरदायी है। वर्तमान में उद्योग विभाग के अधीन 33 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उप जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। वर्ष 1998-99 की राज्य आयोजना में 57.65 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं में दिसम्बर 1998 तक 47.20 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी थी। राजस्थान में वर्तमान में सूती व सिंथेटिक रेशे की इकाइयां, ऊनी, चीनी, सीमेंट, नमक, कांच, टेलीविजन, टायर ट्यूब, वनस्पति तेल की मिलें, इर्जा नियरी की औद्योगिक इकाइया कार्यरत हैं।

राजस्थान में मार्च 1998 तक 531 वृहद् एवं मध्यम उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिनमें 13,740 करोड़ रुपए की पूंजी विनियोजित है तथा 1.70 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष 1998-99 के दौरान लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में आशातीत वृद्धि हुई। दिसम्बर 1998 तक 5,400 इकाइयों के लक्ष्यों के सामने 5,160 इकाइयां पंजीकृत हुईं जिनमें 224.33 करोड़ रुपए के विनियोजन से 22,350 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ। राजस्थान में चयनित मर्दों के औद्योगिक उत्पादन को निम्न

तालिका में दर्शाया गया है।

घयनित मदों का औद्योगिक उत्पादन

मद	इकाई	1997	1998	1997 की तुलना में प्राद्वैधानिक 1998 में % परिवर्तन
शक्कर	मै. टन	26375	58695	122.54
वनस्पति घी	मै. टन	24985	24936	-0.20
नमक	लाख मै टन	12	11	-8.33
यूरिया	000 मै. टन	398	385	-3.27
सीमेन्ट	000 मै टन	6495	6206	-4.42
सूती कपड़ा	लाख वर्ग मीटर	305	472	-6.53
सूती धागा	000 मै टन	77	75	-2.60

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99, राजस्थान सरकार।

राज्य में 1998 के दौरान गत वर्ष की तुलना में कई मदों के उत्पादन में गिरावट आई है। राजस्थान में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के निर्देशानुसार वर्ष 1970 में 26 औद्योगिक मदों का घयन किया गया। वर्ष 1998 में गत वर्ष की तुलना में 16 मदों के उत्पादन में गिरावट आई। केवल स्प्रिट, जस्ते की छडे, कैडिमियम अंतिम उत्पाद, पानी के मीटर, कार्बोनाट सोडा, पी. वी. सी कम्पाउण्ड, रल्फूयूरिक एसिड और शक्कर के उत्पादन में वृद्धि हुई। शक्कर के उत्पादन में वृद्धि उल्लेखनीय रही। शक्कर का उत्पादन 1997 में 26,375 टन था जो बढ़कर 1998 में 58,695 टन हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 122.54 प्रतिशत अधिक था। जे के फेक्ट्री में उत्पादन बंद होने के कारण नाइलोन और पोलिस्टर धागे का उत्पादन नहीं हुआ। सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फेक्ट्री बरसों से बन्द पड़ी है।

राजस्थान औद्योगिक विकास की दौड़ में औद्योगिक रुग्णता, आधारभूत संरचना का अभाव, कम पूंजी निवेश, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का अभाव आदि कारणों से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में पिछड़ गया है। इस बात की पुष्टि भारत और राजस्थान के अग्रकित तुलनात्मक विवरण से सहज हो जाती है।

शुद्ध घरेलू उत्पाद में उद्योगों का अंश : राजस्थान का 1997-98 में साधन लागत पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर 47,05,467 लाख रुपए था जिसमें विनिर्माण क्षेत्र (पजीकृत और गैर पजीकृत) का अंशदान 3,72,785 लाख रुपए था। राज्य में शुद्ध घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 7.9 प्रतिशत था। भारत का साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद 1997-98 में 10,49,191 करोड़ रुपए (त्व्रित अनुमान) था। जिसमें निर्माण क्षेत्र का अंशदान 2,59,426 करोड़ रुपए था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान 1997-98 में 24.7 प्रतिशत था जो राजस्थान की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। स्पष्ट है विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। चूल् मूल्यों पर शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद (नयी श्रृंखला) 1996-97 में राजस्थान में 41,872 करोड़ रुपए (त्व्रित अनुमान) था जबकि यह महाराष्ट्र में 1,52,129 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 1,03,170 करोड़ रुपए, आन्ध्र प्रदेश में 72,195 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल में 70,537 करोड़ रुपए तथा गुजरात में 63,501 करोड़ रुपए था। राजस्थान शुद्ध घरेलू उत्पाद में बिहार, आसाम, हरियाणा, केरल, उड़ीसा से आगे है।

उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर राजस्थान की स्थिति दयनीय है। वर्ष 1994-95 में अखिल भारत स्तर पर उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1,200 रुपए थी जबकि राजस्थान में यह केवल 750 रुपए ही थी। उद्योग से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दृष्टि से राजस्थान का देश में दसवां स्थान है। उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय वृद्धि महाराष्ट्र में 2,820 रुपए, गुजरात में 2,806 तथा तमिलनाडु में 2,021 रुपए थी।

प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग - राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग तुलनात्मक रूप से कम है जो औद्योगिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। राजस्थान में विद्युतीकृत ग्रामों का अभाव है। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड घाटे की समस्या से ग्रसित है। राज्य में विद्युत चोरी की समस्या विकट है। राजस्थान में मार्च 1995 तक केवल 85.82 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत थे जबकि आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु में सभी गांव विद्युतीकृत हो चुके। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 1994-95 में 310.10 किलोवाट था जबकि राजस्थान में यह केवल 269.53 किलोवाट था। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग

की दृष्टि से राजस्थान का देश में दसवाँ स्थान है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग पंजाब में सर्वाधिक 759.37 किलोवाट है। इसके बाद गुजरात में 608.43 किलोवाट, महाराष्ट्र में 500.36 किलोवाट तथा हरियाणा में 466.78 किलोवाट आदि का स्थान आता है।

प्रति व्यक्ति विकास व्यय : प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय की दृष्टि से राजस्थान का देश में नवाँ स्थान है। वर्ष 1998-99 के बजट अनुमानों में राजस्थान का प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 1,359.88 रुपये था। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय के मामले में राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। प्रति व्यक्ति विकास पर व्यय 1997-98 में हिमाचल प्रदेश में 2,564.87 रुपये, वर्ष 1998-99 में हरियाणा में 2,431.90 रुपये, पंजाब में 1,964.47 रुपये तथा केरल में 1,854.67 रुपये था।

अष्टम योजना उद्व्यय (8th Plan Outlay) - अष्टम योजना उद्व्यय (Outlay) की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति सतोषप्रद मानी जा सकती है। भारत का अष्टम योजना उद्व्यय 1,86,235 करोड़ रुपये था। राजस्थान में अष्टम योजना उद्व्यय (1992-97) 11,500 करोड़ रुपये रहा। अष्टम योजना उद्व्यय की दृष्टि से राजस्थान का देश में पाचवाँ स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का अष्टम योजना उद्व्यय 21,000 करोड़ रुपये था जिसका देश में प्रथम स्थान रहा।

धीमा आर्थिक विकास - औद्योगिक पिछड़ेपन का राजस्थान के आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य में औद्योगीकरण के गति नहीं पकड़ने के कारण सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि धीमी रही। अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1995-96 की प्रति व्यक्ति आय 10,525 रुपये थी जबकि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 7,523 रुपये रही। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान का देश में ग्यारहवाँ स्थान रहा। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक 16,053 रुपये थी।

वर्ष 1980-81 की स्थिर कीमतों पर राजस्थान में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1991-92 में ऋणात्मक 6.04 प्रतिशत, 1992-93 में 13.74 प्रतिशत, 1993-94 में ऋणात्मक 6.44 प्रतिशत, 1994-95 में 18.82 प्रतिशत, 1995-96 में ऋणात्मक 3.10 प्रतिशत तथा 1996-97 में 16.50 प्रतिशत थी। वर्ष 1991-92 से 1996-97 के बीच राज्य की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तीन बार ऋणात्मक रही। जो कि चिन्ताप्रद बात थी। राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 1980-81 की स्थिर कीमतों पर 1991-92 से 1996-97 के बीच 5.58 प्रतिशत थी जो कई राज्यों की तुलना में कम है।

राज्यवार सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, स्थिर (1980-81) कीमतों पर

राज्य	वृद्धि दर प्रतिशत 1991-92 से 1996-97
गुजरात	8.23
महाराष्ट्र	7.96
आन्ध्र प्रदेश	7.90
त्रिपुरा	7.18
पश्चिम बंगाल	6.82
कर्नाटक	6.11
तमिलनाडु	5.71
राजस्थान	5.58
पंजाब	5.09
हरियाणा	4.75

स्रोत आर्थिक समीक्षा, 1998-99 राजस्थान सरकार।

आधारभूत संरचना का अभाव - राजस्थान के आर्थिक विकास और औद्योगीकरण में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण आधारभूत संरचना का अभाव है। नियोजन काल और आर्थिक उदारीकरण के दौर में आधारभूत संरचना यथा ऊर्जा, सड़क, रेलवे, सिंचाई, संचार, शिक्षा, बैंक आदि का तुलनात्मक रूप से कम विकास हुआ। वर्ष 1998-99 के प्रारम्भ में राजस्थान की विद्युत उत्पादन क्षमता 3,097,365 मेगावाट थी। राज्य में 1998-99 में विद्युत उत्पादन (शुद्ध) 10,223,23 मिलियन यूनिट तथा विद्युत क्रय 11,300 मिलियन यूनिट (अनुमानित) था। राजस्थान में सड़को की कमी है। राजस्थान में सड़को की लम्बाई प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर केवल 42.68 किलोमीटर है जिसके वर्ष 1998-99 के अन्त तक 43.67 किलोमीटर होने की समावना है। जबकि देश में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर औरत सड़को की लम्बाई 73 किलोमीटर है। राजस्थान में सड़कें अखिल भारत की औरत सड़क लम्बाई से बहुत कम हैं। राजस्थान में कच्ची पक्की सभी प्रकार की सड़को की लम्बाई 1998-99 में 1,49,361 किलोमीटर थी। सितम्बर 1998 में प्रति लाख जनसंख्या पर बैंको की संख्या 6.4, प्रति व्यक्ति बैंक जमा 3,582 रुपए, तथा प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 1,595 रुपए था। राजस्थान में साक्षरता 1991 में 38.55 प्रतिशत थी। रेलवे विकास की दृष्टि से तो राजस्थान की स्थिति

अधिक दयनीय है। आय-व्यय अध्ययन 1994-95 के अनुसार राजस्थान में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग की लम्बाई केवल 1702 किलोमीटर थी।

कुल मिलाकर राजस्थान औद्योगिक विकास में तुलनात्मक रूप से कम विकसित राज्य है। विगत वर्षों में राजस्थान की औद्योगिक स्थिति सुधर नहीं सकी। वर्तमान में राज्य सरकार को गरीबी की समस्या और आर्थिक पिछड़ेपन से निपटने के लिए औद्योगिक विकास को गति देने वास्ते प्रभावोत्पादक कदम उठाने होंगे। राज्य सरकार को न केवल नए उद्योगों को आकर्षित करना होगा अपितु बंद पड़े उद्योगों को भी सुध लेनी होगी। आर्थिक उदारीकरण के दौर में राजस्थान स्वदेशी और विदेशी पूंजी निवेश को अधिक आकर्षित करने में सफल नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में औद्योगिकीकरण को गति देना राज्य सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।

आज उदारीकरण के दौर में विकास के क्षेत्र में विशेषकर सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में सरकार की भूमिका गौण हो गई है। सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। नियोजन काल में राजस्थान केन्द्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के मामले में उपेक्षित रहा है। राजस्थान में आज सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव नहीं है। यहां विकास की विपुल संभावनाएं हैं। राज्य सरकार को वार्षिक योजनाओं में उद्योग व खनिज पर परिव्यय में वृद्धि करनी चाहिए। राजस्थान की नौवीं पंचवर्षीय योजना 27,650 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई है जिसमें उद्योग व खनिज क्षेत्र पर 2,154.09 करोड़ रुपये व्यय का प्रावधान है जो कुल योजना उद्व्यय का 7.79 प्रतिशत है। इसके अलावा ऊर्जा पर कुल योजना उद्व्यय का 23.63 प्रतिशत तथा यातायात पर 9.73 प्रतिशत व्यय का प्रावधान है। आशा की जाती है कि नौवीं योजना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण सृजित होगा और औद्योगिक विकास गति पकड़ेगा।

सन्दर्भ

1. राजस्थान पत्रिका, फरवरी 1996.
2. इकोनोमिक सर्वे, 1994-95, पृ 109.
3. आर्थिक जगत, 28 अप्रैल, 1997.
4. इकोनोमिक सर्वे, 1996-97 पृ. 728

साक्षरता से ही विकास की गति में वृद्धि संभव

भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधा जनाधिक्य है। प्राकृतिक ससाधनों की बहुलता के बीच भी भारत की गिनती विश्व में विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। निरक्षरता देश की सबसे बड़ी समस्या है। यदि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित कर दिया जाए तो यह देश विश्व का आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। साक्षरता में वृद्धि से ही जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और जनसंख्या के अनुकूलतम स्तर पर बने रहने से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो सकती है। साक्षरता की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए प्रौढ शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में पौढ शिक्षा कार्यक्रम उत्कर्ष पर है। देश के 258 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं जिनके अन्तर्गत 5 करोड़ 20 लाख से भी अधिक निरक्षरों को इसके दायरे में लाया गया है तथा 80 जिलों में साक्षरता के बाद के अभियान चलाए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 345 जिलों को ऐसे अभियानों में शामिल कर लेने का प्रस्ताव था।

प्रस्तुत लेख साक्षरता, जनसंख्या तथा आर्थिक विकास पर केन्द्रित है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में साक्षरता वृद्धि से जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और जनसंख्या नियंत्रण से आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है।

भारत में जनाधिक्य

जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर ही आर्थिक विकास में सहायक होता है इसके बाद अधिक जनसंख्या विकास में अवरोध सिद्ध होने लगती है। विकसित देशों में जहाँ जनसंख्या का अनुकूलतम स्तर आर्थिक विकास में

सार्थक रिद्ध हुआ वहीं भारत सरीखे अनेक विकसशील राष्ट्र आवादी की विकसलता के नासूर से पीडित है।

अधिक आवादी भारत की विकट समस्या है। आज स्थिति यहा तक पहुच चुकी है कि जितनी आर्थिक प्रगति हम करते हैं बढ रही आवादी उसे हडप कर जाती है। हर घटे दो हजार चार सौ बच्चे जन्म लेते हैं। यदि यही रफ्तार बनी रही तो कोई शक नहीं बहुत ही जल्दी हम आवादी की विकसलता मे चीन को पीछे छोड देंगे। वर्तमान में भारत चीन के बाद सर्वाधिक आवादी वाला राष्ट्र है। प्रति वर्ष एक आस्ट्रेलिया हमारी आवादी में जुड जाता है।

यह सही है कि हर जन्म लेने वाला बच्चा खाने के लिए केवल मुह ही नहीं लाता अपितु काम करने के लिए दो शक्तिशाली हाथ और सोचने के लिए विशाल मस्तिष्क भी साथ लेकर आता है, मगर हाथो की उपादेयता तो तब है जब वे खाली न हो अर्थात् हर हाथ को काम हो। भारत में गरीब पिता सदैव भूखे-प्यासे बच्चों से घिरा रहता है, यदि कुछेक मेहमान और आ जाए तो उसकी स्थिति किकर्तव्यविमूढ हो जाती है, ठीक यही स्थिति आज भारत की हो गई है। यहा के विशाल भू-भाग में अथाह प्राकृतिक सपदा भी बढ रही आवादी के सामने सीमित नजर आने लगी है। यह जनसख्या वृद्धि मात्र सख्यात्मक है। गुणात्मक का तो नितांत अभाव है। आजादी के कई बरस बीत चुके है फिर भी अधिसख्य लोग परम्परावादी है, इनमें सभी कुछ भगवान पर छोड देने की प्रवृत्ति व्याप्त है। यदि जनसख्या में गुणात्मक दृष्टि से वृद्धि होती है, तो कर्तव्यपरायणता की भावना फलन्भूत होगी। आज देश मे मानव ससाधनो के विकास पर भारी भरकम विनियोजन किया जा रहा है फिर भी मानवों की गुणात्मकता मे अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है जिसका प्रमुख कारण जनाधिक्य है।

भारत की जनसंख्या

वर्ष	जनसख्या	दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1951	361088090	+13.31	1.25
1961	439234771	+21.51	1.96
1971	548159652	+24.80	2.20
1981	683329097	+24.66	2.22
1991	846302688	+23.85	2.14

स्रोत . इण्डिया, 1992, इकोनॉमिक सर्वे, 1994-95.

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ष 1991 में 84 करोड़ 63 लाख 2 हजार 688 थी। इराके पुरुषों की संख्या 43 करोड़ 92 लाख 30 हजार 438 तथा महिलाओं की संख्या 40 करोड़ 70 लाख 72 हजार 230 थी। वर्ष 1981-91 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 23.85 प्रतिशत रही। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 274 था। कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 37.46 था। भारत की 74.29 प्रतिशत आबादी ग्रामीण है। उल्लेखनीय है कि 1991 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 23.85 प्रतिशत (2.14% वार्षिक दर) रही जबकि इससे पूर्व 1981 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि 24.66 प्रतिशत (2.22% वार्षिक वृद्धि दर) थी। तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर में 0.08 प्रतिशत की कमी आना निश्चित रूप से राहत का विषय है। जनसंख्या की वृद्धि दर को और भी कम किए जाने की आवश्यकता है।

तीव्रता से बढ़ रही आबादी के अनेक कारणों में शिक्षा का अभाव, परम्परावादी दृष्टिकोण, निर्धनता आदि मुख्य हैं। निर्धनता की स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चों को दायित्व के रूप में नहीं लिया जाता है, वे परिवार के आर्थिक इकाइयों के रूप में देखे जाते हैं। ग्रामीणों में इस तरह की प्रवृत्ति ज्यादा है, शहरी निर्धनों में भी कमोवेश यही हालात हैं। निर्धनों में जनसंख्या वृद्धि दर का आकड़ा शिक्षितों की तुलना में अधिक है।

आबादी की विकसालता ने देश के सामने ढेरों समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। हम अथक प्रयास के बावजूद विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। देश में गरीबी की समस्या अभी भी विकट बनी हुई है। देश के कम विकसित राज्यों में अधिसंख्य आबादी गरीबी में जीवन बसर के लिए अभिराप्त है। ऐसी बात नहीं कि सरकार विशाल आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सचेष्ट नहीं, किन्तु सभी प्रयास बढ़ती आबादी के सामने गौण पड़ जाते हैं।

बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की जाए। बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करना अकेले सरकार के बूते की बात नहीं, जन सहयोग भी लाजिमी है। यदि समग्र राष्ट्र में साक्षरता का अलख जगाया जाए तो यह आबादी नियंत्रण में कारगर सिद्ध हो सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति का निर्णय तुलनात्मक रूप से अधिक विवेकपूर्ण होता है।

आज सरकार सावध है, लोगों में भी जागृति है। अधिकांश लोग

खुद-ब-खुद परिवार नियोजन को आत्मसात करने लगे हैं। राजकीय प्रयासों को अतिरिक्त कई स्वेच्छिक संगठन भी इस ओर सक्रिय हैं। हमारे पास अथाह प्राकृतिक संपदा है। आज सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पारिस्थितिकी सन्तुलन को बनाए रखते हुए प्राकृतिक ससाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन तथा बढ़ रही आवादी को नियंत्रित करने की है। ऐसा होने पर ही मनुष्य पूंजी में वृद्धि सम्भव है तथा भावी पीढ़ी के हित भी सुरक्षित रहेंगे। यदि हमें इसमें अपेक्षित सफलता मिलती है तो कोई सन्देह नहीं हम आने वाले वर्षों में आवादी में नहीं, आर्थिक प्रगति में सिरमौर होंगे।

बढ़ती आवादी आर्थिक विकास में बाधक

भारत की राष्ट्रीय आय 1980-81 के मूल्या पर वर्ष 1984-85 में 1,39,808 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1993-94 में 2,02,670 करोड़ रुपए हो गई। 1993-94 में समाप्त नौ वर्षों में राष्ट्रीय आय में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि प्रति व्यक्ति आय में इसी दौरान केवल 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति आय 1980-81 के मूल्या में वर्ष 1984-85 में 1,811 रुपए थी, जो बढ़कर 1993-94 में 2,282 रुपए ही हो गई। देश की राष्ट्रीय आय में तो तेजी से बढ़ोतरी हो रही है किन्तु जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय अपेक्षित गति से नहीं बढ़ पा रही है। जाहिर है आवादी आर्थिक वृद्धि में बाधक बनी हुई है।

गरीबी पर निजात मुश्किल काम

भारत में गरीबी का मूल कारण अनुकूलतम स्तर को पार कर चुकी जनसंख्या ही है। गरीबी प्रमुख राष्ट्रीय समस्या के रूप में समरी है। देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक ससाधनों का विवेकपूर्ण दोहन कर गरीबों की संख्या को अवश्य ही कम किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने गरीबों के उत्थान वास्ते प्रयास नहीं किए हो। स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षों से ही गरीबी उन्मूलन संबंधी अनेक कारणर योजनाएं घोषित की गईं। आज भी वर्ष दर वर्ष नवीन योजनाओं की घोषणा की जा रही है। हाल ही वर्षों में ग्रामीण विकास व्यय में भारी बढ़ोतरी की गई है। किन्तु जिस तरीके से गरीबी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और बेतहाशा राशि खर्च की जा रही है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि गरीब लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यदि गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार नहीं आता है तो यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि 21वीं सदी में राष्ट्र गरीबी पर निजात पा लेगा। नियोजित विकास के दौरान यद्यपि गरीबों की संख्या में कमी आई है किन्तु आज भी गरीबी के

आकड़े चौकाने वाले हैं।

भारत में वर्ष 1983-84 में 27.10 करोड़ व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे थे। वर्ष 1987-88 में गरीबों की संख्या कम होकर 23.77 करोड़ रह गई। वर्ष 1983-84 से 1987-88 के बीच गरीबी में 14 फीसदी कमी आई है। फिर भी देश में वर्ष 1987-88 में 29.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जीने को अभिशप्त थी। कुछ राज्यों में तो गरीबी का खुला ताण्डव नृत्य मौजूद है। उड़ीसा में 44.7 प्रतिशत, बिहार में 40.8 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत, तमिलनाडु में 32.8 प्रतिशत, कर्नाटक में 32 प्रतिशत, राजस्थान में 24.4 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है। समृद्ध राज्य भी गरीबी की समस्या से अछूते नहीं हैं। गुजरात में 18.4 प्रतिशत, हरियाणा में 11.6 प्रतिशत, पंजाब में 7.2 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 29.2 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है।

देश के गरीबों में बहुसंख्यक आबादी ग्रामवासियों की है। आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी ग्रामवासियों की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी है। गरीबों की संख्या तो शहरों में भी कम नहीं है। किन्तु शहरों में येन-केन प्रकारण गरीब लोग रोजी-रोटी की व्यवस्था कर ही लेते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो गरीब हैं, प्रायः वे गांवों से शहरों की ओर पलायन करके आए लोग ही हैं। गांवों में ससाधनों के अभाव में कष्टप्रद जीवन से छुटकारा पाने के लिए ये मजबूरन शहरों की ओर पलायन करते हैं किन्तु विडम्बना ही है कि शहरों में भी गरीबी इनका पीछा नहीं छोड़ती। गरीबी की समस्या पर निजात पाने के लिए भारी भ्रकम विनियोजन को ग्रामीण भारत की ओर मोड़ना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ कारगर पहल की आवश्यकता भी है।

साक्षरता वृद्धि से आर्थिक विकास संभव

आजादी के तुरंत बाद वर्ष बीत चुके हैं। देश की आर्थिक स्थिति पर दृष्टिपात करें तो स्थिति सतोषप्रद दृष्टिगोचर नहीं होती है, बहुसंख्यक आबादी गरीबी, बेकारी, बीमारी, आर्थिक पिछड़ेपन आदि समस्याओं से ग्रसित है। 30 फीसदी से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने को अभिशप्त है। आर्थिक विकास की जरूरत के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं यथा पानी, ऊर्जा, सड़को आदि का विकास सीमित दृष्टिगोचर होता है। ग्राम्यजनो समेत समूचे देश में घोर आर्थिक विषमता व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति वितरण की विषमता शहरी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एक आंकलन के अनुसार ग्राम परिवारों में 20 प्रतिशत परिवारों के पास 1,000 रुपये से कम

की परिसम्पत्ति थी इनका कुल ग्राम संपत्ति में मात्र 07 प्रतिशत था, इसके विपरीत उच्चतम 4 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनके पास ग्राम संपत्ति का 31 प्रतिशत भाग था।

दीर्घावधि आर्थिक नियोजन में लोगों की माली हालत के अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति भी कम दयनीय नहीं है, हर पहलू की तरफ धुंधली है। व्यापार घाटे के अन्तर को एक-दो वर्षों को छोड़ कभी पाट नहीं सके। भुगतान शतुलन की स्थिति विषम है। विदेशी मुद्रा भंडार रसातल तक पहुंचते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित उच्चावचन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते आए हैं। अर्थव्यवस्था हिलोरे लेने लगती है।

भारत सर्वाधिक ऋणी देशों में है। विदेशी ऋण का बोझ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 1992-93 के अनुसार वर्ष 1990 में भारत पर विदेशी ऋण का बोझ 74,856 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर 1991 में 81,901 मिलियन डॉलर, 1992 में 82,245 मिलियन डॉलर तथा 1998 में और बढ़कर 95,531 मिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। ऋण के इस भारी बोझ तले "आत्मनिर्भरता" की बात "पहुच के बाहर" प्रतीत होने लगी है।

पाच दशक के नियोजन काल में आठ पंचवर्षीय योजनाएं तथा पाच एक-एक वर्ष की योजनाएं सम्पन्न हो चुकी हैं। वर्तमान में अप्रैल 1997 से नीची पंचवर्षीय क्रियान्वयन में है, इसके भी चार वर्ष पूरे हो चले हैं। यह मार्च 2002 में सम्पन्न हो जाएगी। आर्थिक योजनाओं में विकास की गति तेज करने वास्ते अरबों-खरबों रूपयों का विनियोजन किया जा चुका है।

भारी भरकम विनियोजन के बावजूद आर्थिक विकास की गति का अपेक्षित नहीं होने का मुख्य कारण "जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति" को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारत की जनसंख्या विगत दशकों में बेतहाशा गति से बढ़ी। वर्ष 1901 में जनसंख्या 23.84 करोड़ थी जो बढ़कर 1951 में 36.10 करोड़ तथा ताज़ी जनगणना 1991 में 84.63 करोड़ हो गई। 1951 से 1991 के बीच चार दशकों में जनसंख्या में 134 फीसदी भयावह बढ़ोतरी हुई। 1951 तथा बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर 20 प्रतिशत से अधिक रही है। 1971 में दशकीय वृद्धि दर 24.80 प्रतिशत, 1981 में 24.66 प्रतिशत तथा 1991 में 23.50 प्रतिशत रही। 1971 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, किन्तु यह स्थिति ऐसी नहीं कि हर्षानुभूति कर सके।

विगत वर्षों में जनसंख्या में हुई अल्पधिक वृद्धि ने भारत को एक खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। देश की प्रभावोत्पादक योजनाएं भी बढ़

रही आबादी के बीच कारगर और फलन्भूत सावित नहीं हो पा रही है। जितनी प्रगति प्रत्येक वर्ष होती है जनसंख्या रूपी बाढ़ में बह जाती है। भारत की भूमि दुनिया की कुल भूमि का मात्र 2.4 प्रतिशत है जबकि यहाँ विश्व के 16 प्रतिशत लोग रहते हैं। यदि जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो आर्थिक प्रगति रेत पर खड़े उस भवन की भाँति होगी जिसकी जड़े जनसंख्या रूपी बाढ़ सतत काटती रहती है। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि भारत के आर्थिक विकास को निगल रही है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या वृद्धि की ऊँची दर और आर्थिक विकास में विषम संबंध है। तेज गति से बढ़ रही आबादी आर्थिक विकास में अवरोध सावित हो रही है। लोगों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसे इस तरह भी व्यक्त किया जा सकता है कि साक्षरता और जन्म दर में विषम संबंध है। भारत में साक्षरता का कम होना ऊँची जन्म दर का मुख्य कारक रहा है। सभी अर्थशास्त्री इस विचार से सहमत हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ महिलाएँ शिक्षित होती हैं वहाँ जन्म दर अपने आप कम हो जाती है।

भारत में साक्षरता विशेषकर महिला साक्षरता की स्थिति शोचनीय रही है। महिलाओं में नीची साक्षरता ने ही जनसंख्या वृद्धि को बल दिया है नतीजतन दुष्परिणाम हमारे सामने है। योजनाबद्ध विकास में मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता वृद्धि वारते कोई कारगर पहल नहीं की गई, जिससे आबादी सहज संख्यात्मक दृष्टि से बढ़ती ही चली गई। संख्यात्मक गति से बढ़ी जनसंख्या की तुलनात्मक रूप से कम उपादेयता होती है और यही जनसंख्या आर्थिक प्रगति को हड़प कर जाती है।

स्वातन्त्र्योत्तर साक्षरता की स्थिति पर नजर डाली जाए तो स्थिति घोर निराशाजनक परिलक्षित होती है। दुनिया के सर्वाधिक निरक्षर भारत में है।

साक्षरता दर 1951-91

(प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.31	40.40	15.34
1971	34.45	45.95	21.97
1981	43.56	56.37	29.75
1991	52.11	63.86	39.42

वर्ष 1991 में 7 वर्ष और अधिक की जनसंख्या में 47.89 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर थे। महिलाओं में निरक्षरता 60.58 प्रतिशत थी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1981 में पूर्व साक्षरता दर में 5 वर्ष या अधिक की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता था। वर्ष 1981 एवं 1991 में साक्षरता दर में 7 वर्ष और अधिक की जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। अतः 1981 एवं 1991 में बढ़ी हुई साक्षरता दर का मुख्य कारण यह भी रहा है।

भारत की 60.58 प्रतिशत निरक्षर महिलाएँ मुख्य रूप से तेज गति से बढ़ रही जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। रुढ़िवादिता और पुरातन परम्पराओं में जकड़ी निरक्षर महिलाओं के विचार एवं सोच साक्षर और शिक्षित महिलाओं की भाँति विवेकपूर्ण नहीं होते हैं। यही बात पुरुषों के सदर्भ में भी लागू होती है।

शिक्षित महिलाएँ छोटे व बड़े परिवार के लाभ व अलाभ को दखूबी समझती हैं और छोटे व सुखी परिवार के प्रति राचेष्ट रहती हैं। जहाँ शिक्षा का प्रसार है, महिलाएँ शिक्षित हैं वहाँ जन्म दर तुलनात्मक रूप से कम है। केरल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जहाँ साक्षरता 89.81 प्रतिशत है और जन्म दर 1.4 प्रतिशत हो गई।

यहाँ भारत के कुछ ऐसे राज्यों की स्थिति पर दृष्टिपात किया जा रहा है जहाँ साक्षरता एवं जन्म दर में विषम संबंध है।

साक्षरता एवं जन्म दर में विषम सम्बन्ध 1991

वर्ष	साक्षरता दर	जन्म दर दशकीय
केरल	89.81	14.32
गोवा	75.51	16.05
महाराष्ट्र	64.89	25.73
सिक्किम	62.66	28.47
बिहार	38.48	23.54
राजस्थान	38.55	28.44
अरुणाचल प्रदेश	41.59	36.83
उत्तर प्रदेश	41.60	25.48
आन्ध्र प्रदेश	44.09	24.20

स्रोत : द पापुलेशन ऑफ राजस्थान, 1999 से संकलित।

हाल ही शिक्षा पर हुई अन्तर्राष्ट्रीय फोरम की एक बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक प्रबन्ध के अनुसार, एक निरक्षर महिला में जहाँ प्रजनन 5.1 है, वहीं एक साक्षर किन्तु माध्यमिक स्कूल से कम शिक्षा प्राप्त महिला में प्रजनन दर 4.5 है, माध्यमिक स्कूल तक किन्तु मैट्रिक से कम पढ़ी महिला में प्रजनन दर 4.0, मैट्रिक किन्तु स्नातक से कम महिला में 3.1 तथा स्नातक में 2.1 है।

भारत को यदि खुशहाल होना है तो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ बढ़ती आबादी को थामना होगा। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने वारते साक्षरता का विस्तार सर्वाधिक कारगर उपाय है, क्योंकि साक्षरता वृद्धि द्वारा ही ऊंची जन्म दर को रोका जा सकता है। बहुसंख्यक आबादी गावों में बस करती है। जन्म दर का आंकड़ा भी उनमें अधिक है, निरक्षरता का अधिकार भी ग्रामीण परिवेश में है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सरकार को अधिक सचेष्ट रहने की जरूरत है। बिना शैक्षिक प्रसार के परिवार नियोजन के लक्ष्यों की सफलता संदिग्ध है। अतः सरकार को चाहिए कि उस ओर अधिकाधिक पूजी विनियोजन की व्यवस्था करे तथा लाभ को जरूरतमद तक पहुँचाने का मुकम्मल इन्तजाम हो। तभी सफलता संभावित है। मानवीय संसाधनों की गुणात्मकता वृद्धि में ही आर्थिक प्रगति के नवीन आयाम समाहित हैं।

साक्षरता के बढ़ते कदम

निरक्षरता समाज के लिए अभिशाप है। जहाँ निरक्षरता है वहाँ अनेकानेक समस्याएँ मुहँबाएँ खड़ी हैं। भारत में अथाह प्राकृतिक संपदा आर्थिक जगत में सिरमौर होने की क्षमता रखती है। किन्तु जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि, जिसका मुख्य कारण व्याप्त निरक्षरता का अधिकार ही है, प्रगति के पथ पर बढ़ने में प्रमुख बाधा है। यदि साक्षरता में वृद्धि कर दी जाए तो कई समस्याएँ तो स्वतः ही हल हो सकती हैं। जब लोगों की गुणात्मकता में वृद्धि होगी तो लोगों की बँट रही बेकाबू भीड़ कम होगी। संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा, आर्थिक विकास भी आशानुरूप दृष्टिगोचर होगा।

साक्षरता की उपादेयता को दृष्टिकोण रखते हुए ही हर एक वर्ष 8 सितम्बर को दुनिया भर में "अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस" मनाया जाता है। भारत में भी प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। आजादी के पाँच दशक बीत चुके हैं, किन्तु साक्षरता में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो सकी। धीमी गति से जो वृद्धि हुई, वह आज के बदले परिवेश में साक्षरता की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए अत्यल्प है।

ताजी जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और अधिक आयु की जनसंख्या में 52.21 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 61.13 है। महिलाओं में साक्षरता की स्थिति बड़ी दयनीय है केवल 39.29 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर हैं। जाहिर के 35.87 प्रतिशत पुरुष और 60.71 प्रतिशत महिलाएँ पढ़ लिख नहीं सकती हैं। साक्षरता की दृष्टि से कुछ प्रदेश सतोषजनक स्थिति में हैं तो कुछ के हालात फोफी बदतर हैं और यही निरक्षरता उनके विकास की दृष्टि से पिछड़ेपन का मुख्य कारक बनी हुई है। केरल, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं। बिहार देश में सर्वाधिक निरक्षरों वाला राज्य है। कर्नाटक यही हालात राजस्थान के हैं। बिहार में 61.52 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर हैं। राजस्थान में निरक्षरता 61.45 प्रतिशत है। राजस्थान महिलाओं की साक्षरता में सबसे नीचे है। यहाँ केवल 20.44 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं। जहाँ महिलाओं में निरक्षरता इस कदर बढ़ी हुई हो वहाँ समस्याएँ कितनी विकराल होंगी। इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

देश में निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने वास्ते वर्ष 1993 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू हुआ। मिशन के अनुसार कुल निरक्षरों का 50 प्रतिशत देश के चार बड़े हिन्दी भाषी राज्यों यथा बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरप्रदेश में है। यदि इन चार राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आन्ध्रप्रदेश को जोड़ दिया जाए तो देश के कुल निरक्षरों का 70 प्रतिशत इन साँ राज्यों में है। पूरी दुनिया में जितने निरक्षर हैं उनमें करीब 15 प्रतिशत बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है।

सरकार ने वर्ष 1994-95 में शिक्षा के पांच प्रमुख क्षेत्रों यथा प्रौढ, शिक्षा, विकेन्द्रीकरण, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। वर्ष 1994 में देश के 267 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान चल रहा था। इसके अन्तर्गत 3 करोड़ व्यक्तियों से भी अधिक को शिक्षित किया गया था। आठवीं योजना के दौरान 345 जिलों को इस अभियान में शामिल करने और 10 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के साथ देश में साक्षरता के लिए जन अभियान की शुरुआत हुई। प्रभावोत्पादक प्रयासों से 4 फरवरी, 1990 को केरल का एर्नाकुलम जिला संपूर्ण साक्षर घोषित किया गया। एर्नाकुलम की सफलता से प्रेरित होकर कई राज्यों ने निरक्षरता के अभिशाप को मिटाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया। आज देश के काफी जिले संपूर्ण साक्षर हो गए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के वर्धमान, मिदनापुर, हुगली, वीरभूम कर्नाटक के

दक्षिणी कन्नड़, महाराष्ट्र के वर्धा एवं सिंहेदुर्ग और गुजरात के गाधीनगर, मावनगर, खंडा जिले।

राजस्थान यद्यपि यहां निरक्षरों की भरमार है किन्तु प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाएं और नागरिक निरक्षरता के अंधकार को मिटाने के लिए कटिबद्ध हैं। अजमेर जिला उत्तर भारत का पहला संपूर्ण साक्षर जिला घोषित हुआ है। राजस्थान का डूंगरपुर जिला देश का पहला जनजाति बहुल जिला है जिसने सम्पूर्ण साक्षर होने का गौरव प्राप्त किया है। अजमेर तथा डूंगरपुर जिले में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया। वर्तमान में राजस्थान सरकार संपूर्ण राज्य को साक्षर बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

प्रयासों के बावजूद अभी देश के समूचे परिवेश में निरक्षरता का अंधकार है। ग्रामीण परिवेश के हालात बद से बदतर हैं। शहरी गरीबों की स्थिति भी बेहतर नहीं है। निरक्षरता के कारण अधिसंख्य आबादी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास में डूबी हुई है। अनेक शहरी भी रूढ़िवादिता से अछूते नहीं हैं। ऐसे वातावरण में निरक्षरता को मिटाना काफी पैचीदगीपूर्ण काम है। देश में गरीबी की समस्या भी क्रम बयावह नहीं है। जन्म लेने वाले बच्चे को "आर्थिक इकाई" के रूप में देखा जाता है। बहुसंख्यक बच्चे जीवन के बहुत की कम बसंत में दो जून रोटी की व्यवस्था में अभ्यस्त हो जाते हैं। चाहकर भी उनकी साक्षरता में रुचि नहीं होती। उनके निरक्षर अभिभावक भी उन्हें इस ओर प्रेरित नहीं कर पाते। आजादी के अनेक बरस बीत जाने के बावजूद भी देशवासियों में इस तरह की "सोच" कम चौकाने वाली बात नहीं है।

साक्षरता में बढ़ोतरी के लिए सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। कारगर योजनाएं हों, साथ में उनका कारगर क्रियान्वयन हो। अकेले सरकार के बूते की बात नहीं है, जनसहयोग भी लाजिमी है। कर्मठ कार्यकर्ताओं की जरूरत है जो समर्पित भाव से काम को अंजाम दे सकें। वित्तीय साधनों की भी कमी नहीं आने दी जानी चाहिए। सभी को साक्षर करने की मुहिम को आजादी की लड़ाई की भांति लड़नी होगी। ऐसे राष्ट्र जो निरक्षरता उन्मूलन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनसे प्रेरणा लेनी होगी। सभी देशवासी शिक्षा पाने को अपना कर्तव्य समझे तब कहीं जाकर हम निरक्षरों की बढ़ रही संख्या को थाम सकेंगे।

महिला साक्षरता में बढ़ोतरी मुश्किल काम

समूचे देश में सर्वाधिक निरक्षर बिहार के बाद राजस्थान में हैं। हाल के वर्षों में राजस्थान ने प्रयास करके साक्षरता के मामले में बिहार को पीछे धकेल दिया है किन्तु महिलाओं में साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान देश का

सर्वाधिक पिछड़ा प्रांत है। यह एक प्रकार से राजस्थान पर काला धब्बा है जिसे मिटाना है। गौरतलब है कि राजस्थान में महिलाओं में साक्षरता महज 20.44 प्रतिशत है। यह भारत में महिलाओं में साक्षरता 39.29 प्रतिशत की तुलना में कहीं कम है। राज्य में ग्रामीण महिलाओं के साक्षरता को देखे तो हालात कुछ से बदतर है। राज्य में ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर 11.59 प्रतिशत ही है।

अग्रणी जिलों के अनुभव से सीखें।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे जिलों से सीख ली जाए जो सम्पूर्ण साक्षर हो चुके हैं। सर्वाईमाधोपुर जिले की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से स्थिति डूंगरपुर जिले जैसी है। बेहतर होगा डूंगरपुर जिले के मॉडल को सर्वाईमाधोपुर में आत्मसात किया जाय। सहरिया जनजाति बहुल बारा जिले में भी साक्षरता अभियान बखूबी क्रियान्वय में है। भील बहुल डूंगरपुर तथा सहरिया बहुल बारा का मॉडल भीणा बहुल सर्वाईमाधोपुर के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। शिक्षा अधिकारियों के दल परस्पर एक दूसरे के अनुभवों से सीखें और कारगर क्रियान्वयन में रुचि लें तथा वित्तीय सहायकों का बेहतर इस्तेमाल हो तो साक्षरता के आकड़ों कागजों तक ही सीमित नहीं रहेंगे वे सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर चहुँओर विकास की राह दर्शाएंगे।